खण्ड–495, अंक–7
मंगलवार, 27 माघ, शक संवत् 1937
(16 फरवरी, 2016 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2016)

(खण्ड 495 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2016

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–5
प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री द्वारा व्यापारियों के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी से सम्बन्धित नियम–311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग	7
डी0जी0पी0 आफिस और मुख्य मंत्री आवास के बीच में रानी लक्ष्मीबाई कर छात्रा उन्नति के साथ बालात्कार और हत्या का प्रयास उठाने का प्रयास ...	7
प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा व्यापारियों के प्रति आपत्ति जनक टिप्पणी से सम्बन्धित नियम–311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग–(क्रमागत)	7–10
प्रश्नोत्तर	10–112
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	112–113
जनपद–कासगंज की नगर पंचायत मोहनपुर को ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	113–114
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी के कतिपय ग्रामों को जनपद सन्तकबीरनगर के मेहदावल फीडर से किये जाने के कारण सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	114
नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा एफ0एन0जी0 रोड पर अर्जित भूमि के बदले भू–खण्ड/अन्य भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	114–115
सहारनपुर में पेपर मिल रेलवे फाटक व टपरी रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज न होने से हर समय जाम लगने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	115
जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम बेलउवा बरियापुर में पूर्व प्रधान द्वारा तालाब पर किया गया अवैध कब्जा हटवाने तथा पूर्व प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	115
विकास कार्यो में मुस्लिम व निषाद समाज के लिये क्रमशः 15 व 7.5 प्रतिशत मात्रांकित हिस्सेदारी के सम्बन्ध में नियम–301 के	115–116

अन्तर्गत सूचना ... ...

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर के विकास खण्ड लार के सभी सरकारी जर्जर भवन का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 116

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के ग्राम सभा बबुरी में स्थित सार्वजनिक क्षतिग्रस्त पोखर का सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	116–117
जनपद मऊ के मधुवन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कमलसागर चट्टी से कंधारपुर गांव तक की जर्जर एवं गड्ढायुक्त सड़क का निर्माण नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	117
जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर के ब्लाक शुकुल बाजार के कतिपय जीर्ण–शीर्ण सम्पर्क मार्गों का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	117
जनपद लखनऊ के स्थित न्यू पारा कालोनी कुमारपुरम् में सड़क एवं नाली बनवाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	118
जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नानौर के सामने गंगानदी पर बनने वाला अपूर्ण पुल का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	118
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्गो की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	118–119
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के विकास खण्ड भोजपुर के अन्तर्गत कतिपय जीर्ण–शीर्ण एवं गड्ढ़ायुक्त सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	119–120
जनपद गाजियाबाद विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद के खोड़ा एवं पप्पू कालोनी के आठवीं तक के स्कूलों को इण्टरमीडिएट तक उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	120
नियम–301 के अन्तर्गत उठाई गई सूचना का उत्तर छः माह बाद भी प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	120–121
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का पच्चीसवां प्रतिवेदन–(प्रस्तुत किया गया)...	122
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का छब्बीसवां प्रतिवेदन–(प्रस्तुत किया गया)...	122
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का सत्ताइसवां प्रतिवेदन–(प्रस्तुत किया गया)	122
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का अट्ठाइसवां प्रतिवेदन–(प्रस्तुत किया गया)	122
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त	122–123

समिति (2015–2016) का उन्नीसवां प्रतिवेदन–(प्रस्तुत किया गया)...
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त
समिति (2015–2016) का तीसवां प्रतिवेदन–(प्रस्तुत किया गया) ... 123

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का इक्तीसवां प्रतिवेदन–(प्रस्तुत किया गया)...	123
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का बत्तीसवां प्रतिवेदन–(प्रस्तुत किया गया)...	123
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का तैतीसवां प्रतिवेदन–(प्रस्तुत किया गया)...	123–124
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का चौतीसवां प्रतिवेदन–(प्रस्तुत किया गया)...	124
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का पैतीसवां प्रतिवेदन–(प्रस्तुत किया गया)...	124
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कल समिति (2015–2016) का सोलहवां प्रतिवेदन–(प्रस्तुत किया गया)	124
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कल समिति (2015–2016) का सत्रहवां प्रतिवेदन–(प्रस्तुत किया गया)	124
स्टिंग आपरेशन सम्बन्धी जांच समिति का प्रतिवेदन–(प्रस्तुत किया गया)...	124–128
जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सदर की चमरौरा के पूरे हुड्हा घाट पर अर्धनिर्मित पुल का निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराये जाने विषयक श्री कालर खां आदि निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	128
जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा के शंकर ग्राम सभा में चमरौरा नदी के दो मुहवा घाट पर अर्धनिर्मित पुल का निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराये जाने विषयक श्री बृजेश यादव आदि निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	129
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह विकास खण्ड नानौता के अन्तर्गत ग्राम गुडम्ब व रायचन्दा के बीच नदी पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रेमचन्द आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	129
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह विकास खण्ड के अन्तर्गत गंगोह से बडगांव होते हुए नूरखेडी मार्ग पर निर्मित बडगांव के छोटे एवं जर्जर पुल के स्थान पर बड़े पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सुक्कड़ आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर	129

द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में जलभराव की निकासी हेतु नाला का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	129
जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में गन्दे जलभराव की निकासी हेतु सीवर लाइन/नाला का निर्माण कराये जाने विषयक श्री भरत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)...	129
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव–(चर्चा जारी) ...	130–174
सचिवालय की बैठक में खाने की गुणवत्ता सही करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	174
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत) ...	174–201
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव–(पारित)	201–212
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें	212–214
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र पिपराइच में ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को उचित मुआवजे को दिलाने के सम्बन्ध में श्रीमती राजमती द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	214–215
प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बने जूनियर शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	215–217
रिलायन्स पावर परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2005–2006 में अलीगढ़ द्वारा राजवाहो पर सी0सी0 लाइनिंग कार्य का अभी तक भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	217–219
जनपद बस्ती के जिलापूर्ति निरीक्षकों द्वारा अवैध रूप में खद्यान्नों की वसूली किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय जायसवाल द्वारा नियम–51 अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का	219

केवल वक्तव्य का स्थगन ...

जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर अन्तर्गत मिश्रा कालोनी के कच्चे मार्गों एवं नालियों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती चन्द्रा रावत द्वारा नियम–51 अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ... 219–220

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर अन्तर्गत ऐरा शुगर मिल से निकलने वाले प्रदूषित जल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अवस्थी बाला प्रसाद द्वारा नियम–51 अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य...	220–221
जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद् सिकन्दराबाद की सीमा विस्तार किये जाने का नियम–51 में आश्वासन देने के उपरान्त भी सीमा विस्तार न किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा नियम–51 अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	221–222
जनपद फिरोजाबाद के नगर के हिमायूंपुर क्षेत्र में घनी आबादी के बीच से निकले नाले के पट्टी पर सब्जी मण्डी पुलिया को लेकर टूटी पुलिया एवं जल भराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम–51 अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ...	222–223
जनपद इलाहाबाद नगर निगम द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम तथा आवासीय असंगत वाणिज्यिक कर एवं प्रमोशन चार्ज समाप्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम–51 अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	223–225
नथित्यां	226–245

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 16 फरवरी, 2016 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–294

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
5. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
7. अजीत कुमार, श्री फर्रुखाबाद
8. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
9. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
10. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
11. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
12. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
13. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
14. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
15. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
16. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
17. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
18. अमित गौरव यादव, श्री एटा
19. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
20. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
21. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
22. अराधना मिश्रा 'मोना' श्रीमती प्रतापगढ़
23. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
24. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
25. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
26. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
27. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
28. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
29. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
30. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
31. आलमबदी, श्री आजमगढ़
32. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
33. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
34. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
35. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्रीलखनऊ
36. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
37. इकबाल, श्री बिजनौर
38. इकबाल महमूद, श्री संभल
39. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
40. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
41. उर्मिला देवी, श्रीमती महोबा
42. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
43. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
44. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
45. काली चरन सुमन, श्री आगरा
46. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
47. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
48. कृष्ण गोपाल पटेल, श्रीलखीमपुर खीरी
49. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
50. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
51. कैलाश, श्री गाजीपुर
52. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
53. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
54. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
55. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी

56. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
57. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
58. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
59. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
60. गोमती यादव, श्री लखनऊ
61. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
62. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
63. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
64. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
65. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
66. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
67. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
68. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
69. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
70. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
71. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
72. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
73. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
74. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
75. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
76. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
77. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
78. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
79. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
80. तसलीम, श्री बिजनौर
81. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
82. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
83. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
84. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
85. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
86. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
87. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
88. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
89. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
90. धर्मराज, श्री बाराबंकी
91. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
92. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
93. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
94. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
95. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़
96. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
97. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
98. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
99. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
100. परवेज अहमद (टंकी), हाजीइलाहाबाद
101. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
102. पीतमराम, श्री पीलीभीत
103. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
104. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
105. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
106. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
107. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
108. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
109. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
110. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
111. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
112. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
113. फेरन लाल, श्री ललितपुर
114. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
115. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
116. बदलू खां, श्री उन्नाव
117. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
118. बाबू खां, श्री हरदोई
119. बाबूलाल, श्री गोण्डा

120. बावन सिंह, श्री गोण्डा
121. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
122. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
123. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
124. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
125. बैजनाथ, श्री मऊ
126. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
127. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
128. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
129. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
130. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
131. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
132. मनबोध, श्री देवरिया
133. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
134. मनीष रावत, श्री सीतापुर
135. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
136. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
137. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
138. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
139. महबूब अली, श्री अमरोहा
140. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
141. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
142. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
143. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
144. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
145. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
146. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
147. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
148. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
149. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
150. मूलचन्द चौहान, ठा0 बिजनौर
151. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
152. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
153. मो0 आसिफ जाफरी, सी0ए0कौशाम्बी
154. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
155. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
156. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
157. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
158. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
159. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
160. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
161. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
162. यासर शाह, श्री बहराइच
163. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
164. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
165. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
166. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
167. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
168. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
169. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
170. रणजीत सुमन, श्री एटा
171. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
172. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
173. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
174. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
175. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
176. आर0 के0 वर्मा, डा0 प्रतापगढ़
177. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
178. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
179. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
180. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
181. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
182. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
183. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
184. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
185. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर

186. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
187. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
188. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
189. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0गोरखपुर
190. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
191. राधे श्याम, श्री अमेठी
192. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
193. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
194. राम करन आर्य, श्री बस्ती
195. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
196. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
197. राम गोविन्द, श्री बलिया
198. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
199. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
200. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
201. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
202. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
203. राम मगन, श्री बाराबंकी
204. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
205. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
206. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
207. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
208. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
209. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
210. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
211. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
212. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
213. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
214. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
215. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
216. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
217. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
218. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
219. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
220. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
221. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
222. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
223. विजय कुमार पासवान, श्रीसिद्धार्थनगर
224. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
225. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
226. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
227. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
228. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
229. विजय सिंह, श्री रामपुर
230. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्रीफर्रुखाबाद
231. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
232. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
233. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
234. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
235. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
236. वीरपाल राठी, श्री बागपत
237. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्धनगर
238. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
239. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
240. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
241. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
242. शाकिर अली, श्री देवरिया
243. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
244. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
245. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
246. शिव कुमार बेरिया, श्रीकानपुर देहात
247. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
248. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
249. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
250. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्रीवाराणसी
251. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
252. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्रीआजमगढ़

253. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
254. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
255. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
256. संजय कपूर, श्री रामपुर
257. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
258. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
259. सतवीर सिंह गुर्जर, श्रीगौतमबुद्धनगर
260. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
261. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
262. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
263. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
264. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
265. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
266. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
267. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
268. सियाराम सागर, डा0 बरेली
269. सीमा, श्रीमती जौनपुर
270. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
271. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
272. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
273. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
274. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
275. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
276. सुनील कुमार लाला, श्रीलखीमपुर खीरी
277. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
278. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
279. सुरेश राणा, श्री शामली
280. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
281. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
282. सुल्तान बेग, श्री बरेली
283. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमतीगाजीपुर
284. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
285. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
286. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्रीलखीमपुर खीरी

नोट :– बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री अहमद हसन) तथा माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री द्वारा व्यापारियों के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी से सम्बन्धित नियम–311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

(श्री अध्यक्ष के आगमन के पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के वेल में उपस्थित थे)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री को व्यापारियों के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने के कारण बर्खास्त करने की मांग करते हुए नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डी0जी0पी0 आफिस और मुख्य मंत्री आवास के बीच में रानी लक्ष्मीबाई की छात्रा उन्नति के साथ बालात्कार और हत्या का प्रकरण उठाने का प्रयास

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरीके से कल डी0जी0पी0 आफिस और मुख्य मंत्री आवास के बीच में रानी लक्ष्मीबाई की छात्रा उन्नति के साथ बलात्कार और हत्या की घटना हुयी है, उससे पूरे प्रदेश में जंगलराज चरम पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वह उन्नति लड़की जो रानी लक्ष्मीबाई कालेज की छात्रा है, बारहवीं क्लास में पढ़ती थी, बोर्ड की परीक्षा के लिये घर से निकली थी उसका अपहरण हो जाता है, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस कान में तेल डालकर बैठी रहती है जिसका नतीजा हुआ कि कल 15 फरवरी को उसकी लाश डी0जी0पी0 कार्यालय और मुख्य मंत्री आवास के बीच में मिली है।

श्री अध्यक्ष–

आपने नियम–56 में नोटिस दिया है, आपकी नोटिस है। तो इस पर आप बात करियेगा। मौर्य जी आपका नोटिस मिल गया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन से बाहर चले गये)

प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा व्यापारियों के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी से सम्बन्धित नियम–311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग–(क्रमागत)

(इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य सदन के वेल में आ गये)

(विरोध स्वरूप कांग्रेस के सदस्यों ने भी सदन का त्याग किया)

(इस बीच भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बर्खास्त करो–बर्खास्त करो, मंत्री को बर्खास्त करो के नारे लगाते रहे)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, कल जिस समय कृषि उत्पादन मंडी परिषद् के बिल पर बहस हो रही थी उस समय सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने सम्पूर्ण व्यापारी समाज को टेढ़ीमार कहा है। इस सरकार का व्यापारी वर्ग के लिये क्या नजरिया है यह इस सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने स्पष्ट किया। मान्यवर, ऐसे मंत्री को मंत्रि–मंडल से तुरन्त बर्खास्त किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

देखिये वह अगर असंसदीय है तो हम उसे निकाल देंगे। अब आप बैठिये अब आप चलो। आप लोग चलो मौर्य जी उसी इश्यू को उठा करके बायकाट कर गये। अरे डा0 साहब आप चलो ना और असेम्बली को चलने तो दो ।

(इस बीच भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बर्खास्त करो–बर्खास्त करो, मंत्री को बर्खास्त करो के नारे लगाते रहे जिससे घोर व्यवधान बना रहा)

चलिये चलिये, अब हो गया आपसे अनुरोध है कि आप लोग अपनी सीटों पर जाओ आपका विरोध दर्ज हो गया। इतना बहुत है। चलिये क्या है आप कुछ समझ पाये किस लिये कर रहे हैं। क्या समझ पाये।

अब चलिये हो गया अग्रवाल जी अरे बात हो गयी। आपने अपना विरोध दर्ज करा दिया अब आगे चलने दीजिये। अब चलें अपनी–अपनी जगहों पर।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन की वेल में खड़े होकर लगातार नारे लगाते रहे) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह सरकार व्यापारियों के बारे में क्या सोचती है यह एक वरिष्ठ मंत्री के बयान से स्पष्ट होता है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप चलिये। हो गई बात आपने विरोध दर्ज करा दिया, जितना विरोध करना चाहिए और व्यापारियों तक आवाज पहुंच गई कि आप उनके समर्थक हैं, अब कृपया बैठ जाएं। आप सुझाव दीजिए, उसमें दो बातें हो सकती थीं, उन्होंने वह कहा और आपने विरोध प्रदर्शित कर दिया अब बात खत्म हो गई।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मंत्रि–मण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, किसी मंत्री ने उनके बयान से असहमति नहीं जताई, इसलिए मंत्री जी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। यह इस सरकार की नीयत को दर्शाता है, यह शपथ का दुरुपयोग है, संविधान का दुरुपयोग है, मंत्री पद का दुरुपयोग है इसलिए मान्यवर, मंत्री जी को बर्खास्त किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

देखिये, मैं इसे देखूंगा, अगर यह संसदीय शब्द नहीं होगा तो उस पर विचार करेंगे। अब कौन बोलते समय क्या बोल देता है अगर एक–एक बात पर आप असेम्बली बन्द करेंगे तो आपका काम कैसे होगा, बताइये।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन की वेल से नारेबाजी करते हुए अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे।)

देखिये, बोलचाल की भाषा में लोग क्या–क्या बोल जाते हैं अगर एक–एक बात पर आप गौर करेंगे तो यह तो चौतरफा बातें होती रहती हैं कब तक आप यहां आन्दोलन करेंगे उसके लिए। अब आप अपने स्थानों पर चलें, सब कुछ व्यापारियों की तरफ ही बोलेंगे या कुछ और लोगों की तरफ भी बोलेंगे। क्या आपकी पार्टी सिर्फ व्यापारियों पर ही बोलेगी।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल (सदन के वेल से)–

मान्यवर, हमारी भावनाएं मा0 मुख्य मंत्री तक पहुंचाई जाएं।

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि मंत्री ने कुछ कहा है तो मुख्य मंत्री से कहो शब्दों के प्रयोग के लिए लेकिन यदि प्रधानमंत्री जी कुछ कहें तो फिर

हम किससे कहें। उनकी शिकायत कहां ले जाएं, बराक साहब तो सुनेंगे नहीं। क्या होगा, जो कुछ प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, जिन शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं उसकी शिकायत कौन सी जगह जाकर की जाए। अब डॉक्टर साहब ही फैसला कर दें, मेरी तो एक बात का इतना बुरा हुआ, कुछ आपको भी याद है अपना कहा हुआ। अपनी एक बात की इतनी शिकायत है और प्रधानमंत्री जी क्या–क्या कह देते हैं, बिहार में, दिल्ली में, अब प्रधानमंत्री जी को कौन बर्खास्त करे, यह भी नारा लगाओ।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल (सदन के वेल से)–

लोक सभा में आपके सदस्य हैं वह वहां अपनी बात रखें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) (वेल से)–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने व्यापारियों के लिए अपमानजनक टिप्पणी की है। उस पर एक्शन लेना चाहिए तथा इस बात को मानना चाहिए कि जो हुआ है वह गलत हुआ और इसके लिए उन्हें खेद प्रकट करना चाहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश के व्यापारियों के लिए अपमानजनक टिप्पणी सरकार के मंत्री के द्वारा की गयी। इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है जो वो चाहे सो बोल दें, जिसके बारे में जो चाहें सो चाहे वह कह दें, इनको खुली छूट दी हुई है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

जो अपने सबसे बड़े से सुनते हैं वही सीखते हैं, जो दादा से सुनेंगे, वही पोता सीखेगा, पिल्ला सीखेगा, फिक्सिंग सीखेगा। जो बड़े कह रहे हैं वही छोटे सीख रहे हैं, पहले बड़ों पर अंकुश लगाइये।

श्री अध्यक्ष–

आपने सिद्ध किया कि आप व्यापारियों के हितैषी हैं, बनियों के हितैषी हैं यही तो बोल रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

लेकिन मान्यवर, न तो मुजफ्फरनगर में व्यापारियों ने इन्हें वोट दिया और न ही देवबंद में दिया। वोट तो कहीं दे नहीं रहे हैं व्यापारी इन्हें, सब जगह से हरा रहे हैं।

(वेल में आये हुए भा0ज0पा0 के सदस्य बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, मंत्री को बर्खास्त करो के नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

डॉक्टर साहब आप जब मंत्री जी बोल रहे थे उस समय आप कुछ नहीं बोले, रात में क्या मशविरा हो गया जो इस समय यहां उतर पड़े। अगर आपको पसन्द नहीं था तो आप कहते कि ऐसे शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जाय, तो उस समय आपने प्रतिवाद नहीं किया।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल (वेल से)–

अध्यक्ष जी, मंत्री जी को टोकने के बावजूद मंत्री जी ने महसूस नहीं किया कि हमने गलत कह दिया, अड़े रहे वो। अध्यक्ष जी, आप तो हमारे संरक्षक हैं उसी समय निर्देश देना चाहिए था कि यह तुम्हारी बातें गलत हैं एक मंत्री के रूप में और एक विधायक के रूप में।

श्री मोहम्मद आजम खां–

डॉक्टर साहब बताइये तो क्या कह दिया ? यह तो बताइये क्या कह दिया ?

(वेल में आये हुए भा0ज0पा0 के सदस्य बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, मंत्री को बर्खास्त करो के नारे लगाने लगे।)

श्री मोहम्मद आजम खां–

क्या कह दिया, अब यह बता तो रहे नहीं हैं कि क्या कह दिया ? ये तो बताइये कि क्या कह दिया, बतायें तो।

श्री अध्यक्ष–

टेढ़ीमीर या डंडीमार क्या कहते हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

हां, बतायें तो क्या कह दिया ताकि एक बार फिर अखबार लिख दे कि यह कह दिया। अभी तक बात दबी हुई थी अब सामने आ गयी।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने–अपने आसन पर चलिये। आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं, प्रश्नकाल होने दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, व्यापारियों के बारे में सरकार का क्या ख्याल है, क्या नजरिया है यह सामने आ गया है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

खन्ना साहब ही बता दें कि क्या कह दिया ?

श्री अध्यक्ष–

देखिये, इस विधान सभा का अधिकांश समय बीत गया और अब तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो अब भी न हो, यह अच्छी बात होगी।

(वेल में आये हुए भा0ज0पा0 के सदस्य बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, मंत्री को बर्खास्त करो के नारे लगाने लगे।)

श्री मोहम्मद आजम खां–

देखिये सिर्फ दो लोग नारा लगा रहे हैं बाकी सब खामोश खड़े हैं, कोई नहीं बोल रहा है, जरा भी ये थकना नहीं चाहते हैं, ऐसे थोड़ी ही गद्दी मिल जायेगी चुप खड़े रहने से।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग नहीं मान रहे हैं तो मैं 15 मिनट के लिए सदन स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित कर दी)

(11 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष के सदन का स्थगन 15 मिनट के लिये और बढ़ा दिया है।)

(11 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में स्वाइन फ्लू को पूर्णतया रोकथाम के लिये प्रभावी कार्य योजना

''01–डा0 धर्मपाल सिंह, श्री मनीष असीजा तथा श्री अजय कपूर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2016 में प्रदेश में स्वाइन फ्लू फिर से अपनी दस्तक दे चुका है और इससे प्रभावित मरीजों की संख्या में दिन–प्रतिदिन इजाफा हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने स्वाइन फ्लू की पूर्ण रोकथाम के लिये प्रभावी कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

जी हां, वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश में दिनांक 01–01–2016 से दिनांक 21–01–2016 तक स्वाइन फ्लू रोग से 22 रोगी ग्रसित पुष्ट हुए हैं।

जी हां।

प्रदेश के सभी जनपदों में स्वाइन फ्लू रोग की रोकथाम हेतु कारगर औषधि (टेमी फ्लू की गोलियां), पी0पी0ई0 किट व मास्क को समुचित मात्रा में उपलब्ध करा दिया गया है। ओसेल्टामीविर (टेमीफ्लू) औषधि का दर अनुबन्ध भी किया जा चुका है, जिससे मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अपनी आवश्यकतानुसार स्थानीय स्तर पर भी क्रय कर सकते हैं। आकस्मिकता की स्थिति से निपटने के लिये औषधियों का समुचित भण्डारण राज्य मुख्यालय पर भी कर लिया गया है।

प्रत्येक जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन कन्ट्रोल रूम एवं रैपिड रिस्पांस टीम (आर0आर0टी0) का गठन किया गया है जो कि किसी भी समय रोग की सूचना मिलने पर तत्काल उपचार करने, जिला व राज्य मुख्यालय से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही की व्यवस्था करने एवं निरोधात्मक कार्रवाई करने हेतु सजग व सक्षम है। प्रदेश सरकार स्वाइन फ्लू रोग के विषय में पूर्ण सजग है तथा नियंत्रण की कार्रवाई व्यापक स्तर पर कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में विशेषतया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भू–गर्भ जल में भयावह स्तर से बढ़ रहे आर्सेनिक स्तर को नियंत्रित किया जाना

'01–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भू–गर्भ जल में भयावह रूप से बढ़ रहे आर्सेनिक के स्तर को नियंत्रित करने के लिये सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप')–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भू–गर्भ जल में आर्सेनिक की उपस्थिति एवं उसकी मात्रा प्रकृति प्रदत्त है जो कि अविचल नहीं है अपितु समय के अन्तराल के साथ प्राकृतिक रूप से परिवर्तनशील है।

भूमिगत स्ट्रेटा में उपस्थित भू–गर्भ जल में आर्सेनिक के स्तर को नियंत्रित करने हेतु वर्तमान में कोई प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है।

प्रदेश में कानून–व्यवस्था को ठीक किया जाना

'02–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्षों की तुलना में वर्तमान वर्ष 2015–16 में प्रदेश में कानून–व्यवस्था की स्थिति अत्यधिक खराब हो गई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार ने प्रदेश में हो रही हत्याओं, अपहरण, डकैती तथा बलात्कार की घटनाओं से निपटने के लिये कोई प्रभावी कार्यक्रम तैयार किया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :–उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

वर्ष 2013, 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में अपराधों में अनवरत कमी आयी है। जिसका विवरण निम्नवत् है :–

लूट 4.18 प्रतिशत, हत्या 6.98 प्रतिशत, गृह भेदन 1.39 प्रतिशत, फिरौती के लिये अपहरण 19.72 प्रतिशत, दहेज मृत्यु 3.96 प्रतिशत, बलात्कार 9.93 प्रतिशत, शील भंग 6.7 प्रतिशत, अपहरण 2.47 प्रतिशत, छेड़खानी 32.79 प्रतिशत एवं महिला उत्पीड़न में 6.89 प्रतिशत की कमी आयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अपराधों की रोकथाम हेतु हत्या के प्रकरणों में विवाद एवं रंजिश को चिन्हित कर सम्बन्धित पक्षों को पाबन्द कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तों के विरुद्ध एन0एस0ए0, गैंगेस्टर एक्ट एवं गुण्डा एक्ट जैसे निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है। न्यायालय से सजा दिलाये जाने हेतु प्रभावी पैरवी किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अपराधों की रोकथाम हेतु महत्वपूर्ण स्थानों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु प्रथम चरण में क्रमशः जनपद लखनऊ/गाजियाबाद/कानपुर एवं इलाहाबाद में आधुनिक कन्ट्रोल रूम स्थापित कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दिया गया है।

अपराधों की रोकथाम हेतु भीड़–भाड़ वाले महत्वपूर्ण स्थानों पर गश्त एवं पिकेट लगाया जा रहा है। वर्तमान में महिलाओं के विरुद्ध घटित घटनाओं के रोकथाम हेतु अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी के अधीन ''महिला सम्मान प्रकोष्ठ'' का गठन किया गया है। महिलाओं के विरुद्ध घटित घटनाओं के रोकथाम हेतु ''1090 वूमेन पावर लाइन'' विकसित किया गया है। इसके अभिनव प्रयास से इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगा है। महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु प्रदेश के जिलों में महिला थानों की स्थापना की गयी है।

इसी प्रकार अपहरण, डकैती के अपराधों में नामजद/प्रकाश में आये अभियुक्तों की गतिविधियों की जानकारी कर अपराध में संलिप्त होने की दशा में उनके विरुद्ध नियमानुसार हिस्ट्रीशीट खोलकर अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा, गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है। गम्भीर अपराधों की विवेचना में गुणवत्तापरक एवं गति प्रदान करने हेतु समस्त जनपदों में क्राइम ब्रान्च सेल का गठन किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के नगरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की चल रही व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद इलाहाबाद में नगर निगम तथा का0/संस्था/एजेन्सी के कर्तव्य तथा दायित्व के विवरण

'01–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था चल रही है ? यदि हां, तो किन–किन महानगरों में यह व्यवस्था वर्तमान में प्रचलित है ? क्या इलाहाबाद नगर निगम द्वारा किसी कम्पनी/संस्था/एजेन्सी से जून/जुलाई, 2015 में कोई करार किया गया है ? यदि हां, तो करार की मुख्य–मुख्य शर्तें क्या हैं तथा उक्त करार के अनुसार नगर निगम तथा क0/संस्था/एजेन्सी के कर्तव्य तथा दायित्व क्या–क्या हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जी हां।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 26 नगरों तथा एयरफील्ड टाउन के अन्तर्गत गाजियाबाद एवं बरेली की सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की परियोजनायें स्वीकृत है। वर्तमान में यह व्यवस्था इलाहाबाद में सामान्य रूप से तथा अलीगढ़ व लखनऊ में आंशिक रूप से प्रचलित है।

जी हां।

मेसर्स हरी भरी रिसाइकेलेबल प्रा0लि0 के साथ हुए अनुबन्ध की मुख्य शर्तें एवं दायित्व निम्नवत् हैं :–

1–प्राइमरी कलेक्शन के अन्तर्गत समस्त घरों से कूड़ा एकत्र करना एवं उसे निर्धारित स्थानों पर गिराना।

2–घर–घर से कूड़ा एकत्र करने के एवज में उपभोक्ताओं से नगर निगम द्वारा निर्धारित यूजर्स चार्ज को एकत्र करना।

3–एकत्र किये गये कूड़े को निर्धारित स्थान से नगर निगम की कवर्ड वाहनों के माध्यम से बसवार स्थित कूड़ा निस्तारण संयंत्र पर ले जाना।

4–कूड़े को निर्धारित सेकेण्डरी प्वाइंट से प्रोसेसिंग प्लान्ट तक ले जाने के एवज में फर्म द्वारा नगर निगम में रु0 415/– मी0 टन टिपिंग फीस ली जायेगी।

5–निस्तारण प्लान्ट में कूड़े को वेग ब्रिज पर तौलने के उपरान्त उसकी प्री–सार्टिंग पर कम्पोस्ट, इनर्ट, रिसाइकेलेबल एवं आर0डी0एफ0 के मदों में अलग–अलग करना एवं तद्नुसार बाइप्रोडक्ट तैयार कर बिक्री करना।

6–150 मी0 टन/प्रतिदिन क्षमता के डिबरीज से इको ब्रिक बनाने के प्लान्ट की स्थापना करना।

7–पायरोलिसिस तकनीक से वेस्ट टू एनर्जी प्लान्ट की स्थापना करना।

8–क्र0सं0–06 एवं 07 हेतु नगर निगम को 10 एकड़ अविवादित भूमि फर्म को उपलब्ध कराना।

9–नगर निगम द्वारा फर्म को व्यवहार्यता अंतराल निधि के रूप में 06 किश्तों में 120 लाख रुपये प्रदान करना, जिसे फर्म द्वारा तीन वर्षों के समान किश्तों में वापस करनी होगी। उक्त के अतिरिक्त नगर निगम द्वारा कोई भी धनराशि प्रोजेक्ट स्थापित करने हेतु फर्म को नहीं दी जायेगी।

10–घर–घर से कूड़ा एकत्रीकरण का कार्य नगर निगम के समस्त जोनों में सुचारु रूप से संचालित होने के उपरान्त फर्म द्वारा प्रतिमाह 10 लाख रुपये नगर निगम को दिये जायेंगे।

11–कम्पोस्ट, आर0डी0एफ0 एवं इकोब्रिक की बिक्री सुचारु रूप से प्रारम्भ होने के पश्चात् फर्म द्वारा रु0 15 लाख प्रतिमाह नगर निगम को दिये जायेंगे।

प्रदेश में वर्तमान में जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की तैनाती/नियुक्ति किया जाना

'02–श्री नदीम जावेद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में जनसंख्या एवं पुलिस बल का अनुपात मानक के अनुसार नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में मानक के अनुसार पुलिस बल की तैनाती/नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

जी हां।

शासनादेश संख्या–4147/6–पु–1–08–120/2008, दिनांक 11–12–2008 द्वारा थानों के नये मानकीकरण के अनुरूप जनशक्ति की आवश्यकता के दृष्टिगत निरीक्षक, उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, आरक्षी, कन्सोल आपरेटर एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल 2,03,864 पद सृजित किये गये हैं।

आरक्षी पुलिस के उपलब्ध पदों की रिक्तियों को चरणबद्ध तरीके से भरे जाने के क्रम में प्रथम चरण में 35,844 आरक्षियों की भर्ती वर्ष 2010 में की जा चुकी है। दूसरे चरण में आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2013 के चयन परिणाम के अनुसार आरक्षी ना0पु0 के 33,495 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, जिनका प्रशिक्षण कराया जा रहा है।

शासनादेश दिनांक 13–01–2015 द्वारा वर्ष 2015 में आरक्षी एवं समकक्ष पदों के कुल 40,084 पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदान की गयी है। पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 के पत्र दिनांक 26–12–2015 द्वारा आरक्षी एवं समकक्ष पदों के कुल 29,000 पदों पर सीधी भर्ती का अधियाचन भर्ती बोर्ड को भेजा गया है जिस पर उनके द्वारा भर्ती की कार्रवाई की जा रही है।

उप निरीक्षक रैंकर के 1832 कर्मियों को प्रशिक्षण कराया जा चुका है एवं 2285 कर्मी वर्तमान में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उप निरीक्षक ना0पु0 सीधी भर्ती के 3,130 पदों पर चयन करके उन्हें प्रशिक्षण पर भेजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त उप निरीक्षक ना0पु0 सीधी भर्ती के 2,064 पदों का अधियाचन उ0 प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भेजा गया है।

पुलिस विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति की कार्यवाही चरणबद्ध रूप से उ0 प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की जाती है। सेवा में रिक्तियां एवं उनके भरे जाने की कार्रवाई एक सतत् प्रक्रिया है जो निरन्तर चलती रहती है।

प्रश्न नहीं उठता।

अटल शहरी परिवर्तन व कार्याकल्प योजना (अमृत) के अन्तर्गत चयनित शहरों में उक्त जलापूर्ति, सीवर प्रणाली व सार्वजनिक परिवहन की योजना के तहत कार्रवाई किया जाना

'03–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार की अटल शहरी परिवर्तन व कार्याकल्प योजना (अमृत) के तहत प्रदेश के कुल कितने शहरों का चयन हुआ है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन शहरों में उक्त योजना में प्रस्तावित शहरों की जलापूर्ति सीवर प्रणाली व सार्वजनिक परिवहन की योजनायें तैयार हो गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

भारत सरकार द्वारा अमृत योजना हेतु जारी दिशा–निर्देशों के तहत प्रथम चरण में जनगणना 2011 के अनुसार एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के 60

नगर इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। दिनांक 15–12–2015 को भारत सरकार की एपेक्स कमेटी की बैठक में उत्तर प्रदेश के अयोध्या को भी अमृत के अन्तर्गत चयनित किया गया। इस प्रकार अमृत योजना से प्रदेश के कुल 61 नगर आच्छादित हैं।

चयनित नगरों हेतु राज्य की वार्षिक कार्य योजना में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित धनराशि के अनुरूप जलापूर्ति तथा सीवरेज की परियोजनाएं सम्मिलित की गई है। योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में सीमित धनराशि से अधिक धनराशि की जलापूर्ति एवं सीवर प्रणाली की परियोजनाएं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2015–16 में सार्वजनिक परिवहन की योजनाएं प्रस्तावित नहीं की गई हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में बढ़ती आबादी एवं अपराधों के कारण कानून–व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण हेतु नये थानों की स्थापना किया जाना

'04–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती आबादी एवं अपराधों के कारण कानून–व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो थानों की स्थापना हेतु प्रचलित आबादी एवं क्षेत्रफल के मानकों को शिथिल करके क्या सरकार अतिरिक्त नये थानों की स्थापना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

वर्तमान में थानों की स्थापना हेतु उ0 प्र0 पुलिस आयोग वर्ष 1960–61 रिपोर्ट के आधार पर मानक निर्धारित है। वर्तमान मानकों के अनुसार प्रदेश में कुल 2958 थानों की आवश्यकता के सापेक्ष 1526 थानें ही स्थापित हैं। अतः जब तक वर्तमान मानकों के आधार पर अवशेष 1497 थानों की स्थापना नहीं हो जाती है तब तक प्रचलित मानक से शिथिलीकरण का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गम्भीर बीमारी के लिये मुख्य मंत्री कोष से मिलने वाली सहायता पीड़ित व्यक्ति को तत्काल उपलब्ध कराया जाना

'05–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बीमारी के लिये मुख्य मंत्री कोष से मिलने वाली सहायता मिलने में प्रक्रियात्मक विलम्ब होने के कारण लाभार्थी को तत्काल सहायता नहीं मिल पाती है ? यदि हां, तो हृदय रोग जैसे गम्भीर रोगों के लिये आर्थिक सहायता एनजिओग्राफी के समय ही पीड़ित व्यक्ति को उपलब्ध कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

महिला हेल्पलाइन 1090 को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु ठोस कार्य योजना तैयार किया जाना

'06–श्री सुरेश राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2015–16 में महिला हेल्पलाइन 1090 पर कितनी शिकायतें दर्ज की गयी हैं ? क्या सरकार महिला हेल्पलाइन को और प्रभावी बनाने के लिये कोई ठोस कार्य योजना तैयार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उत्तर प्रदेश में वूमेन पावर लाइन 1090 पर आने वाली शिकायतों/निस्तारण का वित्तीय वर्ष 2015–2016 का विवरण निम्नवत् है :–

वित्तीय वर्ष	कुल दर्ज शिकायतों की संख्या	पूर्णतया निस्तारित शिकायतों की संख्या
01–04–2015 से 31–12–2015 तक	115706	107656

वर्ष 2015 से प्रदेश के प्रत्येक शहर के हर मोहल्ले एवं गांव की स्कूल जाने वाली लड़कियों को अपने सिस्टम से जोड़कर उन्हें प्रशिक्षित करना एवं हाई स्कूल से ऊपर प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक सेक्शन से 2–3 लड़कियों को पावर एंजिल (विशेष पुलिस अधिकारी) बनाकर सीधे वूमेन पावर लाइन 1090 से जोड़ा जा रहा है। करीब 50,000 लड़कियों को पावर एंजिल का फार्म भरवाया जा चुका है। वूमेन पावर लाइन सेल सम्बन्धी शिकयतों/मामलों के त्वरित निस्तारण व सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु प्रदेश के सभी जनपदों में अपर पुलिस अधीक्षक स्तर का एक नोडल अधिकारी तथा महिला थानाध्यक्ष को लिंक अधिकारी नामित किया गया है। जिनके माध्यम से वूमेन पावर लाइन 1090 की उपयोगिता/लोकप्रियता को दृष्टिगत रखते हुए इसके प्रचार–प्रसार की दिशा में की ठोस कदम उठाये जा रहे हैं, जिसके निमित्त पूरे प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में इसकी प्रचार–प्रसार सामग्री भेजे जाने व आवश्यकतानुसार प्रस्तुतीकरण की कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र सरकार की नीति के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी बनाये जाने की कार्य योजना की जानकारी

'07–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार की भांति प्रदेश सरकार द्वारा भी स्मार्ट सिटी बनाने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

स्मार्ट सिटी योजना भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई है तथा इस सम्बन्ध में दिशा–निर्देश भारत सरकार द्वारा निर्गत किये गये हैं। इसके अन्तर्गत देश के कुल 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाना है। स्मार्ट सिटी के दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रदेश के कुल 12 शहरों का चयन प्रथम हेतु भारत सरकार द्वारा किया गया है। 02 अन्य नगरों मेरठ तथा रायबरेली को चयनित किये जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार स्मार्ट सिटी के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है। अतः पृथक से केन्द्र सरकार की भांति राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी बनाने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं की गई है।

लखनऊ में पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की कार्य योजना

'08–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में मांग की अपेक्षा पेयजल की आपूर्ति में कमी आयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने लखनऊ में पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगर निगम, लखनऊ के अधिकांश क्षेत्र में पाइप पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। लखनऊ शहर की बढ़ती जनसंख्या व शहरीकरण की प्रवृत्ति के कारण उनके अनुरूप पेयजल आपूर्ति किये जाने और आवश्यकता व आपूर्ति के गैप को पूरा करने के हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

लखनऊ नगर की पेयजल व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाये जाने हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श के अन्तर्गत दो पेयजल परियोजनाओं लागत क्रमशः रु0 454.66 करोड़ व रु0 186.886 करोड़ का क्रियान्वयन

किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 18 नये नलकूपों का अधिष्ठापन व 24 नलकूपों की रि–बोरिंग के कार्य भी कराये गये हैं।

उक्त के अतिरिक्त कतिपय क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाये जाने हेतु अन्य पेयजल योजनाओं का भी क्रियान्वयन राज्य सेक्टर के अन्तर्गत भी कराया जा रहा है।

नव घोषित केन्द्रीय योजना अमृत के अन्तर्गत भी लखनऊ की पेयजल परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के कारण समाज में उत्पन्न हो रहे तनाव को रोकने हेतु उठाये गये कदम

'09–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के कारण समाज में उत्पन्न हो रहे तनाव को रोकने के लिये सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियों को रोके जाने हेतु प्रभावी कार्य–योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यवाइयां की जा रही हैं :–

1–प्रदेश में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के कारण समाज में उत्पन्न होने वाले तनाव को रोकने के लिये उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सोशल मीडिया कमाण्ड एवं रिसर्च सेन्टर (एस0एम0सी0आर0सी0) से सम्बन्धित कार्य पुलिस उप महानिरीक्षक, मेरठ एवं एस0टी0एफ0 कार्यालय उ0 प्र0 लखनऊ में स्थापना की गयी है जिसमें नोडल अधिकारी पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी को बनाया गया है।

2–सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियों की रोकथाम हेतु स्थापित सेन्टरों को एक खास साफ्टवेयर एडवांस अप्लीकेशन फार सोशल मीडिया एनालिटिक्स यानि आसमा से लैस किया गया है। इस साफ्टवेयर से साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट व उनके ट्रेन्ड पर कड़ी नजर रखे जाने की व्यवस्था की गयी है। सोशल मीडिया कमाण्ड एण्ड रिसर्च

सेन्टर के माध्यम से यह पता लगाना आसान हो गया है कि आपत्तिजनक टिप्पणी फैलाने वाली पोस्ट किसने डाली है तथा यह भी पता चल सकेगा कि सम्बन्धित पोस्ट किस स्मार्ट फोन, लैपटाप, आईपैड, कम्प्यूटर या फिर टैब से डाली गयी है। पता करने के बाद न सिर्फ आपत्तिजनक पोस्ट का खण्डन किया जायेगा तथा वेब पेज को ब्लाक करने के लिये केन्द्र सरकार के दूरसंचार मंत्रालय में बनी टीम के माध्यम से वेब पेज को ब्लाक कराने की भी कार्रवाई की जायेगी।

3–समस्त जनपदों में स्पेशल पुलिस आतफसर (एस0पी0ओ0) की तर्ज पर हर जिले में 200–300 डिजिटल वालन्टियर जो इन्टरनेट के जानकार के साथ ही सोशल मीडिया फ्रन्डली हो रखे जायेंगे, जिनके द्वारा भी सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली आपत्तिजनक पोस्टों/अफवाहों का खण्डन किया जायेगा।

4–समस्त जिला स्तर पर सर्विलांस सेल के कर्मियों के साथ ही साथ जनपद परिक्षेत्र, जोन में नियुक्त कतिपय कर्मियों को प्रशिक्षित कर रोकथाम में निपुण किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

5–सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के सम्बन्ध में तकनीक सेवा मुख्यालय पर ''व्हाट्सएप सर्विलांस केन्द्र'' भी स्थापित है, जिसका सी0यू0जी0 नं0–9454401002 पर कोई भी व्यक्ति विवादित या आपत्तिजनक संदेशों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।

6–सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किये जाने के सम्बन्ध में आरोपी को सी0आर0पी0सी0 की धारा–51 के तहत नोटिस दिये जाने तथा वाजिब उत्तर/जवाब न दिये जाने पर एफ0आई0आर0 दर्ज कर विधिक कार्यवाही करके दण्डित करने का प्राविधान है।

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा निर्गत परिपत्र दिनांक 05–08–2013, दिनांक 14–09–2013, दिनांक 28–06–2015 एवं दिनांक 08–01–2016 के माध्यम से दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं, जिनका पुलिस अधिकारियों से कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बी0एड0 डिग्री धारक बेरोजगारों को प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त किया जाना

'10–श्री दलवीर सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी0एड0 डिग्रीधारक बेरोजगारों को प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति किये जाने की कोई योजना है ? यदि हां,

तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री अहमद हसन)–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्तियां बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 (अद्यतन संशोधित) में निहित प्राविधानानुसार की जाती है। नियमावली में परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु शैक्षिक अर्हता स्नातक के साथ बी0टी0सी0, वि0बी0टी0सी0, उर्दू बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण निर्धारित है।

प्रदेश के जू0हा0 स्कूलों में विज्ञान एवं गणित शिक्षकों की भर्ती कला वर्ग के टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती किया जाना

'11–श्री उपेन्द्र तिवारी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जू0हा0 स्कूलों में विज्ञान एवं गणित शिक्षकों की भर्ती की भांति क्या सरकार की कला वर्ग के टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 (अद्यतन संशोधित) के प्राविधानों के अन्तर्गत की जाती है।

उक्त नियमावली में प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित है, जिसमें जूनियर हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों, सहायक अध्यापकों के पद पदोन्नति से भरे जाने का प्राविधान है। विज्ञान एवं गणित के सहायक अध्यापकों का 50 प्रतिशत सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत पदोन्नति से भर्ती किये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की घटती हुई संख्या को रोकने तथा छात्रों को शिक्षा की तरफ आकर्षित करने की सरकार की योजना

'12–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की घटती हुई संख्या को बढ़ाने हेतु क्या सरकार की कोई कार्ययोजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में निम्नवत् कार्यक्रम संचालित हैं :–

1–विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को पूरा करने का भरसक प्रयास किया गया है। प्राथमिक विद्यालय में 15000 सहायक अध्यापकों को, 3500 उर्दू भाषा के शिक्षण हेतु उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है तथा 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया संचालित है।

2–विद्यालय निर्माण कार्य तथा बच्चों को निःशुल्क यूनीफार्म उपलब्ध कराने का कार्य वर्ष 2012–13 में विद्यालयों प्रबन्ध समितियों को सौंपा गया है। शिक्षकों को निर्माण कार्य से विरत रखा गया है, जिससे कि वे अधिक से अधिक समय शिक्षण कार्य को दे सके।

3–कक्षा–1–8 में अध्ययनरत् सभी बच्चों को शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी हैं। इसके अतिरिक्त कक्षा–1–5 के छात्र–छात्राओं को अभ्यास कार्य करने हेतु निःशुल्क अभ्यास पुस्तिकायें भी वितरित की गयी हैं।

4–अध्यापकों तथा विद्यालयों को शैक्षिक सम्वर्द्धन देने हेतु सभी विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया गया है।

5–कक्षा–1, 2 के छात्र–छात्राओं के भाषा तथा अंकगणित के ज्ञान को सुधारने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित की पढ़ाई में सुधार हेतु किया आधारित/प्रयोग आधारित शिक्षण पर बल दिया जा रहा है।

6–100 से अधिक नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं कार्य शिक्षा का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इस हेतु 32875 अंशकालिक अनुदेशकों की संविदा के आधार पर भर्ती की गयी है तथा 9124 अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है।

7–प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है।

8–बच्चों के माता–पिता/अभिभावकों एवं समुदाय से अपने बच्चों को विद्यालयों में नामांकित कराने हेतु अभिप्रेरित करने के लिये स्कूल चलो अभियान आदि का भी संचालन किया जाता है।

9–विद्यालयों में पर्याप्त अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय की व्यवस्था भी की गयी है।

10–निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा तत्क्रम में राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित नियमावली, 2011 के तारतम्य में 6–14 वय वर्ग के आउट आफ स्कूल एवं डाप आडट बच्चों को चिन्हित कर उन्हें आयु संगत कक्षा में नामांकित कराकर उन्हें विशेष प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है।

11–राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा विकसित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूप रेखा 2005 के परिप्रेक्ष्य में कक्षा–1–8 तक का पाठ्यक्रम पुनरीक्षित किया जा चुका है तथा तद्नुसार पाठ्य पुस्तकों का पुनरीक्षण पूर्ण कर नवीन पाठ्य पुस्तकें लागू की जा चुकी है। कक्षा–1 से ही अंग्रेजी भाषा का शिक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है।

12–शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में विद्यालय न जाने वाले अथवा बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले अपवंचित वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी संचालित किये जा रहे हैं।

13–परिषदीय विद्यालयों में छात्रों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल एवं शौचालयों की समुचित व्यवस्था हेतु सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

'13–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

प्रदेश में भू–गर्भ जल स्तर में कमी होने के कारण कतिपय जिलों को डार्कजोन घोषित किया जाना

'14–श्री धर्मपाल सिंह–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भू–गर्भ जल स्तर में कमी होने के कारण कुछ जिलों को डार्क जोन घोषित किया गया है ? यदि हां, तो वे कौन–कौन से जिले हैं एवं इनमें सरकार द्वारा सिंचाई के क्या प्रबन्ध किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)–

भू–गर्भ जल संसाधनों के 31 मार्च, 2011 पर आधारित आंकलन के अनुसार प्रदेश के 111 विकास खण्ड अतिदोहित एवं 68 विकास खण्ड क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत किये गये हैं, जो 43 जनपदों में अवस्थित हैं।

उक्त 43 जनपदों में आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बलिया, बदायूं, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, कानपुर नगर, कन्नौज, लखनऊ, रायबरेली, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर, सम्भल, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, वाराणसी, गाजीपुर व जौनपुर सम्मिलित है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों में नदियों/नालों पर चेकडैम का निर्माण कराया जाता है, जिनमें भू–जल संवर्धन के साथ कृषकों को सिंचाई सुविधा भी प्राप्त होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा का स्तर उठाया जाना

'15–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा के गिरते स्तर और यू0पी0 बोर्ड परीक्षा में नकल की समस्या के दृष्टिगत माध्यमिक शिक्षा विभाग की सपुस्तक परीक्षा प्रणाली को अमली जामा पहनाने पर क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0 प्र0 द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में 01 अप्रैल, 2005 से पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त कर दिये जाने के कारण पुनः पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाना

'16–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में 01 अप्रैल, 2005 से पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त कर दिये जाने के कारण युवा शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 21 मार्च, 2012 द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में अथवा राज्य सरकार द्वारा सहायतित ऐसी शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें सरकारी कर्मचारियों की पेंशन योजना के समान पेंशन योजना पूर्व से लागू थी, में नये प्रवेशकों पर नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गयी है।

जी नहीं।

उक्तवत्।

प्रदेश में सरकार द्वारा संचालित बेसिक विद्यालयों में गिरते शिक्षा स्तर के सुधार की कार्य योजना की जानकारी

'17–डा0 अरुण कुमार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा संचालित बेसिक विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में गिरावट आयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके सुधार हेतु कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता संवर्द्धन के अनेक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

शिक्षा के स्तर में गिरावट नहीं आयी है। गुणवत्ता संवर्द्धन सतत् प्रक्रिया है। अतः हेतु कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है।

विद्यालयी शिक्षण को रोचक एवं गतिविधि आधारित किया गया है साथ ही साथ प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु निम्नांकित कार्यक्रम संचालित है :–

1–राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा विकसित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूप रेखा 2005 के परिप्रेक्ष्य में कक्षा 1–8 तक का पाठ्यक्रम पुनरीक्षित किया जा चुका है तथा तद्नुसार पाठ्य पुस्तकों का पुनरीक्षण पूर्ण कर नवीन पाठ्य पुस्तकें लागू की जा चुकी है। कक्षा–1 से ही अंग्रेजी भाषा का शिक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है।

2–कक्षा–1–8 तक के बच्चों का निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा कक्षा–1–5 तक के बच्चों को भाषा एवं गणित में अभ्यास के अवसर प्रदान करने के लिये निःशुल्क कार्य पुस्तिकायें उपलब्ध करायी जाती है।

3–विद्यालयों में पठन–पाठन प्रक्रिया को उन्नत बनाने हेतु शिक्षकों के शिक्षण कौशल में संवर्द्धन के लिए नियमित रूप से शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

4–शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर आरम्भिक पठन कौशल एवं गणितीय दक्षता विकास हेतु तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

5–निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक गुणवत्ता संवर्द्धन एवं अकादमिक सपोर्ट प्रदान करने के लिये विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों का पुनर्गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र पर विषयवार सह–समन्वयकों की व्यवस्था की गयी है। विद्यालयों को शैक्षिक मानक के आधार पर ग्रेडिंग प्रणाली भी प्रारम्भ की गयी है। इसके अतिरिक्त ब्लाक संसाधन केन्द्रों में अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया गया है।

6–पठन–पाठन का सकारात्मक वातावरण सृजित करने तथा विद्यार्थियों में सीखने के स्तर को समुन्नत बनाने के उद्देश्य से शैक्षिक सत्र, 2015–16 को ''शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन वर्ष'' के रूप में मनाये जाने का संकल्प लिया गया है तथा इस सम्बन्ध में बच्चों का सम्प्राप्ति स्तर सुधारने का प्रयास किया जा रहा है।

7–विद्यालयों के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं विविध कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण से प्राप्त क्षमता संवर्द्धन का उपयोग अपने–अपने कार्यक्षेत्र में सफलतापूर्वक करेंगे।

8–निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू होने के फलस्वरूप परीक्षा व्यवस्था समाप्त हो गयी थी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्तमान शैक्षिक सत्र से परीक्षा व्यवस्था पुनः लागू कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

मल्टी सेक्योरियल डेवलेपमेन्ट प्लान (एम0एस0डी0पी0) योजना में चयनित जिलों में जनपद फिरोजाबाद को शामिल कर प्रस्ताव तैयार करने विषयक

01–श्री मनीष असीजा–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मल्टी सेक्योरियल डेवलेपमेन्ट प्लान (एम0एस0डी0पी0) योजना में चयनित प्रदेश के 44 जिलों में जनपद फिरोजाबाद भी है ? यदि हां, तो क्या सरकार को अवगत है कि समय से प्रस्ताव न भेजने के कारण फिरोजाबाद को (एम0एस0डी0पी0) योजना में पहले चरण में धनराशि का आवंटन प्राप्त नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना को भेजे जाने वाले प्रस्तावों को भेजने में हुई देरी/लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने तथा द्वितीय चरण में प्रस्ताव भेजने का कार्य करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

एम0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत जनपदों की बैलेन्स फण्ड की परियोजनाओं हेतु सम्बन्धित जनपदों से प्रस्ताव प्राप्त कर दिनांक 06–02–2015 के पत्र द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किये गये थे। उक्त प्रस्ताव में जनपद फिरोजाबाद हेतु कुल रु0 1335.36 लाख

की 27 परियोजनाओं के प्रस्ताव भी सम्मिलित थे। फिरोजाबाद जनपद के प्रस्ताव समस्त जनपदों के साथ समय से भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर फिरोजाबाद में यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 स्कीम के अन्तर्गत सीवर कार्य बेकार पड़ा होने के कारण एस0टी0पी0 बनाकर सीवर प्रणाली का कार्य कराया जाना

02–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में यू0आई0डी0एस0 एस0एम0टी0 स्कीम के अन्तर्गत सीवर कार्य में कितनी धनराशि व्यय हुयी है ? क्या नगर फिरोजाबाद में उक्त स्कीम के माध्यम से करोड़ों रुपया खर्च होने के बावजूद नगर की सीवर प्रणाली एस0टी0पी0 न बन पाने से बेकार पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार धन की बर्बादी को रोकने के लिये एस0टी0पी0 बनवाकर नगर की सीवर प्रणाली चालू कराने का कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत फिरोजाबाद नगर की सीवरेज परियोजना के सापेक्ष रु0 11081.96 लाख का व्यय हुआ है।

सीवर प्रणाली कार्यशील है तथा एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के मदरसों की चहारदीवारी व शौचालयों का निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की सरकार की योजना की जानकारी

03–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मदरसों की चहारदीवारी व शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कितने मदरसों में उक्त कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितने मदरसों में शेष है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं, ऐसी कोई योजना संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में दुग्ध विकास हेतु जिला योजना के अन्तर्गत मदों में वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में अवमुक्त धनराशि एवं उसके सापेक्ष अन्य मदों में व्यय/अवशेष का विवरण

04–श्री दीपक पटेल–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में दुग्ध विकास हेतु वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में कितना धन आवंटित किया गया ? यह धन किन–किन मदों में खर्च किया गया एवं इसके सापेक्ष व्यय/अवशेष का विवरण क्या है ? क्या सरकार अवशेष धन को जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेकर खर्च कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राममूर्ति वर्मा)–

जनपद इलाहाबाद में दुग्ध विकास हेतु जिला योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों में वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 में अवमुक्त धनराशि एवं उसके सापेक्ष विभिन्न मदों में व्यय/अवशेष का विवरण निम्नवत् है :–

(धनराशि रु0 में)

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत मद	स्वीकृत धनराशि	उपयोगित धनराशि	अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5
2012–13	कार्यशील पूंजी, समिति पुनर्गठन, एम0सी0एम0 प्रशिक्षण कार्यक्रम, दुग्ध उत्पादक प्रशिक्षण, डिवमिंग, थनैला नियंत्रण, टिक कन्ट्रोल, समिति गठन, दुग्ध उत्पादक सदस्य, एम0सी0एम0, ए0आई0 रिफ्रेशर, प्रगतिशील कृषक, क्षेत्र पर्यवेक्षक, प्रबन्धकीय, दुग्ध संघों का सुदृढ़ीकरण एवं एम0एम0सी0यू0।	34031060.00	33491773.00	539287.00
2013–14	कार्यशील पूंजी, समिति पुनर्गठन, एम0सी0एम0 प्रशिक्षण, दुग्ध उत्पादक प्रशिक्षण, डिवमिंग, थनैला नियंत्रण, टिक कन्ट्रोल, समिति गठन, दुग्ध उत्पादक सदस्य, एम0सी0एम0, प्रगतिशील कृषक, क्षेत्र पर्यवेक्षक, प्रबन्धकीय, दुग्ध संघों का सुदृढ़ीकरण एवं कार्यशील पूंजी (बकाया दुग्ध मूल्य भुगतान)	54634815.00	53815922.00	818893.00

वित्तीय वर्ष 2012–13 में अवशेष धनराशि रु0 539287.00 एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 अवशेष धनराशि रु0 818893.00 का भुगतान विभिन्न मदों में किया जाना है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में कोई भी धनराशि अवशेष नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

नगर निगम कानपुर के वार्ड नं0–10 के कुलगांव, मवैया, मदारपुर, शेखपुर जाना आदि क्षेत्रों के क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराया जाना

05–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम कानपुर के वार्ड नं0–10 के कुलगांव, मवैया, मदारपुर, शेखपुर जाना आदि क्षेत्रों के मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों को पुनः बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी0टी0 रोड से कुलगांव तक सड़क का कार्य अवस्थापना निधि के अन्तर्गत कराया जा रहा है। शेष उल्लिखित अन्य ग्रामों की सड़कों के निर्माण में व्ययानुमान धनांक रु0 250.00 लाख का है जो नगर निगम के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड ठेकमा की ग्राम सभा खरगीपुर में वर्ष 2013–14 एवं 2015–16 में इन्दिरा आवास एवं शौचालय के आवंटन में हुई अनियमितता

06–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड ठेकमा की ग्राम सभा खरगीपुर में वर्ष 2013–14 एवं 2015–16 में इन्दिरा आवास एवं शौचालय का आवंटन पात्रों के स्थान पर नियम विरुद्ध अपात्रों को कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आवंटन का भौतिक सत्यापन कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करके पात्रों को आवास/ शौचालय आवंटित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं। जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड ठेकमा की ग्राम सभा खरगीपुर में वर्ष 2013–14 में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची/बी0पी0एल0 सूची 2002 में चिन्हित 07 पात्र लाभार्थियों को इन्दिरा आवास आवंटित किया गया है। वर्ष 2015–16 में इन्दिरा आवास का आवंटन इस ग्राम सभा में नहीं किया गया है, स्वच्छ शौचालय हेतु किसी लाभार्थी का चयन नहीं किया हैं नियम विरुद्ध अपात्र व्यक्तियों को आवास आवंटन नहीं किया गया है।

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत आवंटित किये गये आवासों का भौतिक सत्यापन तीन सदस्यीय टीम से कराया गया है जिसमें चयनित लाभार्थी पात्र पाये गये हैं। अतः कोई कार्रवाई किये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के ए0बी0सी0 पब्लिक स्कूल लवनापार, बस्ती, हरमूरत विद्या विहार बहेरिया वाल्टरगंज तथा बाबू लाल तीर्थ राजी देवी प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता का प्रकरण

07–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ए0बी0सी0 पब्लिक स्कूल लवनापार, बस्ती, हरमूरत विद्या विहार बहेरिया वाल्टरगंज बस्ती तथा बाबू लाल तीर्थ राजी देवी प्राथमिक विद्यालय जनगऊरा, बनकटी बस्ती आदि विद्यालयों को मान्यता दिये जाने हेतु गठित समिति द्वारा संस्तुति के पश्चात् भी जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, बस्ती के द्वारा मान्यता प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त विद्यालयों को मान्यता कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

मान्यता समिति द्वारा 50 विद्यालयों की मान्यता इस शर्त पर दिये जाने का निर्णय लिया गया कि प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत नेशनल बिल्डिंग कोड प्रमाण–पत्र, 2005 के सत्यापन के उपरान्त मान्यता, आदेश निर्गत किये जायेंगे, जिसके क्रम में नेशनल बिल्डिंग कोड प्रमाण–पत्र, 2005 की शर्त की पूर्ति करने वाले 44 विद्यालयों के मान्यता आदेश निर्गत किये जा चुके हैं, जिसमें ए0बी0सी0 पब्लिक स्कूल, लवनापार, बस्ती, हरमूरत विद्या विहार, बहेरिया, वाल्टरगंज, बस्ती एवं बाबू लाल तीर्थ राजी देवी प्राथमिक विद्यालय, जनगऊरा, बनकटी बस्ती भी सम्मिलित है। शेष 06 विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत नेशनल बिल्डिंग कोड प्रमाण–पत्र, 2005 असत्यापित होने के कारण उक्त विद्यालयों के मान्यता आदेश निर्गत नहीं किये गये हैं।

शेष 06 नेशनल बिल्डिंग कोड प्रमाण–पत्र 2005 के सत्यापन के उपरान्त मान्यता आदेश निर्गत किये जायेंगे।

उक्तवत्।

जनपद बस्ती के थाना कोतवाली भवन तथा थाना पुरानी बस्ती के भवन व आवास काफी जर्जर होने से जीर्णोद्धार कराने की मांग

08–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के थाना कोतवाली भवन तथा थाना पुरानी बस्ती के थाना भवन एवं आवासीय भवन अति जर्जर हो चुके हैं जिससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जर्जर भवनों का पुनः निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद बस्ती के थाना कोतवाली तथा थाना पुरानी बस्ती के जर्जर थाना भवनों एवं आवासीय भवनों के ह्रास मूल्य का निर्धारण अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बस्ती से करा लिया गया है। उक्त भवनों के नियमानुसार ध्वस्तीकरण के बाद भूमि खाली हो जाने पर नया निर्माण कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में पशुपालन विभाग को वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में आवंटित धन के निश्चित समय–सीमा तक खर्च करने की अपेक्षा

09–श्री दीपक पटेल–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में पशुपालन विभाग को वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में कितना धन का आवंटन किया गया तथा उसके सापेक्ष कितना धन खर्च किया गया ? क्या सरकार अवशेष धन को निश्चित समय–सीमा अन्तर्गत खर्च किये जाने की कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह–

जनपद इलाहाबाद में पशुपालन विभाग को वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में निम्नानुसार आयोजनागत/आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत विभिन्न अनुदानों में धन का आवंटन एवं उसके सापेक्ष व्यय किया गया :–

(धनराशि हजार रु0 में)

वर्ष 2012–13	आवंटन	व्यय
आयोजनागत	10524.270	10514.079
आयोजनेत्तर	132508.559	132481.518
वर्ष 2013–14	आवंटन	व्यय
आयोजनागत	10439.418	10438.434
आयोजनेत्तर	141825.921	141815.410

जी नहीं।

वित्तीय वर्ष में प्राविधानित धनराशि का व्यय उसी वित्तीय वर्ष में व्यय किये जाने एवं वित्तीय वर्ष में अवशेष धनराशि का समर्पण किये जाने का प्राविधान है।

जनपद इलाहाबाद में ए0डी0ए0 कालोनी नैनी एवं आई0टी0आई0 कालोनी नैनी की क्षतिग्रस्त नाली व सड़कों का निर्माण कराया जाना

10–श्री दीपक पटेल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में ए0डी0ए0 कालोनी नैनी एवं आई0टी0आई0 कालोनी नैनी की सड़कें एवं नाली क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों एवं नालियों की मरम्मत व सफाई करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत स्थल नगर निगम सीमा के अन्तर्गत नहीं है। उक्त स्थल पर कार्य कराये जाने का दायित्व नगर निगम का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में विगत वर्ष 2013 से वर्ष 2015 तक हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार आदि हुई घटनाओं के विवरण की जानकारी

11–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 01 जनवरी, 2013 से 31 दिसम्बर, 2013, 01 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2014 एवं 01 जनवरी, 2015 से 30 नवम्बर, 2015 तक जनपद फिरोजाबाद में क्रमशः हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार एवं दो पहिया, चार पहिया वाहन चोरी की कितनी घटनायें पंजीकृत हुयी हैं ? क्या सरकार जनपद फिरोजाबाद में बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिये प्रशासन की जिम्मेदारी तय करने एवं विशेष कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

01 जनवरी, 2013 से 31 दिसम्बर, 2013, 01 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2014 एवं 01 जनवरी, 2015 से 30 नवम्बर, 2015 तक जनपद फिरोजाबाद में क्रमशः हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार एवं दो पहिया, चार पहिया वाहन चोरी की पंजीकृत घटनाओं का विवरण निम्नवत् है :–

शीर्षक	1–1–13 से 31–12–13 तक	1–1–14 से 31–12–14 तक	1–1–15 से 30–11–15 तक
हत्या	92	133	83
लूट	79	83	56
डकैती	07	07	0
बलात्कार	36	52	34
दो पहिया वाहन चोरी	387	398	355
चार पहिया वाहन चोरी	39	44	28

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद स्थित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत मक्खनपुर को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान करना

12–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद स्थित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत मक्खनपुर जो पिछले कई वर्षों से एक औद्योगिक कस्बे के रूप

में विकसित हो चुका है ? क्या सरकार उक्त कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उक्त ग्राम सभा/ग्राम पंचायत मक्खनपुर की जनसंख्या 15371 है। नगर पंचायत सृजन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की कुल जनसंख्या 20,000 या उससे अधिक होनी चाहिए। उक्त ग्राम सभा/ग्राम पंचायत को जनसंख्या का मानक पूर्ण न होने के कारण नगर पंचायत बनाया जाना सम्भव नहीं है।

नगर निगम फिरोजाबाद की सीमा के अन्दर स्थित अन्त्येष्टि स्थलों का जीर्णोद्धार कराया जाना

13–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद की सीमा के अन्दर स्थित अन्त्येष्टि स्थलों के जीर्णोद्धार कराने सम्बन्धी शासन द्वारा प्रेषित प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है एवं उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

नगर निगम फिरोजाबाद सीमान्तर्गत स्थित अन्त्येष्टि स्थलों के जीर्णोद्धार हेतु धनांक रु0 576.20 लाख का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। धन की उपलब्धता न होने के कारण स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ विकास खण्ड ठेकमा की ग्राम खरगीपुर में वित्तीय वर्ष 2013–2014 तथा वर्ष 2014–15 में पात्र लाभार्थियों को इन्दिरा आवास एवं शौचालयों के आवंअन में की गई धांधली की जांच

14–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ विकास खण्ड ठेकमा की ग्राम खरगीपुर में वित्तीय वर्ष 2013–2014 एवं वर्ष 2014–15 में कितने पात्र लाभार्थियों को इन्दिरा आवास एवं शौचालय दिये गये हैं ? क्या यह सही है कि उक्त आवंटन में अपात्रों को भी इन्दिरा आवास दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कराये गये निर्माण की भौतिक रूप से सत्यापन कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड ठेकमा के ग्राम सभा खरगीपुर में वर्ष 2013–2014 में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची/बी0पी0एल0 सूची 2002 में चिन्हित 07 पात्र लाभार्थियों को इन्दिरा आवास आवंटित किया गया है एवं वर्ष

2014–15 में 07 पात्र लाभार्थियों को इन्दिरा आवास का आवंटन इस ग्राम सभा में किया गया है। स्वच्छ शौचालय हेतु किसी लाभार्थी का चयन नहीं किया गया है और न ही कोई धनराशि ही आहरित की गयी है। नियम विरुद्ध अपात्र व्यक्तियों को आवास आवंटन नहीं किया गया है।

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत आवंटित किये गये आवासों का भौतिक सत्यापन तीन सदस्यीय टीम से कराया गया है जिसमें चयनित लाभार्थी पात्र पाये गये हैं। कोई कार्रवाई किये जाने का औचित्य नहीं है।

कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के कुल्हनामऊ में निर्माणाधीन सालिड वेस्ट प्लान्ट के रुके हुए कार्य को पूर्ण कराया जाना

15–श्री नदीम जावेद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के कुल्हनामऊ में निर्माणाधीन सालिड वेस्ट प्लान्ट का निर्माण कार्य रुका हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्लान्ट का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा तथा उक्त प्लान्ट कब तक कार्य करने लगेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जनपद जौनपुर के कुल्हनामऊ में निर्माणाधीन सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट से सम्बन्धित कन्सेशनायर के साथ मतभेद होने के कारण कार्य अवरुद्ध है। वर्तमान में प्रकरण आर्बिट्रेशन को सन्दर्भित है, जिसके कारण उक्त प्लाण्ट का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। विवाद की समाप्ति अथवा अन्य कोई निर्णय लेने के उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर फिरोजाबाद में निजी समरसेबल पम्प संचालकों द्वारा पेयजल आपूर्ति हेतु 300/– से 500/– रुपये प्रतिमाह वसूला जाना

16–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में धड़ल्ले से अवैध रूप से संचालित निजी समरसेबल पम्प संचालकों द्वारा पेयजल आपूर्ति के लिये 300–500 रुपये प्रतिमाह की वसूली करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध रूप से संचालित समरसेबल पम्पों को जब्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

नगर फिरोजाबाद के सुभाष तिराहे से महावीर नगर, सुहाग नगर–सी0एल0 जैन कालेज तक सर्विस रोड का निर्माण कराया जाना

17–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद के सुभाष तिराहे से महावीर नगर, सुहाग नगर–सी0एल0 जैन कालेज तक सर्विस रोड क्षतिग्रस्त एवं गड्ढा युक्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत कार्य हेतु आगणन तैयार कर लिया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में विभिन्न ब्लाकों में गिरते हुए भू–जल स्तर की समस्या के निदान हेतु सरकार के उपाय

18–श्री मनीष असीजा–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में कितने ब्लाकों से भू–जल स्तर गिरने की शिकायतें आ रही हैं ? क्या सरकार द्वारा उक्त समस्या के निदान हेतु कोई योजना अथवा उपाय करने पर विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह–

जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्डों में भू–जल स्तर से हो रही गिरावट सम्बन्धी शिकायतें इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है, किन्तु भू–गर्भ जल विभाग द्वारा की गयी भू–जल स्तर मापन में निम्न विकास खण्डों में यथा–शिकोहाबाद, 20–30 से0मी0, नारखी 40–50 से0मी0 तथा फिरोजाबाद, टूण्डला व खैरगढ़ 60 से0मी0 प्रतिवर्ष जल स्तर की दर से गिरावट दर्ज की गयी।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में गिरते भू–जल स्तर की समस्या के प्रभावी निदान के उद्देश्य से शासनादेश दिनांक 18 फरवरी, 2013 द्वारा प्रदेश में भू–जल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भू–जल रिचार्ज हेतु 'समग्र नीति' निर्गत की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद में अनेक वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण कराया जाना

19–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद में अनेक वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

कर्मचारियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में संगत नियमों/शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन विचार किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् योजना, सीतापुर रोड योजना में रिमोट सेंसिंग के पीछे जानकी प्लाजा से सहारा स्टेट रोड को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण पूरा किया जाना

20–श्री दीपक पटेल–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2013 के 2सरे सोम के अता0प्र0सं0–31 के उत्तर के क्रम में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् योजना, सीतापुर रोड योजना में रिमोट सेंसिंग के पीछे जानकी प्लाजा से सहारा स्टेट रोड को जोड़ने वाली सड़क जिसे जून, 2013 तक पूर्ण किया जाना था, को रिमोट सेंसिंग के उत्तरी–पश्चिमी कोने पर स्थित 4 नम्बर चौराहे तक ही बनाकर शेष को अधूरा ही छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधूरी सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत सड़क के अनुरक्षण का कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। उक्त स्थल/क्षेत्र नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला वाराणसी की सीवर लाइन में गिरकर श्री साहब लाल पुत्र राजाराम की मृत्यु हो जाने से मृतक आश्रित परिवार को मुआवजा दिलाने विषयक

21–श्री त्रिभुवन राम–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री साहब लाल पुत्र राजाराम, ग्राम लटौनी, पोस्ट खेतलपुर, जिला वाराणसी की सीवर लाइन में गिरकर मृत्यु के कारण उसके परिवार को दोषी कम्पनी एल0 एण्ड टी0 से मुआवजा दिलाये जाने विषयक

प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–29/ अजगरा/2013, दिनांक 01–11–2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? क्या सरकार द्वारा मृतक आश्रित के परिवार को मुआवजा दिलाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

दिनांक 28–09–2013 को एन0एच0–29 पर पहड़िया, वाराणसी के पास सुरभि होटल के निकट ब्रांच सीवर लाइन को मुख्य सीवर लाइन में जोड़ने का कार्य मे0 एल0 एण्ड टी0 लि0 द्वारा कराया जा रहा था। ब्रांच सीवर लाइन का कार्य करते समय मजदूर श्री साहब लाल पुत्र राजाराम की कार्य स्थल पर दुर्घटनावश गड्ढे में गिर कर मृत्यु हो गयी थी। स्व0 श्री साहब लाल पुत्र राजाराम, ग्राम लटौनी, पोस्ट खेतलपुर, जिला वाराणसी को सीवर लेइंग के कार्य में मे0 एल0 एण्ड टी0 लि0 जिसको उक्त कार्य का ठेका दिया गया है, के द्वारा लगाया गया था। एल0 एण्ड टी0 लि0 फर्म द्वारा स्व0 श्री साहब लाल की पत्नी श्रीमती सावित्री देवी को रु0 3,50,000.00 मात्र (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र) का भुगतान दिनांक 25–03–2014 को आपसी समझौते के अधीन इस शर्त के साथ किया गया है कि इसके बाद वे कोई अतिरिक्त धन की मांग/कोई अन्य क्लेम नहीं करेंगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में श्री सुरेश कुमार पुत्र साधु राम, ग्राम डुढुवा, थाना चौबेपुर, जिला वाराणसी में दिनांक 25–09–2013 को हुई नृशंस हत्या की जांच दोषियों को सजा देने की मांग

22–श्री त्रिभुवन राम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुरेश कुमार पुत्र साधु राम, ग्राम डुढुवा, थाना चौबेपुर, जनपद वाराणसी की दिनांक 25–09–2013 को नृशंस हत्या की निष्पक्ष जांच कराये जाने का प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–30/अजगरा/2013, दिनांक 01–11–2013 मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? क्या सरकार उक्त की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र द्वारा क्षेत्राधिकारी, दुद्धी, सोनभद्र से जांच कराकर जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी, जिसके अनुसार आवेदक श्री साधु राम पुत्र स्व0 सूरतराम, ग्राम डुढुवा, थाना चौबेपुर, जनपद वाराणसी के पुत्र मृतक सुरेश कुमार जो एन0एम0ए0 के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र म्योरपुर में कार्यरत था, जिसकी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास बन्धी में डूबने से मृत्यु हो गयी। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा मृतक के पिता श्री साधूराम उपरोक्त की तहरीर के आधार पर थाना म्योरपुर पर दिनांक 09–10–2013 को मु0अ0सं0–326/2013, धारा–302 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग की विवेचना के क्रम में मृतक का विसरा परीक्षण विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ से कराया गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में मृतक सुरेश कुमार की मृत्यु पानी में डूबने व दम घुटने से हुई पायी गयी है।

विवेचनोपरान्त उक्त अभियोग की अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 16–12–2014 को मा0 न्यायालय में प्रेषित की गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम द्वारा सीमा विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव का निस्तारण किया जाना

23–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम द्वारा सीमा विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव विगत 6 माह से शासन में लम्बित है ? यदि हां, तो उसका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

नगर निगम फिरोजाबाद को राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर मिलने वाली धनराशि में नगर निगम का क्षेत्रफल के मानक के आधार पर धनावंटन हेतु प्रस्ताव

24–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद को राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर मिलने वाली धनराशि में नगर निगम का

क्षेत्रफल भी एक मानक है ? यदि हां, तो क्या सरकार को ज्ञात है कि नगर निगम फिरोजाबाद के क्षेत्रफल का गजट नोटीफिकेशन 34.90 वर्ग कि0मी0 के स्थान पर 21.35 वर्ग कि0मी0 के आधार पर धन आवंटन हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर निगम फिरोजाबाद के नोटीफाइड एरिया 35.90 वर्ग कि0मी0 के आधार पर राज्य वित्त आयोग से धन आवंटन करने हेतु प्रस्ताव करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

जी नहीं, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत आवंटन हेतु प्रयोग में लाये गये डाटा बेस, जोकि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा वित्त विभाग को उपलब्ध कराया गया है, में नगर निगम फिरोजाबाद का सर्किल एरिया 21.35 वर्ग कि0मी0 अंकित है। उक्त के आधार पर ही नगर निगम फिरोजाबाद को धनराशि आवंटित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में शस्त्र लाइसेन्स हेतु लम्बित आवेदन–पत्रों का निस्तारण कराया जाना

25–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में शस्त्र लाइसेन्स हेतु कितने आवेदन–पत्र लम्बित हैं तथा वर्ष 2012 से अब तक वर्षवार कितने शस्त्र लाइसेन्स निर्गत किये गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि लम्बित आवेदन–पत्रों का निस्तारण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद अलीगढ़ में दिनांक 31–11–2015 तक कुल 7399 शस्त्र लाइसेन्स आवेदन–पत्र लम्बित है जिसमें पुलिस विभाग की आख्या वांछित है।

वर्ष 2012 में 310, वर्ष 2013 में 337, वर्ष 2014 में 61 एवं वर्ष 2015 में 73 शस्त्र लाइसेन्स निर्गत किये गये हैं।

रिट याचिका संख्या–3268 (एम0बी0)/2012 जितेन्द्र सिंह बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–10–2013/11–09–2014 के अन्तर्गत विरासत/अपराध पीड़ित/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय शूटरों के प्रकरणों को छोड़कर नवीन शस्त्र लाइसेन्स निर्गत किये जाने पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगी हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में पशु चिकित्सालयों व उपकेन्द्रों पर कुल सृजित पदों एवं उनके सापेक्ष तैनात कार्मिकों की स्थिति की जानकारी

26–श्री दलवीर सिंह–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में पशु चिकित्सालयों व उपकेन्द्रों पर कुल कितने पद सृजित हैं एवं उनके सापेक्ष कितने कर्मियों

की तैनाती है ? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह–

जनपद अलीगढ़ में पशु चिकित्सालयों व उपकेन्द्रों पर कुल सृजित पदों एवं उनके सापेक्ष तैनात कार्मिकों की स्थिति निम्नवत् है :–

पदनाम	सृजित पद	भरे पद	रिक्त पद
उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	05	05	–
पशु चिकित्साधिकारी	43	42	01
वेटेनरी फार्मासिस्ट	41	22	19
पशुधन प्रसार अधिकारी	106	34	72
ड्रेसर	08	08	–
चतुर्थ श्रेणी	112	56	56
कुल	**315**	**167**	**148**

जी हां। पशु चिकित्साधिकारी के रिक्त पद का कार्य स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत कराया जा रहा है। पशुधन प्रसार अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति से पूर्व दो वर्षीय प्रशिक्षण हेतु 1198 पदों के सापेक्ष 1115 अभ्यर्थियों का चयन कराकर प्रशिक्षण कराया जा रहा है। प्रशिक्षणोपरान्त नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी। वेटेनरी फार्मासिस्ट एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति हेतु सेवा नियमावली प्रख्यापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर के कैण्ट थाना अन्तर्गत आवास विकास झारखंडी कालोनी निवासी रमेश पाण्डेय के पुत्र की हत्या, विवेचना की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी

27–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोरखपुर महानगर के कैण्ट थाना अन्तर्गत आवास विकास झारखंडी कालोनी निवासी रमेश पाण्डेय जी के पुत्र की लाश रेलवे लाइन के पास जुलाई, 2015 में मिली थी ? यदि हां, तो उक्त मौत के विरुद्ध की गई विवेचना की प्रगति रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

उक्त घटना के सम्बन्ध में रमेश पाण्डेय पुत्र राम मूर्ति पाण्डेय आवास विकास महादेव झारखण्डी कालोनी थाना कैण्ट, जनपद गोरखपुर द्वारा दी गयी लिखित तहरीर पर थाना कैण्ट पर मु0अ0सं0–346/15 धारा–302 भा0द0वि0 बनाम बइस्तवाह अनूप व दो लड़के नाम पता अज्ञात पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना अपराध शाखा द्वारा की गयी।

प्राथमिकी व प्रचलित विवेचना के अनुसार मृतक मानवेन्द्र पाण्डेय वादी मुकदमा का पुत्र है जो आरोपित अनूप व दो लड़के नाम, पता अज्ञात के साथ घर से स्कूटी द्वारा घटना के दिन गया। उसी दिन उसके मित्र रिषभ पासवान व अनूप साहनी द्वारा मानवेन्द्र

पाण्डेय को रेलवे लाइन क्रास करते समय गुजर रही ट्रेन से चोट लगने के कारण मृत्यु होने की जानकारी मृतक के पिता (वादी) को दी गयी। मृत्यु की सूचना के उपरान्त मृतक के पिता द्वारा अपने पुत्र के दोस्त अनूप व दो अन्य के विरुद्ध संदेह जताते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

विवेचना के क्रम में हत्या का कोई मोटिव, आशय, उद्देश्य परिजन व अन्य स्रोतों से भी स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना के वक्त ट्रेन संख्या–15027 मौर्या एक्सप्रेस अप का देवरिया की तरफ से गोरखपुर की ओर थ्रू गुजरना सत्यापित हुआ है एवं विवेचना से मृतक मानवेन्द्र पाण्डेय की मृत्यु ट्रेन दुर्घटना से आयी चोटों के कारण होने की बात भी प्रकाश में आयी है। रेलवे विभाग से अभिलेखीय व अन्य प्रासंगिक साक्ष्य एकत्रित किये जा रहे हैं। मृतक की चोटों के प्रकृति के निर्धारण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला से भी अभिमत हेतु कार्रवाई की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता हैं।

गोरखपुर महानगर के झरना टोला मोहल्ले में अगस्त, 2015 तक एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हुई हत्या के विरुद्ध हुई कार्रवाई की जानकारी

28–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के झरना टोला मोहल्ले में अगस्त, 2015 तक एक ही परिवार के सभी 4 सदस्यों की हुई हत्या के विरुद्ध अब तक की गई कार्रवाई का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

श्री राम प्रसाद पुत्र श्री राम गजन निवासी जोन्हिया, थाना सहजनवा, जनपद गोरखपुर द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना शाहपुर पर मु0अ0सं0–293/2015 धारा–302 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है। प्रश्नगत अभियोग की विवेचना क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही है। घटना के अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी अपराध के नेतृत्व में स्वान टीम, सर्विलांस व थाना स्थानीय स्तर से गठित किया गया। विवेचना में वैज्ञानिक पद्धति, साइबर व सर्विलांस के संयुक्त प्रयास से एक संदिग्ध को चिन्हित कर तलाश की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

फैजान इस्लामिया जूनियर हाई स्कूल मैनपुरी में रिक्त प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति की जांच तथा कृत कार्रवाई जानकारी

29–श्री प्रदीप माथुर–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2015 के चतुर्थ मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–10 के उत्तर के क्रम में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशक (बेसिक) से प्राप्त आख्या के परीक्षणोपरान्त सम्पूर्ण प्रकरण की जिलाधिकारी, मैनपुरी से करायी जा रही जांच पूर्ण हो गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है एवं इसके लिये दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

जिलाधिकारी, मैनपुरी की जांच आख्या दिनांक 21–08–2015 के अनुसार फैजान इस्लामिया जूनियर हाई स्कूल मैनपुरी में रिक्त प्रधानाध्यापक पद पर की गयी नियुक्ति सम्बन्धी अभिलेखों का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त पाया गया कि उक्त विद्यालय में नियुक्त मु0 असलम प्रधानाध्यापक का चयन विधिवत किया गया है। अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट की तहसील राजापुर के ग्राम नांदिन कुर्मियान में पीने के पानी की पाइप लाइन पूरे गांव में डलवाकर पेयजल की समस्या का निराकरण किया जाना

30–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट की तहसील राजापुर के ग्राम नांदिन कुर्मियान में पीने के पानी की पाइप लाइन को गांव के कुछ हिस्से में ही डाला गया है जिससे छैभइया टोला सहित नांदिन कुर्मियान गांव के लगभग आधे गांव को पीने के पानी की समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में भी पाइप लाइन डलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जनपद चित्रकूट की तहसील राजापुर के नांदिन कुर्मियान में पेयजल हेतु निर्मित पाइप पेयजल योजना में प्रस्तावित स्थलों के अनुसार गांव के छैभइया टोला सहित सम्पूर्ण हिस्से में पाइप लाइन बिछाई गयी थी। वर्तमान में उक्त योजना से गांव के लगभग 70 प्रतिशत हिस्से में पेयजल आपूर्ति हो रही है तथा छैभइया टोला सहित शेष 30 प्रतिशत हिस्से में पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित है। ग्राम में पेयजल हेतु इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प भी अधिष्ठापित हैं। उक्त ग्राम पेयजल से संतृप्त है।

जी हां।

ग्राम नांदिन कुर्मियान में क्षतिग्रस्त पाइप लाइन के बदलने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर में माया नगर मोहल्ले की महल वाली रोड पर लगे इण्डिया मार्का–ष्ठ को ठीक कराया जाना

31–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के माया नगर मोहल्ले की महल वाली रोड पर लगे कितने इण्डिया मार्का–ष्ठ हैण्डपम्प खराब हैं एवं कितने हैण्डपम्प पीने योग्य पानी नहीं दे रहे हैं ? क्या सरकार खराब इण्डिया मार्का–ष्ठ

हैण्डपम्पों को ठीक कराते हुए पीने योग्य पानी न देने वाले हैण्डपम्पों की रि–बोरिंग करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

दिनांक 08–02–2016 को स्थल निरीक्षण के समय लखनऊ नगर के माया नगर मोहल्ले के महल वाली रोड पर कुल 03 इण्डिया मार्का–प्प हैण्डपम्प अधिष्ठापित पाये गये, जिन्हें कार्यकारी पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक टूण्डला व नारखी में हैण्डपम्प को रि–बोर कराया जाना

32–श्री राकेश बाबू–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक टूण्डला व नारखी में कितने हैण्डपम्प रि–बोर की स्थिति में हैं ? क्या सरकार उपरोक्त खराब हैण्डपम्पों को रि–बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक टूण्डला व नारखी में वित्तीय वर्ष 2015–16 के प्रारम्भ में कुल 1965 नग हैण्डपम्प रि–बोर की स्थिति में थे।

जी हां।

विकास खण्ड टूण्डला व नारखी में रि–बोर योग्य हैण्डपम्पों में से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में जनवरी, 2016 के अन्त तक कुल 182 नग हैण्डपम्पों का रि–बोर हुआ है। हैण्डपम्पों की रि–बोरिंग एक सतत् प्रक्रिया है जो निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कराये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में लोहिया ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत टूण्डला व ब्लाक नारखी में विगत वर्षों में चयनित लोहिया ग्रामों की संख्या तथा लाभार्थियों की सूची सदन पर रखने की मांग

33–श्री राकेश बाबू–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद लोहिया ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत ब्लाक टूण्डला व ब्लाक नारखी में वर्ष 2012–13 व 2013–14 व 2014–15 व 2015–16 में चयनित ग्रामों में लोहिया आवास हेतु किन–किन परिवारों को चयनित किया गया है ? क्या सरकार चयनित लोहिया आवास के लाभार्थियों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड टूण्डला में 2012–13 व 2013–14 व 2014–15 व 2015–16 में आवास हेतु चयनित लाभार्थियों का विवरण निम्नवत् है :–

1–वित्तीय वर्ष 2012–13 में कोई लोहिया समग्र ग्राम चयनित नहीं था, जिसके कारण किसी भी लाभार्थी को लाभान्वित नहीं किया गया है।

2–वित्तीय वर्ष 2013–14 में लोहिया समग्र ग्राम गढ़ी निर्भय चयनित था, जिसमें आवास हेतु पात्र पाये गये 20 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। जिनकी सूची संलग्न है।

3–वित्तीय वर्ष 2014–15 में लोहिया समग्र ग्राम रामनगर जारखी एवं हिम्मतपुर का चयन किया था, जिसमें रामनगर जारखी में पात्र पाये गये 03 लाभार्थियों एवं ग्राम हिम्मतपुर में पात्र पाये गये 97 लाभार्थियों को आवास हेतु लाभान्वित किया गया है। जिनकी सूची संलग्न है।

4–वित्तीय वर्ष 2015–16 में विकास खण्ड टूण्डला में लोहिया समग्र ग्राम शेखूपुर राजमल का चयन किया गया है, जिसमें लोहिया आवास हेतु विकास खण्ड स्तर से लाभार्थियों के नाम प्रस्तावित कर प्रस्तुत की गयी सूची के आधार पर लाभार्थियों का आवास हेतु पात्र/अपात्रता के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा चयनित तीन सदस्यीय कमेटी के माध्यम से सत्यापन कराया गया, जिसमें प्रथमतः सत्यापन में 28 लाभार्थी पात्र पाये गये हैं। चयनित लाभार्थियों की सूची संलग्न है।

इसी प्रकार जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड नारखी में 2012–13 व 2013–14 व 2014–15 व 2015–16 में आवास हेतु चयनित लाभार्थियों का विवरण निम्नवत् है :–

1–वित्तीय वर्ष 2012–13 में कोई लोहिया समग्र ग्राम चयनित नहीं था, जिसके कारण किसी भी लाभार्थी को लाभान्वित नहीं किया गया है।

2–वित्तीय वर्ष 2013–14 में लोहिया समग्र ग्राम त्रिलोकपुर का चयनित था, जिसमें आवास हेतु पात्र पाये गये 52 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। जिनकी सूची संलग्न है।

3–वित्तीय वर्ष 2014–15 में लोहिया समग्र ग्राम गढ़ी पुरानी का चयन किया था, जिसमें लोहिया आवास हेतु पात्र पाये गये 16 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। सूची संलग्न है।

4–वित्तीय वर्ष 2015–16 में विकास खण्ड नारखी में लोहिया समग्र ग्राम सुनावई एवं वाजिदपुर ओखरा का चयन किया गया है, जिसमें लोहिया आवास के आवंटन हेतु विकास खण्ड स्तर से क्रमशः 23 एवं 34 लाभार्थियों का चयन कर जिलाधिकारी द्वारा गठित तीन सदस्यीय कमेटी के सत्यापन एवं चयन हेतु सूची प्रस्तुत की गयी है, जिसकी सूची संलग्न है।

जी हां। सूची संलग्न[४] है।

---

[४] (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 226–242 पर)

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक टूण्डला में खारे पानी की समस्या से छुटकारा दिलाने हेतु पानी की टंकियां स्थापित किया जाना

34–श्री राकेश बाबू–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक टूण्डला में खारे पानी की समस्या से छुटकारा दिलाये जाने हेतु मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिये पानी की टंकियों का निर्माण कराया था, जो कि काफी वर्षों से बन्द पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पेयजल की टंकियों को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जनपद फिरोजाबाद में विकास खण्ड टूण्डला में खारे पानी की समस्या से प्रभावित 07 बस्तियों में कुल 04 पाइप पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत पानी की टंकियों का निर्माण कराया गया था, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

क्रमांक	योजना का नाम	संचालन अनुरक्षण से सम्बन्धित संस्था	पेयजल आपूर्ति की स्थिति (चालू/आंशिक चालू/बन्द)
1	भैंसाबृजपुर पाइप पेयजल योजना	उ0 प्र0 जल निगम	चालू
2	नगला पार पेयजल योजना	सम्बन्धित ग्राम पंचायत	आंशिक रूप से चालू
3	ठार बल्दी पेयजल योजना	सम्बन्धित ग्राम पंचायत	बन्द
4	गदलपुरा पेयजल योजना	सम्बन्धित ग्राम पंचायत	बन्द

ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित एवं अनुरक्षित बन्द पाइप पेयजल योजनाओं को चालू कराने की कार्यवाही पंचायती राज विभाग के माध्यम से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से करायी जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

35–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

ख03सरे बुधवार के अता0प्र0सं0–197 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद लखनऊ के थाना–आशियाना अन्तर्गत स्थित आवासीय कालोनी रतनखण्ड 9 व 10 में असामाजिक तत्वों के एकत्र होने से भयावह स्थिति से निजात दिलाना

36–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के थाना–आशियाना अन्तर्गत स्थित आवासीय कालोनी रतनखण्ड के पार्क संख्या–9 व 10 में असामाजिक

तत्वों के एकत्र होने से वहां रहने वाले निवासियों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कृत्य पर रोक लगाने हेतु स्थानीय थाने को निर्देशित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ से प्राप्त आख्यानुसार आवासीय कालोनी, रतनखण्ड के पार्क 09 एवं 10 में पढ़ने व खेलने वाले लड़के आते–जाते हैं। वहां पर किसी प्रकार के असामाजिक तत्व एकत्र नहीं होते हैं न ही वहां पर किसी प्रकार की आपराधिक वारदात हुई है। वहां के आस–पास के निवासियों से मिलकर वार्ता कर जानकारी लिया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि शाम को कुछ लड़के एकत्र होकर शोर–शराबा करते हैं। इस सूचना के आधार पर वहां पुलिस मूवर लगाकर गश्त बढ़ा दिया गया है। पुलिस द्वारा सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखे जाने हेतु कारगर एवं पैनी दृष्टि रखी जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका परिषद् बीसलपुर के एस0आर0एम0 इण्टर कालेज की भूमि पर नगरपालिका परिषद् के भवन निर्माण में काटे गये वृक्षों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

37–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका परिषद् बीसलपुर के एस0आर0एम0 इण्टर कालेज की भूमि पर नगरपालिका परिषद् बीसलपुर (पीलीभीत) के भवन निर्माणार्थ नींव खुदवा कर वृक्ष आदि बगैर अनुमति के कटवाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के लिये दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर रामगढ़ सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट का निर्माण कार्य कराने विषयक

38–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सी0 एण्ड डी0एस0 ने गोरखपुर महानगर के नन्दानगर और सिंघडिया क्षेत्र के जल निकासी हेतु नन्दानगर से रामगढ़ताल सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट और सिघडिया से रामगढ़ताल सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट तक नागरिकों की सुविधा नाला हेतु कोई योजना तैयार की है ? यदि हां, तो

उसका विवरण क्या है ? क्या उक्त योजना को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

रामगढ़ सीवरेज प्लाण्ट का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराया जा रहा है। नगर निगम, गोरखपुर द्वारा संदर्भित क्षेत्र के जल निकासी व्यवस्था हेतु प्रस्ताव किये जाने पर सी0 एण्ड डी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

गोरखपुर नगर निगम में केन्द्रीयत सेवा के लिये सृजित पदों तथा उनके सापेक्ष कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के विवरण की जानकारी

39–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगर निगम में केन्द्रीयत सेवा के लिये सृजित पदों तथा उसके सापेक्ष कार्यरत कर्मचारी और अधिकारियों का विवरण क्या है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगर निगम, गोरखपुर में उ0 प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के अपर नगर आयुक्त के 02 पद, संयुक्त नगर आयुक्त के 01 पद, उप नगर आयुक्त के 01 पद, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी के 01 पद, मुख्य अभियन्ता के 01 पद, अधिशासी अभियन्ता के 03 पद, महाप्रबन्धक/नगर अभियन्ता (जल) के 01 पद, मुख्य नगर लेखा परीक्षा के 01 पद, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के 01 पद, कर निर्धारण अधिकारी के 02 पद, सहायक नगर आयुक्त के 01 पद, सहायक लेखाधिकारी के 01 पद, सहायक अभियन्ता (सिविल) के 03 पद, सहायक अभियन्ता (जल) के 01 पद, अवर अभियन्ता (सिविल) के 10 पद, अवर अभियन्ता (जल) के 03 पद, अवर अभियन्ता (वि0/यां0) के 03 पद (अधिसंख्य पद), जोनल सेनटरी अधिकारी के 02 पद, मुख्य सफाई निरीक्षक के 02 पद, सफाई निरीक्षक के 05 पद, लेखाकार के 01 पद, लेखा परीक्षक के 01 पद, सहायक लेखा परीक्षक के 01 पद, अधीक्षक के 06 पद, कर राजस्व निरीक्षक के 05 पद, उद्यान अधीक्षक के 01 पद, कार्यालय अधीक्षक के 01 पद तथा प्रधान लिपिक ग्रेड–3 के 01 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष 01 मुख्य अभियन्ता, 01 अधिशासी अभियन्ता, 01 महाप्रबन्धक/नगर अभियन्ता (जल), 01 मुख्य नगर लेखा परीक्षक, 01 मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, 01 कर निर्धारण अधिकारी, 01 सहायक नगर आयुक्त, 01 सहायक लेखाधिकारी, 02 सहायक अभियन्ता (सिविल), 01 सहायक अभियन्ता (जल), 10 अवर अभियन्ता (सिविल), 05 अवर अभियन्ता (जल), 03 अवर अभियन्ता (वि/यां), 02 मुख्य

सफाई निरीक्षक, 02 सफाई निरीक्षक, 01 लेखाकार, 01 लेखा परीक्षक, 04 अधीक्षक तथा 01 प्रधान लिपिक ग्रेड–3 कार्यरत हैं।

40–श्री राकेश बाबू–

ख्2सरे बुधवार के अता0प्र0सं0–194 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद जौनपुर में वर्ष 2014–15 में कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थान की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य पूरा कराया जाना

41–श्री नदीम जावेद–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कब्रिस्तान पर बाउन्ड्रीवाल बनाने की महत्वपूर्ण योजना के अन्तर्गत जनपद जौनपुर में वित्तीय वर्ष 2014–15 तक चयनित कितने कब्रिस्तानों का बाउन्ड्रीवाल बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है ? क्या सरकार की शेष कब्रिस्तानों पर बाउन्ड्रीवाल बनाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जनपद जौनपुर में वित्तीय वर्ष 2014–15 तक 86 कब्रिस्तान/अन्त्येष्टि स्थलों की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 24 कब्रिस्तान/अन्त्येष्टि स्थल निर्माणाधीन है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के राजकीय हाईस्कूल पिपलौठ व पैराई एवं राजकीय कन्या इण्टर कालेज दौरऊ में मानक के अनुरूप स्टाफ की तैनाती कराया जाना

42–श्री दलवीर सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के राजकीय हाई स्कूल पिपलौठ व पैराई एवं राजकीय कन्या इण्टर कालेज दौरऊ में मानक के अनुसार स्टाफ की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

राजकीय हाईस्कूल पिपलौठ में प्रधानाचार्य व एक सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। शेष रिक्त पदों को भरे जाने की कार्रवाई की जा रही है।

राजकीय हाई स्कूल पेराई में सभी पद भरे हुए हैं।

राजकीय कन्या इन्टर कालेज, दौरऊ मोड़, अलीगढ़ में एल0टी0 ग्रेड के सृजित सभी पदों पर सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। प्रवक्ता के 09 पद के सापेक्ष 04 प्रवक्ता कार्यरत हैं तथा 05 प्रवक्ता के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित किया गया है। लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर प्रवक्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद विनय कुमार पुत्र श्री देवराज निसास ग्राम अजरौली खण्डासा जनपद फैजाबाद की बूलेरो गाड़ी में रखी अटैची, बैग, प्रपत्र की चोरी की रिपोर्ट थाना हुसैनगंज लखनऊ में करने के बाद की गई कार्रवाई की जानकारी

43–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विनय कुमार पुत्र श्री देवराज निवास ग्राम अजरौली, थाना खण्डासा, जनपद फैजाबाद की बूलेरो गाड़ी नं0–यू0पी0 42 एस0 3708 एवं गाड़ी में रखी अटैची एवं बैग के प्रपत्र चोरी की रिपोर्ट थाना हुसैनगंज, सदर लखनऊ में मु0अ0सं0–224/13 में दिनांक 26–09–2013 को दर्ज करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

हां।

वादी श्री विनय कुमार पुत्र श्री देवराज निवासी अजरौली, थाना खण्डासा, जनपद फैजाबाद की बुलेरो नं0 यूपी–42 एस–3708 एवं गाड़ी में रखी अटैची, बैंक के प्रपत्र दिनांक 26–09–13 को राज्य सम्पति कालोनी, माल एवेन्यू से चोरी हो जाने के सम्बन्ध में थाना हुसैनगंज पर मु0अ0सं0–224/13 धारा–379 भादंवि का अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना तत्कालीन उप निरीक्षक श्री राधेश्याम सिंह थाना हुसैनगंज द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना से माल मुल्जिम का पता न चल पाने कारण अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट संख्या–116 दिनांक 05–12–2013 को प्रेषित कर विवेचना समाप्त की गयी है। अभियोग से सम्बन्धित सम्पूर्ण सीडी मय अन्तिम रिपोर्ट के दिनांक 19–12–2013 को मा0 न्यायालय दाखिल करायी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों के अनुदान सूची में सम्मिलित किया जाना

44–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार ने 246 संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो कितने संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल कर लिया गया है तथा शेष संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची में कब तक शामिल किया जायेगा ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त में से कितने संस्कृत विद्यालयों को अनुदान मिलना शुरू हो गया ? शेष को कब तक अनुदान मिलना शुरू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

31 दिसम्बर, 2000 तक अथवा उसके पूर्व स्थायी मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

77 स्थायी मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया है। 29 संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने हेतु कार्रवाई गतिमान है।

31 पूर्व मध्यमा तथा 15 उत्तर मध्यमा स्तर के संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन भुगतान की अनुमान्यता के आदेश निर्गत किये गये हैं।

शेष विद्यालयों की अनुमान्यता आदेश निर्गत किये जाने की कार्रवाई गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में थाना प्रभारियों की तैनाती की नीति की तथा उस नीति का कितना पालन किया जा रहा की जानकारी

45–श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में थाना प्रभारियों की तैनाती की कोई नीति निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? क्या उस नीति के अनुरूप थाना प्रभारियों की नियुक्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

शासनादेश संख्या–3888/6–पु–1–13–135/2013, दिनांक 07–02–2014 के अनुसार उ0प्र0 के कुल थानों के 2/3 थानों पर निरीक्षक तथा 1/3 थानों पर उप निरीक्षक को थानाध्यक्ष पद पर नियुक्त किये जाने का प्रावधान किया गया है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के तहसील मुख्यालय बीसलपुर हेतु कार्यरत उप निबन्धक कार्यालय हेतु स्थाई भवन बनाया जाना

46–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या कर एवं निबन्धन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के तहसील मुख्यालय बीसलपुर हेतु कार्यरत उप निबन्धक कार्यालय अस्थाई भवन में संचालित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उप निबन्धक कार्यालय हेतु स्थाई भवन बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)–

उप निबन्धक कार्यालय बीसलपुर उप कोषागार (ट्रेजरी) के सरकारी भवन में स्थायी रूप से संचालित है। अतः इस हेतु तात्कालिक रूप से नये भवन की कोई आवश्यकता नहीं है।

47–श्री मनीष असीजा–

ख्2सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0–37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद फिरोजाबाद में 01 जनवरी, 2013 से अक्टूबर, 2015 तक पुलिस कर्मियों के ऊपर किये गये हमलों में मृतकों तथा घायलों की संख्या की जानकारी

48–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में 01 जनवरी, 2013 से 31 अक्टूबर, 2015 तक पुलिस कर्मियों के ऊपर हमलों के कितने मामले दर्ज हुये हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन मामलों में कितने पुलिस कर्मी शहीद हुये एवं कितने गम्भीर रूप से घायल हुये उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद फिरोजाबाद में 01 जनवरी, 2013 से 31 अक्टूबर, 2015 तक पुलिस कर्मियों के ऊपर हमलों के 10 अभियोग पंजीकृत किये गये।

इन मामलों में 03 पुलिस कर्मी शहीद हुए एवं 11 पुलिस कर्मी गम्भीर रूप से घायल हुए हैं।

जिला बहराइच में 2005–2006 में शिक्षा मित्र की नियुक्ति सम्बन्धी प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में मा0 ने0वि0 दल का पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

49–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा क्षेत्र उ0 प्र0 का पत्र सं0–550/ने0वि0द0/2015, दिनांक 22–05–2015 जो जिला बहराइच में 2005–2006 में शिक्षा मित्र की नियुक्ति सम्बन्धी प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

कु0 गायत्री पुत्री श्री शिव मंगल सिंह के हाईस्कूल का अंक–पत्र व प्रमाण–पत्र सत्यापन हेतु सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद को प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 जय प्रकाश निषाद स0वि0स0 पर जनपद गोरखपुर के थाना चौरी–चौरा में हुए प्राणघातक हमले में नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने तथा कार्रवाई करने हेतु नेता विरोधी दल का पत्र

50–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा, उ0 प्र0 का पत्र सं0–0713/ने0वि0द0/2015, दिनांक 26–11–2015 जो जिला गोरखपुर के थाना चौरी–चौरा में दिनांक 19–12–2015 को दर्ज मु0अ0सं0–0466/2015

अ0धा0–147, 148, 149, 307, 323, 504, 506, 452, 427 भ0द0सं0 में नामजद अभियुक्तगण रिंकू जायसवाल, प्रदीप जायसवाल, बृजेश, राम अशीष, राजदेव, केशव आदि की जनहित में गिरफ्तारी सुनिश्चित कराये जाने तथा मा0 जय प्रकाश निषाद, सदस्य, विधान सभा एवं उनके परिवार की सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, गृह उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में मुख्य बिन्दु क्या थे उन पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मा0 विधायक को दूरभाष पर जान–माल की धमकी का उल्लेख करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने का उल्लेख है।

श्रीमती बेइली पत्नी श्री रविशंकर निवासी ग्राम राधोपुर, थाना चौरी–चौरा, जनपद गोरखपुर की सूचना पर थाना चौरी–चौरा पर मु0अ0सं0–466/15 धारा 147, 148, 149, 307, 323, 504, 506, 452, 427 भा0द0वि0 बनाम–1–बृजेश यादव पुत्र नवनाथ, 2–राम अशीष पुत्र राम अधारे, 3–राज देव पुत्र सुन्नर, 4–केशव पुत्र सुन्नर, 5–रिंकू जायसवाल पुत्र भोला जायसवाल, निवासीगण थाना चौरी–चौरा, जनपद गोरखपुर व 60–70 व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचनाधीन है। घटना की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए थानाध्यक्ष, चौरी–चौरा/विवेचक को सम्बन्धित मोबाइल नम्बरों की काल डिटेल प्राप्त करने एवं साक्ष्य के आधार पर विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये है। स्थिति पर निरन्तर सतर्क दृष्टि रखते हुए मा0 विधायक, वादिनी व उसके परिजनों की समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु क्षेत्राधिकारी चौरी–चौरा को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के करंजा कला ब्लाक में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में चयनित सिद्दीकपुर जमुहाई सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना

51–श्री नदीम जावेद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के करंजा कला ब्लाक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में वर्ष 2013 में चयनित सिद्दीकपुर जमुहाई सम्पर्क मार्ग 2 वर्ष बीतने के उपरान्त अभी तक अनिर्मित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग के कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के लिये अनुबन्धित ठेकेदार फर्म (मै0 ए0के0 कन्स्ट्रक्शन कम्पनी ग्राम–मरीवा, पोस्ट–अम्बर, जनपद–वाराणसी) को निर्देश दे

दिये गये है। ठेकेदार द्वारा दिये गये पुनरीक्षित वर्क प्लान (कार्य योजना) के अनुसार मार्ग दिनांक 31–03–2016 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

52–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

ख्2सरे बुधवार के अता0प्र0सं0–195 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

53–श्री मनीष असीजा–

ख्2सरे बुधवार के अता0प्र0सं0–190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

प्रदेश सरकार द्वारा सदन में अल्पसंख्यकों विषेष रूप से मुसलमानों के पिछड़ेपन को देखते हुए प्रशासन में 20ः की भागीदारी सुनिश्चित किया जाना

54–श्री नदीम जावेद–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार ने सदन में अल्पसंख्यकों विशेष रूप से मुसलमानों के पिछड़ेपन को देखते हुए शासन, प्रशासन में 20 प्रतिशत की भागीदारी सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इन वादों को पूरा कर लिया है ? यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेश दिनांक 12–04–2013 के अनुपालन में प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों हेतु 20 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किये जाने के लिये शासनादेश सं0–1533/52–3–13–सा(30)/2013, दिनांक 24–08–2013 निर्गत किया गया था।

निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष लक्ष्य की पूर्ति के विवरण संलग्न है।[४]

उपरोक्तानुसार।

शाहजहांपुर नगर में स्थित अन्त्येष्टि स्थलों वजीरगंज तथा ककरा में शवों को जलाने के लिये चबूतरा, टिन शेड तथा पानी की व्यवस्था कराने विषयक प्रकरण

55–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर में स्थित अन्त्येष्टि स्थलों वजीरगंज तथा ककरा में शवों को जलाने के लिये चबूतरे टिन शेड–बाउन्ड्रीवाल तथा पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उल्लिखित अन्त्येष्टि स्थलों पर उक्त सुविधाएं उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

शाहजहांपुर नगर के मोहल्ला वजीरगंज स्थित अत्त्येष्टि स्थल में पुराने चबूतरे, टिन शेड व बाउण्ड्रीवाल बनी है तथा पानी की सुविधा हेतु एक हैण्डपम्प इण्डिया

[४] (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 243–245 पर)

मार्का–ब लगा है। मोहल्ला ककरां में एक हैण्डपम्प इण्डिया मार्का–ब लगा है। अन्य सुविधाये नहीं है।

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा रु0 65.65 लाख का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था। सम्प्रति धन की उपलब्धता न होने के कारण स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगर निगमों द्वारा बनाई जा रही डामर/इन्टरलाकिंग सड़कों की आयु कितनी होनी चाहिए तथा गुणवत्ता का भी ध्यान दिया जाना

56–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर निगमों द्वारा बनाई जा रही डामर/इन्टरलाकिंग सड़कों की औसत आयु नियमानुसार कितनी होनी चाहिए ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि नियमों में ठेकेदारों को ठेका दिये जाते समय उनके द्वारा निर्मित सड़कों के समय से पूर्व खराब होने पर किसी आर्थिक दण्ड का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

निर्धारित नहीं है।

गुणवत्तायुक्त कार्य न कराये जाने पर सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध अनुबन्ध में दी गयी शर्तों के अनुसार आर्थिक दण्ड जमानत धनराशि में कटौती करने की कार्रवाई की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में शहरों व कस्बों में भीषण जाम की स्थिति से निजात दिलाने हेतु सरकार के उपाय की जानकारी

57–डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरों व कस्बों में यातायात नियमों का पालन न होने से प्रायः भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने जाम की समस्या के समाधान के लिये कोई उपाय किये हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं। प्रदेश के नगरों व कस्बों की बढ़ती जनसंख्या, वाहनों में दिनों दिन हो रही वृद्धि, संकरे मार्ग तथा तेज गति से चलने वाले वाहन एवं धीमी गति से चलने वाले वाहन यथा साइकिल रिक्शा, तांगा आदि भी शहर की सड़कों पर एक साथ संचालित हो रहे हैं, फलस्वरूप पीक आवर्स में यातायात कुछ समय के लिए धीमी गति से संचालित होता है, किन्तु बाधित नहीं होता है।

यातायात व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित किये जाने हेतु प्रदेश के 12 जनपदों में यथा कानपुर नगर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़ एवं गोरखपुर में ''एकीकृत यातायात प्रबन्धन प्रणाली'' को लागू किये जाने की कार्रवाई प्रचलित है। इस हेतु उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन के माध्यम से कन्सलटेन्ट का चयन कर लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत इन सभी जनपदों में यातायात के आधुनिक संकेतों की स्थापना के साथ–साथ चौराहों की अभियांत्रिकी में सुधार, सड़कों पर लगाये जाने वाले चिन्हों में सुधार तथा सूचनात्मक संकेतों में वृहद सुधार किया जायेगा।

जनपद लखनऊ में स्मार्ट सिटी सर्विलांस योजना के अन्तर्गत 280 स्थानों पर कैमरों की व्यवस्था की गयी है जिन्हें केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष से जोड़ा गया है। इस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से यातायात नियमों का प्रवर्तन प्रभावी रूप से किया जा सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्था प्रदेश के अन्य 11 नगरों यथा कानपुर नगर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़ एवं गोरखपुर में भी की जा रही है।

यातायात पुलिस द्वारा सोशल मीडिया (ट्विटर, व्हाटसएप, फेसबुक) के माध्यम से प्रभावी जनसंवाद स्थापित किया जा रहा है। इस व्यवस्था के अन्तगर्त यातायात संचालन योजना (ट्रैफिक रेग्युलेशन), यातायात परामर्श (ट्रैफिक एडवाइजरी) तथा यातायात चेतावनी (ट्रैफिक एलर्ट) तत्काल विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य तक पहुंचाये जा रहे हैं। साथ ही जन सामान्य से यातायात सम्बन्धी समस्याओं, सुझाव तथा शिकायतें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होने पर त्वरित गति से उनका निस्तारण किया जा रहा है।

प्रदेश के नगर क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुनियोजित रूप से संचालित करने हेतु सभी जनपदों को पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा–31 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत यातायात संचालन के विस्तृत आदेश जारी किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

58–श्री दीपक पटेल–

ख्एक से अधिक विभाग से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त,

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 108 बेगम पुरवा में मकान नं0 131/370 के सामने क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया जाना

59–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 108 बेगम पुरवा में मकान नं0–131/370 के सामने क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण हेतु आगणन तैयार किया गया है। कार्य कराया जाना नगर निगम के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 54 बाबू पुरवा न्यू श्रमिक कालोनी में मकानों के पीछे की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

60–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 54 बाबूपुरवा न्यू श्रमिक कालोनी में मकानों के पीछे स्थित गली की सभी सड़कें पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने से जनता को परेशनी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण हेतु आगणन तैयार कर लिया गया है। कार्य कराया जाना नगर निगम के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड 77 श्यामनगर के तुलसी नगर में मकान नं0 27 के बगल से श्री राम यतन वर्मा के मकान नं0 7 के घर तक सीवर लाइन बिछाया जाना

61–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 77 श्यामनगर के तुलसी नगर में मकान नं0–27 के बगल से श्री राम यतन वर्मा के मकान नं0–7–बी के घर तक सीवर लाइन न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर सीवर लाइन बिछाने का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कानपुर सीवरेज डिस्ट्रिक्ट–4 (पार्ट–ष्ष्) परियोजना लागत रु0 251.77 करोड़ पर स्वीकृत है। इसके अन्तर्गत वार्ड संख्या–4 के श्याम नगर, दहेली सुजानपुर, संनिगवां व चकेरी में सीवर लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। वार्ड संख्या–77 श्यामनगर के तुलसी नगर में मकान नं0 27 के बगल से श्री राम यतन वर्मा के मकान नं0 7–बी के घर तक सीवर लाइन बिछाने का कार्य उपरोक्त परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

धन की उपलब्धता की दृष्टिगत जून, 2016 तक कार्य कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड–86 में क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया जाना

62–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 86 में सिद्धनाथ घाट मार्ग से हड्डी मिल मकदुम टेनरी के आगे तक सड़क क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रवासियों को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

प्रश्नगत सड़क कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में पुलिस विभाग में सिपाहियों की होने वाली भर्ती में महिलाओं हेतु नियमानुसार आरक्षण दिया जाना

63–प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पुलिस विभाग में सिपाहियों की होने वाली भर्ती में महिलाओं हेतु नियमानुसार आरक्षण देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 09–01–2007 द्वारा राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर बुन्देलखण्ड के निवासियों के पलायन को रोकने का सरकार का प्रभावशाली उपाय

64–प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों विशेष कर बुन्देलखण्ड के निवासियों के पलायन को रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई प्रभावशाली योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन रोकने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना का संचालन प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में किया जा रहा है। मनरेगा योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। प्रदेश के 50 सूखाग्रस्त जनपद जिनमें बुन्देलखण्ड के सातों जनपद भी सम्मिलित है, मनरेगा योजनान्तर्गत 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था कर दी गयी है।

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्तर पर टोल फ्री मनरेगा हेल्प लाइन की स्थापना की गयी है, जो सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे कार्य करती है। हेल्पलाइन के माध्यम से जॉबकार्ड धारकों द्वारा कार्य की मांग भी दर्ज की जाती है तथा जिन परिवारों के पास जॉबकार्ड नहीं हैं वह भी अपने जॉबकार्ड की मांग कर सकते है। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में ई–एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू की गयी है जिससे श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में अन्तरित किया जाता है।

प्रदेश में वर्ष 2015–16 में 1632.32 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य निर्धारित है जिसके सापेक्ष 20 जनवरी, 2016 तक 1120.94 लाख मानव दिवस सृजित किया जा चुका है। बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों में 160.89 लाख मानव दिवस के सापेक्ष अब तक 118.27 लाख मानव दिवस सृजित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु जन लोकपाल बिल लाने की सरकार की इच्छाशक्ति की जानकारी

65–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु क्या सरकार जन लोकपाल बिल लाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

लोकपाल तथा लोक आयुक्त अधिनियम, 2013 के भाग–तीन की धारा–63 में उल्लिखित व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत लोक आयुक्त संगठन पूर्व से ही स्थापित है, जो पर्याप्त है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद में सभी कब्रिस्तानों पर बाउन्ड्रीवाल का बनाया जाना

66–श्री मनीष असीजा–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद में ऐसे कितने कब्रिस्तान हैं जिनकी चहारदीवारी बनना शेष है ? क्या सरकार

शेष कब्रिस्तानों में बाउन्ड्रीवाल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वजनिक कब्रिस्तानों पर बाउण्ड्रीवाल बनाने की योजनान्तर्गत नगर निगम, फिरोजाबाद में 25 कब्रिस्तानों की चहारदीवारी बनना अवशेष है।

जी हां।

कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण एक निरन्तर प्रक्रिया है। प्रत्येक वर्ष जनपद को आवंटित किए गए बजट के अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा कब्रिस्तानों का चयन कर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

नगर निगम फिरोजाबाद में शवदाह गृहों की बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण कराया जाना

67–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद में ऐसे कितने शवदाह गृह हैं, जिनकी चहारदीवारी बनना शेष है ? क्या सरकार अवगत करायेगी कि शेष शवदाह गृहों की बाउन्ड्रीवाल कराने का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगर निगम, फिरोजाबाद सीमान्तर्गत 14 में से 10 शवदाह गृह की चहरदीवारी नहीं है। धनराशि की उपलब्धता न होने के कारण सम्प्रति कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

नगर निगम फिरोजाबाद के मानक एवं आवश्यकतानुसार एक नया आधुनिक सुविधाओं से लैस कार्यालय भवन का निर्माण कराया जाना

68–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवनिर्मित नगर निगम, फिरोजाबाद का कार्य–संचालन पुराने नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद के भवन से ही संचालित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर निगम के मानक एवं आवश्यकतानुसार एक नया आधुनिक सुविधाओं से लैस कार्यालय भवन का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

नगर निगम द्वारा इस सम्बन्ध में योजना तैयार की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में राजा का ताल कस्बे में बड़ी संख्या में आवासीय एवं औद्योगिक गतिविधियों को देखते हुए इसे नगर पंचायत का दर्जा देने की मांग

69–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में राजा का ताल कस्बे में बढ़ी संख्या में आवासीय एवं औद्योगिक गतिविधियां संचालित होने के कारण बड़े कस्बे में परिवर्तित हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे नगर पंचायत का दर्जा देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

ग्राम पंचायत, अलीनगर कैंजरा के अन्तर्गत राजा का ताल ग्राम में लगभग 10 औद्योगिक इकाईयां संचालित हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत की जनसंख्या 11098 है। नगर पंचायत सृजन हेतु शासनादेश संख्या–2934/9–1–2014–426सा/14, दिनांक 28 अगस्त, 2014 द्वारा मानकों का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार नगर पंचायत हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की कुल जनसंख्या 20,000 या उससे अधिक होनी चाहिए। जनसंख्या का मानक पूर्ण न होने के कारण राजा का ताल को नगर पंचायत बनाया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता में स्थापित जगदीशपुर पाइप पेयजल परियोजना एवं रामगंज पाइप पेयजल परियोजना को चालू कराया जाना

70–डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता में स्थापित जगदीशपुर पाइप पेयजल परियोजना एवं रामगंज पाइप पेयजल परियोजना वर्षों से बन्द पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पाइप पेयजल परियोजनाओं की मरम्मत कराके जनहित में शुद्ध पेयजल मुहैय्या करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता में स्थापित जगदीशपुर पाइप पेयजल योजना वर्ष 1998 में भारत सरकार के गुणता प्रभावित कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृतोपरान्त वर्ष 2000 में निर्मित कर चालू कर दी गयी थी। उक्त योजना में निर्मित एक मात्र नलकूप के वर्ष 2013–14 में पूर्णरूप से अकार्यकारी हो जाने के कारण वर्तमान में पेयजल आपूर्ति बाधित है। रामगंज नामक कोई भी पाइप पेयजल योजना विकास खण्ड–मान्धाता में निर्मित नहीं है।

जी हां।

जगदीशपुर पाइप पेयजल योजना के खराब नलकूप की रि–बोरिंग हेतु प्राक्कलन पर संस्तुति प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड चाका की ग्राम सभा महुवारी के पूरे गांव में जल निगम द्वारा बिछाई गई पाइप लाइन ध्वस्त होने के कारण नई लाइन बिछाकर पानी की सुविधा उपलब्ध कराना जाना

71–श्री दीपक पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड चाका की ग्राम सभा महुवारी के पूरे गांव में जल निगम द्वारा बिछाई गई पाइप लाइन ध्वस्त होने के कारण गांव में पानी नहीं पहुंच पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पाइप लाइन बिछवाकर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड चाका की ग्राम सभा महुवारी के आंशिक क्षेत्र में पाइप लाइन बिछाकर जलापूर्ति की जा रही है।

जी हां।

ग्राम सभा के अवशेष क्षेत्र में पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में इलाहाबाद–मिर्जापुर मार्ग पर कुम्भ के दौरान नैनी से रामपुर (ब्योहार) तक जी0टी0 रोड को चौड़ा किये जाने के कारण रोड पर बसे गांव महुवारी आई0टी0आई0 कम्पनी, डेरी आदि स्थलों की उखड़ी पाइप लाइनों का बिछाया जाना

72–श्री दीपक पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में इलाहाबाद मिर्जापुर मार्ग पर कुम्भ के दौरान नैनी से रामपुर (ब्योहरा) तक जी0टी0 रोड को चौड़ा किया गया था, जिसके कारण जी0टी0 रोड पर बसे गांव महुवारी आई0टी0आई0 कम्पनी, डेरी सड़वा, ब्योहार, बी0पी0सी0 गेट आदि स्थलों की उखाड़ी गई पाइप लाइन अभी तक नहीं बिछाई गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थलों पर पुनः पाइप लाइन बिछवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां। जनपद इलाहाबाद में इलाहाबाद–मिर्जापुर मार्ग पर कुम्भ के दौरान नैनी से रामपुर (ब्योहरा) तक जी0टी0 रोड को चौड़ा किये जाने के कारण रोड पर बसे गांव

महुवारी, आई0टी0आई0 कम्पनी डेरी, सड़वा ब्योहार, बी0पी0सी0 गेट आदि स्थलों के आंशिक क्षेत्र में पाइप लाइन बिछा दी गयी है।

जी हां।

रोड पर बसे उक्त ग्रामों के अवशेष क्षेत्र में पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड करछना के ग्राम सभा घटवा, सोनाई और सहलोलवा में जल निगम द्वारा गांव में पानी सप्लाई हेतु बिछाई गई ध्वस्त लाइनों को पुनः बिछाकर जलापूर्ति की व्यवस्था कराया जाना

73–श्री दीपक पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड करछना के ग्राम सभा घटवा, सोनाई और सहलोलवा में जल निगम द्वारा गांव में पानी सप्लाई हेतु 3–4 वर्षों पूर्व बिछाई गई पाइप लाइन ध्वस्त होने के कारण जलापूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम सभाओं में नई पाइप लाइन बिछवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

करछना पेयजल योजना के अन्तर्गत घटवा, सोनाई एवं सहलोलवा ग्रामों में जलापूर्ति की जाती है। उक्त पेयजल योजना 30 वर्ष पूर्व तत्समय की जनसंख्या के आधार पर विरचित की गयी थी। वर्तमान में योजना हेतु निर्धारित समयावधि को पूर्ण होने, नलकूप का स्राव कम होने एवं ग्रामों के विस्तार होने के कारण इन ग्रामों में आंशिक जलापूर्ति ही सम्भव हो पा रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में मात्र चालू परियोजनाएं/सांसद आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत परियोजनाओं पर ही धनराशि उपलब्ध कराये जाने के कारण उपरोक्त योजना का पुनर्गठन वर्तमान वित्तीय वर्ष में कराया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड चाका के ग्राम सभा–डभाव (कोटिया) में निर्मित पानी की टंकी तथा पाइप लाइन बिछाकर जलापूर्ति की व्यवस्था करना

74–श्री दीपक पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड चाका के ग्राम सभा–डभाव (कोटिया) में निर्मित पानी टंकी से पाइप लाइन पूर्ण रूप से न बिछी होने के कारण पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टंकी से पूर्ण रूप से पाइप लाइन बिछवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड–चाका के अन्तर्गत ग्राम सभा–डभाव (कोटिया) में पेयजल आपूर्ति हेतु दादूपुर ग्राम समूह पेयजल योजना 30 वर्ष पूर्व तत्समय की जनसंख्या के आधार पर विरचित की गयी थी। वर्तमान में योजना हेतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने, नलकूप का स्राव कम होने एवं ग्राम का विस्तार होने के कारण ग्राम सभा में आंशिक जलापूर्ति ही सम्भव हो पा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में चालू परियोजनाएं/सांसद आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत परियोजनाओं पर ही धनराशि उपलब्ध कराये जाने के कारण उपरोक्त योजना का पुनगर्ठन वर्तमान वित्तीय वर्ष में कराया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावल खेड़ा की न्याय पंचायत पैनाबुजुर्ग एवं न्याय पंचायत भावल खेड़ा व न्याय पंचायत जमूही में शामिल ग्रामों में हैण्डपम्पों को रि–बोर कराया जाना

75–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा की न्याय पंचायत पैनाबुजुर्ग, एवं न्याय पंचायत भावलखेड़ा व न्याय पंचायत जमूही में शामिल होने वाले ग्रामों में कितने नल रिबोर हेतु चिन्हित किये गये हैं ? इनमें से कितने नलों को रिबोर कराने हेतु अनुमोदन प्राप्त किया गया तथा अगस्त 2015 से 08–12–15 तक कितने नल रिबोर कराये गये ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ग्राम पिपरिया मुकरमपुर, उदियापुर, सल्लिया, जमालपुर में अगस्त 2015 में रिबोर हेतु चिन्हित किये गये कुल 11 हैण्डपम्प में से कितने नल रिबोर हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

विकास खण्ड–भावलखेड़ा की न्याय पंचायत–पैनाबुजुर्ग, भावलखेड़ा एवं जमुही में शामिल ग्रामों में 41 नग हैण्डपम्प रि–बोर हेतु चिन्हित किये गये हैं।

इनमें से 37 नग हैण्डपम्पों के रि–बोर हेतु अनुमोदन प्राप्त किया गया, जिसके सापेक्ष अगस्त, 2015 से 08 दिसम्बर, 2015 तक कुल 27 नग हैण्डपम्प रि–बोर कराये गये।

ग्राम–पिपरिया, मुकरमपुर, उदियापुर, सल्लिया एवं जमालपुर में अगस्त, 2015 में रि–बोर हेतु चिन्हित किये गये कुल 11 हैण्डपम्पों में से सभी 11 हैण्डपम्पों को रि–बोर करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 53 केडीए कालोनी एल0आई0जी0 66 से एल0आई0जी0 95 तक सड़क का निर्माण कराया जाना

76–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के वार्ड 53 केडीए कालोनी एल0आई0जी0 66 से एल0आई0जी0 95 तक सड़क निर्माण न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क निर्माण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

प्रश्नगत सड़क का निर्माण सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से कराया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 44 पोखरपुर कालोनी में म0नं0 ए/92 एम0आई0जी0 की पूरी गली में सीवर लाइन बिछाने का कार्य रोक देने में हो रही परेशानी के कारण कार्य पूर्ण किया जाना

77–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के वार्ड 44 पोखरपुर कालोनी में म0नं0 ए/92 एम0आई0जी0 की पूरी गली में सीवर लाइन बिछाने का कार्य छोड़ देने से सड़क क्षतिग्रस्त होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सन्दर्भित क्षेत्र में सीवर लाइन वहां के निवासियों द्वारा स्वयं आपसी सहयोग से बिछाई गई है तथा इसी कारण सड़क क्षतिग्रस्त हुई है।

सन्दर्भित क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत हेतु नगर निगम, कानपुर द्वारा रुपये 9.80 लाख का आगणन तैयार किया गया है। आगणन की स्वीकृति व धन की उपलब्धता के पश्चात् कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 44 में नगर निगम स्कूल के पीछे छबीलेपुरवा, जाजमऊ एवं वार्ड नं0 96 बाबूपुरवा में सड़क, नाली का निर्माण कराया जाना

78–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के वार्ड 44 में नगर निगम स्कूल के पीछे छबीलेपुरवा, जाजमऊ एवं वार्ड नं0 96 बाबूपुरवा में म0 नं0 132/673 मुंशीपुरवा की सड़क एवं नाली सुधार का

कार्य न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों एवं नालियों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत सड़क एवं नाली सुधार कार्य का आगणन तैयार कर लिया गया है। कार्य कराया जाना नगर निगम के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पंजीकृत अधिवक्ताओं की असामयिक मृत्यु के बाद मृतक आश्रित पत्नी को अनुदान देने विषयक

79–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पंजीकृत अधिवक्ताओं की असामयिक मृत्यु के बाद मृतक आश्रित पत्नी को सरकार अनुदान देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक शुरू हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उ0 प्र0 अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि योजना के अन्तर्गत प्रदेश के पंजीकृत अधिवक्ताओं की असामयिक मृत्यु के बाद मृतक आश्रितों को अनुदान के रूप में दिनांक 01–01–2014 से 60 वर्ष की आयु तक दिवंगत होने वाले अधिवक्ताओं को, जो 40 वर्ष की आयु के पूर्व उ0 प्र0 बार कौंसिल में रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनके आश्रितों/प्रथम उत्तराधिकार को बीमा के रूप में आर्थिक सहायता देने सम्बन्धी दावों में रु0 5.00 लाख तथा 40 वर्ष या उसके उपरान्त उ0 प्र0 बार कौंसिल में रजिस्टर्ड अधिवक्ताओं के दावों में रु0 50.00 हजार का भुगतान बार कौंसिल आफ उ0 प्र0 के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना–पत्रों पर न्यासी समिति द्वारा सीधे किया जा रहा है। यह योजना दिनांक 01–01–2014 से लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के शारदानगर योजना के रतनखण्ड में स्थित पानी टंकी के सामने, पेट्रोल पम्प के सामने/बगल की सड़कों व खाली प्लाटों पर अवैध तरीके से हो रहे मौरंग व बालू मण्डी का कारोबार से हो रहे प्रदूषण के कारण कारोबार खत्म किया जाना

80–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के शारदानगर योजना के रतनखण्ड में स्थित पानी टंकी के सामने, पेट्रोल पम्प के सामने/बगल की सड़कों व खाली प्लाटों पर अवैध तरीके से हो रहे मौरंग व बालू मण्डी

का कारोबार किया जाता है, जिससे प्रदूषण बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कारोबार हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही शारदानगर योजनान्तर्गत स्थित रतन खण्ड कालोनी नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में कार्रवाई का दायित्व नगर निगम, लखनऊ का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में अल्पसंख्यक बाहुल्य ग्रामों में अल्पसंख्यक कल्याण निधि योजनान्तर्गत पिच मार्ग में परिवर्तित कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्रवाई की जानकारी

81–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में अल्पसंख्यक बाहुल्य ग्रामों में अल्पसंख्यक कल्याण निधि योजना के अन्तर्गत पिच मार्ग में परिवर्तित कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–वि0प0/ ज0हि0/2015–16/क–5नं0–368619/8972, दिनांक 16–11–2015 मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

अल्पसंख्यक बाहुल्य ग्रामों में अल्पसंख्यक कल्याण निधि योजना के अन्तर्गत पिच मार्ग में परिवर्तित कराये जाने की कोई योजना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भ्रष्टाचार/गलत कार्यों को खुलासा करने वालों को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक्ट लागू किया जाना

82–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भ्रष्टाचार/गलत कार्यों को खुलासा करने वालों को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु बना व्हिसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन ऐक्ट 2011 प्रदेश में लागू कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इसके क्रियान्वयन के लिये जनपद स्तर पर अभिकरणों का गठन कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में भ्रष्टाचार/गलत कार्यों को खुलासा करने वालों को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु बना व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट–2011 अभी लागू नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मथुरा में होने वाली रजिस्ट्रियों से 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क विकास हेतु लिये जाने के कारण विगत तीन वर्षों में प्राप्त शुल्क का दुरुपयोग किये जाने के कारण कार्रवाई की मांग

83–श्री पूरन प्रकाश

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में होने वाली रजिस्ट्रियों से 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क विकास कराने के रूप में पिछले तीन वर्षों में नगर पालिका परिषद् मथुरा को कितना धन प्राप्त हुआ एवं इस धन को विकास कार्य में कहां कहां व्यय किया ? क्या यह सही है कि रजिस्ट्रियों से 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क विकास कराने के रूप में प्राप्त धन का संबंधित रजिस्ट्री एरियाओं में विकास न कराकर धन का दुरुपयोग नगर पालिका परिषद् मथुरा द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर पालिका परिषद् मथुरा के अध्यक्ष एवं ई0ओ0 के विरुद्ध जांच कराकर कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगर पालिका परिषद् मथुरा को वित्तीय वर्ष 2012–13 में रु0 157.02 लाख, वित्तीय वर्ष 2013–14 में रु0 159.77 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 में रु0 229.05 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है। वित्तीय वर्ष 2012–13 व 2013–14 में प्राप्त धनराशि से जिलाधिकारी, मथुरा की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदनोपरान्त सम्पूर्ण निकाय क्षेत्रों में विकास कार्य कराये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्राप्त धनराशि रु0 229.05 लाख जिलाधिकारी, मथुरा की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदन के उपरान्त विकास कार्यों पर व्यय की जायेगी।

02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि वार्डवार प्राप्त न होकर समस्त नगर पालिका क्षेत्र में हुई रजिस्ट्रियों की धनराशि से एक मुश्त प्राप्त होती है। अतः नगर पालिका परिषद् मथुरा द्वारा उक्त धनराशि का सम्पूर्ण निकाय क्षेत्र में विकास कार्यों पर व्यय किया जा रहा है। उक्त धनराशि का दुरुपयोग नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद में दारागंजघाट पर स्थापित एक मात्र शवदाह गृह की चिमनियां जर्जर होने के कारण नयी चिमनियां लगाया जाना

84–श्री दीपक पटेल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में दारागंजघाट पर स्थापित एक मात्र विद्युत शवदाह गृह की चिमनियां अत्यन्त जर्जर तथा ध्वस्त होने के कगार पर हैं, जिससे किसी भी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिमनियों की मरम्मत/नवीनीकरण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत चिमनियां खराब हैं।

जी हां।

मरम्मत हेतु निर्माता कम्पनियों से दरें प्राप्त करने की कार्रवाई पूर्ण कर ली गयी हैं तथा निविदा आदि की औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने के पश्चात् मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र वि0ख0 करछना की ग्राम सभा डीहा में स्थित पानी की टंकी की मशीनों के खराब होने से ठीक कराकर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराया जाना

85–श्री दीपक पटेल–

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र व वि0ख0 करछना के ग्राम सभा डीहा में स्थित पानी की टंकी की मशीनों के खराब होने से पिछले तीन वर्षों से स्थानीय ग्रामीणवासियों को पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार मशीनों की मरम्मत कराकर पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

डीहा पेयजल योजना का संचालन/अनुरक्षण कार्य अक्टूबर, 2007 से ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित एवं अनुरक्षित बन्द पाइप पेयजल योजनाओं को चालू कराने की कार्रवाई पंचायती राज विभाग के माध्यम से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से करायी जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

86–प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

ख्2सरे बुधवार के अता0प्र0सं0–191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद लखनऊ में थाना–आशियाना क्षेत्र में रतन खण्ड एल0डी0ए0 कालोनी स्थित पार्कों के आस–पास के मोहल्ले में असामाजिक तत्वों के जमावड़े को हटाने हेतु कार्रवाई किया जाना

87–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 पूर्णमासी देहाती मा0 विधायक का शिकायती पत्र, दिनांक 08–12–15 जोकि थाना आशियाना स्थित रतन खण्ड लखनऊ के पार्कों में असामाजिक तत्वों के जमावड़े से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

थाना–आशियाना क्षेत्र में रतन खण्ड एल0डी0ए0 कालोनी स्थित पार्कों के आस–पास के मोहल्ले के लोगों से जानकारी प्राप्त की गयी एवं पार्कों का उपरोक्त क्रम में भौतिक निरीक्षण भी किया गया तो पाया गया कि आस–पास के मोहल्ले के बच्चे छुट्टियों के समय पार्क में खेलने के लिये आते हैं, खेल के दौरान बच्चों द्वारा शोर–शराबा भी किया जाता है। जहां तक पार्कों में असामाजिक तत्वों के जमावड़े का प्रश्न है, भौतिक रूप से निरीक्षण के दौरान कोई असामाजिक तत्व नहीं पाये गये। फिर भी थानाध्यक्ष, आशियाना को निर्देशित किया गया है कि सन्दर्भित पार्कों के आस–पास प्रभावी ढंग से पुलिस प्रबन्ध कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि किसी को असुविधा न उत्पन्न हो।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ग्राम सलेमपुर, भेडी फरीदपुर एवं मानपुर तथा मुजफ्फरपुर में राजकीय इण्टर कालेजों का निर्माण

88–श्री अनीसुर्रहमान–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ग्राम सलेमपुर में भेडी फरीदपुर, मानपुर तथा मुजफ्फरपुर में निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कालेजों का निर्माण कार्य पूरा कराकर वर्ष 2016–17 में सरकार पठन–पाठन का कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ग्राम सलेमपुर, भेडी फरीदपुर एवं मानपुर तथा मुजफ्फरपुर में राजकीय इण्टर कालेजों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सलेमपुर के राजकीय इण्टर कालेज के भवन निर्माण की दूसरी किश्त प्राप्त हो गयी है, जो जारी की जा रही है। अन्य 02 इण्टर कालेजों के भवन निर्माण की दूसरी किश्त भारत सरकार से अभी प्राप्त नहीं हुई है। विद्यालय के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उक्त राजकीय इण्टर कालेजों में पठन–पाठन का कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के मीरपुर में स्थित ट्रैफिक पुलिस लाइन कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्रवाई की जानकारी

89–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के मीरपुर में स्थित ट्रैफिक पुलिस लाइन कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 09–03–15 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सड़क निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्रवाई की जानकारी

90–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सड़क निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र जो मुख्य मंत्री कार्यालय में कम्प्यूटर सं0–पी0जी0–10295778 पर दर्ज है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

सम्बन्धित पत्र प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को प्रेषित किये गये हैं। प्रकरण में कार्यवाही नगर निगम द्वारा नहीं किया जाना है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत जनपद इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी बनाये जाने की योजना की जानकारी

91–डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की योजना के तहत जनपद इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी बनाये जाने की योजना है ? यदि हां, तो उक्त के सन्दर्भ में प्रदेश सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश से 13 नगरों को चयनित किया जाना था। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप–2 में उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर स्मार्ट सिटी मिशन के

अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति की बैठक में इलाहाबाद को अन्य नगरों के साथ संस्तुत करते हुए प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया। भारत सरकार द्वारा द्वितीय चरण की प्रतिस्पर्द्धा हेतु इलाहाबाद को सम्मिलित किया गया था। इसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के आधार पर दिनांक 15–12–2015 को स्मार्ट सिटी प्रपोजल स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया। भारत सरकार द्वारा चयनित प्रथम 20 नगरों में इलाहाबाद नगर को कोई स्थान प्राप्त नहीं हो सका है। पूर्व प्रेषित प्रस्ताव को पुनरीक्षित किये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में अपराध को रोकने हेतु क्राइम ब्रांच सेल का गठन करने की मांग

92–श्री आर0 के0 वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में कानून के रक्षक डिप्टी एस0पी0 जियाउल हक और कोतवाल अनिल कुमार की अपराधियों द्वारा हत्या कर दिये जाने से भय और आतंक का माहौल उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अपराध को रोकने हेतु प्रतापगढ़ में क्राइम ब्रांच सेल का गठन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

जनपद प्रतापगढ़ में अपराध को रोकने हेतु आदेश संख्या–एस0टी0–क्राइम ब्रांच गठन/2014, दिनांक 22–12–2014 के द्वारा क्राइम ब्रांच का गठन किया जा चुका है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद जनपद में क्षेत्रीय विकास निधि व सांसद निधि से कार्य कराये जाने हेतु अन्य जनपदों की तरह उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 आगरा को कार्यदायी संस्था नियुक्त किये जाने विषयक

93–श्री राकेश बाबू–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद जनपद में क्षेत्रीय विकास निधि व सांसद निधि से कार्य कराये जाने हेतु अन्य जनपदों की भांति उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 आगरा को कार्यदायी संस्था नियुक्त किये जाने के आदेश डी0आर0डी0ए0 विभाग, फिरोजाबाद को सरकार देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधायक निधि/सांसद निधि के दिशा–निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था/अर्हता के आलोक में सम्बन्धित संस्थाओं को कार्यदायी संस्था बनाये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी स्वतः निर्णय लेते हैं।

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित धन में की जा रही कटौती को प्रतिबन्धित करने विषयक

94–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित धन में क्या कोई भी कटौतियां की जाती हैं ? यदि हां, तो कौन–कौन तथा उनका प्रतिशत क्या है ? क्या सरकार ऐसी कटौतियों को प्रतिबन्धित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बलिया विधान सभा क्षेत्र बैरिया में पशु चिकित्सालयों में मानक के अनुसार डाक्टर एवं स्टाफ की तैनाती किया जाना

95–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बैरिया, जनपद बलिया में पशु चिकित्सालयों में डाक्टर एवं स्टाफ की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार पशु चिकित्सालयों में डाक्टर एवं स्टाफ की मानकानुसार तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह–

जी हां।

पशु चिकित्साधिकारी के रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित किया गया है। आयोग से चयन की संस्तुति प्राप्त होने पर प्रदेश के अन्य जनपदों के साथ–साथ जनपद बलिया में भी पशु चिकित्साधिकारियों की तैनाती पर विचार किया जायेगा।

वेटनरी फार्मासिस्ट एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा नियमावली प्रख्यापित किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। सेवा नियमावली के प्रख्यापन के उपरान्त नियुक्ति/तैनाती की कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में बैरिया को नगर पंचायत बनाया जाना

96–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में बैरिया को नगर पंचायत बनाये जाने की सभी औपचारिकतायें पूर्ण हो गयी हैं ? यदि हां, तो उक्त नगर पंचायत की स्थापना कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

शासन की अधिसूचना संख्या–16/9–1–2015–50टी0(3)/2001, दिनांक 23 फरवरी, 2015 द्वारा जनपद बलिया के बैरिया को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में अनन्तिम अधिसूचना निर्गत करते हुए आपत्तियां/सुझाव मांगा गया था। इस सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अन्तिम अधिसूचना निर्गत करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश में वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव में चुनावी हिंसा में मारे गये तथा गम्भीर रूप से घायल लोगों को आर्थिक सहायता दिया जाना

97–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव में चुनावी हिंसा में प्रदेश में कुल कितनी मौतें हुईं और कितने गम्भीर रूप से घायल हुए हैं ? क्या सरकार द्वारा चुनावी हिंसा में हुई मौतों में मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव में प्रदेश में कुल 03 मौतें एवं 54 लोग गम्भीर रूप से घायल हुए हैं।

मृतक/घायल पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसलिये आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों के निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्रवाई की जानकारी

98–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों के निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/2015–16/क–5 नं0–368747/8960, दिनांक 16–11–2015 प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त सम्पर्क मार्गों के निर्माण के परिवर्तित करने का कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–पी–10/अड़तीस–9–16–04 (सी0एम0)/2015 टी0सी0, दिनांक 08–01–2016 द्वारा वस्तुस्थिति से मा0 सदस्य, विधान सभा को अवगत कराया जा चुका है। प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 16–11–2015 में विधान सभा क्षेत्र प्रयागपुर जनपद बहराइच में पी0एम0जी0 एस0वाई0 के अन्तर्गत कुल 16 मार्गों का नवनिर्माण एवं उच्चीकरण प्रस्तावित किया गया है। वर्ष 2013–14 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण–2 के अन्तर्गत मात्र उच्चीकरण हेतु विचार सम्भव है। मार्गों की सूची के क्रमांक–10, 14, 15 व 16 पर अंकित मार्ग कोर नेटवर्क एवं काम्प्रेहन्सिव अपग्रेडेशन कम कन्सॉलिडेशन प्रायर्टी लिस्ट (सी0यू0सी0पी0एल0) में सम्मिलित है। उक्त मार्गों का उनके उपयोगिता मूल्यांक के आधार पर सी0यू0सी0पी0एल0 में वरीयता क्रम क्रमशः 72, (96 व 98) 30 एवं 53 है। योजनान्तर्गत मार्गों के चयन का प्रस्ताव जनपद हेतु आवंटित लक्ष्य के आधार पर सी0यू0सी0पी0एल0 में सम्मिलित मार्गों की उपयोगिता मूल्यांकन के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर जिला पंचायत के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रस्तावित मार्गों के उच्चीकरण का कार्य जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित किये जाने तथा भारत सरकार से स्वीकृत किये जाने के पश्चात् वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर पूर्ण किया जाना निर्भर है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में ग्रामीण विकास उ0 प्र0 योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्रवाई की जानकारी

99–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में ग्रामीण विकास उ0 प्र0 योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों के निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/2015–16/क–5 नं0–368741/8961 दिनांक 16–11–2015 प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त सम्पर्क मार्गों के निर्माण के परिवर्तित करने का कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां। उल्लिखित पत्र ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के सम्बन्ध में नहीं बल्कि ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था हेतु पाइप पेयजल योजना स्वीकृत किये जाने विषयक है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में मात्र चालू परियोजनाएं/सांसद आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत परियोजनाओं पर ही धनराशि उपलब्ध कराये जाने के कारण प्रस्तावित ग्रामों में नई पाइप पेयजल योजनाओं की स्वीकृति किया जाना वर्तमान वित्तीय वर्ष में सम्भव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार लागू नहीं।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड–86 मक्कूशाह का भट्ठा, जाजमऊ में गलियों एवं नाली का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्रवाई की जानकारी

100–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड 86 मक्कूशाह का भट्ठा, जाजमऊ में गलियों एवं नाली का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16–06–2015 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के संदर्भ में अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेल को प्रोत्साहन देने हेतु खेल का विषय शामिल किया जाना

101–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेल को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में विद्यालयों में की गयी व्यवस्था का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

उक्त के सम्बन्ध में विद्यालयों में निम्न व्यवस्थायें की गई हैं :–

(1) खेल विषय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है।

(2) उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर 'खेल एवं स्वास्थ्य' नामक पाठ्यपुस्तक लागू की गयी है।

(3) ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, जिनमें छात्र संख्या–100 से अधिक है, एक शारीरिक शिक्षा अनुदेशक नियुक्त किया गया है।

(4) खेलकूद प्रतियोगितायें आयोजित कराने की व्यवस्था की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

102–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

ख्2सरे सोमवार के अता0प्र0सं0–15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

प्रदेश में नगरीय क्षेत्र में सी0सी0 रोड निर्माण पर लगे रोक को हटाने की मांग

103–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में सी0सी0 रोड निर्माण पर लगी रोक को हटाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगरीय सड़क सुधार योजनान्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में सड़क सुधार कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–2087/नौ–5–2013–120 बजट/13, दिनांक 07 जून, 2013 एवं शासनादेश संख्या–3747/नौ–5–2013–120 बजट/2013, दिनांक 10 सितम्बर, 2013 में डामरीकरण एवं सी0सी0 इण्टरलाकिंग टाइल्स से सड़क निर्माण कराये जाने का प्राविधान है।

जनपद मथुरा के अन्तर्गत नगर पंचायत फरह में नाली, खड़न्जे के कार्यों में की गयी वित्तीय अनियमितताओं के विरुद्ध जांच कराने विषयक–पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

104–श्री पूरन प्रकाश–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री के आदेश सी0एम0/वि0को0/ एम0/पी0जी0–10597475/2015, दिनांक 25–03–2015 जो जनपद मथुरा के अन्तर्गत नगर पंचायत फरह में नाली, खड़न्जे के कार्यों में की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कराये जाने संबंधी पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

उक्त शिकायती–पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच जिलाधिकारी, मथुरा से करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नगर पालिका परिषदों एवं महानगर पालिकाओं के चुनाव में अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य किये जाने विषयक

105–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगर पालिका परिषदों एवं महानगर पालिकाओं के चुनाव में अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को अनिवार्य करने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 में चुनाव में अभ्यर्थियों के लिये शैक्षिक अर्हता की कोई व्यवस्था नहीं है।

14वें वित्त आयोग द्वारा नगर निगम कानपुर को कितनी धनराशि वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्राप्त धनराशि से प्रस्तावित कार्यों का विवरण

106–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 14वें वित्त आयोग द्वारा नगर निगम कानपुर को कितनी धनराशि वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्राप्त हुई तथा प्राप्त धनराशि से किन–किन कार्यों का प्रस्ताव किया गया तथा प्रस्तावित कार्यों में से कौन–कौन से कार्य कराये गये ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत नगर निगम, कानपुर को वित्तीय वर्ष 2015–16 में रु0 27,95,33,218.00 (रुपये सत्ताइस करोड़ पंचान्नबे लाख तैंतीस हजार दो सौ अट्ठारह मात्र) की धनराशि प्राप्त हुई। उक्त प्राप्त धनराशि से सीवर लाइन डालने, जलापूर्ति हेतु हैण्डपम्प लगाने, मार्ग चौड़ीकरण करने, मशीनी उपकरण क्रय करने, जल निकासी एवं सड़क निर्माण के कार्य प्रस्तावित किये गये हैं। उक्त प्रस्तावित कार्यों हेतु निविदा आमंत्रण की कार्रवाई प्रक्रिया में है।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्रवाई की मांग

107–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री के कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर सं0–पी0जी0–10296560, के निस्तारण हेतु क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत पत्र प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को प्रेषित किया गया है। प्रकरण में कार्रवाई किये जाने का दायित्व नगर निगम, कानपुर का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज शिकायत का निरस्तीकरण

108–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु मुख्य मंत्री के कार्यालय में दर्ज पत्र कम्प्यूटर सं0–पी0 जी0–10296563, पी0

जी0–10296564, पी0जी0–10296579 के निस्तारण हेतु क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत पत्र प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को प्रेषित किये गये हैं। प्रकरण में कार्रवाई किये जाने का दायित्व नगर निगम, कानपुर का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्रवाई की मांग

109–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री के कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर सं0–पी0जी0–10296564, पी0जी0–10296579 तथा पी0जी0–10304486 के निस्तारण हेतु क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत पत्र प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को प्रेषित किये गये हैं। प्रकरण में कार्रवाई किये जाने का दायित्व नगर निगम, कानपुर का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

110–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

ख्2सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0–24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान कराने हेतु पश्चिमी उ0 प्र0 में मा0 उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ को स्थापित कराने की मांग

111–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान कराने हेतु पश्चिमी उ0प्र0 में मा0 उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ की स्थापना न होने से जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में हाईकोर्ट की खण्ड पीठ स्थापित कराने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–1 संघ सूची की प्रविष्टि संख्या–78 की व्यवस्था के अनुसार उच्च न्यायालय, उसकी खण्डपीठ की स्थापना तथा

क्षेत्राधिकार का प्रकरण केन्द्र सरकार के विचार का बिन्दु है। अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु भारत सरकार ही सक्षम है।

इस सम्बन्ध में वर्ष 1994 एवं वर्ष 1995 में तत्कालीन मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 द्वारा भारत के प्रधानमंत्री जी से पत्र दिनांक 7–11–1994 एवं दिनांक 5–9–1995 द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि जिस स्थान पर उपयुक्त समझें मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना के विषय में निर्णय लेकर राज्य सरकार को अवगत करायें, जो अद्यतन अप्राप्त है।

जनपद बुलन्दशहर की सिकन्द्राबाद तथा गुलावठी नगरपालिका परिषदों में सीवर की व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना

112–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर की सिकन्द्राबाद तथा गुलावठी नगरपालिका परिषदों में सीवर व्यवस्था स्थापित नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नगरपालिका परिषदों में सीवर की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नागर निकायों में सीवरेज व्यवस्था के लिये 135 एल0पी0सी0डी0 की जलापूर्ति का होना आवश्यक है। जबकि सिकन्द्राबाद तथा गुलावठी में पेयजलापूर्ति सीवरेज व्यवस्था के लिये आवश्यक मानक के अनुरूप नहीं है। दोनों निकायों में क्रमशः 80 एल0पी0सी0डी0 तथा 52 एल0पी0सी0डी0 की दर से पेयजलापूर्ति हो रही है। दोनों नगर पालिकाओं में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत पेयजल पुनर्गठन योजनाएं लागत क्रमशः रु0 8.53 करोड़ तथा रु0 22.73 करोड़ निर्माणाधीन है। इन निकायों में सीवरेज व्यवस्था हेतु पेयजलापूर्ति के निर्धारित मानक के पूर्ण होने पर सीवर की व्यवस्था किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पुलिस विभाग में पी0ए0सी0 से नागरिक पुलिस में मुख्य आरक्षी के पद हेतु पोस्टिंग में की जा रही अनियमितता को रोका जाना

113–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पुलिस विभाग में पी0ए0सी0 से नागरिक पुलिस में मुख्य आरक्षी के पद हेतु आयोजित सामान्य परीक्षा 2001/2006 में जिनकी सर्विस 3 वर्ष तथा उम्र 40 वर्ष से अधिक न हो, की मेरिट के आधार पर साक्षात्कार के बाद ट्रेनिंग कराकर पोस्टिंग की गयी है, को लगभग 8–10 वर्षों तक लगातार नागरिक पुलिस की सेवा के पश्चात मा0 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आड़ में एस0सी0/एस0टी0 के कर्मचारियों को रिवर्ट कर पुनः पी0ए0सी0 विभाग में वापस किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

वर्ष 2001 एवं वर्ष 2006 की विभागीय प्रान्तीय योग्यता परीक्षा में प्रशिक्षण अवधि को छोड़कर 3 वर्ष की सेवा तथा 40 वर्ष से अधिक आयु न होने की अर्हता निर्धारित थी, उक्त परीक्षा में नागरिक पुलिस/सशस्त्र पुलिस एवं पी0ए0सी0 के आरक्षियों को सम्मिलित किया गया था। इस परीक्षा में अनुसूचित जाति व जनजाति के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु क्रमशः 21 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य था।

अतः विभागीय प्रान्तीय योग्यता परीक्षा में चयनित अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों की अलग–अलग मेरिट लिस्ट तैयार की जाती थी। निर्धारित आरक्षण के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रतिनिधित्व पूर्ण किये जाने हेतु अनारक्षित वर्ग के अन्तिम चयनित अभ्यर्थी से कम अंक पाने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों को पदोन्नति प्रदान की गयी थी।

ऐसे कर्मियों को सिविल अपील संख्या–2608/2011 यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27–04–2012 के आलोक में निर्गत शासनादेश संख्या–8/4/1/2002/टी0सी0–1–का–2/2015, दिनांक 21–08–2015 के अनुपालन में पुलिस मुख्यालय के आदेश दिनांक 09–09–2015 द्वारा वर्ष 2001 एवं वर्ष 2006 की प्रान्तीय योग्यता परीक्षा में चयनित पी0ए0सी0 के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षी जिनका प्राप्तांक अनारक्षित अन्तिम चयनित अभ्यर्थी से कम था, उन्हें मुख्य आरक्षी से आरक्षी के पद पर पदावनत करते हुए उनके मूल संवर्ग में जहां पर परीक्षा के समय उनका लियन था अर्थात् पी0ए0सी0 में वापस किया गया है।

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत सीतापुर रोड थाना मड़ियांव से रामलीला ग्राउण्ड गायत्री के अन्तर्गत नौबस्ता खुर्द जाने वाली जर्जर सड़क की मरम्मत कराने विषयक

114–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत सीतापुर रोड थाना मड़ियांव से रामलीला ग्राउण्ड गायत्री नगर नौबस्ता खुर्द जाने वाली सड़क जर्जर हो जाने के कारण जनता को आने–जाने में काफी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत/पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत/निर्माण हेतु रु0 24.49 लाख का व्यय अनुमानित है। वर्तमान समय में नगर निगम की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण कार्य कराये जाने में कठिनाई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मुंशी–मौलवी, आलिम कालिम और फाजिल की मदरसा बोर्ड द्वारा कराये जाने वाली परीक्षाओं का कार्य निजी संस्था को देने के कारण कार्य में हो रही अनियमितता

115–श्री नदीम जावेद–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मुंशी–मौलवी, आलिम कालिम और फाजिल की मदरसा बोर्ड द्वारा कराये जाने वाली परीक्षाओं का फार्म अपलोड, करने प्रवेश पत्र मुहैय्या करवाने से लेकर मार्कशीट वितरण तक की जिम्मेदारी एक निजी एजेन्सी को दी गयी है, जिसमें खामियों के कारण लाखों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन खामियों में सुधार करने एवं इसकी पुनरावृत्ति न होने के लिए कोई ठोस कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

परीक्षा वर्ष 2016 का कार्य सरकारी संस्था यू0पी0 डेस्को को दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

बी0टी0सी0 प्रशिक्षण सत्र का नियमित कराया जाना

116–श्री नदीम जावेद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी0टी0सी0 सत्र 2014–15 की कक्षायें अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं जबकि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का दिनांक 15 सितम्बर, 2015 तक अभ्यर्थियों का प्रवेश कार्य पूर्ण कराकर दिनांक 22 सितम्बर, 2015 से कक्षायें शुरू करने का आदेश है ? यदि हां, तो क्या सरकार कक्षायें शुरू करने में आने वाली अड़चनों को दूर करते हुए बी0टी0सी0 की कक्षायें शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

बी0टी0सी0 प्रशिक्षण सत्र को नियमित करने के सन्दर्भ में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका सं0–174/2015 बाबा शिवनाथ सिंह शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाम नेशनल काउन्सिल फार टीचर एजूकेशन व अन्य के साथ सम्बद्ध 10 अन्य याचिकाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–09–2015 के अनुपालन में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2014 का प्रशिक्षण दिनांक 22–09–2015 से प्रारम्भ किया जा चुका है।

बी0टी0सी0 2014 का प्रशिक्षण दिनांक 22–09–2015 से प्रारम्भ हो चुका है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के जिन गांवों की आबादी 25 हजार से अधिक है, में राजकीय हाई स्कूल खोले जाने की मांग

117–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बैरिया, जनपद बलिया के गोपाल नगर, वशिष्ठनगर, मानगढ़, शिवाल मठिया आदि ग्रामों में जिनकी आबादी लगभग 25 हजार से अधिक है, में राजकीय हाईस्कूल न होने के कारण बच्चे शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार

उक्त क्षेत्र में एक राजकीय हाईस्कूल की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र बैरिया दियरांचल का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जिसमें गोपालनगर एवं वशिष्ठनगर ग्राम विकास खण्ड रेवती में अवस्थित तथा मानगढ़ एवं शिवाल मठिया विकास क्षेत्र मुरलीछपरा में अवस्थित हैं। उक्त गांवों की छात्र–छात्रायें 8 से 9 कि0मी0 के अन्तर्गत अवस्थित वित्तविहीन हाई स्कूल, दतहां एवं सहायता प्राप्त कौशल किशोर इण्टरमीडिएट कालेज, नरायणगढ़ इण्टर कालेज, जमालपुर, बलिया में शिक्षा ग्रहण करते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया अन्तर्गत पशु चिकित्सालयों में दवाओं, स्टाफ आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना

118–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया अन्तर्गत कितने पशु चिकित्सालय वर्तमान समय में कहां–कहां पर संचालित हैं ? क्या यह सही है कि उक्त अस्पतालों में दवाओं स्टाफ व अन्य सुविधाओं की कमी के चलते स्थानीय पशु पालकों को परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उल्लिखित कमियों को दूर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह–

जी हां, जनपद बलिया में निम्नांकित 56 पशु चिकित्सालय वर्तमान में संचालित हैं :–

क्र0	पशु चिकित्सालय का नाम
1	सदर
2	हनुमानगंज
3	चेरूइया
4	दुबहड़
5	बांसडीह रोड
6	गडवार
7	रतसड

8	फेफना
9	दुमदुमा
10	सोहाव
11	नरही
12	चितबड़ा गांव
13	उजियार घाट
14	पलियाखास
15	इकौनी
16	बाबूबेल
17	सोनवानी
18	रामपुर दिघार
19	बसुधरपाह
20	बेरिया
21	करमानपुर
22	लोकधाम
23	मुरलीछपरा
24	लालगंज
25	जय प्रकाश नगर
26	बांसडीह
27	सक्करपुरा
28	मलहौवा
29	मनियर
30	निपनियां
31	बड़ागांव
32	बेरूआबारी
33	सुखपुरा
34	रेवती
35	सहतवार
36	मूनछपरा
37	रसड़ा

38	सरायभरती
39	मुडेरा
40	चिलकहर
41	ताखा
42	नवानगर
43	सिकन्दरपुर
44	कठौडा
45	बघुड़ी
46	पन्दह
47	पूर
48	खेजुरी
49	सीयर
50	बुद्धिपुर
51	इब्राहिमपट्टी
52	नगरा
53	भीमपुरा
54	कसौडर
55	सिवानकला टोला
56	गंगाउसपार

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में वर्तमान समय में संचालित कुल 56 पशु चिकित्सालय को उपलब्ध बजट के अनुसार वैक्सीन/दवायें समय से उपलब्ध करा दी गयी हैं। पशुओं में संक्रामक रोगों का शत–प्रतिशत टीकाकरण पूर्ण कर लिया गया है। उपलब्ध स्टाफ एवं अन्य सुविधाओं का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है।

जनपद बलिया के क्षेत्र बैरिया में दुग्ध उत्पादक सरकारी संघ लि0 स्थापित करने की मांग

119–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बैरिया, जनपद बलिया दुग्ध उत्पादन के प्रमुख केन्द्र में दुग्ध प्लांट की सुविधा न होने के कारण दुग्ध उत्पादकों द्वारा मजबूर होकर अपना दूध बिहार प्रदेश की बाजारों में विक्रय करते

हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त क्षेत्र में दुग्ध प्लांट लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम मूर्ति वर्मा–

जी नहीं। जनपद बलिया में बलिया दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 के नाम से प्लान्ट स्थापित है। वर्तमान में बैरिया क्षेत्र में 42 दुग्ध समितियां गठित है, जिनके माध्यम से दुग्ध प्लान्ट बलिया में उक्त समितियों द्वारा दुग्ध क्रय किया जा रहा हैं। बलिया जनपद में बलिया दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 के नाम से प्लान्ट होने के कारण उसी जनपद में दूसरा दुग्ध प्लान्ट लगाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

120–श्री पूरन प्रकाश–

ख्2सरे बुधवार के अता0प्र0सं0–192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद मथुरा के ब्लाक बल्देव में मॉडल स्कूल के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री प्रयोग होने के कारण जांच व कार्रवाई की मांग

121–श्री पूरन प्रकाश–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के ब्लाक बल्देव में मॉडल स्कूल बरौली के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद हरदोई के कस्बा सण्डीला में कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका तथा रिक्त पदों को भरा जाना

122–श्री दीपक पटेल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–हरदोई के कस्बा सण्डीला में कितने कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें प्रधानाध्यापिका के पद रिक्त हैं ? क्या यह सही है कि कन्या उच्चतर प्राथमिक स्कूल राजा हाता नगर क्षेत्र सण्डीला, हरदोई में प्रधानाध्यापिका का पद रिक्त होने के कारण बच्चों की पढ़ाई में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में प्रधानाध्यापिका की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जनपद हरदोई के कस्बा सण्डीला में 01 कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय राजाहाता संचालित है, जिसमें प्रधानाध्यापिका तैनात है। कोई पद रिक्त नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 01 अगस्त, 2015 तक किसी शिक्षा मित्र की खुदकशी करने की घटना की जानकारी

123–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 01 अगस्त, 2015 तक कुल कितने शिक्षा मित्रों द्वारा खुदकशी की गयी तथा खुदकशी करने वाले शिक्षा मित्रों के परिवार वालों को कितनी–कितनी आर्थिक सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

प्रदेश में 01 अगस्त, 2015 तक किसी शिक्षा मित्र द्वारा खुदकशी किये जाने की घटना सूचित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम, गोरखपुर में तैनात परियोजना अधिकारी डूडा का स्थानान्तरण नीति के तहत किया जाना तथा चल रही जांचों की निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई की मांग

124–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थानीय निकायों में स्थानान्तरण नीति लागू है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि नगर निगम, गोरखपुर में तैनात परियोजना अधिकारी डूडा की कितने दिनों से गोरखपुर में तैनाती है ? क्या यह सही है कि उक्त परियोजना अधिकारी के विरुद्ध कई जांचें चल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निष्पक्ष जांच कराने हेतु उक्त परियोजना अधिकारी को वहां से हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

स्थानीय निकाय, नगर विकास विभाग के अधीन होते हैं। नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के नियन्त्रणाधीन राज्य नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है तथा स्वशासी संस्था की श्रेणी में वर्गीकृत है। अतः सरकारी कर्मचारियों पर लागू वार्षिक स्थानान्तरण नीति सूडा के कर्मियों पर लागू नहीं होती है।

नगर निगम, गोरखपुर में नहीं बल्कि जिला नगरीय विकास अभिकरण, गोरखपुर में श्री तेज कुमार राम, परियोजना अधिकारी दिनांक 19–08–2013 से अर्थात् लगभग ढाई वर्षों से तैनात हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के हुसैनगंज अन्तर्गत बाबू बनारसी दास वार्ड में मेरा मन होटल के पीछे शाहिद अल्वी पुत्र राशिद अली के नाम फर्जी लाइसेंसी रिवाल्वर की जांच तथा कार्रवाई की मांग

125–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के हुसैनगंज अन्तर्गत बाबू बनारसी दास वार्ड में मेरा मन होटल के पीछे जौहरी गड़हिया निवासी–60/30 एवं 60/31 शाहिद अल्वी पुत्र राशिद अल्वी द्वारा लिये गये रिवाल्वर शस्त्र लाइसेंस जो कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किया गया है, कि जांच कराये जाने विषयक प्रमुख सचिव, गृह विभाग को प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–ख–3, नं0–511883, दिनांक 03–09–2015 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर जांचोपरान्त क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रश्नकर्ता मा0 विधायक के पत्र दिनांक 03–09–2015 में अंकित शाहिद अल्वी पुत्र राशिद अल्वी निवासी–60/30 एवं 60/31 जौहरी गड़हिया थाना हुसैनगंज लखनऊ के नाम जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ के कार्यालय से कोई शस्त्र लाइसेंस निर्गत नहीं है, अपितु शाहिद अली पुत्र श्री राशिद अली निवासी–60/40 जौहरी महतर गढ़ैया थाना हुसैनगंज लखनऊ के नाम शस्त्र लाइसेंस संख्या–716/थाना हुसैनगंज, लखनऊ बाबत एनपीबोर रिवाल्वर/पिस्टल हेतु निर्गत है। इस सम्बन्ध में थाना हुसैनगंज, लखनऊ से प्राप्त दस्तावेजों की जांच जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा की गयी जो सही पाये तथा थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

जहां तक अतिक्रमण हटाये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत स्थल से अतिक्रमण हटाये जाने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा दिनांक 17–02–2016 की तिथि नियत की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

126–श्री मनीष असीजा–

ख्2सरे सोमवार के अता0प्र0सं0–3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

प्रदेश में एस0एम0एस0 व्हाट्स एप, फेसबुक, ट्वीटर आदि के माध्यम से सामाजिक, साम्प्रदायिकता बिगाड़ने वालो के विरुद्ध की गई कार्रवाईयों की जानकारी

127–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एस0एम0एस0, व्हाट्स एप0, फेसबुक, ट्वीटर आदि के माध्यम से सामाजिक, साम्प्रदायिक वातावरण को बिगाड़ने वाले आपराधिक तत्वों पर अंकुश लगाने हेतु साइबर इकाइयों द्वारा 01 जनवरी, 2013 से 31 अक्टूबर, 2015 तक ऐसे कितने अपराधों के मामलों में कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। प्रदेश में दिनांक 01–01–2013 से 31–10–2015 तक एस0एम0एस0 व्हाट्स एप, फेसबुक, ट्वीटर आदि के माध्यम से सामाजिक, साम्प्रदायिक वातावरण को बिगाड़ने से सम्बन्धित अभियोगों का विवरण निम्नवत् है :––

पंजीकृत अभियोगों में की गयी कार्यवाही का विवरण									अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही					
पंजीकृत अभियोगों की संख्या	विवेचना में गलत पाये गये अभियोगों की संख्या	वास्तविक अभियोगों क संख्या	आरोप पत्र	अंतिम रिपोर्ट	विवेचनाधीन	नामजद / प्रकाश में आये अभियुक्तों की संख्या	गलत पाये गये अभियुक्तों की संख्या	वास्तविक अभियुक्तों की संख्या	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या	हाजिर अदालत	अभियुक्तों के विरुद्ध 82 / 83 की कार्यवाही की संख्या	गिरफ्तार हेतु शेष अभियुक्तों की संख्या	आरोप–पत्र	अन्तिम रिपोर्ट
152	10	142	96	25	31	321	34	287	143	15	01	160	143	36

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद में वर्ष 2013–2014 से 16 दिसम्बर, 2015 तक शस्त्र लाइसेन्स के प्रार्थना–पत्रों पर शस्त्र लाइसेन्स जारी किया जाना

128–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में वर्ष 2013–14 से 16 दिसम्बर, 2015 तक कितने शस्त्र लाइसेन्स के प्रार्थना–पत्र लम्बित हैं तथा कितने शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किये गये ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वारिसानों के विरासतन कितने प्रार्थना–पत्र लम्बित हैं ? क्या सरकार वारिसानों के लम्बित प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद फैजाबाद में वर्ष 2013–14 से 16 दिसम्बर, 2015 तक 157 शस्त्र लाइसेन्स के प्रार्थना–पत्र लम्बित हैं तथा 881 शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किये गये हैं।

जनपद फैजाबाद में वारिसानों के विरासतन 80 शस्त्र लाइसेन्स के प्रार्थना–पत्र लम्बित हैं।

जी हां।

वारिसानों के विरासतन लम्बित प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात् शस्त्र लाइसेन्स निर्गत करने की कार्रवाई की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2012–13, 2014–15 तथा 2015–16 में 1090 पर आने वाली शिकायतों का निस्तारण करने का विवरण

129–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2012–13, 2014–15 तथा 2015–16 में महिला हेल्प लाइन में वर्षवार कितनी–कितनी शिकायतें दर्ज की गयी तथा इनमें से कितनी शिकायतों पर मुकदमा दर्ज किया गया ?

श्री अखिलेश यादव–

वूमेन पावर लाइन 1090 पर आने वाली शिकायतों/निस्तारण का वित्तीय वर्ष 2012–2013, 2013–2014, 2014–2015 तथा 2015–2016 का विवरण निम्नवत् है :––

वित्तीय वर्ष	कुल दर्ज शिकायतों की संख्या	पूर्णतया निस्तारित शिकायतों की संख्या	कुल पंजीकृत अभियोगों की संख्या
15–11–2012 से 31–03–2013 तक	44,264	44,206	29
2013–2014	1,42,113	1,41,949	165
2014–2015	1,56,289	1,56,114	176
01–04–2015 से 31–12–2015 तक	1,15,706	1,07,656	60

जनपद अलीगढ़ में जिला मुख्यालय पर स्थापित पुलिस कन्ट्रोल रूम को आधुनिक सुविधाओं से लैश किया जाना

130–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में जिला मुख्यालय पर स्थापित पुलिस कन्ट्रोल रूम को आधुनिक सुविधाओं से युक्त करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं। शासनादेश संख्या–2510/छः–पु0–2–2015–1100(17)/15, दिनांक 29 दिसम्बर, 2015 द्वारा पूरे प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को उन्नत स्तर की पुलिस सेवायें तत्काल उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश स्तरीय पुलिस इमरजेन्सी प्रबन्धन प्रणाली (पी0ई0एम0एस0) डायल 100 परियोजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत किसी आकस्मिक स्थिति में प्रदेश के किसी भी स्थान से टेलीफोन, एस0एम0एस0 अथवा किसी अन्य संचार माध्यम से लखनऊ

में स्थापित किये जा रहे केन्द्रीय को–आर्डिनेशन सेन्टर से सम्पर्क करने वाले नागरिकों को तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। यह केन्द्र पूरे वर्ष 24 घन्टे कार्य करेगा।

उपरोक्तानुसार।

अलीगढ़ नगर निगम क्षेत्र के उन भागों में जहां सीवर लाइन नहीं है डलवाने की मांग

131–श्री दलवीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ नगर निगम क्षेत्र में उन क्षेत्रों में जहां सीवर लाइन नहीं पड़ी है, क्या सरकार नगर निगम के उन क्षेत्रों में सीवर लाइन डलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगर निगम, अलीगढ़ के क्षेत्र में पूर्व में आंशिक रूप से सीवर लाइन बिछाई गई है। नगर निगम, अलीगढ़ नवघोषित केन्द्रीय कार्यक्रम–अमृत से आच्छादित है जिसके अन्तर्गत सीवरेज कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत यथा प्रक्रिया सीवरेज परियोजना के स्वीकृत होने व धनावंटन के पश्चात् ही कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विकास खण्डों में बने पशुपालन केन्द्रों पर तैनात स्टाफ को स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया जाना

132–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्डों में बने पशुपालन केन्द्रों पर तैनात चिकित्सकों व अन्य स्टाफ को क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के तहत जिले से बाहर स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह–

पशुपालन विभाग में स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत ही स्थानान्तरण किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने के कारण विकास कार्यों को कराया जाना

133–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसमें कौन–कौन से विकास कार्य कराये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

स्मार्ट सिटी मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुसार योजना के प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों में पर्याप्त जलापूर्ति, सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित सफाई,

सार्वजनिक परिवहन, आईटी कनेक्टिविटी, ई–गवर्नेंस, सुस्थिर पर्यावरण आदि सम्मिलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ शहर के कैसरबाग सब्जी मण्डी की गन्दगी व दुर्दशा को देखते हुए सौन्दर्यीकरण कराया जाना

134–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार लखनऊ शहर के कैसरबाग में स्थित सब्जी मण्डी की गन्दगी व दुर्दशा को देखते हुये सौन्दर्यीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत स्थल नजूल भूमि है, जिसका रख–रखाव लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। नगर निगम, लखनऊ द्वारा सौन्दर्यीकरण की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में जिलों को स्मार्ट सिटी बनाने की सरकार की नीति

135–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने जिलों को स्मार्ट सिटी बनाने पर विचार किया जा रहा है ? क्या सरकार ने कोई नीति बनायी है ? यदि हां, तो उक्त नीति का पूरा विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

स्मार्ट सिटी के दिशा–निर्देशों के अनुरूप कुल 12 शहरों का चयन प्रथम चरण हेतु भारत सरकार द्वारा किया गया है। 02 अन्य नगरों मेरठ तथा रायबरेली को चयनित किये जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

स्मार्ट सिटी योजना भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई है तथा इस सम्बन्ध में दिशा–निर्देश भारत सरकार द्वारा निर्गत किये गये हैं। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार स्मार्ट सिटी के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

136–श्री सुरेश राणा–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

जनपद कासगंज स्थित अमापुर के विकास खण्ड सहावर एवं विकास खण्ड सोरों के बन्द अधिकांश हैण्डपम्पों को रि–बोर कराया जाना

137–श्री ममतेश शाक्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कासगंज स्थित अमापुर के विकास खण्ड सहावर एवं विकास खण्ड सोरों के बन्द लगभग 60 से 65 प्रतिशत सरकारी हैण्डपम्पों को सरकार रि–बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

विकास खण्ड–सहावर एवं सोरों में क्रमशः 125 नग एवं 149 नग हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब (बन्द) हैं, जिनमें से क्रमशः 50–50 नग कुल 100 नग हैण्डपम्पों को रि–बोर करा दिया गया है।

हैण्डपम्पों की रि–बोरिंग एक सतत् प्रक्रिया है, जो निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कराये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु नीति

138–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति का कोई प्राविधान नहीं है।

निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं उ0प्र0 निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 में निर्धारित विद्यालय के लिए ''मान और मानक'' में शिक्षणेत्तर कर्मी का मानक निर्धारित नहीं है।

वर्तमान में मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी के अधिसंख्य के पद पर नियुक्ति की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

प्रदेश के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये नीति का निर्धारण

139–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण कराये जाने की योजना वर्ष 2007–08 में प्रारम्भ की गयी। इस सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् है :––

1–विद्युतीकरण हेतु विद्यालयों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन सदस्य रहेंगे।

2–ऐसे विद्यालयों को विद्युतीकरण के लिए चयनित किया जायेगा, जो प्रदेश के विद्युतीकृत गांव में स्थित हों।

3–प्रदेश के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्युतीकरण हेतु पहले 100 छात्रों से अधिक वाले विद्यालयों को विद्युतीकृत किया जाये। तत्पश्चात् छात्रों की संख्या के अवरोही क्रम में उक्त विद्यालयों का विद्युतीकरण किया जाय।

4–एक किलोवॉट का विद्युत कनेक्शन लिया जायेगा।

5–प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्युतीकरण के आन्तरिक वायरिंग के कार्य एवं विद्युत फिटिंग के कार्य ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा ही किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महानगर गोरखपुर में संचालित सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मल्टी ग्रेड क्लास संचालित करने की नीति

140–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में संचालित किन–किन सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मल्टी ग्रेड क्लास संचालित की जा रही है ? क्या सरकार ने इन विद्यालयों में मानकानुसार कमरे बनवाने के लिये कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जनपद गोरखपुर में महानगर के 67 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय एवं शून्य उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मल्टी ग्रेड क्लास संचालित हैं।

जी हां।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के मानकों के अन्तर्गत प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय–सह–भण्डार–सह–प्रधान अध्यापक कक्ष निर्धारित है।

अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्यकता की उपरोक्त मानकानुसार पूर्ति किये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निजी भवन बनाकर शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जाना

141–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में कौन–कौन से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय किराये के भवनों में चल रहे हैं ? क्या सरकार इनके निजी भवन का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

महानगर गोरखपुर के निम्नलिखित प्राथमिक विद्यालय किराये के भवनों में संचालित हैं :––

1–प्राथमिक विद्यालय रायगंज बालक,

2–प्राथमिक विद्यालय रायगंज कन्या,

3–प्राथमिक विद्यालय नसीराबाद,

4–प्राथमिक विद्यालय अधियारी बाग,

5–प्राथमिक विद्यालय बिलन्दपुर,

6–प्राथमिक विद्यालय असुरन प्राचीन,

7–प्राथमिक विद्यालय निजामपुर,

8–प्राथमिक विद्यालय पहाड़पुर,

9–प्राथमिक विद्यालय शास्त्री नगर,

10–प्राथमिक विद्यालय मोहद्दीपुर रेलवे,

11–प्राथमिक विद्यालय बिछिया रेलवे,

12–प्राथमिक विद्यालय रेलवे बौलिया,

13–प्राथमिक विद्यालय झरना टोला,

14–प्राथमिक विद्यालय दरगहिया,

15–प्राथमिक विद्यालय जुबली ब्रान्च,

महानगर गोरखपुर में कोई भी उच्च प्राथमिक विद्यालय किराये के भवन में संचालित नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

किराये के भवनों में संचालित विद्यालयों हेतु निजी भवनों के निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं है।

लखनऊ शहर में खराब पड़े इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों का सर्वे कराकर रि–बोर कराने की सरकार की योजना

142–श्री आशुतोष टण्डन (गोपाल जी)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में खराब पड़े इण्डिया मार्का हैण्डपम्प को क्या सरकार सर्वे कराकर रि–बोर कराने की कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जिला योजना (नगरीय पेयजल) के अन्तर्गत हैण्डपम्पों के रि–बोर का कार्य उपलब्ध बजट व्यवस्था तथा जिला योजना समिति की संस्तुति पर कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में होने वाले साइबर क्राइम की विवेचना हेतु सुयोग्य/दक्ष एवं प्रशिक्षित विवेचकों की नियुक्ति किया जाना

143–श्री नदीम जावेद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में होने वाले साइबर क्राइम की जांच में लगातार पुलिस बल एवं अधिकारियों में प्रशिक्षण एवं अनुभव की कमी आड़े आ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या से निपटने के लिये आवश्यकता के अनुपात में ट्रेनिंग हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं। प्रदेश में होने वाले साइबर क्राइम की जांच/विवेचना के लिए सभी जनपदों में क्राइम ब्रांच के अन्तर्गत साइबर सेल की स्थापना की गयी है। साइबर क्राइम की विवेचाना हेतु सुयोग्य/दक्ष एवं प्रशिक्षित विवेचकों की नियुक्ति की गयी है, जिन्हें समय–समय पर विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्तमान सत्र 2015–16 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिये ग्रीन योजना चलाये जाने के अन्तर्गत जनपद जौनपुर स्थित राजकीय इण्टर कालेज में ग्रीन योजना को लागू किया जाना

144–श्री नदीम जावेद–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा प्रदेश में वर्तमान सत्र 2015–16 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिये ग्रीन योजना चलाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त योजना में जनपद जौनपुर स्थित राजकीय इण्टर कालेज भी शामिल है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

जी नहीं।

जनपद मुख्ययालय पर कोई राजकीय इण्टर कालेज न होने के कारण।

प्रदेश में हो रहे गो–वंश के कटान को रोकने हेतु कठोर कानून बनाया जाना

145–श्री सुरेश राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से हो रहे गो–वंश कटान की सरकार को जानकारी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने के लिये कोई कठोर कानून बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं, प्रदेश में गो–वंश का वध/कटान पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उ0 प्र0 गोवध निवारण अधिनियम, 1955 (यथासंशोधित, 2002) लागू है जिसमें गोवंश का वध/कटान को रोकने हेतु कठोर प्राविधान है।

जनपद लखनऊ में इन्दिरा नगर कालोनी स्थित मुन्शी पुरवा में सीवर तथा इण्टरलाकिंग का कार्य पूर्ण कराया जाना

146–श्री आशुतोष टण्डन (गोपाल जी)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में इन्दिरा नगर कालोनी स्थित मुन्शी पुरवा में सीवर निर्माण गलियों में इण्टरलाकिंग एवं जल निकासी हेतु नाली निर्माण विषयक नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 318 अ वि0पू/08/2015 नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

मुंशी पुरवा गांव में नगर निगम लखनऊ द्वारा टाइल्स एवं नाली का कार्य प्रारम्भ किया गया था परन्तु स्थल पर क्षेत्रीय निवासियों द्वारा कार्य को बन्द करा दिया गया और मांग की गयी कि प्रथमतः यहां सीवर का कार्य कराया जाय, जिसे जल निगम/जलकल विभाग द्वारा कराया जाना है। सीवर कार्य होने के उपरान्त ही रोड एवं नाली का कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वित्त विहीन विद्यालयों में शिक्षकों को मानदेय देने के सन्दर्भ में शासन की नीति की जानकारी

147–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों को मानदेय देने के संदर्भ में शासन ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2016–17 में नीति निर्धारण पर विचार किया जायेगा।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कक्षा–1 से 8 तक के बच्चों की ड्रेस कोड खाकी हटाकर अच्छे कलर में क्वालिटी के आधार पर ड्रेस कोड का निर्धारण किया जाना

148–श्री मनीष असीजा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कक्षा 1–8 तक के विद्यार्थियों की ड्रेस के कपड़े का रंग एवं क्वालिटी खाकी पेंट/खाकी कमीज एवं बच्चियों का खाकी लॉग स्कर्ट खाकी कमीज एवं निजी क्षेत्र के विद्यालयों की तुलना में बहुत अनाकर्षक होने के कारण बच्चों में हीनता का भाव उत्पन्न होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस ड्रेस के कपड़े की क्वालिटी तथा कलर कॉम्बिनेशन को आकर्षक बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

ड्रेस के कपड़े की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जाती है। कलर कॉम्बिनेशन के परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य मंत्री सहायता कोष के माध्यम से पीड़ितों को मिलने वाली धनराशि आन लाइन लाभार्थी के खाते में देने विषयक

149–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री सहायता कोष के माध्यम से पीड़ितों को मिलने वाली सहायता धनराशि सीधे आन लाइन पीड़ित/लाभार्थी के खाते में जमा करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

150–श्री रविदास मेहरोत्रा–

ख्2सरे गुरुवार के अता0प्र0सं0–33 के अन्तर्गत स्थानातरित,

151–श्री नदीम जावेद–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

स्थानीय नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों को सांसदों/विधायको की भांति वेतन प्रदान कराने विषयक सरकार की नीति की जानकारी

152–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चुनकर आने वाले स्थानीय नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों मेयर, चैयरमैन, पार्षद एवं सभासदों के ऊपर जनता की समस्याओं के निदान हेतु एवं जन सुविधा के विकास हेतु योजनायें बनाने का दायित्व होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त क्रिया–कलापों को पूरी निष्ठा एवं लगन से करने पर इन जनप्रतिनिधियों का समय एवं संसाधन दोनों ही व्यय होते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त परिस्थितियों का व्यवहारिक आंकलन करते हुये स्थानीय नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों को सांसदों/विधायकों की भांति वेतन प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगर निगम के पार्षदों को नगर निगम की बैठकों में भाग लेने के लिये प्रतिमाह प्रति पार्षद रु0 1500/– तथा नगर पालिका/नगर पंचायत के सदस्यों को नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों की बैठकों में भाग लेने के लिये प्रतिमाह प्रति सदस्य रु0 1000/– यात्रा भत्ता दिये जाने का प्राविधान है। नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों को सांसदों/विधायकों की भांति वेतन प्रदान करने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

जनपद मथुरा के अन्तर्गत ब्लाक राया, ब्लाक बल्देव एवं ब्लाक फरह में लगी जल निगम की टंकियां/टी0टी0एस0पी0/इण्डिया मार्का–2 को ठीक कराकर जनता को पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाना

153–श्री पूरन प्रकाश–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री के आदेश सी0एम0/ वि0को0/एम0पी0–जी0–10594736/2015, दिनांक 19–3–2015 जो जनपद मथुरा के अन्तर्गत ब्लाक राया, ब्लाक बल्देव एवं ब्लाक फरह से बनी जल निगम की टंकियों/ टी0टी0एस0पी0/इण्डिया मार्का–2 से क्षेत्री जनता को पेयजल सुनिश्चित कराये जाने संबंधी था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त तीनों ब्लाकों में पेयजल सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जी हां।

जनपद–मथुरा के ब्लाक–राया, बल्देव एवं फरह में निर्धारित मानक से अधिक हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। विकास खण्ड–राया, बल्देव एवं फरह में क्रमशः 17, 16 एवं 14 पाइप पेयजल योजनाएं भी पूर्व में निर्मित हैं।

उक्त के अतिरिक्त 10000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों, पूर्व में घोषित गुणता प्रभावित बस्तियों में पाइप पेयजल योजना विरचित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने सम्बन्धी शासन की नीति के अन्तर्गत विकास खण्ड राया में 06, बल्देव में 06 एवं फरह में 10 कुल 22 पेयजल योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिनमें से 12 पेयजल योजनओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम गोरखपुर के मुहल्ला काजीपुर खुर्द गार्गी स्कूल की उत्तरी दीवार पर अतिक्रमण का प्लास्टिक सीट डालकर कुछ लोगों द्वारा व्यापार करने की शिकायत तथा अतिक्रमण को हटाने की मांग

154–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम गोरखपुर के मुहल्ला काजीपुर खुर्द, गार्गी स्कूल की उत्तरी दीवार पर अतिक्रमण कर प्लास्टिक शीट डाल कर कुछ लोगों द्वारा व्यापार किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत अतिक्रमण दिनांक 14–03–2014 को हटा दिया गया था, तत्पश्चात् उक्त स्थल पर पुनः अतिक्रमण कर लिया गया है। उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिये जिला प्रशासन से नगर निगम द्वारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट व पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। अपेक्षित सहयोग उपलब्ध होते ही उक्त अतिक्रमण हटा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर आयुक्त नगर निगम गोरखपुर के पत्रांक–68 दिनांक 21 मई, 2013 द्वारा जिलाधिकारी, गोरखपुर को अतिक्रमण हटाने हेतु भेजा गया पत्र, कृत कार्रवाई की जानकारी

155–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर आयुक्त, नगर निगम–गोरखपुर के पत्रांक संख्या–68/न0आ0/रेन्ट 2012–13 दिनांक 21 मई, 2013 द्वारा जिलाधिकारी गोरखपुर से अतिक्रमण हटाने हेतु मजिस्ट्रेट व पुलिस बल दिये जाने का अनुरोध किया है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

अपरिहार्य कारणों से संदर्भगत–पत्र के क्रम में मजिस्ट्रेट व पुलिस बल उपलब्ध न होने के कारण अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। नगर निगम द्वारा पुनः पुलिस

अधीक्षक, गोरखपुर को प्रेषित किये गये पत्र दिनांक 06 मार्च, 2014 के क्रम में अतिक्रमण हटाने हेतु अगली नियत तिथि दिनांक 14–03–2014 को पुलिस बल के सहयोग से प्रश्नगत स्थल से अतिक्रमण हटा दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

क्लीन स्कूल–ग्रीन स्कूल योजना के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़, से शान्ती देवी राजकीय कालेज दौरऊ मोड़ बालिका स्कूल की इस योजना के तहत आधुनिक बनाने का प्रकरण

156–श्री दलवीर सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्लीन स्कूल–ग्रीन स्कूल योजना अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ से शान्तिदेवी राजकीय इण्टर कालेज दौरऊ मोड़ बालिका स्कूल का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बालिका स्कूल को इस योजना के तहत आधुनिक बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में यातायात पुलिस की तैनाती मानक के आधार पर किया जाना

157–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में यातायात पुलिस मानक के अनुसार तैनात नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार मानक के अनुसार यातायात पुलिस की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं। जनपद अलीगढ़ में यातायात पुलिस के स्वीकृत नियतन (यातायात उप निरीक्षक–01, यातायात मुख्य आरक्षी–04 एवं यातायात आरक्षी–40) के सापेक्ष वर्तमान में सभी यातायात कर्मी मानक के अनुसार नियुक्त हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धी प्रकरण

158–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 में निर्धारित विद्यालय के लिए मान व मानक में शिक्षणेत्तर कर्मियों का मानक निर्धारित नहीं है।

कान्यकुब्ज इण्टर कालेज (वर्तमान में जय नारायण इण्टर कालेज) चारबाग के नाम कितनी जमीन है तथा उस पर अवैध कब्जा की जांच कराने की मांग

159–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कान्यकुब्ज इण्टर कालेज चारबाग, लखनऊ के नाम वर्तमान समय में कितनी जमीन है, उक्त जमीन में से कितनी जमीन जय नारायन डिग्री कालेज व बप्पा नारायन डिग्री कालेज व इण्टर कालेज को बगैर उच्च अधिकारियों की अनुमति प्राप्त किये नियमों के विपरीत लीज पर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराते हुये उक्त कार्य में संलिप्त लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर कार्रवाई करने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

कान्यकुब्ज इण्टर कालेज (वर्तमान में जयनारायण इण्टर कालेज), चारबाग, लखनऊ के नाम वर्ष 1934 में लखनऊ इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट द्वारा 31 बीघा 08 बिस्वा 17 विस्वांसी का शास्वत पट्टा किया गया था। इसकी जमीन, जय नारायण डिग्री कालेज व बप्पा नारायन डिग्री कालेज व इण्टर कालेज को लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में, मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को जांच के निर्देश दिये गये हैं।

जांच के निर्देश दिये जा चुके हैं।

जांच आख्या प्राप्त होने पर अधिनियमित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व विधायकों की मंहगाई मूल सूचकांक के आधार पर पेंशन, किराया भत्ता व स्वास्थ्य सेवा भत्ता बढ़ाने की मांग

160–प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंहगाई मूल सूचकांक के आधार पर पूर्व विधायकों की पेंशन, किराया भत्ता व स्वास्थ्य सेवा भत्ता बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

पूर्व विधायकों को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) अधिनियम, 1980 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत पेंशन, पारिवारिक पेंशन, रेल कूपन आदि की सुविधायें अनुमन्य करायी जाती हैं। उक्त अधिनियम में पूर्व सदस्यों को अनुमन्य पेंशन मंहगाई सूचकांक पर आधारित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। पूर्व सदस्यों को किराया भत्ता व स्वास्थ्य सेवा भत्ता की सुविधा अनुमन्य नहीं है। अतः इन्हें मंहगाई सूचकांक पर आधारित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

161–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

ख्2सरे गुरुवार के अता0प्र0सं0–34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।,

अलीगढ़ महानगर में खराब यातायात व्यवस्था के सुधारने हेतु सरकार की प्रभावी कार्ययोजना की जानकारी

162–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ महानगर में खराब यातायात व्यवस्था को सुधारने हेतु सरकार द्वारा कोई प्रभावी कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित किये जाने हेतु जनपद अलीगढ़ के अतिरिक्त प्रदेश के 11 जनपदों में ''एकीकृत यातायात प्रबन्धन प्रणाली'' को लागू किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। इस हेतु उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन के माध्यम से कन्सलटेन्ट का चयन कर लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत इन सभी जनपदों में यातायात के आधुनिक संकेतों की स्थापना के साथ–साथ चौराहों की अभियांत्रिकी में सुधार, सड़कों पर लगाये जाने वाले चिन्हों में सुधार तथा सूचनात्मक संकेतों में वृहद सुधार किया जायेगा।

2–यातायात के सुगम संचालन हेतु पुलिस कर्मियों को आधुनिकतम यातायात उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं तथा भविष्य में 'आधुनिकीकरण योजना' तथा उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात प्रबन्धन निधि से आधुनिक यातायात उपकरणों को क्रय कर इन्हें आधुनिक सुविधाओं से व्यवस्थित किये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

3–यातायात पुलिस द्वारा सोशल मीडिया (ट्विटर, व्हाटसएप, फेसबुक) के माध्यम से प्रभावी जनसंवाद स्थापित किया जा रहा है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत यातायात संचालन योजना (ट्रैफिक रेग्युलेशन), यातायात परामर्श (ट्रैफिक एडवाइजरी) तथा यातायात चेतावनी (ट्रैफिक एलर्ट) तत्काल विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य तक पहुंचाये जा रहे हैं। साथ ही जन सामान्य से यातायात सम्बन्धी समस्याओं, सुझाव तथा शिकायतें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होने पर त्वरित गति से उनका निस्तारण किया जा रहा है।

4–यातायात व्यवस्था को सुनियोजित रूप से संचालित करने हेतु सभी जनपदों को पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 31 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत यातायात संचालन के विस्तृत आदेश जारी कर दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर से सहारनपुर–देहरादून रोड ढमोला पुल से जनक नगर (तकिया) में मित्र मण्डल धर्मशाला तक क्षतिग्रस्त सड़क व नाली का निर्माण कराने विषयक

163–श्री राजीव गुम्बर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में सहारनपुर–देहरादून रोड ढमोला पुल से जनक नगर (तकिया) में मित्र मण्डल धर्मशाला तक क्षतिग्रस्त सड़क व नाली का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण हेतु आगणन तैयार किया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर उक्त कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर के जवाहर नगर में नगर निगम की खाली पड़ी भूमि पर लगे कूड़े के ढेर को हटवाकर उस जगह पर पार्क का निर्माण कराया जाना

164–श्री राजीव गुम्बर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के जवाहर नगर में नगर निगम की खाली पड़ी जमीन पर कूड़े का ढेर लगा रहता है जिसके कारण वहां के नागरिकों को गन्दगी से बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पार्क का निर्माण कारायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

संदर्भित स्थल पर पड़े कूड़े को नगर निगम द्वारा हटवा दिया गया है।

उक्त स्थल राम लीला कमेटी (रजि0) बेहट अड्डा को दिनांक 08 अगस्त, 1932 को 90 वर्ष की लीज पर दिया गया था। अतः संदर्भित स्थल पर वर्तमान में पार्क का निर्माण नहीं कराया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

सहारनपुर नगर के जवाहर नगर (बेहट अड्डे) व राधा कृष्ण बैंकट हाल के बीच क्षतिग्रस्त सड़क पर निर्माण कराया जाना

165–श्री राजीव गुम्बर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगर के जवाहर नगर (बेहट अड्डे) व राधा कृष्ण वैंकट हाल के बीच वाली क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगर निगम सीमान्तर्गत जवाहर नगर (बेहट अड्डे) व राधा कृष्ण बैंकट हाल के बीच कोई अभिलेखीय सड़क नहीं है। यह भूमि श्री राम लीला कमेटी (रजि0) बेहट रोड को पूर्व में लीज पर दी गयी है। संदर्भित स्थल भूमि का ही अंश है तथा रास्ते की भूमि नहीं है, जिसका निर्माण नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा में दिल्ली गेट के पास काले के ताल की आन्तरिक सड़कों व नालियों का निर्माण

166–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में दिल्ली गेट के पास काले के ताल की आन्तरिक सड़कें व नालियां जर्जर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़कों एवं नालियों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सड़क क्षतिग्रस्त है।

आगरा में दिल्ली गेट के पास काले के ताल की आन्तरिक सड़क का इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा फर्श एवं नाली निर्माण कार्य का आगणन तैयार कराया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में गैस गोदाम वाली गली से सोंठ की मण्डी तक एवं तेगबहादुर कालोनी से सिकन्दरा तक आन्तरिक क्षतिग्रस्त सड़कों व नालियों का निर्माण

167–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में गैस गोदाम वाली गली से सोंठ की मण्डी तक एवं तेग बहादुर कालोनी से सिकन्दरा तक की आन्तरिक क्षतिग्रस्त सड़कों एवं नालियों का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

गैस गोदाम वाली गली में पूर्व में क्षतिग्रस्त भाग पर पैच मरम्मत का कार्य करा दिया गया है तथा उक्त मार्ग आवागमन हेतु सुगम है। तेग बहादुर कालोनी की आन्तरिक सड़क आवागमन हेतु सुगम है एवं नालियां बनी हुई हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर में कृष्णा कालोनी सिकन्दरा तथा कुंमर कालोनी खन्दारी की मेन सड़क व नाली के निर्माण कराये जाने विषयक

168–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में कृष्णा कालोनी सिकन्दरा तथा कुंमर कालोनी खन्दारी की मेन सड़क व नाली का निर्माण नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क व नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सड़क क्षतिग्रस्त है।

आगरा में कृष्णा कालोनी सिकन्दरा की सड़क एवं नाली निर्माण कार्य हेतु हरीपर्वत जोन–1 कक्ष संख्या–68 कैलाश मार्ग पर देव मेडीकल के मकान से बांईपुर रोड सुभाष गौतम तक हॉटमिक्स प्लान्ट से सड़क सुधार एवं साईड पटरी पर इण्टरलॉकिंग कार्य का आगणन एवं कुंमर कालोनी खन्दारी के मुख्य मार्ग का हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण एवं नाली मरम्मत कार्य का आगणन तैयार कराया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर ही कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर की फ्रेन्डस कालोनी, दयालबाग की क्षतिग्रस्त सड़कों एवं नालियों का निर्माण किया जाना

169–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर की फ्रैन्ड्स कालोनी, दयालबाग की क्षतिग्रस्त सड़कों एवं नालियों का सरकार निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत मार्ग क्षतिग्रस्त है, जिसका हॉटमिक्स द्वारा निर्माण एवं नाली मरम्मत कार्य का आगणन तैयार कराया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

सहारनपुर नगर के मोहल्ला गोपाल नगर में श्यामलाल बाटला के मकान से लेकर बलवीर सेठी के घर होते हुए मनीष तनेजा के मकान तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया जाना

170–श्री राजीव गुम्बर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगर के मोहल्ला गोपालनगर में श्यामलाल बाठला के मकान से लेकर बलवीर सेठी के घर से होते हुये मनीष तनेजा के मकान तक की क्षतिग्रस्त सड़क का सरकार निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण हेतु आगणन तैयार कर लिया गया है। धन की उपलब्धता पर उक्त कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

सहारनपुर नगर में सहारनपुर कोर्ट दीवानी कचेहरी की दीवार से आशा मार्ड स्कूल से आगे तक क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण का प्रकरण

171–श्री राजीव गुम्बर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगर में सहारनपुर कोर्ट दीवानी कचेहरी की दीवार से आशा मार्ड स्कूल से आगे तक मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण आये दिन स्कूली बच्चों के चोटिल होने की घटनायें घटती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत क्षतिग्रस्त मार्ग के सुधार हेतु आगणन तैयार कर लिया गया है। धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर नगर पेपर मिल रोड पर राज बिहार कालोनी गेट नं0–3 की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया जाना

172–श्री राजीव गुम्बर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद सहारनपुर नगर पेपर मिल रोड पर राज विहार कालोनी गेट नं0–3 की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत सड़क निर्माण एवं नाली मरम्मत के कार्य का आगणन तैयार किया गया है। सक्षम अनुमोदन के उपरान्त निविदा आमंत्रित कर कार्य करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में रामबाग, बैरहना, मुट्ठीगंज, अल्लापुर आदि स्थानों पर नालों की सफाई न होने से गन्दा पानी सीवर के ऊपर बहने के कारण ठीक कराने की मांग

173–श्री दीपक पटेल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में रामबाग, बैरहना, मुट्ठीगंज, अल्लापुर आदि स्थानों पर नालों की सफाई न होने से सीवर चोक

होने के कारण गन्दा पानी सीवर के ऊपर से बहता रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या से निजात दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

नगर निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष कार्ययोजना बनाकर नगर में स्थित सभी नालों/नालियों की सफाई का कार्य अतिरिक्त सफाई मजदूर लगाकर माह अप्रैल से प्रारम्भ कर वर्षा ऋतु से पूर्व पूर्ण कराया जाता है। वर्ष 2015 में नगर के समस्त क्षेत्रों के साथ ही साथ रामबाग, बैरहना, मुट्ठीगंज, अल्लापुर क्षेत्र में स्थित नालों/नालियों का सफाई कार्य कराया गया है। उक्त के अतिरिक्त नियमित रूप से भी वार्ड स्तर में तैनात सफाई कर्मचारियों से सड़कों, गलियों एवं नालों/नालियों की सफाई का कार्य भी कराया जाता है।

उरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में मार्च, 2012 से दिसम्बर, 2015 तक व्यापारियों से रंगदारी वसूलने वाले अपराधियों पर सख्ती से निपटने हेतु व्यापारी सेल गठित करने का प्रकरण

174–श्री सुरेश राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मार्च, 2012 से दिसम्बर, 2015 तक कितने व्यापारियों से रंगदारी की मांग आपराधिक तत्वों द्वारा की गयी है तथा इस दौरान कितने व्यापारियों की हत्या की गयी है ? क्या सरकार इसे रोकने के लिये व्यापारी सेल का गठन कर रही है ? यदि हां, तो विस्तृत प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में मार्च, 2012 से दिसम्बर, 2015 तक अपराधिक तत्वों द्वारा व्यापारियों से रंगदारी की मांग करने एवं उनमें व्यापारियों की हत्या किये जाने सम्बन्धी विवरण निम्नवत् है :–

अवधि	व्यापारियों से रंगदारी की मांग आपराधिक तत्वों द्वारा की गयी, कुल मामलों की संख्या	रंगदारी मांगे जाने पर हुई व्यापारियों की हत्या की कुल संख्या
1	2	3
मार्च, 2012 से दिसम्बर, 2015 तक	245	4

प्रदेश में व्यापारियों से रंगदारी मांगने सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0, परिपत्र संख्या–70/2014, दिनांक 13–11–14 द्वारा समस्त जनपदों में ''एण्टी एक्सटोर्सन सेल'' का गठन किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सराफा बाजारों में पिकेट/गश्त की व्यवस्था की जाती है।

व्यापारियों से रंगदारी मांगने, अपहरण तथा डकैती के अपराधों को रोकने के सम्बन्ध में जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, आगरा, बांदा, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, फतेहगढ़, हापुड़, हमीरपुर, महोबा, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चन्दौली, भदोही, मीरजापुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, सोनभद्र, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, में ''एण्टी एक्सटोर्सन सेल'' का गठन किया गया है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के जनपदों में उद्योग बन्धुओं एवं व्यापारियों की सुरक्षा हेतु समय–समय पर जनपद स्तर पर बैठक आयोजित कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था/समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जाती है और तद्नुसार उनके उत्पीड़न रोकने व रंगदारी वसूलने व घटनाओं की रोकथाम व उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारियों को समुचित दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड के जनपद–ललितपुर में सूखे एवं घटते हुये जल स्तर से उत्पन्न पेयजल संकट से निजात दिलाने की प्रभावी कार्य योजना

175–श्री फेरन लाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड के जनपद–ललितपुर में सूखे एवं घटते हुये जलस्तर से उत्पन्न पेयजल संकट से निजात दिलाने के लिये सरकार द्वारा कोई प्रभावी कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जनपद ललितपुर में ललितपुर नगर पालिका एवं तालबेहट, महरौनी, पाली नगर पंचायत क्षेत्र हैं। इन नगरों में पेयजल आपूर्ति भारत सरकार के मानक 135 एवं 70 ली0 प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन के अनुरूप की जा रही है। ग्रीष्म ऋतु में घटते जल स्तर को देखते हुए नगर क्षेत्रों हेतु 100 नये, 50 रि–बोर एवं 25 हैण्डपम्पों की विशेष मरम्मत हेतु रु0 106.33 लाख की कार्य योजना बनायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–ललितपुर में सी0पी0 विद्या मन्दिर गोराकलां मडावरा सहित लगभग 50 से अधिक विद्यालय जो बिना मान्यता के चल रहे हैं, की जांच कराया जाना

176–श्री फेरन लाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–ललितपुर में सी0पी0 विद्या मन्दिर गोराकलां मडावरा सहित लगभग 50 से अधिक विद्यालय ऐसे हैं जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे विद्यालयों की जांच

कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

सी0पी0 विद्या मन्दिर गोराकलां मडावरा बिना मान्यता के संचालित पाया गया है, जिसके विरुद्ध कार्यवाही गतिमान है।

जनपद ललितपुर में वर्ष 2015–16 में 42 प्राथमिक एवं जूनियर स्तर के विद्यालयों की मान्यता हेतु विद्यालय प्रबन्धकों द्वारा प्रस्तुत पत्रावलियों पर जांचोपरान्त मान्यता समिति द्वारा निर्णय लिये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

बिना मान्यता के संचालित पाये गये सी0पी0 विद्या मन्दिर गोराकलां मडावरा के विरुद्ध कार्रवाई हेतु नोटिस दी जा चुकी है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–ललितपुर में दूरस्थ विद्यालय जैसे–वारई, वड़वार, वि0ख0 भडावरा सहित लगभग 45 बन्द पड़े विद्यालयों को संचालित किया जाना

177–श्री फेरन लाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–ललितपुर में दूरस्थ विद्यालय जैसे–वारई, वड़वार, वि0ख0 भडावरा सहित लगभग 45 विद्यालय बन्द हैं एवं एक या दो अध्यापकों द्वारा विद्यालय चलाया जाता है वहीं राहर के समीप जैसे रजवारा, बनारी मसौरा मिर्चवारा आदि में स्थित लगभग 30 विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक अध्यापक तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों की जांच कराकर एवं शिक्षकों की समुचित व्यवस्था कर विद्यालयों को पूर्ण रूप से संचालित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

विकास खण्ड/विद्यालयवार सूचना एकत्र की जा रही है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर देहात विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा, ब्लाक राजपुर, ग्राम इन्द्रपुरा में स्थित प्रा0पा0 की बाउन्ड्रीवाल (चहारदीवारी) बनाया जाना

178–श्री इन्द्रपाल सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा, ब्लाक राजपुर, जनपद कानपुर देहात के ग्राम इन्द्रपुरा में स्थित प्रा0पा0 की बाउन्ड्रीवाल न होने के कारण असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रा0पा0 की बाउन्ड्रीवाल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा, ब्लाक राजपुर, जनपद कानपुर देहात के ग्राम इन्द्रपुरा में स्थित प्रा0पा0 की बाउन्ड्रीवाल नहीं है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में चहारदीवारी हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण चहारदीवारी का निर्माण नहीं कराया जा सका है।

उपरोक्त प्राथमिक विद्यालयों हेतु 200 मीटर की चहारदीवारी का प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2016–17 में किया जा रहा है।

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2016–17 में चहारदीवारी निर्माण हेतु भारत सरकार से स्वीकृति उपरान्त कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर देहात के क्षेत्र सिकन्दरा के ग्राम इन्द्रपुरा ब्लाक राजपुर में बने प्रा0वि0 की चहारदीवारी तथा पीने के पानी की व्यवस्था

179–श्री इन्द्रपाल सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात के ग्राम इन्द्रपुरा ब्लाक राजपुर में बने प्रा0वि0 की बाउन्ड्रीवाल नहीं बनी है तथा हैण्डपम्प दूषित पानी दे रहा है जिससे छात्रों व शिक्षकों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय की बाउन्ड्रीवाल बनवाने एवं स्वच्छ पानी की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात के ग्राम इन्द्रपुरा ब्लाक राजपुर में संचालित प्राथमिक विद्यालय में चहारदीवारी नहीं है तथा हैण्डपम्प खराब था।

उक्त प्राथमिक विद्यालय हेतु 200 मीटर की चहारदीवारी का प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2016–17 में किया जा रहा है।

खराब हैण्डपम्प उ0 प्र0 जल निगम द्वारा रि–बोर करा दिया गया है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना

180–श्री नदीम जावेद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिये केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1981 में जस्टिस जसवन्त सिंह आयोग का गठन किया गया था तथा आयोग द्वारा वर्ष 1986 में आगरा को उपयुक्त स्थल मानते हुये हाई कोर्ट बेंच की स्थापना किये जाने की सिफारिश की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार जस्टिस जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुये आगरा में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी नहीं।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–1 संघ सूची की प्रविष्टि संख्या–78 की व्यवस्था के अनुसार उच्च न्यायालय, उसकी खण्डपीठ की स्थापना तथा क्षेत्राधिकार का प्रकरण केन्द्र सरकार के विचार का बिन्दु है। अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु भारत सरकार ही सक्षम है।

इस सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 द्वारा भारत के प्रधान मंत्री जी से दिनांक 07–11–1994 एवं दिनांक 05–09–1995 को यह अनुरोध किया गया है कि वह जिस स्थान पर उपयुक्त समझे मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना के विषय में निर्णय लेकर राज्य सरकार को अवगत कराये।

भारत सरकार की अमृत योजनान्तर्गत प्रदेश के मथुरा शहर में सीवरेज कार्य के लिये भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा धनराशि का प्राविधान किया जाना

181–श्री प्रदीप माथुर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत प्रदेश के मथुरा शहर में सीवरेज कार्य के लिये भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा धनराशि का प्राविधान वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–2016 में किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित 'अमृत' योजना के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत मथुरा शहर हेतु सर्विस लेवल इम्प्रूवमेन्ट प्लान तैयार कर उत्तर प्रदेश राज्य की वार्षिक कार्य योजना (सैप) में सम्मिलित किया गया है। राज्य की वार्षिक कार्य योजना (सैप) में मथुरा के सीवर कार्यों हेतु वर्ष 2015–16 में रुपये 42.00 करोड़ प्राक्कलन लागत प्रस्तावित है। प्रस्तावित धनराशि से मथुरा शहर में उपलब्ध सीवर व्यवस्था में सीवरेज हाउस कनेक्शन के कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री योगेश्वर ऋषिकुल इण्टर कालेज मेंहदी गंज, लखनऊ में व्याप्त अनियमितताओं एवं घोटालों की उच्च स्तरीय जांच तथा कार्रवाई हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

182–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री योगेश्वर ऋषिकुल इण्टर कालेज मेंहदी गंज लखनऊ में व्याप्त अनियमितताओं एवं घोटालों की उच्च स्तरीय जांच कराने एवं यथोचित कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य

मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर सं0–पी0जी0 10676894 पत्रांक–सी0एम0वि0को0एम0 / पी0जी0–10676894 / 2015, दिनांक 22–8–2015 में अब तक क्या कार्रवाई हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

श्री योगेश्वर ऋषिकुल इण्टर कालेज मेंहदीगंज, लखनऊ में व्याप्त अनियमितताओं एवं घोटालों की उच्च स्तरीय जांच कराने एवं यथोचित कार्रवाई किये जाने विषयक संदर्भित–पत्र पर शिक्षा निदेशालय के पत्रांक सामान्य (1) द्वितीय / 1676 / 2015–16 दिनांक 18–9–2015 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ को जांच कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं तथा पत्रांक सामान्य (1) द्वितीय / 2693 / 2015–16 दिनांक 25–1–2016 द्वारा जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु स्मरण कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड अकोला के अन्तर्गत ग्राम सिरौली जाटव बस्ती में लगी पानी की टंकी को ठीक कराया जाना

183–श्री कालीचरन सुमन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड अकोला अन्तर्गत ग्राम सिरौली जाटव बस्ती में लगी टी0टी0एस0पी0 पानी की टंकी काफी दिनों से खराब होने के कारण लोगों को पेयजल की विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार खराब पड़ी टी0टी0एस0पी0 पानी की टंकी को सुचारु रूप से चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जी हां।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड अकोला के अन्तर्गत ग्राम सिरौली जाटव बस्ती में अधिष्ठापित स्थाई रूप से बन्द टी0टी0एस0पी0 की मरम्मत हेतु प्राक्कलन स्वीकृत हो चुका है तथा योजना को ठीक किये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गम्भीर प्रकृति के अपराधों में गवाही की सुरक्षा के लिये लागू नीति अथवा कानून की जानकारी

184–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गम्भीर प्रकृति के अपराधों में गवाही देने वाले गवाहों की सुरक्षा के लिये लागू नीति अथवा कानून का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे गवाहों की सुरक्षा हेतु कोई नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

शासनादेश सं0–22/छः–पु–2–2016–700(1)/2001, दिनांक 01–01–2016 में जघन्य अपराध होने पर गवाह को जीवनभय पाये जाने पर 01 सुरक्षाकर्मी 10 प्रतिशत निजी व्यय पर प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है। आवेदक की आर्थिक स्थिति खराब होने अथवा जीवनभय से सम्बन्धित किसी विशिष्ट पहलू के दृष्टिगत जनपद स्तरीय सुरक्षा समिति/मण्डल स्तरीय सुरक्षा समिति एवं शासन स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति को इस व्ययभार को कम किये जाने अथवा निःशुल्क सुरक्षा प्रदान किये जाने का अधिकार है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समस्त अल्पसंख्यक समुदायों के कब्रिस्तानों पर अनिवार्य रूप से सोलर लाइट स्थापित करने हेतु सरकार की नीति

185–श्री मनीष असीजा–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी कब्रिस्तानों पर अनिवार्य रूप से सोलर लाइट की स्थापना कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

शासनादेश संख्या–1052/52–2–2012–2(69)/07टी0सी0–3, दिनांक 10–9–2012 द्वारा प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदायों के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि की सुरक्षा योजना के अन्तर्गत बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने की योजना संचालित है। सोलर लाइट लगाये जाने की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में खन्दारी क्वाटर मास्टर प्लान रोड तथा कैलाश बिहार कालोनी राशन दफ्तर वाली बिल्लोजपुर वाली सड़कों/नालियों को ठीक कराया जाना

186–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में खन्दारी क्वाटर मास्टर प्लान रोड तथा कैलाश विहार कालोनी राशन दफ्तर वाली बिल्लौचपुर वाली सड़कें एवं नालियां क्षतिगस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों एवं नालियों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

आगरा में खंदारी क्वाटर मास्टर प्लान की सड़क क्षतिग्रस्त है। कैलाश बिहार कालोनी एवं राशन दफ्तर वाली बिल्लोचपुरा की सड़क आवागमन हेतु सुगम है।

आगरा में खंदारी क्वाटर मास्टर प्लान सड़क एवं नाली मरम्म्त कार्य का आगणन धनांक रु0 11.67 लाख का तैयार कराया गया है। उक्त कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

कैलाश बिहार कालोनी की सड़क का पूर्व में नगर निगम, आगरा द्वारा पैच मरम्मत का कार्य करवाया गया है। वर्तमान में कैलाश विहार मार्ग आवागमन हेतु सुगत है।

राशन दफ्तर वाली बिल्लोचपुरा की सड़क आवागमन हेतु सुगम है एवं नालियां भी बनी हुई हैं।

नगर निगम सहारनपुर में सहायक अभि0 एवं अवर अभि0 की कमी को पूरा करने एवं मोहल्ला माधव नगरगढ़ी में जल भराव की समस्या के निदान विषयक–पत्र पर कार्रवाई की मांग

187–श्री राजीव गुम्बर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम सहारनपुर में सहायक अभि0 एवं अवर अभि0 की कमी को पूरा करने एवं मोहल्ला माधव नगरगढ़ी में जल भराव की समस्या का निदान करने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 18–8–2015 पर आपके आदेश संख्या–1638/ 1639/वी0आई0पी0/मा0मं0सं0/न0वि0/ 2015, दिनांक 21–8–2015 द्वारा सचिव नगर विकास को आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

उक्त पत्र पर कार्यवाही करते हुए शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30–12–15 द्वारा श्री रजनीश कुमार मित्तल, अवर अभियन्ता को नगर निगम, सहारनपुर में तैनात कर दिया गया है तथा मोहल्ला माधव नगरगढ़ी में जल भराव की समस्या के दृष्टिगत आवश्यक कार्रवाई हेतु शासन के पत्र दिनांक 10–09–15 द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर को निर्देश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में दिल्ली रोड पर बसन्त बिहार में रैनबो स्कूल से इनफैट जी0एस0 स्कूल तक के क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण किया जाना

188–श्री राजीव गुम्बर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद सहारनपुर में दिल्ली रोड पर बसन्त विहार में रैनबो स्कूल से इनफैंट जी0एस0 स्कूल तक के क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत क्षतिग्रस्त सड़क के मरम्मत हेतु आगणन तैयार किया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जा सके।

उपरोक्तानुसार।

सहारनपुर नगर में सहारनपुर बेस्ट रोड शकुन्तरी बिहार में मेन गली तथा ट्रैक्टर वाली क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराया जाना

189–श्री राजीव गुम्बर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगर में सहारनपुर बेहट रोड शाकुन्तरी बिहार की मेन गली में ओम प्रकाश के मकान से बवनोद ट्रैक्टर वाली गली में कम्बोज के मकान तक की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत क्षतिग्रस्त सड़क के मरम्मत हेतु आगणन तैयार किया गया है। उक्त कार्य 14वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। नियमानुसार स्वीकृति उपरान्त कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड चाका स्थित ग्राम सभा डभांव (कोटिया) में पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाना

190–श्री दीपक पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–इलाहाबाद के विकास खण्ड चाका स्थित ग्राम सभा–डभॉव (कोटिया) में पीने के पानी की सप्लाई हेतु टंकी का निर्माण किया गया किन्तु पाइप लाइन का कार्य अधूरा होने के कारण सप्लाई नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टंकी से पाइप लाइन दुरुस्त कराकर जल आपूर्ति सुनिश्चित करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड चाका के अन्तर्गत ग्रामसभा–डभांव (कोटिया) में पेयजल आपूर्ति हेतु दादूपुर ग्राम समूह पेयजल योजना 30 वर्ष पूर्व तत्समय की जनसंख्या के आधार पर विरचित की गयी थी। वर्तमान में योजना हेतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने, नलकूप का स्राव कम होने एवं ग्राम का विस्तार होने के कारण ग्रामसभा में आंशिक जलापूर्ति ही सम्भव हो पा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में चालू परियोजनाओं तथा सांसद आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत नयी परियोजनाओं पर ही धनराशि उपलब्ध कराये जाने के कारण उपरोक्त योजना का पुनर्गठन वर्तमान वित्तीय वर्ष में कराया जाना सम्भव नहीं है।

गणमान्य व्यक्तियों के निधन पर छुट्टी, राजकीय शोक मनाने आदि के सम्बन्ध में शासनादेश

191–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में क्या मरणोपरान्त विधायकों/सांसदों को प्रोटोकाल के तहत प्रशासन द्वारा श्रद्धांजलि (सम्मान) देने का कोई शासनादेश है ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से सूचना दिये जाने के बावजूद भी वाराणसी उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के सन् 1969 से 1974 तक विधायक रहे एवं वाराणसी संसदीय क्षेत्र से तीन बार सांसद रहे श्री शंकर प्रसाद जायसवाल का निधन 03 जनवरी, 2016 को हो गया जिनकी 04 जनवरी, 2016 को हुई अन्त्येष्टि में उक्त प्रोटोकाल का अनुपालन न करने का क्या कारण है ? प्रोटोकाल का अनुपालन न करने के लिये दोषियों के विरुद्ध क्या सरकार कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां

गणमान्य व्यक्तियों के निधन पर छुट्टी, राजकीय शोक मनाने आदि के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–775(3)/तीन–2006–28(2)–2001 जारी किया गया है। उक्त के अनुपालन हेतु समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को शासन के पत्र दिनांक 11–10–2006 द्वारा आवश्यक कार्यवाही निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार सूचना प्राप्त होने पर अपर नगर मजिस्ट्रेट (तृतीय) अपने हमराह के साथ उनके आवास पर गये थे एवं उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर शव यात्रा में सम्मिलित हुए थे। जहां तक अन्त्येष्टि के दौरान पुलिस सम्मान प्रदान किये जाने का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी द्वारा सूचित किया गया है कि, उन्हें अथवा उनके किसी अधीनस्थ अधिकारी को किसी भी माध्यम से मा0 पूर्व सांसद के निधन की सूचना नहीं प्राप्त हुयी थी, जिसके कारण अन्त्येष्टि के दौरान पुलिस सम्मान प्रदान नहीं किया जा सका।

इस प्रकरण के सम्बन्ध में आयुक्त, वाराणसी मण्डल को जांच कर आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करने के लिये समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों को शासनादेश संख्या–775(3)/ तीन–2006–28(2)–2001 में उल्लिखित एतद्विषयक निर्देशों का सम्यकरूपेण अनुपालन करने हेतु पुनः निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जमीन जायजाद आदि की खरीद–फरोक्त में बढ़ायी गई फीस को कम कराये जाने का प्रकरण

192–श्री नदीम जावेद–

क्या स्टाम्प, पंजीयन एवं न्यायालय शुल्क मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जमीन जायदाद आदि की खरीद–फरोख्त के लिए सरकार ने अधिकतम फीस 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार कर दी है ? यदि हां, तो क्या वर्तमान समय में जमीन जायदाद के कारोबार में आयी गिरावट को देखते हुए सरकार इसे कम करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में निःशुल्क वितरित किये जा रहे ई–रिक्शा योजना में विकलांग जनों का कोटा फिक्स किये जाने की मांग

193–श्री मनीष असीजा–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निःशुल्क वितरित किये जा रहे ई–रिक्शा योजना में विकलांगजनों का कोटा निश्चित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के निजी स्वामित्व मानव चालित रिक्शा चालकों को मोटर/बैटरी चालित रिक्शा निःशुल्क उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत प्रदेश के नगर निकायों में निजी स्वामित्व के पंजीकृत ऐसे रिक्शा चालक जो सम्बन्धित नगर निकाय क्षेत्र के मूल निवासी हैं, मुफ्त ई–रिक्शा प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। चूंकि योजाना में सभी पात्र आवेदकों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है, अतः विकलांगजनों हेतु पृथक से कोटा निश्चित किया जाना व्यवहारिक नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में वर्ष 2011 में जातीय आधार पर कराई गई जनगणना रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग

194–श्री दीपक पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2011 के बाद प्रदेश में जातीय आधार पर जनगणना करायी गयी है ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट का विवरण क्या है एवं क्या सरकार इसे सार्वजनिक करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां। भारत सरकार द्वारा प्रदेश में ''सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना–2011'' करायी गयी है।

उक्त रिपोर्ट में परिवारों का वर्गवार विवरण, लिंग विश्लेषण, विकलांगों की संख्या, घर का प्रकार, परिवारों की भूमि की स्थिति, परिसम्पत्तियों की मालिकाना स्थिति, शिक्षा का स्तर, रोजगार एवं आय, वंचित परिवारों आदि का विवरण है।

सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना भारत सरकार द्वारा करायी गयी है जिसे ूमइेपजम ीजजचरूध्ध्मबबण्हवअण्पद एवं ीजजचरूध्ध्मबब2011ण्दपबएपद पर भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक किया गया है।

जनपद मिर्जापुर के मड़िहान विधान सभा क्षेत्र के राजगढ़ विकास खण्ड का विभाजन करके एक नया विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में

195–श्री ललितेशपति त्रिपाठी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के मड़िहान विधान सभा क्षेत्र के राजगढ़ विकास खण्ड का विभाजन करके एक नया विकास खण्ड बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

प्रदेश में नये ब्लाक के गठन के सम्बन्ध में मानक निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मानक निर्धारित होने के उपरान्त जनपद मिर्जापुर के मड़िहान विधान सभा क्षेत्र के राजगढ़ विकास खण्ड का विभाजन करके एक नये विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में तत्समय नियमानुसार विचार किया जायेगा।

जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत मवई पटरंगा सम्पर्क मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण बनाये जाने की मांग

196–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत मवई पटरंगा सम्पर्क मार्ग पर बड़े–बड़े गड्ढे हो जाने के कारण बरसात में जलभराव होने से नागरिकों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जी हां। प्रश्नगत मार्ग प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना–2 के अन्तर्गत उच्चीकरण हेतु स्वीकृत है। मार्ग की कुल लम्बाई 12.20 कि0मी0 है। उक्त मार्ग हेतु वर्तमान में निविदा प्रक्रिया प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर में छावनी परिषद् के सरकारी आवासों (जजेज कालोनी) मरम्मतीकरण हेतु प्रश्नकर्त्ता का पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

197–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 02–12–15 सं0–741110 जो जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र स्थित विभिन्न सरकारी आवासों (जजेज कालोनी) में मरम्मतीकरण एवं विकास कराये जाने के सन्दर्भ में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(माननीय अध्यक्ष के पीठासीन होने के पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश सदस्य वेल में उपस्थित थे)

(वेल से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बर्खास्त करो–बर्खास्त करो मंत्री को बर्खास्त करो के नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने–अपने आसन पर जाएं।

(वेल में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जीतेंगे भाई जीतेंगे पूरे प्रदेश में जीतेंगे का नारा लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपनी–अपनी जगह पर बैठें।

ख्समय 12.21,

(इसी मध्य श्री अध्यक्ष के बार–बार अनुरोध पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपने–अपने आसन पर चले गए)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी कल जिस प्रकार से सदन की कार्यवाही में जिस प्रकार से सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने जो टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी को इंगित करके करी है वह अपने आपमें शर्मनाक भी है आपत्तिजनक भी है उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी को और पूरे व्यापारी समाज को बहुत ठेस लगी है। इसलिए आज नियम–311 का यह नोटिस देना पड़ा हम यह चाहते हैं कि सरकार इस बात को स्पष्ट करे कि सरकार व्यापारियों के सम्बंध में क्या विचार रखती है। और सरकार इस बात के लिए माफी मांगे कि जो कुछ भी कहा गया वह गलत है और सरकार इस बात के लिए माफी मांगे।

नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी कोई भी वर्ग हो समाज का सरकार के लिए समाजवादी पार्टी के लिए सबका बराबर से सम्मान है। व्यापारी वर्ग बहुत सम्मानित वर्ग है और शायद आपको याद हो हमारी ही सरकार में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई थी जो खुद तो कुर्सी पर बैठे रहते थे और उनकी टेबल के सामने व्यापारी के लिए कुर्सी नहीं होती थी और इसके लिखित निर्देश जारी किए गए कि व्यापारी छोटा हो या बड़ा उसके लिए अधिकारी को कुर्सी रखनी होगी यह हमने किया था और किसी ने नहीं किया। जहां तक सम्मान का सवाल है किसी तरह के अपमान का सवाल इसलिए नहीं उठता कि आप भी राजनीति कर रहे हैं और हम भी अगर इतने बड़े वर्ग का सम्मान नहीं करेंगे उनका अपमान करेंगे उनके लिए अपशब्द बोलेंगे तो यहां नहीं कहीं न कहीं उसकी सजा हमें जरूर मिलेगी। हमें भी उनका वोट चाहिए आपको भी चाहिए अब

कितना किसके हिस्से में आए यह अलग की बात है अगर कोई ऐसी बात हुई है हालांकि जो लिखित वक्तव्य है भाषण का लिखित पोर्शन है उसमें जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उनका कोई मतलब ही नहीं है वह कोई मुहावरा ही नहीं है इस अंदाज से लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा भाव बनता है और आपको ऐसा अहसास होता है कि अपमान किया गया है तो हमें उसका दुख है खेद है आपको ऐसा अहसास हुआ हमें उसकी तकलीफ है हम उसके लिए माजरत चाहते हैं।

ख्समय 12.25, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 16–2–2016 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 29 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें से 15 सूचनाएं स्वीकार की गईं।

पहली सूचना श्री ममतेश शाक्य की जनपद कासगंज की नगर पंचायत मोहनपुर को ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में।

दूसरी सूचना श्री जय प्रताप सिंह की जनपद सिद्धार्थ नगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी के कतिपय ग्रामों को जनपद संतकबीर नगर के मेहदावल फीडर से किये जाने के कारण सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

तीसरी सूचना श्रीमती बिमला बाथम की नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा एफ0एन0जी0 रोड पर अर्जित भूमि के बदले भूखण्ड/अन्य भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।

चौथी सूचना श्री राजीव गुम्बर की सहारनपुर में पेपर मिल रेलवे फाटक व टपरी रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज न होने से हर समय जाम लगने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

पांचवी सूचना श्री अजीमुल हक पहलवान अन्सारी की जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम बेलउवा बरियारपुर में पूर्व प्रधान द्वारा तालाब पर किया गया अवैध कब्जा हटवाने तथा पूर्व प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।

छठी सूचना डा0 मो0 अय्यूब की विकास कार्यो में मुस्लिम व निषाद समाज के लिए क्रमशः 15 व 7.5 प्रतिशत मात्रांकित के सम्बन्ध में।

सातवीं सूचना श्री मनबोध की जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर के विकास खण्ड लार के सभी सरकारी जर्जर भवन का निर्माण/मरम्मत कार्य कराये जाने के संबंध में है।

आठवीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसरॉय के ग्राम सभा बबुरी में स्थित सार्वजनिक क्षतिग्रस्त पोखर का सुन्दरीकरण कराये जाने के संबंध में है।

नवीं सूचना श्री उमेश पाण्डेय की जनपद मऊ के मधुबन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कमल सागर चट्टी से कंधरापुर गांव तक की जर्जर एवं गड्ढायुक्त सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में है।

दसवीं सूचना श्री राधेश्याम की जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर के ब्लाक शुकुल बाजार के कतिपय जीर्ण–शीर्ण संपर्क मार्गों का नवनिर्माण कराये जाने के संबंध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री जगराम पासवान की जनपद लखनऊ स्थित न्यू पारा कालोनी, कुमारपुरम् निकट महादेव अकडमी राजाजीपुरम् में सड़क एवं नाली बनवाने के संबंध में है।

बारहवीं सूचना श्री मो0 इकबाल की जनपद बिजनौर की विधान सभा चांदपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत नानौर के सामने गंगा नदी पर बनने वाला अपूर्ण पुल का शीघ्र निर्माण कराये जाने के संबंध में है।

तेरहवीं सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के अंतर्गत क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है।

चौदहवीं सूचना श्री सुदेश शर्मा की जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के विकास खण्ड भोजपुर के अंतर्गत कतिपय जीर्ण–शीर्ण एवं गड्ढायुक्त सड़कों का निर्माण कराये जाने के संबंध में है।

पन्द्रहवीं सूचना श्री अमर पाल शर्मा की जनपद गाजियाबाद विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद के खोड़ा एवं पप्पू कालोनी के आठवीं तक के स्कूलों को इण्टरमीडिएट तक उच्चीकृत किये जाने के संबंध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं वे क्रमशः श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्री मनीष असीजा, श्री रविन्द्र भड़ाना, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री काली चरन सुमन, श्री गजेन्द्र सिंह, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद–कासगंज की नगर पंचायत मोहनपुर को ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में

नियम–301 अन्तर्गत सूचना

श्री ममतेश शाक्य–

ख्मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान **<u>जनपद कासगंज की नगर पंचायत मोहनपुर को ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में</u>** स्थानीय निवासियों की मांग की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद कासगंज अन्तर्गत उक्त नगर पंचायत सिड़पुरडा, गंजडुडवारा, सहावर तथा अमांपुर आदि क्षेत्रों के मध्य में स्थित है। अगर उक्त नगर पंचायत को ब्लाक बना दिया जाय तो स्थानीय निवासियों को काफी

नोट :–ख, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सुविधा हो जायेगी तथा क्षेत्र का समुचित विकास भी हो सकेगा। मोहनपुर भौगोलिक दृष्टि से भी केन्द्र में होने के कारण एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

अतएव स्थानीय निवासियों की भावनाओं एवं सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए मोहनपुर को ब्लाक बनाये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराता हूं।,

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी के कतिपय ग्रामों को जनपद सन्तकबीरनगर के मेहदावल फीडर से किये जाने के कारण सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रताप सिंह–

ख्मान्यवर, जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी के विकास खण्ड खेसरहा अन्तर्गत ग्राम बिशुनपुरवा, बौड़िहार, फरीदाबाद, पाला, भूपतजोत, मैहनुहा, बडडांड आदि कई गांवों में विद्युत आपूर्ति जनपद संतकबीर नगर के मेंहदावल फीडर से किया जा रहा है। दूरस्थ फीडर से विद्युत आपूर्ति किये जाने के कारण इन ग्रामों में कभी भी समय से विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाती है और विद्युत फाल्ट होने पर कई दिनों तक लाइन ठीक न होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। इस क्षेत्र की जनता की मांग है कि यहां की विद्युत आपूर्ति जनपद सिद्धार्थनगर के विद्युत सब–स्टेशन खेसरहा अथवा खैरटिया से जोड़ दिया जाय क्योंकि यह दोनों विद्युत सब–स्टेशन गांवों के समीप है। मेरी मांग है कि व्यापक जनहित में उपरोक्त ग्रामों का विद्युत आपूर्ति मेंहदावल विद्युत सब–स्टेशन के स्थान पर खेसरहा अथवा खैरटिया से जोड़कर विद्युत आपूर्ति किया जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए व्यापक जनहित में उपरोक्त गांवों की विद्युत आपूर्ति मेंहदावल विद्युत सब–स्टेशन के स्थान पर खेसरहा अथवा खैरटिया से जोड़कर किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा एफ0एन0जी0 रोड पर अर्जित भूमि के बदले भू–खण्ड/अन्य भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला बाथम–

ख्मान्यवर, गांव गढ़ी चौखण्डी, बहलोलपुर, सोरखा, सर्फाबाद, जाहिदाबाद एवं अन्य नोएडा के निवासी हैं जिनकी संख्या लगभग 296 है। इनकी भूमि एफ0एन0जी0 मार्ग में अधिग्रहीत कर ली गयी जिसका अभी तक कोई प्रतिकर नहीं दिया गया है और न ही उसके बदले अन्य कोई भूमि/भू–खण्ड का समायोजन किया गया है जबकि इस सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण द्वारा लगभग 75 लोगों को गढ़ी चौखण्डी में उनकी भूमि

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चौखण्डी में उनकी अर्जित भूमि के बदले भूमि समायोजित की गयी है। भूमि के समायोजन में यथाशीघ्र भू–खण्ड/अन्य भूमि आवंटित कराना जनहित में आवश्यक है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करती हूं।,

सहारनपुर में पेपर मिल रेलवे फाटक व टपरी रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज न होने से हर समय जाम लगने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव गुम्बर–

ख्मान्यवर, सहारनपुर से मुजफ्फरनगर–मेरठ–दिल्ली मार्ग पर हरियाणा पंजाब व जम्मू कश्मीर से आने वाले वाहन बहुत अधिक संख्या में चलते हैं। सहारनपुर से मुजफ्फरनगर की ओर नगर के बीच पेपर मिल रेलवे फाटक व टपरी रेलवे फाटक अक्सर वाहनों को बन्द मिलते हैं। जिस कारण उपरोक्त मार्गों पर हर समय जाम लगा रहा है। जाम की स्थिति के कारण बच्चे समय से स्कूल नहीं पहुंच पाते, मरीज समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाते और समय से कर्मचारी एवं जनता अपने गन्तव्य स्थान पर समय से नहीं पहुंच पाती है। जनहित में उपरोक्त रेलवे फाटक पर आवागमन की सुविधा हेतु ओवरब्रिज बनाया जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पेपर मिल रेलवे फाटक व टपरी रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम बेलउवा बरियारपुर में पूर्व प्रधान द्वारा तालाब पर किया गया अवैध कब्जा हटवाने तथा पूर्व प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजीमुल हक पहलवान अन्सारी–

ख्मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम बेलउवा बरियारपुर, पोस्ट खजुरी करौंदी, तहसील अकबरपुर की तरफ ले जाना चाहता हूं। जहां उक्त ग्राम के पूर्व प्रधान श्री सुख सागर सिंह पुत्र श्री शम्भूनाथ सिंह द्वारा ग्राम सभा के बीच श्री जानकी मौर्य, श्री राजाराम मौर्य, श्री प्रमोद मौर्य व श्री राजकरन वर्मा की आबादी की भूमि पर जबरन तालाब बनाकर वर्षों से मछली पालन किया जा रहा है। उनकी दबंगई के कारण कोई कुछ नहीं कहता है, पर लोगों में असन्तोष व्याप्त है। साथ ही साथ उस तालाब से लगी पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़क निकलती है। उस तालाब की एरिया बारिश के कारण मिट्टी कटकर बहता जा रहा है साथ ही वहां लगाये गये पेड़ भी तालाब में पानी भरने से सूख गये हैं और सड़क धंसती जा रही है, रोड पर सड़क धंसने से गांव के ट्रैक्टर पलट चुके हैं।

मैं चाहता हूं कि पूर्व प्रधान की दबंगई को समाप्त कर वर्षों से तालाब पर किये गये अवैध कब्जा समाप्त कराकर मौर्य परिवार व वर्मा परिवार के वारिसों को दिलवाने व पूर्व प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु आपकी स्वीकृति चाहता हूं।,

---

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विकास कार्यो में मुस्लिम व निषाद समाज के लिये क्रमशः 15 व 7.5 प्रतिशत मात्रांकित हिस्सेदारी के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 मो0 अय्यूब–

ख्मान्यवर, पिछले बजट में सरकार ने मुस्लिम व निषाद समाज के लिये क्रमशः 15 व 7.5 : हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिये व्यवस्था की परन्तु हकीकत में इसका लाभ न तो मुस्लिम समाज को मिला और न ही निषाद समाज को। इससे साफ जाहिर है कि सरकार की मंशा इन दोनों के समाज के प्रति संवेदनशील नहीं है तथा इनके विकास के बजाए इनके वोट लेने की यह सिर्फ साजिश ही रही है।

सरकार यह स्पष्ट करे कि इस स्कीम को लागू होने के बाद विकास के विभिन्न स्कीमों में मुसलमानों और निषाद समाज को प्रदेश में कितने प्रतिशत का लाभ मिला।,

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर के विकास खण्ड लार के सभी सरकारी जर्जर भवन का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनबोध–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के इस विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे जनपद के विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर के विकास खण्ड लार के भवन जर्जर हालत में है। भवनों की हालत इतनी खराब है कि बरसात के दिनों में बरसात का पानी गिरता रहता है जिससे उक्त भवनों में बैठना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में उक्त भवनों का निर्माण/मरम्मत कराया जाना जनहित में आवश्यक है। भवन की हालत को देखकर कोई अधिकारी एवं कर्मचारी बैठने के लिये तैयार नहीं होता है। जिससे क्षेत्र की जनता का कार्य नहीं हो पाता है। इस गम्भीर प्रकरण को लेकर आये दिन क्षेत्र की जनता में आक्रोश व्याप्त रहता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर के विकास खण्ड लार के सभी जर्जर भवनों के निर्माण/मरम्मत कार्य तत्काल कराये जाने की मांग सरकार से करता हूं।,

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के ग्राम सभा बबुरी में स्थित सार्वजनिक क्षतिग्रस्त पोखर का सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बब्बन सिंह चौहान–

ख्मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा बबुरी वि0ख0 सदर, चन्दौली में एक सार्वजनिक पोखरा जो सैकड़ों वर्ष पुराना है पोखरे के आस–पास मन्दिर व देवालय स्थित है पोखरे में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग स्नान ध्यान करके मन्दिर में पूजा पाठ करते हैं।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पोखरे की सीढ़ियां एवं घाट अत्यन्त ही जर्जर हो गयी है। जिसके कारण आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं एवं पानी भी गन्दा रहता है। यहां पर समय–समय पर सांस्कृति कार्यक्रम एवं मेले का आयोजन किया जाता है। जिसे जनहित में सुन्दरीकरण एवं क्षतिग्रस्त सीढ़ियों एवं घाटों को बनवाना अति आवश्यक है। पोखरे के दूषित जल को भी समय–समय पर बदला जाना अति आवश्यक है। उक्त के सम्बन्ध में मेरे द्वारा पत्र सं0–321090, दिनांक 01–02–2016 को जिलाधिकारी, जनपद चन्दौली को अवगत कराया गया था कि उक्त कार्य को जिले की किसी कार्य योजना में सम्मिलित कर अविलम्ब करवा दिया जाये। परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद मऊ के मधुवन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कमलसागर चट्टी से कंधारपुर गांव तक की जर्जर एवं गड्ढायुक्त सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश पाण्डेय–

ख्मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद–मऊ के मेरे विधान सभा क्षेत्र मधुबन के विकास खण्ड–फतहपुर मण्डांव के अन्तर्गत कमलसागर चट्टी से कन्धरापुर गांव तक की सड़क (ल0 लगभग 2.0 कि0मी0) अत्यन्त जर्जर एवं जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है, उक्त सड़क पर कई जगह पर बड़े–बड़े गड्ढे हो गये हैं। क्षतिग्रस्त सड़क पर पैदल चलना भी अत्यधिक कठिन हो गया है। उस क्षतिग्रस्त सड़क पर हजारों ग्रामवासियों एवं वाहनों का आवागमन होता है। सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों के साथ आये दिन मार्ग दुर्घटनायें हो रही हैं और राहगीर गम्भीर रूप से घायल हो रहे हैं, क्षेत्रीय जनता द्वारा क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया जा चुका है, परन्तु सरकार द्वारा अभी तक क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अवएव इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार से जनहित में जनपद–मऊ के मधुबन के विकास खण्ड–फतहपुर मण्डांव के अन्तर्गत कमलसागर चट्टी से कन्धरापुर गांव तक (ल0 लगभग 2.0 कि0मी0) की अत्यन्त जर्जर एवं जीर्ण–शीर्ण सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर के ब्लाक शुकुल बाजार के कतिपय जीर्ण–शीर्ण सम्पर्क मार्गों का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम–

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्मान्यवर, जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर के ब्लाक शुकुल बाजार से जैनबगंज कस्बा, सत्थिन चौराहा, रानीगंज बाजार से एन0एच0 56 वारिसगंज तक जोड़ने वाला सम्पर्क मार्ग जिसकी लम्बाई 26 किलोमीटर है तथा एन0एच0 56 जगदीशपुर से ग्राम सत्थिन को जोड़ने वाला सम्पर्क मार्ग जिसकी लम्बाई 12 किलोमीटर है। दोनों सम्पर्क मार्ग अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं जो कि मौजूदा समय में अत्यन्त जर्जर एवं गड्ढायुक्त है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता आये दिन दुर्घटना के शिकार होती रहती है। सड़क पर बड़े–बड़े गड्ढे होने के कारण चल पाना दूभर व मुश्किल हो गया है। दोनों सड़क की विशेष मरम्मत (नवनिर्माण) किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। प्रकरण लोकमहत्व का है।

अतः मान्यवर, उपरोक्त सड़कों/मार्गों का निर्माण कराया जाना जनहित में आवश्यक है व लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद लखनऊ के स्थित न्यू पारा कालोनी कुमारपुरम् निकट महादेव एकेडमी राजाजीपुरम् में सड़क एवं नाली बनवाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगराम पासवान–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद लखनऊ स्थित न्यू पारा कालोनी, कुमारपुरम् निकट महादेव एकेडमी राजाजीपरम् में सड़क व नाली न बनी होने के कारण पानी भर जाने के फलस्वरूप आने–जाने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें।,

जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र चांदापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नानौर के सामने गंगा नदी पर बनने वाला अपूर्ण पुल का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 इकबाल–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे जनपद बिजनौर में स्थित विधान सभा चांदपुर में ग्राम–नाननौर के सामने से जनपद मेरठ की विधान सभा पंचायत हस्तिनापुर को जोड़ने वाले गंगा नदी पर बन रहे पुल का कार्य जो काफी दिनों से रुका हुआ है। उक्त कार्य को शीघ्र प्रारम्भ कराकर पूर्ण कराये जाने हेतु कई बार शासन, प्रशासन स्तर पर मांग की गई परन्तु आज तक जनता की उस मांग पर उक्त कार्य नहीं प्रारम्भ कराया गया है। उक्त कार्य को प्रारम्भ न करवाये जाने के कारण क्षेत्रीय जनता में भारी रोष उत्पन्न हो गया है। किसी समय भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित विषय पर सरकार को शीघ्र कार्य प्रारम्भ करवाये जाने के सरकार को निदेश देने की मांग करता हूं।,

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्गो की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह–

ख्मान्यवर, जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली की निम्नलिखित सड़कें अति क्षतिग्रस्त है। जनहित में निम्न मार्गों की मरम्मत अति आवश्यक है।

1–अलीगढ़ रामघाट मार्ग से हरदुआगंज पुल से इब्राहिमाबाद पुल होते हुए पनैठी साधू आश्रम मार्ग तक।

2–हरदुआगंज से पनैठी साधू आश्रम मार्ग।

3–अलीगढ़ अमरौली मार्ग से हेवतपुर सिया मार्ग।

4–अलीगढ़ अनूप शहर मार्ग से बीरपुर छबिलगढ़ी मार्ग।

5–साधू आश्रम कासिमपुर मार्ग से राजवाहे की पटरी गौधा तक सम्पर्क मार्ग।

6–हरदुआगंज इब्राहिमाबाद मार्ग से ग्राम हरदुआ मार्ग पर सी0सी0 मार्ग।

7–छिडावली सम्पर्क मार्ग।

8–अण्डला ककोला जी0टी0 रोड से सुजापुर मार्ग।

9–सी0टी0के0 से कल्याणपुर मार्ग।

10–त्यौर राजवहा की पटरी सेवा मार्ग।

11–त्यौर राजवहा से कनौरा मार्ग।

12–मोरहना से गभाना बरौली मार्ग।

13–गभाना बरौली मार्ग से पोथी मार्ग।

14–रामघाट रोड अलीगढ़ से तालानगरी होते हुए सपेरा भानपुर मार्ग।

15–अलीगढ़ जवां मार्ग से नगौला मार्ग।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के विकास खण्ड भोजपुर के अन्तर्गत कतिपय जीर्ण–शीर्ण एवं गड्ढ़ायुक्त सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुदेश शर्मा–

ख्मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर, जनपद–गाजियाबाद में विकास खण्ड भोजपुर के अन्तर्गत निम्न सड़कें जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हो चुकी हैं। उक्त सड़कों में बड़े–बड़े गड्ढे हो गये हैं। जिससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में भारी कठिनाई होती है। इन मार्गों पर हाई–वे की तरह अत्यधिक वाहनों का आवागमन होता है। क्षेत्रीय जनता की मांग है कि इस मार्गों को अविलम्ब मरम्मत कराया जाय। यह प्रकरण जनहित से सम्बन्धित है।

1–बिसोखर मदरसे से सिखैडा तक नाले की पटरी पर सड़क निर्माण ल0 लगभग 3 कि0मी0।

2–ग्राम त्योड़ी–13 बिस्वा में अबू बकर मस्जिद से भदौला मार्ग तक लगभग 1.5 कि0मी0।

3–ग्राम त्योड़ी–13 बिस्वा में ईदगाह के पीछे से बड़े मदरसे होते हुए बड़े कब्रिस्तान की पुलिया तक नाला निर्माण कार्य लगभग 350 मी0।

4–ग्राम त्योड़ी–13 बिस्वा में बड़े मदरसे से कब्रिस्तान की पुलिया तक सड़क निर्माण लगभग 300 मी0।

5–अवलपुर से दतैडी मडैंया तक बम्बे के किनारे वाली सड़क का निर्माण कार्य लगभग 6.5 कि0मी0।

6–त्योड़ी–13 बिस्वा से धनतला गांव तक काली सड़क निर्माण लगभग 2. 00 कि0मी0।

7–एन0एच0–58 से नाले की पटरी पर विसोखर मदरसे तक सड़क निर्माण ल0 लगभग 1.5 कि0मी0।

8–मोदीनगर हापुड़ रोड से शाहजहांपुर होते हुए तलहटा तक अति क्षतिग्रस्त सड़क का विशेष मरम्मत कार्य ल0 लगभग 13.5 कि0मी0।

9–कस्बा निवाड़ी से ग्राम सारा को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य ल0 लगभग 6.00 कि0मी0।

10–त्योड़ी–13 बिस्वा की माता से खरखौंदा मार्ग तक सड़क निर्माण कार्य ल0 लगभग 1.5 कि0मी0।

11–महीउद्दीन खरखौंदा मार्ग से ग्राम मुरादाबाद तक के सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कार्य ल0 लगभग 3.00 कि0मी0।

12–मोदीनगर कलछीना मार्ग से आबिदपुर मानकी सम्पर्क मार्ग ल0 लगभग 700 मी0।

अतः मैं चाहूंगा कि जनहित में उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण/मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।,

---

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गाजियाबाद विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद के खोड़ा एवं पप्पू कालोनी के आठवीं तक के स्कूलों को इण्टरमीडिएट तक उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरपाल शर्मा–

ख्मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद खोड़ा कालोनी व पप्पू कालोनी मलिन बस्तियों के आठवीं तक के स्कूलों को इण्टर मीडिएट तक उच्चीकृत किया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें।,

नियम–301 के अन्तर्गत उठाई गई सूचना का उत्तर छः माह बाद भी प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 16 फरवरी, 2016 को नियम–300 के अन्तर्गत एक सूचना प्राप्त हुयी, जो श्री सतीश महाना की विधान सभा के वर्ष 2015 के सत्र के दौरान सितम्बर माह में नियम–301 के अन्तर्गत उठायी गई सूचना का उत्तर 01 माह में दिये जाने के प्राविधान के बावजूद भी लगभग 6 माह बीत जाने पर भी प्राप्त न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री सतीश महाना–

मा0 अध्यक्ष जी, नियमावली के अन्तर्गत और आपके संरक्षण में अभी आपने नियम–301 की सूचनायें लीं। प्रश्नकाल के बाद मा0 सदस्यों के क्षेत्र की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये पहले सूचनायें कम ली जाती थीं, परन्तु आपने उसे बढ़ाकर 15 किया है, यह आपकी सहिष्णुता और आपकी कृपा है। मान्यवर, जिस चिन्ता से आप नियम–301 की सूचनायें लेते हैं, जिसके माध्यम से विधान सभा के अधिकांश मा0 सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याएं रखते हैं। मैंने पिछले दिनों आपको अवगत कराया था कि पिछले वर्ष लगभग 24 दिन विधान सभा चली होगी। इस वर्ष भी विधान सभा कितने दिन चलेगी, यह आप और सदन पर निर्भर करता है। विधान सभा यदि 24 दिन भी चले और एक दिन में आप 15 सूचनाएं लेते हैं तो पूरे प्रदेश की लगभग 350 सूचनाएं सदन में पहुंचती हैं।

पूरे प्रदेश के 75 जिलों के अन्तर्गत 350 सूचनाएं, जिसमें एक जिले की 3–4 से अधिक सूचनाएं नहीं होती होंगी। 400 विधान सभा क्षेत्र हैं, एक विधान सभा क्षेत्र में एक भी नहीं पहुंचती होगी। मान्यवर, आपका जो निर्देश होता है कि एक महीने में उसका जवाब आना चाहिये। जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ है, वर्ष 2015 के नौवें महीने में हमें उत्तर मिल जाना चाहिये था। जिस समय बजट सत्र चल रहा था, उस समय सूचनायें लगायी गयी थीं। अभी तक यह होता रहा है कि कम से कम अगले सदन से पहले सरकार

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इसके ऊपर चेत जाती थी और अगला सदन शुरू होने के पहले बहुत से जवाब हम लोगों को मिल जाते थे। अभी हम लोगों को जो सूचनाएं प्राप्त हुयी हैं, उसमें अप्राप्त लिखा हुआ है, प्रक्रियात्मक विलम्ब लिखा हुआ है। प्रक्रियात्मक विलम्ब तो तब होगा जब सड़क बनाकर सूचना देनी हो। अगर उस प्रोसेस में चलेगी और निर्देश हो गये तो उसको मान लिया जाता है। मान्यवर, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें कि जो एक महीने के अन्तर्गत हम लोगों के द्वारा नियम–301 के अन्तर्गत जो सूचनाएं दी जाती हैं और समस्याएं उठाई जाती हैं, उसका एक महीने के अन्तर्गत जवाब मिल जाये और उसमें सारे काम पूरे हो जायें। उसमें कोई बहुत बड़े काम नहीं होते हैं, कोई सड़क निर्माण से संबंधित है, कोई पुलिया निर्माण से संबंधित है। पूरे जिले के परिवर्तन से संबंधित कोई मांग नहीं होती है। मान्यवर, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि नियम–301 के अन्तर्गत जिसमें मा0 सदस्य अपनी सूचनाएं देते हैं, उसका समय से अनुपालन हो, समय से क्रियान्वयन हो ताकि आगे से इस प्रकार का कोई बंच हमारे पिजनहोल में न मिले। मान्यवर, ऐसे आदेश देने की आप कृपा करेंगे।

माननीय महाना जी, यह सही है कि 30 दिन के अन्दर सूचनाएं देनी थीं। जब इस पर विलम्ब हुआ, टाइम से सूचनाएं नहीं आ पाती थीं तो हमने खुद एक बार सभी अधिकारियों की मीटिंग की थी कि सूचनाएं टाइम से क्यों नहीं आती हैं ? तो अधिकारियों ने आग्रह किया कि साहब, ये सूचनाएं निचले स्तर से इकट्ठा करनी रहती हैं, तो 30 दिन में यह सम्भव नहीं हो पाता है। एक दिन यहां से जाता है, चार दिन बाद हमारे पास आता है, फिर जिले मुख्यालय पर जाता है, फिर नीचे जाता है तो 01 महीने में सूचना देने में दिक्कत हो जाती है, हमें 90 दिन का अवसर दिया जाए तो हमने उन्हें 90 दिन का अवसर दे दिया था। कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं, जैसे आपने लिखा कि यह सड़क बना दी जाय, अब सड़क बनाने का बजट नहीं था, सड़क का बजट पास नहीं हुआ था, सड़क स्वीकृत नहीं हुई थी, इन सब कारणों से भी विलम्ब हो जाता है। फिर भी मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि इसको दिखवा लें। मान लीजिए, जो काम नहीं होने लायक है, वह लिख कर दे दें कि साहब, यह अभी सम्भव नहीं है, यह हो सकता है, बजाय इसके।

सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनाएं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–3 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–4।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का पच्चीसवां प्रतिवेदन[४]

श्री शाकिर अली–

[४] छापा नहीं गया।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का पच्चीसवां प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2004–2005 तथा रिपोर्ट वर्ष 2010–2011 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का छब्बीसवां प्रतिवेदन४

श्री शाकिर अली–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का छब्बीसवां प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2003–2004 एवं रिपोर्ट वर्ष 2004–2005 तथा रिपोर्ट वर्ष 2005–2006 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश मध्यांचल विद्युत वितरण निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का सत्ताइसवां प्रतिवेदन४

श्री शाकिर अली–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का सत्ताइसवां प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2005–2006 एवं रिपोर्ट वर्ष (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का अट्ठाइसवां प्रतिवेदन४

श्री शाकिर अली–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का अट्ठाइसवां प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2010–2011 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश वन निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का उन्तीसवां प्रतिवेदन४

श्री शाकिर अली–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का उन्तीसवां प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2004–2005 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश जल निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का तीसवां प्रतिवेदन४

श्री शाकिर अली–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का तीसवां प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1983–1984 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का इकत्तीसवां प्रतिवेदन४

श्री शाकिर अली–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का इकत्तीसवां प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2000–2001 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लि0 से सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2005–2006 के चौबीसवां प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन प्रतिवेदन है, प्रस्तुत करता हूँ।

ख्समय 12.35,

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का बत्तीसवां प्रतिवेदन४

श्री शाकिर अली–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का बत्तीसवां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1996–1997 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि0 से सम्बंधित सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2003–2004 के सत्रहवां प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन प्रतिवेदन है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का तैंतीसवां प्रतिवेदन४

श्री शाकिर अली–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का तैंतीसवां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2013–2014 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश जल निगम से सम्बंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

---

४ छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का चौंतीसवां प्रतिवेदन[४]

श्री शाकिर अली–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का चौंतीसवां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1997–1998 तथा रिपोर्ट वर्ष 2000–2001 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लि0 से सम्बंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का पैंतीसवां प्रतिवेदन४

श्री शाकिर अली–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015–2016) का पैंतीसवां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1986–1987 तथा रिपोर्ट वर्ष 1994–1995 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 से सम्बंधित सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2002–2003 के प्रथम प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन प्रतिवेदन है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सोलहंवी विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2015–2016) का सोलहवां प्रतिवेदन४

श्री राम खिलाड़ी सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहंवी विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2015–2016) का सोलहवां प्रतिवेदन, जो लघु सिंचाई एवं भू–गर्भ जल विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2009–2010, 2010–2011 तथा 2011–2012 के परीक्षण के सम्बंध में है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सोलहंवी विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2015–2016) का सत्रहवां प्रतिवेदन४

श्री राम खिलाड़ी सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहंवी विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2015–2016) का सत्रहवां प्रतिवेदन, जो परिवहन विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2009–2010, 2010–2011 तथा 2011–2012 के परीक्षण के सम्बंध में है, प्रस्तुत करता हूं।

ख्समय 12.38,

''स्टिंग आपरेशन'' सम्बन्धी जांच समिति का प्रतिवेदन

श्री सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट'–

मान्यवर, मैं अनुमति से ''स्टिंग आपरेशन'' सम्बन्धी जांच समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। मान्यवर, लोकतंत्र में।

श्री अध्यक्ष–

---

[४] छापा नहीं गया।

अब प्रस्तुत कर दिया। क्या बोलेंगे। अच्छा बोलिये।

(प्रतियां वितरित की गईं)

श्री सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट'–

माननीय अध्यक्ष लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ–साथ चौथे स्तम्भ का दर्जा मीडिया को दिया गया है। मीडिया को उतना ही जिम्मेदार होना चाहिए जितनी दूसरी और हैं और साथ ही साथ यह भी सही है कि मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी बहुत ईमानदारी से भी निभाई है। हिन्दुस्तान की आजादी के दौर में इसी मीडिया ने जब अखबारों के माध्यम से जनता का आह्वान किया तो हजारों, लाखों की तादात में लोग सड़कों पर उतरकर आय और एक बड़ा जनआन्दोलन बना जो हमारी आजादी के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ और हमारा वतन आजाद हुआ। महात्मा गांधी जी, गणेश शंकर विद्यार्थी जी, तिलक जी और दादा साहेब आप्टे जी इन लोगों ने भी। जिस तरीके से मीडिया का काम किया और साथ ही साथ मीडिया के माध्यम से जो जनता तक संदेशा पहुंचाया, उसका जनमानस में व्यापक असर हुआ, हजारों, लाखों नौजवान अपनी शहादत देने के लिए और अपने–अपने घरों से निकल कर हिन्दुस्तान की आजादी के लिए काम करने के लिए आगे आये। कहा है किसी ने यह बापू का लेख ही था कि 'चल पड़े जिधर दो डगमग में, उठ गये कोटि पग उसी ओर' यह बापू के विचार और बापू की लेखनी थी, जिसके लिए उनके पीछे लाखों, करोड़ों नौजवान देश का चल पड़ता था। बहुत पुराना इतिहास है हिन्दुस्तान में मीडिया का।

श्री अध्यक्ष–

इसमें भाषण नहीं बहुत होता है, जो आपने संस्तुति की है, उसको रखना चाहिए, भाषण नहीं करना चाहिए।

श्री मौ0 इरफान–

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें हमें भी कुछ बोलना था।

श्री अध्यक्ष–

अभी चर्चा इस पर नहीं हो रही है, अभी संस्तुति प्रस्तुत कर दे रहे हैं, इसमें चर्चा बाकायदा होगी।

श्री सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट'–

मान्यवर, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर आज हम अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं, मेरी यह गुजारिश है, मुझे पूरी बात कहने का मौका दिया जाय। आपकी अगर इतनी हमको मदद मिलेगी तो निश्चित रूप से हम वह बात कह सकेंगे, जो मीडिया तक जानी चाहिए जिसका बहुत बड़ा संदेशा पूरी की पूरी दुनिया को जायेगा और कम से कम हमारे हिन्दुस्तान को जायेगा ही जायेगा। मान्यवर, मैं यही कहना चाहता था कि मीडिया ही थी, जिसने नागार्जुन, वाराहमिहिर, आर्यभट्ट को इतना बड़ा वैज्ञानिक बनाया।

(विपक्ष से आवाज आई कि आर्यभट्ट कौन थे।)

श्री सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट'–

आर्यभट्ट कौन थे, अगर नहीं मालूम है तो पढ़ कर आयें।

श्री अध्यक्ष–

आपने इस रिपोर्ट में क्या संस्तुति की है, उसको पढ़ दीजिए।

श्री सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट'–

मान्यवर, आज जो मीडिया की स्थिति है, वह निश्चित रूप से जैसी होनी चाहिए वह नहीं है। सारा की सारा टी0आर0पी0 का खेल बन कर रह गया है, मीडिया को साधन बना दिया गया व्यापार का और जब व्यापार करने निकले तो पैसे के खेल के आगे यह भूल गये कि इसका क्या असर पड़ेगा हमारे वतन पर, यह भूल गये कि इसका दूसरा निगेटिव और पक्ष क्या होगा, लोगों के मन बटेंगे, लाखों के दिल टूटेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इसमें सिर्फ रिकमण्डेशन आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

आपने इसमें जो रिकमण्डेशन किया, उसको पढ़ दीजिए, इस पर चर्चा बाद में होगी। आप जो संस्तुति किये हैं, वह पढ़िये, आप तो उस पर भाषण कर रहे हैं।

श्री सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट'–

मान्यवर, मैं अपनी रिकमण्डेशन्स आपके सामने रखता हूं।

मुजफ्फरनगर में हुए दंगों से सम्बन्धित आज तक का कतिपय अन्य इलेक्ट्रानिक चैनलों पर प्रसारित स्टिंग आपरेशन की सत्यता की जांच के लिए मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2013 को मेरे सभापतित्व में सात सदस्यीय समिति गठित की गई थी, समिति द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 को अन्तरिम प्रतिवेदन तैयार कर के सदन में प्रस्तुत किया गया था और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आज उत्तर प्रदेश के उस गौरवशाली इतिहास का एक हिस्सा बन रहा हूं। उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने बहुत सारे गौरवशाली कार्य किये हैं और यह भी उसी में शामिल है, इसको आगे बढ़ाते हुए मैं यह कहना चाहता हूं, समिति की कुल 48 बैठकें सम्पन्न हुईं, जिनमें समिति द्वारा प्रकरण की जांच के दौरान मुजफ्फरनगर में तत्समय तैनात उन अधिकारियों का साक्ष्य अभिलिखित किया गया, जिनका स्टिंग आपरेशन किया गया था। समिति द्वारा टी0वी0 टुडे नेटवर्क के उन विभिन्न पदाधिकारियों के भी साक्ष्य अंकित किये गये, जिनकी स्टिंग आपरेशन को सम्पादित करने एवं उसको प्रसारित कराने में भूमिका परिलक्षित हुई। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा टी0वी0टुडे नेटवर्क की ओर से उपलब्ध करायी गयी सामग्री जैसे कि कथित रॉ फुटेज एवं प्रसारित की गयी सी0डी0 आदि की जांच फोरेंसिक विशेषज्ञों से करायी गयी तथा उन्हें साक्ष्य में समाहित किया गया। समिति द्वारा सर्वसम्मत से की गयी संस्तुति समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या 105 से 108 तक अभिलिखित है। समिति के सभापति के रूप में सदन से यह आग्रह करता हूं कि

प्रतिवेदन में वर्णित निष्कर्षों एवं संस्तुतियों के क्रम में माननीय सदन विचारोपरान्त कुछ निर्णय लेने का कष्ट करें। समिति ने प्रतिवेदन में निम्नलिखित संस्तुति की हैः–

उपर्युक्त निष्कर्ष से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में टी0वी0 टुडे नेटवर्क के पदाधिकारी श्री सुप्रिय प्रसाद, मैनेजिंग एडिटर, 'आज तक', श्री मनीष कुमार, आउटपुट हेड 'आज तक', श्री दीपक शर्मा, एडिटर एस0आई0टी0, श्री अरूण सिंह, तत्कालीन रिपोर्टर, 'आज तक', श्री राहुल कंवल, मैनेजिंग एडिटर, 'हेडलाईन्स टुडे', (जिसका नाम वर्तमान में परिवर्तित करके इण्डिया टुडे कर दिया गया है) श्री पुण्य प्रसून बाजपेयी, एडिटर/एंकर 'आज तक', श्री गौरव सावंत, एंकर 'हेडलाईन्स टुडे', सुश्री पद्मजा जोशी, तत्कालीन एंकर, 'हेडलाईन्स टुडे', सदन के वरिष्ठ सदस्य एवं मा0 मंत्री श्री मोहम्मद आज़म खॉ की अवमानना हेतु दोषी हैं। मा0 सदन द्वारा इनके विरूद्ध दण्ड के विषय में निर्णय लिये जाने की संस्तुति की जाती है।

(मेजों की थपथपाहट)

चूंकि टी0वी0 टुडे नेटवर्क की ओर से समिति को मूल रॉ फुटेज एवं वह कैमरा, जिससे स्टिंग आपरेशन शूट किया गया था, उपलब्ध नहीं कराया तथा रॉ फुटेज के स्थान पर अन्य फुटेज यह कहकर उपलब्ध कराये कि वह रॉ फुटेज हैं, अतः यह टी0वी0टी0एन0 के सम्बन्धित पदाधिकारी समिति के विशेषाधिकारों की अवहेलना के भी दोषी हैं। चूंकि समिति सदन का विस्तार होता है अतः इसे सदन के विशेषाधिकारों की अवहेलना माना जायेगा। इस सम्बन्ध में भी सदन द्वारा स्वविवेक से दण्ड निर्धारित करने के विषय में निर्णय लेने की संस्तुति की जाती है।

टी0वी0टी0एन0 के आज तक एवं 'हेडहलाईन्स टुडे' चैनलों के मैनेजिंग एडिटर श्री सुप्रिय प्रसाद एवं श्री राहुल कंवल, स्टिंग ऑपरेशन टीम के सभी सदस्य श्री दीपक शर्मा, श्री अरुण सिंह एवं श्री हरीश शर्मा 'आज तक' के आउटपुट हेड श्री मनीष कुमार एवं इन चैनलों के एंकर श्री राहुल कंवल, श्री पुण्य प्रसून बाजपेयी, श्री गौरव सावंत एवं सुश्री पद्मजा जोशी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत धर्म एवं विभिन्न समूहों के बीच सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का कार्य किये जाने हेतु धारा–153।, ऐसे विद्वैषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग या धर्म का अपमान करके भावनाओं को आहत करने हेतु धारा–295।, ऐसी घोषणा जो मिथ्या होते हुए भी सच्ची के रूप में जानबूझकर प्रसारित करने हेतु धारा–200, इलेक्ट्रानिक अभिलेख की कूटरचना हेतु धारा–463, मिथ्या इलेक्ट्रानिक अभिलेख रचने हेतु धारा–464, धारा–465 ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूटरचना हेतु धारा–469 एवं कूटरचित इलेक्ट्रानिक अभिलेख को असली के रूप उपयोग में लाने हेतु धारा–471 के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया मामला परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त इन सभी पदाधिकारीगण द्वारा प्रथम दृष्टया इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सुसंगत प्राविधानों का उल्लंघन भी किया गया है। अतः भारतीय दण्ड संहिता एवं इनफारमेशन टेक्नालाजी ऐक्ट के अन्तर्गत उक्त आपराधिक मामलों के विषय में शासन के गृह विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश प्रेषित किये जाने की संस्तुति की जाती है। इनके अतिरिक्त भी यदि प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कोई अन्य

आपराधिक कृत्य उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध परिलक्षित होता है तो उनके सम्बन्ध में भी सुसंगत विधियों के अन्तर्गत कार्रवाई किये जाने की संस्तुति की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में जिन प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों का स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, उनके द्वारा जिस प्रकार से स्टिंग ऑपरेशन की टीम के समक्ष आचरण किया गया वह प्रथम दृष्टया सेवा आचरण नियमावली के सुसंगत प्राविधानों के विपरीत है, अतः समिति द्वारा यह संस्तुति की जाती है कि शासन के गृह विभाग एवं नियुक्ति विभाग को इन सभी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश दिये जायें। यदि इन प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई आपराधिक कृत्य परिलक्षित होता है तो उसके सन्दर्भ में भी सुसंगत विधियों के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किये जाने की संस्तुति की जाती है।

टी0वी0 टुडे नेटवर्क के उपर्युक्त वर्णित सभी पदाधिकारीगण केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) ऐक्ट 1995 की धारा–5 के उल्लंघन के दोषी हैं। अतः उनके विरुद्ध उक्त अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु शासन के गृह विभाग को निर्देश दिये जाने की संस्तुति की जाती है।

टी0वी0टी0एन0 तथा उसके ''आज तक'' तथा ''हेडलाईन्स टुडे'' चैनल (वर्तमान में ''इण्डिया टुडे'') के विरुद्ध केबिल टेलीविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) एक्ट–1995 की धारा 20 के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई करने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किए जाने की संस्तुति की जाती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह भी संस्तुति की जाती है कि भारत सरकार को इस आशय का प्रस्ताव प्रेषित किया जाय कि इलेक्ट्रानिक मीडिया के विनियमन एवं संचालन हेतु एक विशिष्ट विधि का निर्माण किया जाये जिससे कि इलेक्ट्रानिक मीडिया क्षेत्र में शुचिता एवं विश्वसनीयता बनी रहे तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकार का दुरुपयोग न हो सके।

श्री अध्यक्ष–

अब इस पर तो कार्य–मंत्रणा समिति में विचार होगा। मा0 सदस्य इस पर कल बोलेंगे, आज बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें जो सदस्य रहे हैं, वे भी बोलेंगे लेकिन आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक करके इस पर चर्चा का टाइम निर्धारित करा देते हैं। जब कार्य–मंत्रणा समिति इस पर निर्धारित कर देगी उस दिन इसमें जो आपके सदस्य रहे हैं वे भी बोलेंगे और जो लोग कुछ कहना चाहेंगे तो इसमें कहेंगे।

श्री सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट'–

मान्यवर, अभी तो इस पर हमको भी आगे बोलना है। इसकी चर्चा में मुझे बोलवाईये।

श्री अध्यक्ष–

आज आपका इतना हो गया, अब बैठिए आज नहीं बोलना है।

श्री सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट'–

ठीक है, जब आपका आदेश होगा तब बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष–

जब इस पर कार्य–मंत्रणा समिति में चर्चा का विचार हो जाएगा तब।

ख12.54 बजे, जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सदर की चमरौरा के पूरे हुड़हा घाट पर अर्धनिर्मित पुल का निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराये जाने विषयक श्री कालर खां आदि निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव''–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सदर की चमरौरा के पूरे हुड़हा घाट पर अर्धनिर्मित पुल का निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराये जाने विषयक श्री कालर खां व श्री मो0 अनीस निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा के सराय शंकर ग्राम सभा में चमरौरा नदी के दो मुहवा घाट पर अर्धनिर्मित पुल का निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराये जाने विषयक श्री बृजेश यादव आदि जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव''–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा के सराय शंकर ग्राम सभा में चमरौरा नदी के दो मुहवा घाट पर अर्धनिर्मित पुल का निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराये जाने विषयक श्री बृजेश यादव व श्री रामहित सरोज जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद सहारनपुर क्षेत्र गंगोह विकास खण्ड नानौता के अन्तर्गत ग्राम गुडम्ब व रायचन्दा के बीच नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रेमचन्द आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री प्रदीप चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह विकास खण्ड नानौता के अन्तर्गत ग्राम गुडम्ब व रायचन्दा के बीच नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रेमचन्द व श्री रूपचन्द सैनी निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह विकास खण्ड गंगोह के अन्तर्गत गंगोह से बड़गांव होते हुए नूरखेड़ी मार्ग पर निर्मित बड़गांव के छोटे एवं जर्जर पुल के स्थान पर बड़े पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सुक्कड़ आदि निवासीगण जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री प्रदीप चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह विकास खण्ड गंगोह के अन्तर्गत गंगोह से बड़गांव होते हुए नूरखेड़ी मार्ग पर निर्मित बड़गांव के छोटे एवं जर्जर पुल के स्थान पर बड़े पुल का निर्माण कराये जाने विषयक

श्री सुक्कड़ व श्री इसम सिंह प्रधान जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में जल भराव की निकासी हेतु नाला का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री कालीचरन सुमन–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में जल भराव की निकासी हेतु नाला का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में गन्दे जल भराव की निकासी हेतु सीवर लाइन/नाला का निर्माण कराये जाने विषयक श्री भरत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री कालीचरन सुमन–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में गन्दे जल भराव की निकासी हेतु सीवर लाइन/नाला का निर्माण कराये जाने विषयक श्री भरत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव[४]

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–21, 22, 23 में कुछ नहीं है अब श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी।

श्री सुरेश राणा–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, बहुत सारा विषय ऐसा है जिसकी चर्चा नहीं हुई।

(इस समय 12 बजकर 57 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजबली जैसल पीठासीन हुए।)

जिसकी चर्चा नहीं हुई या जिसे अभिभाषण में नहीं लिया गया। किसानों की बात कही, गांव मजदूरों की बात कही। किसानों की बात करने वाली सरकार किसान वर्ष मनाने वाली सरकार जब धरती पुत्र शिवपाल यादव वहां बैठते थे तो वह मॉग करते थे कि गन्ने का भाव 350 रुपये होना चाहिए और अब वह सत्ता में वहां बैठे हैं तो गन्ने का भाव 280 रुपया है और 280 रुपये में भी भुगतान 230 पर लाकर छोड़ दिया है। यह बात स्पष्ट रूप से साबित करती है कि किसानों के प्रति सरकार की मंशा क्या है। ड्रार्क जोन को लेकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान लगातार तड़प रहा है। हम लोग भी लगातार विधान सभा में इस विषय को उठाते हैं। बहुत बार हम लोगों ने कहा है कि

---

४ दिनांक 09 फरवरी, 2016 की कार्यवाही से।

सिंचाई के अन्य साधन दिये जाएं। नहरों में पानी नहीं है, चाहे यमुना नहर हो, चाहे गंग नहर हो जहां 2000 क्यूसेक पानी होना चाहिए वहां 800 क्यूसेक पानी है। न तो नहरों में पानी है, न किसान को गन्ने का भाव मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब कोल्हू पर, जो एक छोटा–सा उद्योग है। जब कोल्हू पर 280 रुपये का रेट नकद भुगतान है तो सरकार किसान का भुगतान क्यों नहीं करा पा रही है ? कारण स्पष्ट है सरकार की मंशा नहीं है। आपने मजदूरों की बात कही, आपने निवेश की बात कही, मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली से हम चलते हैं, गेट वे ऑफ यू0पी0 जब हम गाजियाबाद में घुसते हैं तो गाजियाबाद की हालत ऐसी है कि यदि दिल्ली से चलकर किसी को मेरठ आना है, दिल्ली से चलकर किसी को मुजफ्फरनगर आना है, तो 2 घंटे का सफर 5 घंटे में तय होता है। न सड़कें हैं, न पुल है, सारा इन्फ्रास्ट्रेक्चर गड़बड़ाया हुआ है। भला हो इस देश के प्रधानमंत्री का, भला हो कि पूरा एन0एच0–24 16 लेन कर दिया। वहॉ से लेकर मेरठ तक एक बड़े इन्फ्रास्ट्रेक्चर की व्यवस्था है आने वाले समय में।

इस सरकार में गांव की सड़कों की हालत आज ऐसी है कि जो उधर बैठे हैं वह कहना तो चाहते हैं और कल रविदास मेहरोत्रा जी ने तो विषय उठा भी दिया। जो उधर बैठे हैं वह भी कहना चाहते हैं, लेकिन गम को छुपाये घूम रहे हैं। अभी स्टिंग आपरेशन की चर्चा थी। बाकी चर्चा में बहुत सारे विषय आएंगे, लेकिन जनता ने तो स्टिंग कर दिया। मुजफ्फरनगर की जनता ने स्टिंग कर दिया, मैं मुजफ्फरनगर की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि जनता ने स्टिंग कर दिया। बहुत–सारे विषय ऐसे हैं, बहुत सारे मामले ऐसे हैं। पर्यटन की हम बात करते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में आज शुक्रताल का अपना एक स्थान है, पूरे देश में शुक्रताल की महत्ता है, फोरलेन हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई चर्चा नहीं। हस्तिनापुर फोरलेन हो जाना चाहिए था, कोई चर्चा नहीं। दिल्ली यमुनोत्री मार्ग पूरे दोनों राज्यों को जोड़ता है। बहुत ही आवश्यक मार्ग है। वर्ष 2012 से यह सरकार कह रही है कि फोरलेन होगा, आज तक जरा सा भी काम कोई स्टार्ट नहीं हुआ, कुल मिलाकर सारी चीजें पूरा मुजफ्फरनगर का उद्योग, पूरा बिजनौर का उद्योग, पूरा सहारनपुर, शामली का उद्योग सारा का सारा उत्तराखण्ड में चला गया है। आप निवेश की बात करते हैं। निवेश कहां से होगा, जब कानून–व्यवस्था पूरी तरह से डगमगाई है। नोयडा की बात कहूं तो दादरी में हत्या, रंगदारी के मामले व्यापारी परेशान हैं। जब रंगदारी के मामले होंगे, व्यापारियों की हत्या होगी तब निवेश कहां से होगा ? कोई कानून–व्यवस्था की चर्चा अभिभाषण में नहीं है। मुख्य मंत्री आवास के करीब ही महिला की लाश मिलती है। वह साक्षी चौहान बागपत की लड़की, उम्र 14 साल, वह 14 साल की बच्ची कक्षा–10 में पढ़ने वाली स्कूल जाती है, रास्ते में अपहरण हो जाता है और 11 दिन बाद लाश मिलती है। मैं तो कहता हूं कि इतना गंभीर मामला है। आज तक अपराधियों के खिलाफ कोई रासुका जैसी गम्भीर कार्यवाही की बात सरकार नही करती है, वह इसलिए नही करती है क्योंकि कहीं न कहीं कानून–व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। सरकार का ऐसे अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त है जो कानून–व्यवस्था पूरी तरीके से फेल करने मे लगे हुए हैं। टाइम्स नाऊ का पत्रकार वहां जाता है समाजवादी पार्टी

का विधायक पत्रकार से कैमरा छीन लेता है, बन्धक बना लेता है। कल ही की घटना है मै तो कई बार कहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे अब तो शादी ब्याह का भी संकट आ जाता है कानून–व्यवस्था के कारण कल ही एक बारात लेकर एक दूल्हा हरियाणा से शादी करने के लिए आता है और दुल्हन को लेकर जाता है तो कैराना बाईपास पर दुल्हन समेत गाड़ी का अपहरण हो जाता है। स्विफ्ट डिजायर कार दुल्हन के साथ बदमाश ले जाते हैं, दुल्हन के गहने लूट लिये जाते हैं। इस प्रकार का वातावरण आज पूरे उत्तर प्रदेश मे बना हुआ है, मखौल बना दिया है कानून–व्यवस्था का।

अभी पंचायत चुनाव हुए हमने देखा किस प्रकार कानून व्यवस्था का उल्लंघन हुआ है। जो वोट नही दे रहा था उसके खिलाफ मुकदमें जो वोट नही दे रहा था उसकी हत्या और कई जगह तो बिजनौर पर चर्चा आई थी, किस प्रकार का तान्डव बिजनौर मे हुआ किस प्रकार का तान्डव मुजफ्फरनगर मे हुआ। किस प्रकार का तान्डव शामली मे हुआ। किस–किस प्रकार के प्रयोग किये गये जिला पंचायत सदस्यों के फर्जी कार्ड तैयार कर लिये गये। भला हो जनता का शामली की जनता मुजफ्फरनगर की जनता इतनी सजग थी कि सरकार को पता चला कि परिणाम कैसा होता है। परिणाम जनता के पक्ष मे आया। लोहिया जी के आदर्शों की बात करने वाली सरकार लोहिया जी का पहला सिद्धांत था लोहिया जी कहते थे कि परिवारवाद की बात राजनीति मे नही होनी चाहिए। आज देखिये क्या परिवारवाद का, लोहिया के अनुयायी किस प्रकार परिवारवाद का ही सारा नारा है इसके अलावा कोई नारा नही है। मुसलमानों के हितों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं प्रदेश में और कोई मुसलमान नजर नही आया जब राज्य सभा की बात आयी तो हम सब को मालूम है रामपुर से कौन राज्य सभा मे गया और किसी का चयन नही हुआ। लोहिया जी कहते थे कि 13 आने केवल एक परिवार को और 3 आने मे पूरा देश। आज क्या हो रहा है आज भी वही स्थिति है 13 आने में कन्नौज, एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और 3 आने मे पूरा प्रदेश। आज पूरे प्रदेश की हालत क्या है डार्क जोन से जूझ रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। संस्थान लगेगा कन्नौज में, आल इण्डिया मेडिकल की बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे हमने की बहुत ही हमारे प्रभावी नेता संसदीय कार्य मंत्री जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं आल इण्डिया मेडिकल की हमने चर्चा की और मांग की भी बहुत आवश्यक है कोई चर्चा अभिभाषण में नही है चाहे लैदर उद्योग हो, चाहे मुरादाबाद का पीतल उद्योग हो, चाहे मुजफ्फरनगर का पेपर उद्योग हो, चाहे शामली का रिमधुरा उद्योग हो सारा का सारा उद्योग इन्फ्रास्ट्रक्चर के अभाव मे चला गया। पूरा उद्योग उत्तराखण्ड मे शिफ्ट हो गया और सरकार बड़े–बड़े दावे करती है, सरकार बड़ी–बड़ी बाते करती है।

यदि सरकार किसान हितैशी होती तो 350 रुपये भुगतान की मांग यहां बैठकर की गयी थी तो कम से कम 450 रुपये गन्ने का भाव होना चाहिए था। सरकार किसान हितैशी होती तो पहले दिन से 12–14 घण्टे बिजली की बात कर रहे हैं 06 घण्टे गांव व 10 घण्टे शहर मे बिजली है। नौजवान का रोजगार नही रोजगार भत्ता छीन लिया। कैंसर से गांव मे लोग तड़प कर मर रहे हैं, सरकारी नल नही हैं, ये है लोहिया विचारों

की सरकार। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो अभिभाषण मे जोड़ने की आवश्यकता है, बहुत सारी चीजे ऐसी हैं जिन पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और सरकार ध्यान नही देगी तो जो देवबन्द मे, मुजफ्फरनगर मे परिणाम आयें है। मुजफ्फरनगर से चिंगारी चलेगी, गाजियाबाद से चिंगारी चलेगी, और 2017 मे पूरे उत्तर प्रदेश मे पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयेगी।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुरेश राणा–

आपने समय दिया मै बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

ख्समय 01.06,

श्री जाहिद बेग–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में गुलाम मोहम्मद साहब ने जो प्रस्ताव पेश किया और संग्राम यादव जी ने प्रस्ताव का समर्थन किया उसके पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, कल से ही मै देख रहा हूं विपक्ष के लोग और विपक्ष के नेता हर बार लगातार वही रिकार्ड बजा रहे हैं 1 आपको मैं बताना चाहता हूं कि अब तक मैं सोच रहा था कि जो भी विधान सभा में बात आयेगी सही आयेगी झूठ के परे रहेगी लेकिन नही आई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब मैं बनारस से लखनऊ आता था तो सड़कों की हालत बदहाल थी। जगह–जगह गड्ढे थे, जगह जगह भय का वातावरण था लोग जेलों में असुरक्षित महसूस कर रहे थे लेकिन नेता विरोधी दल अगर सही मायने में बात करते तो सच्चाई सामने आती लेकिन वह लाचार हैं, किसी के पैरों में गिर पड़ते हैं, सच्चाई कहने की हिम्मत नहीं है, डरते हैं, जो मिलता है वही कहते हैं यह नेता विरोधी दल हैं। यह बेचारे हैं यह कहना कुछ चाहते हैं करते कुछ हैं इनकी कथनी और करनी में फर्क है।

आज जो बात कर रहे थे यह भाजपा के लोग कि फलां परिवार के लोग, मान्यवर, परिवार की कद्र वही जानते हैं जो परिवार का पालन पोषण करते हैं। दुर्भाग्य है हमारे देश का मैं यह बात कहना नहीं चाहता हूं लेकिन जब सवाल उठेगा तो उसका जवाब दिया जायेगा। आज देश के प्रधानमंत्री के पास बता दें कौन सा लड़का है, वह अपने लड़के का नाम बता दें, पत्नी का नाम तो हम लोग जानते हैं। चाहे देश के दोनो प्रधानमंत्री रहे हों एक तो बेचारे सबको लेकर के चलने की क्षमता रखते थे एक प्रधान मंत्री जी की पत्नी का नाम तो हम लोग जानते हैं लेकिन वह अपने लड़के का नाम बता दें अगर आप इंसाफ नहीं करते तो समाजवादी पार्टी अपने कोटे से उनके लड़के को भेज देगी। आप नाम बता दें अपने लड़के का, प्रधानमंत्री जी के लड़के का नाम बता दीजिए तो उसका काम समाजवादी पार्टी कर देगी। आज सामने बैठे हुए हैं नेता विरोधी दल उनके बारे में मैं कहना नहीं चाहता हूं किसको भेजेंगे आप, किस परिवार को भेजेंगे,

परिवार की बात करने वाले लोग जो परिवार को सींचना जानता है जो परिवार को ले के चलना जानता है वह देश को सम्भालना जानता है प्रदेश को सम्भालना जानता है। जो परिवार को नहीं सम्भाल सकता वह देश को नहीं सम्भाल सकता यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। आज विकास की बात करते हैं लोग, आज पूर्वान्चल के अन्दर मुझे याद है नेता विरोधी दल एक दिन और कह रहे थे कि पूर्वान्चल में काम नहीं हुआ है आज दो साल पहले मैंने कहा था इसी विधान सभा के अन्दर कि पूर्वान्चल की रोडे, बनारस की लखनऊ जैसी नजर आयेगी। मैं भदोही की बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चले जाइये भदोही जब आपकी सत्ता थी तो भदोही की रोडों में एक एक फुट गड्ढ़ा था, आज आप जायेंगे तो चमचमाती हुई रोडे हैं कहीं आपको गड्ढ़ा नहीं मिलेगा। भदोही के रास्ते पर चले जाइये तो कहीं आपका दूध छलकेगा नहीं इस तरह की रोड बना दिया है। आज भदोही में पूर्वान्चल में बनारस से शक्ति नगर, भदोही से बलिया, भदोही से बाबतपुर, भदोही से दुर्गागंज, भदोही से ज्ञानपुर फोर लेन कम्पलीट हो गया है। आप समिति बना लीजिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अगर हमारी बात झूठ होगी तो दोबारा में इस सदन में अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। जो बात कही जाय वह सही बात कहना चाहिए। अगर आप सही बात नहीं कहेंगे तो हम तो दोबारा आयेंगे लेकिन आपकी संख्या समाप्त हो जायेगी कम हो जायेगी। अब मैं कानून–व्यवस्था की बात करना चाहता हूं। जिन्होंने शपथ लिया, जिन्होंने शपथ लिया, जिन्होंने कोर्ट के अन्दर हलफनामा में स्वीकार किया वह लोग कानून–व्यवस्था की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। मुजफ्फरनगर की बात आई, अभी नेता विरोधी दल बोल रहे थे कि साम्प्रदायिक ताकतें, साम्प्रदायिक घटनायें। तो कौन है साम्प्रदायिक, तो वो आप ही लोग हैं जिन्होंने मुजफ्फरनगर में कुचलने का काम किया है, स्थिति बिगाड़ने का काम किया है, वहां पर अशांति फैलाने का काम किया है। इसके लिए आप पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य श्री जाहिद बेग साहब, आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया आप अब बैठ जाये।

श्री जाहिद बेग–

आपने आंधी चला दी, झूठे गुजरात माडल की बात आपने जोर–शोर से उठाई। तो मैं कहना चाहता हूं कि जितनी बेरोजगारी गुजरात के अंदर है, उतनी बेरोजगारी देश के किसी भी प्रदेश में नहीं है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे पहला प्रदेश बनने जा रहा है। हमारी समाजवादी सरकार ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे ऊपर का प्रदेश बनने जा रहा है। गुजरात बहुत नीचे जा रहा है। आप लोग झूठ पर झूठ बोलते हैं, आपने लोगों के खातों में पैसा भेजने की बात की थी, आप बताईये कि आपने क्या किया। आपने जनता को छला है। आप जनता के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भाजपा के लोगों

ने बहुत सारी योजनायें बंद कर दी हैं और आप यहां पर कहते हैं कि आपने प्रदेश को यह दिया है, आपने प्रदेश को वो दिया है। मेरा कहना है कि आपने प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया है। इस प्रदेश के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने जितना किया है, उतना कभी किसी ने नहीं किया है। आप लोग पहले वह प्रदेश देखें जहां पर आपकी सरकारें हैं, वहां का आपने क्या हाल बना रखा है। आपने देश की जनता को धोखा दिया है। यह इस बात का प्रमाण है कि आप सत्ता के लिए देश बेंच सकते हैं। आपने देश की बात करते हैं, क्या किया है आपने देश के लिए, जब से आप केन्द्र में सत्ता में आये हैं, तब से आपने बुरा हाल कर दिया है। यह अपराधियों की बात करते हैं, आतंकवादियों की बात करते हैं, आतंकवादियों को किसने छोड़ा, आंतकवादियों को इन्होंने छोड़ा, भाजपा के लोगों ने छोड़ा। यह उन्हें ले गये अफगानिस्तान के अंदर और यह लोग पाकिस्तान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। यह पाकिस्तान का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया आप अपनी बात समाप्त करें। दूसरे माननीय सदस्य को भी मौका दें।

श्री जाहिद बेग–

मान्यवर, कृपया मुझे एक मिनट में अपनी बात कह लेने दीजिये। यह हिन्दू–मुस्लिम को बांटकर राजनीति करना चाहते हैं। हम भाई चारे की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हिन्दू–मुस्लिम भाई–भाई और यह दोनों को लड़वाकर राजनीति करते हैं। मेरा यह कहना है कि आप ऐसी राजनीति बंद करिये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को कहा कि सबूत पेश करिये। मेरा कहना है कि आप सबूत पेश कर दीजिये। वहां पर कौन–कौन से लोग बैठे थे। हम नहीं कहेंगे। इलजाम आपने लगाया है, तो सबूत भी आप ही पेश करिये। देश के प्रधानमंत्री बिना बुलाये पाकिस्तान जाते हैं और आप यहां पर इस तरह की बात करते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, अब आप बैठिये। समय ज्यादा हो चुका है, अपनी बात समाप्त करें। आप बैठिये। आपका समय समाप्त हुआ।

श्री जाहिद बेग–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं भदोही में जिस विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं। वहां पर बसपा के लोगों ने पहले किसी और प्रत्याशी के नाम की घोषणा की थी और अब किसी और के नाम की घोषणा कर दी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप वहां पर चाहे तीन–चार प्रत्याशी बदल दोगे, तो भी वहां पर आपका कुछ होने वाला नहीं है। वहां की जनता आपको इसका हिसाब देगी।

श्री अधिष्ठाता–

श्री जाहिद बेग जी, अब आप कृपया बैठिये। श्री संत राम कुशवाहा जी आप बोलिये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं बस इतना जानना चाहूंगा कि यह जो शार्टहैण्ड राइटर्स हैं, इन्हें भी तो चेक करिये कि इन्होंने लिखा कितना है। अब ऐसा बोला क्या लाभ मिलेगा, अगर इन्होंने लिखा नहीं तो आज इनका भी पनिशमेंट होना चाहिये। यह कोई बात नहीं हुयी कि माननीय सदस्य ने इतनी मेहनत की और इन्होंने ठीक से लिखा भी नहीं। क्या इतिहास पढ़ेगा। (हंसी)

श्री अधिष्ठाता–

नहीं, लिखा गया है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

फिर भी इसकी जांच होनी चाहिये।

श्री मनीष असीजा–

माननीय अधिष्ठाता जी, साथी विधायक का भाषण लिखने के बजाय टेप किया जाना चाहिये।

श्री सन्तराम कुशवाहा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं अपनी बात को अपने नेता प्रतिपक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के संशोधन प्रस्ताव से सम्बद्व करता हूं। महामहिम राज्यपाल जी के भाषण की हमारे सामने जो किताब है उसमें सरकार की कामयाबी दर्शाई गई है और अच्छा बताया गया है लेकिन बुन्देलखंड के लिये, जनपद जालौन के लिये और माधोगढ़ विधान सभा के लिये एक भी शब्द कहीं नहीं आया है इसलिये हम मांग करते हैं कि उसमें माधोगढ़ विधान सभा के कुछ काम जोड़ दिये जायें।

अधिष्ठाता जी, माधोगढ़ विधान सभा 5 नदियों के घेरे में है और वह बड़ी विशाल नदियां हैं। सिंध, पहुंच, चम्बल, क्वारी और यमुना नदी, इन नदियों के कटाव से पूरी जमीन उबड़–खाबड़ हो गयी है जिससे पूरी माधोगढ़ विधान सभा अव्यवस्थित है। वहां नहरों का बहुत कम साधन है इसलिये हम मांग करते हैं कि कम से कम 100 राजकीय नलकूप माधोगढ़ विधान सभा में लगवाये जायें। हमारे संसदीय कार्य मंत्री बहुत कहते हैं पिछली सरकार। मैं उनको बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार में माधोगढ़ विधान सभा में 125 ट्यूबवेल लगाये गये थे इसलिये हम आपसे मांग करते हैं कि कम से कम 100 राजकीय नलकूप वहां के लिये अवश्य दिये जायें। नदियों के कटाव के कारण वहां की जमीन ऊंची नीची है। वहां की जमीन बहुत उपजाऊ है वहां कम से कम एक हजार हेक्टेयर का समतलीकरण भी दिया जाय। तीसरी बात, अधिष्ठाता महोदय, माधोगढ़

विधान सभा में जहां 13–14 लाख की आबादी है। वहां एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है और राजकीय महाविद्यालय न होने के कारण वहां शिक्षा माफियाओं द्वारा गरीब किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जनता का उत्पीड़न किया जा रहा है। इसलिये कम से कम माधोगढ़ टाउन एरिया और कोंच नगरपालिका में एक बालक और बालिका राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराई जाये तथा माधोगढ़ विधान सभा के अंदर कैलिया, महेशपुरा, खकसीस, नदीगांव, रामपुरा, माधोगढ़ टाउन एरिया एवं गोहन में राजकीय इंटर कालेज की व्यवस्था कराई जाये। कोंच नगरपालिका का विस्तार करा करके बदनपुरा मौजा, आराजी लैण्ड, गैराबाद, महन्तनगर इन सबको जोड़कर सीमा विस्तार कराया जाय। मान्यवर, हमारी विधान सभा की पेयजल समस्या अत्यन्त गंभीर है। अधिष्ठाता महोदय, वहां कम से कम एक हजार इंडिया मार्का हैण्डपम्प दिये जाएं। अधिष्ठाता महोदय, सरकार जनपद को जनपद से जोड़ने के लिए फोर–लेन और टू–लेन की बात करती है लेकिन ग्रामीण अंचल की हालत को अगर देखें तो पूरे जनपद में कोई रोड ऐसी नहीं है जिसमें एक–एक, दो–दो मीटर गड्ढे न हों। आप किसान वर्ष मनाने जा रहे हैं, सरकार कहती है कि किसानों को वाजिब लाभ मंडियों में मिलेगा, कहां मिलेगा जब वह गांव से ही नहीं निकल पाते हैं, गांव में जब कोई मरीज बीमार हो जाता है, असहाय हो जाता है तो उसे अस्पताल तक ले जाने में भारी दिक्कत होती है इसलिए हम आपसे मांग करते हैं कि गांव से जो मेन रोड के लिए रास्ते हैं उनकी मरम्मत की जाए और उनको बनवाया जाए। मा0 अधिष्ठाता महोदय, बुन्देलखण्ड को आपने सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है सही है क्योंकि बुन्देलखण्ड सूखे की चपेट में है। बुन्देलखण्ड में जो डैम है वहां के अधिकारियों ने घोषणा कर दी है कि पानी नहीं है। अभी 4 जनवरी को जब किसान बन्धु की मीटिंग हुई उसमें जब झांसी के अधिकारियों से कमिश्नरी में बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम पानी बिल्कुल नहीं दे सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य, समय का ध्यान दें, अपनी बात जल्दी समाप्त करें।

श्री सन्तराम कुशवाहा–

मा0 अधिष्ठाता जी, पता है हमें कि बगल में क्या हुआ था। जिलाधिकारी ने जब पता किया तो कमिश्नरी से पता चल गया, डैम के अधिकारियों ने कह दिया कि पानी बिल्कुल नहीं है केवल हमारे पास बीस दिन का पानी गर्मियों में तालाब के लिए है और वह भी बगैर सरकार की अनुमति के हम नहीं दे सकते हैं। हमने भी पत्र लिखा सिंचाई मंत्री जी को तो 20 दिन के पानी से गेहूं की एक सिंचाई हो गई है कम से कम यदि एक सिंचाई और नहीं होती है तो वैसे भी किसान सूखे की चपेट झेल रहा है लेकिन यदि वह दूसरी सिंचाई नहीं कर पाता है तो किसान का रखा हुआ बीज, कर्ज से लिया हुआ बीज और खाद सब कुछ बरबाद हो जायेगा और सूखे की तबाही से हाहाकार मच जायेगा। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह मध्य प्रदेश की सरकार के पास जाए और वहां से पानी खरीदे तभी बुन्देलखण्ड और जनपद जालौन की स्थिति बच सकती है। मान्यवर, पिछली सरकार में पांचों वर्ष मा0 नसीमुद्दीन

सिद्दीकी सिंचाई मंत्री थे तो हर वर्ष मध्य प्रदेश जाकर सिंचाई मंत्री से पानी खरीदकर बुन्देलखण्ड को देते थे इसलिए अगर पानी मध्य प्रदेश से नहीं खरीदा गया तो बुन्देलखण्ड की हालत बहुत खराब हो जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य, समय समाप्त हो गया है।

श्री सन्तराम कुशवाहा–

मान्यवर, बुन्देलखण्ड में पहले सूखा फिर ओलावृष्टि और इसमें लगभग जो राहतकोष है वह ज्यादा से ज्यादा 20 प्रतिशत बंटी हुई है, आप से अनुरोध है कि उसको पूरा तत्काल बंटवा दें जिससे कुछ राहत मिल जाए। मान्यवर, ऐसी हालत में अगर बुन्देलखण्ड के किसानों को कर्ज से नहीं मुक्त किया गया तो पता नहीं किसान किस रास्ते पर भटक जाए।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य, अभी कई लोगों को बोलना है इसलिए कृपया समय का ध्यान दें और अपनी बात को समाप्त करें।

श्री सन्तराम कुशवाहा–

मान्यवर, एक मिनट का समय दे दें ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। इसलिए बुन्देलखण्ड के किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाए तथा बुन्देलखण्ड में पिछली सरकार में जो ट्यूबवेल लगे थे उनमें 18 ट्यूबवेल विद्युतीकरण से शेष रह गये हैं उन ट्यूबवेलों को तत्काल ऊर्जीकृत करा दिया जाए तथा फोर–लेन जो आप बना रहे हैं उनमें आने जाने के लिए, अस्पताल बाजार आने जाने के लिए माधोगढ़ विधान सभा में नदीगांव कोच रोड से सदूपुरा सोनी पजौनिया होते हुए भगवन्तपुरा रेड़र तक का मरम्मत कार्य अतिशीघ्र करा दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री सन्तराम कुशवाहा–

मान्यवर, पूरे जनपद में टू लेन बनायी गयी, ठीक बनी और लगभग 25 किलोमीटर बनायी गयी लेकिन बीच में 04 कि0मी0 का टुकड़ा छोड़ दिया गया है तो बाकी जो पैसा लगाया है वह भी बर्बाद है और उसका कोई मतलब नहीं है। बीच में टगरा सेरूरा तक शेष रह गयी है। इसलिए उस 04 कि0मी0 को भी जोड़ा जाए। धन्यवाद।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

माननीय अधिष्ठाता जी, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर मुझे बोलने मौका दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मान्यवर, समाजवादी पार्टी की सरकार ने बड़े जोर–शोर से विकास कार्यों पर अपनी पीठ

थपथपायी है लेकिन यह सच्चाई से बिल्कुल परे है। आज गांवों में सड़कें बिल्कुल जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं। हम विकास की बात करते हैं लेकिन जब गांव जिले के सम्पर्क मार्ग से जुड़े हुए नहीं हैं तो हम कौन सी विकास की बात करते हैं। मैं जब से इस विधान सभा में आयी हूं लगातार चार साल से अपने क्षेत्र के जो दो बड़े सम्पर्क मार्ग हैं उनके लिए लगातार कह रही हूं लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गयी। गुलावठी से बरमदनगर समकोला सम्पर्क मार्ग तथा एन0एच0–91 से अंधैल सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण के विषय में मैं बार–बार इस प्रश्न को उठाती रही हूं, सड़कों के बारे में कहती रही हूं लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गयी। माननीय अधिष्ठाता जी, हम लोग गांवों के विकास की बात करते हैं, गांवों से पलायन को रोकने की बात करते हैं।

गांवों की सड़कें इतनी टूटी हुई हैं कि यदि गर्भवती महिला को चिकित्सालय ले जाया जाए तो बीच में ही प्रसव होने की सम्भावना रहती है। इसलिए गांवों का पलायन कैसे रुके, गांवों का विकास किस तरीके से हो तो मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि लगातार बार–बार कहने के बावजूद भी जो क्षतिग्रस्त मार्ग हैं उनको ठीक नहीं कराया गया है। पिछली बार भी मैंने फतेहपुर–जादों से निठारी सम्पर्क मार्ग, सिकन्दराबाद खुर्जा मार्ग से नगला तोता वाया कनकपुर सम्पर्क मार्ग, आजमपुर ककोड़ मार्ग से सुनपेड़ा सम्पर्क मार्ग, सिकन्दराबाद ककोड़ मार्ग से चंगौली मोड़ से अजयनगर सम्पर्क मार्ग के सुधार व मरम्मत के लिए बार–बार आदरणीय लोक निर्माण मंत्री जी से कहा। सिकन्दराबाद–खुर्जा मार्ग से नगला बडौदा सम्पर्क मार्ग, सिकन्दराबाद–ककोड मार्ग से हसनपुर सम्पर्क मार्ग के लिए मैंने बार–बार आदरणीय मुख्य मंत्री जी और लोक निर्माण मंत्री जी से बार–बार कहती रही। माननीय अधिष्ठाता जी, जब ये मरम्मत और सुधार कार्य नहीं किये जा रहे हैं तो नई रोडों के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। नई रोड्स तो बिल्कुल खत्म कर दी गयी हैं, जिला योजना बिल्कुल समाप्त कर दी गयी है। जिला योजनाओं में जो पहले नये सम्पर्क मार्ग बनते थे अब उसमें एक कि0मी0 भी सम्पर्क मार्ग नया नहीं बन पा रहा है। मुश्किल से 10 प्रतिशत जिला योजना में पैसा जाता है, किस तरीके की विकास की बात करते हैं। मैं श्री राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ रही थी उसमें पश्चिम में कहीं कोई कार्य नहीं दिया गया है, कोई विकास की बात नहीं की गयी है। मा0 अधिष्ठाता जी, मैं कहना चाहती हूं कि बार–बार कहने के बावजूद भी किसी बात को सुना नहीं जाता है। विधान सभा में बार–बार बात कही जाती है लेकिन किसी बात पर गौर नहीं किया जाता है। आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपने कार्य में बहुत दक्ष हैं लेकिन सिकन्दराबाद नगर के सीमा विस्तार के लिए मैं कब से लगी हूं लेकिन आज तक इसमें कुछ नहीं हुआ है उसका कारण है कि जो वहां के कर्मचारी हैं उनकी उदासीनता और लापरवाही की वजह से आज तक सिकन्दराबाद नगर पालिका का सीमा विस्तार नहीं हो पाया है। माननीय अध्यक्ष जी, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात की जाती है। आज जब हमने अखबार उठाकर के देखा उसमें जो दरिंदगी और जिस तरीके से एक बेटी के साथ जो हादसा किया गया है उसके लिये हम लोग खुद शर्मिन्दगी महसूस करते हैं कि किस तरीके का यह राज है, किस तरीके की

कानून–व्यवस्था है। माननीय मुख्य मंत्री जी के आवास के पास ही इस तरह की घटना हो गई। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे यहां पर एक बेटी जिसकी शादी की गई लेकिन धोखे से विवाहित पुरुष ने उससे शादी कर ली लेकिन आज तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई। रवीन्द्र पाल सिंह जी की बेटी है सुश्री प्रेरणा पाल। धोखा करके पहले से ही विवाहित व्यक्ति लव मोहन पुत्र श्री डा0 राम मोहन निवासी सुदीति ग्लोबल एकेडमी देवी बाई पास रोड नगरिया मैनपुरी ने विवाह करके यौन शोषण किया। लेकिन उसके खिलाफ आज तक न तो धारा–376 लगाई गई और न ही चार सौ बीसी का केस दर्ज किया गया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, वहां पर क्योंकि यह मैनपुरी के रहने वाले हैं, तो यह कहा जाता है पुलिस के द्वारा कि हम पर बड़े नेताओं का प्रभाव है। माननीय अधिष्ठाता जी, अगर बड़े नेता महिलाओं के साथ इस तरह की ज्यादती करते हुए देखेंगे तो किस तरीके से हम न्याय की आशा कर सकते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि इस पर तुरन्त कार्रवाई कराई जाय। मान्यवर, अभी पिछले दिनों में पंचायतों के चुनाव हुए उसमें हमने देखा धन और बल का किस तरीके से प्रयोग किया गया। पंचायतों के चुनाव की बात करते हैं। पंचायतें जहॉ कि एक आम आदमी रहता है। हम लोगों ने जो पंचायतों की व्यवस्था की थी कि गांव का आदमी बैठकर अपना विकास करेंगे लेकिन आज यह हो रहा है कि लोग बाहर अपना व्यापार करते हैं और यहां सिर्फ अपनी धमक बनाने के लिये और यह दिखाने के लिये कि हम भी कोई चीज हैं क्योंकि पैसा बहुत उन्होंने बाहर जाकर कमा लिया है और उन्होंने वहां आकर सिर्फ ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत और ईवेन आज तो प्रधानों में भी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सिर्फ पैसे वालों का बोलबाला है।

श्री अधिष्ठाता–

सोलंकी जी, अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

मान्यवर, पंचायतों की जो हमने कल्पना की थी वह पंचायतों की कल्पना गायब हो चुकी है। इसमें जो पैसे का बोलबाला रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। माननीय अधिष्ठाता जी, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये आपको धन्यवाद देती हूं।

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेल व युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने समय दिया, मान्यवर, मैं बहुत आभारी हूं आपका। मैं महामहिम राज्यपाल के भाषण पर अपने साथी गुलाम मोहम्मद के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रखने जा रहा हूं। मान्यवर, मैं सुन रहा था विकास की बात। अब लोगों को विकास नहीं दिखाई दे रहा है तो हम क्या करें। हमारे पूर्वांचल में बड़े बड़े पुल बने हैं। हमको याद है कि जब मैं वहां बैठता था और यहां बी0एस0पी0 के लोग बैठते थे। मैं कितनी बार टांडा के पुल के लिये वेल में आता था अपनी बात करता

था और मैं कहता था माननीया मुख्य मंत्री जी आपका अम्बेडकर नगर पर एक छत्र राज्य है, आप वहां से चुनाव जीती हैं, आपने वायदा भी किया है मगर हमारे टांडा पुल का निर्माण नहीं हो रहा है। बार बार मान्यवर, मैं वेल में आता था। आज जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो हमारी पिछली सरकार ने पैसा दिया और इस सरकार में उसका उद्घाटन हुआ। माननीय हमारे शिवपाल जी उसका उद्घाटन करने गये थे। मान्यवर, जो हम 70 किलोमीटर, 70 क्या 120 किलोमीटर घूम कर आते थे आज वह टांडा और बस्ती की दूरी मात्र 10 किलोमीटर हो गई। उस पार अम्बेडकर टांडा था और इस तरफ हमारी विधान सभा क्षेत्र। हमारा सपना था कि कब यह टांडा पुल बनेगा। अब विकास नजर नहीं आ रहा है लोगों को। विड़हर घाट का पुल नजर नहीं आ रहा है। फोर लेन सड़कें नजर नहीं आ रही हैं, हमारे मेडिकल कालेज बन गए हैं, इंजीनियरिंग कालेज बन गए हैं यह विकास इनको नजर नहीं आ रहा है। न जाने इनका कौन सा विकास है। हमारी विधान सभा क्षेत्र में ढाई सौ करोड़ की सड़कें बनीं, सौ करोड़ के पुल बने हैं। मैं यह जानता हूं कि पूरे प्रदेश में सारे काम हुए हैं। हां मैं अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार होगी तो आपके विधायकों के काम ज्यादा होंगे, हमारी सरकार होगी तो हमारे विधायकों के ज्यादा काम होंगे, भा0ज0पा0 की सरकार होगी तो उनके विधायकों के ज्यादा काम होंगे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी तो बहुजन के विधायकों के ज्यादा काम होंगे, लेकिन जो विकास कार्य हैं जो सड़कें और पुल बनेंगे इसमें किसी एक पार्टी का व्यक्ति नहीं जाएगा, इस पर सारे के सारे लोग जाते हैं विभिन्न दलों के लोग जाते हैं, पूरा जनमानस जाता है, लेकिन आपको विकास दिखाई नहीं दे रहा है, आज पूर्वांचल विकसित हुआ है। अन्य की अपेक्षा पूर्वांचल शोषित था, नदियों की बाढ़ से तबाह था, हां प्रकृति ने इधर डेढ़ वर्ष से धोखा दिया है, जब से भगवाधारियों की सरकार बनी, न जाने भगवान क्यों रूठ गया और वहां पर पानी नहीं गिरा।

हमारी सरकार थी, यहां तक की ब0स0पा0 की सरकार थी तो पूरा पानी बरसता था, इन्द्र खुश थे, लेकिन यह भगवाधारी जिनका केवल दंगा फैलाने का काम है अभी मेरे साथी कह रहे थे कि एक चिंगारी उठेगी और प्रदेश जल जाएगा। आप आग का गोला हो, बाबरी मस्जिद के नाम पर, राम जन्मभूमि के नाम पर, काशी विश्वनाथ के नाम पर, हिन्दू मुसलमान के नाम पर, हिन्दुस्तान पाकिस्तान के नाम पर लगाओ आग, जलाओ बस्तियां, इंसानी बस्तियां जलाओ, मंदिर तोड़ डालो, मस्जिद तोड़ डालो, आपको तो इसमें महारथ हासिल है, अगर शहर जलेगा तो हिन्दू भी जलेगा मुसलमान भी जलेगा, सिक्ख भी जलेगा, ईसाई भी जलेगा, आपको बड़ा गुमान है जलाने का, चाहे पश्चिम का मुजफ्फरनगर हो, अयोध्या हो, अगर जलाने का गुमान है तो ध्यान रखना कि आगे आने वाली नस्लें आपको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी। हौसले के साथ ऐसी बात करना कि जलायेंगे। जलाने वाले कौन लोग हैं, कानून–व्यवस्था तोड़ने वाले कौन लोग हैं। यह सब लोग बैठे हैं और कहीं न कहीं अपराधियों की मदद करते हैं, बलात्कारियों की मदद करते हैं और जब पुलिस पकड़कर ले जाती है तो नेताओं से टेलीफोन कराये जाते है।

बलात्कारी को बचाया जाता है अपराधी को बचाया जाता है तो फिर कानून व्यवस्था की किसकी जिम्मेदारी है। सब लोगों की एवं पूरे समाज की जिम्मेदारी है। अगर समाज जलता है तो भी समाज के लोगों की जिम्मेदारी है और अगर समाज विकसित होता है तो भी समाज के लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बहुत अच्छी बात कही, कि घर एक व्यक्ति का नहीं जलेगा, शहर एक व्यक्ति का नहीं जलेगा, नदियां अगर सूखी रही है तो केवल हिन्दू को ही नहीं पानी मिल रहा है, मुसलमान को भी पानी नहीं मिल रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें।

श्री रामकरन आर्य–

मैं समाप्त कर रहा हूं मैं तो ऐसे ही खड़ा हो गया मैं तो वैसे भी नहीं बोलना चाहता था। यह जलाने वाले लोग, जला दो कौन रोकता है जलाने वाले लोग आप पर आने वाली नस्ल लानत करेगी। आपके ऊपर वह थूकेगी, क्योंकि मैं जानता हूं साधू, संत, सन्यासी सबको दुआयें देते हैं साधू की समरस जिन्दगी होती है वह सर्वत्र पूजा जाता है लेकिन राजा कभी नहीं पूजा जाता है। एक संत जिन पर मरने के बाद फूल चढ़ाने जाते हैं, लोग सजदा करने आते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री राम करन आर्य–

समाज में आग लगाने वाला जो व्यक्ति होता है उस पर एक कुत्ता भी पेशाब करने नहीं जाता है। इस नाते हमारी आने वाली नस्लें खुशहाल रहें हमारा समाज खुशहाल रहे, सारे हिन्दू और मुसलमान ईद और दीवाली को मिलें, मंदिर और मस्जिद की हिफाजत हो, इसलिए मान्यवर, हम राजनीति करते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं रखे हुए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[समय 01.40,

श्री पूरन प्रकाश–

माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अधिष्ठाता जी मैं एक बात कहना चाह रहा हूं यहां पर सभी माननीय सदस्य भी समझ रहे होंगे जिसकी ज्यादा गिनती आती है उसकी सरकार बन जाती है जिसकी कम आती है वह विपक्ष में बैठ जाता है। वह उसको कहता है वह दूसरे को कहता है बहुत से सदस्य ऐसे भी होते हैं वह न तो इधर आ पाते न उधर आ पाते हैं बीच में रह जाते हैं मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं सरकार ने बड़ी बड़ी बातें कहीं मुख्य मंत्री जी हमारे राजा होते हैं राजा का काम है कि सभी प्रजा को एक नजर से देखे लेकिन ऐसा देखने को नहीं

मिलता है। अभी हमारे साथी ने कहा भी कि हमारी सरकार होगी तो हमारे काम होंगे इनकी सरकार में इनके काम होंगे तो यह तो कोई न्याय की बात नहीं है मैं चार साल से जनपद मथुरा जो उत्तर प्रदेश के नक्शे में एक स्थान रखता है वहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और जब आकर यह हालत देखते हैं तो जाकर कहते हैं कि वाह रे उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्य मंत्री उनकी आप सुनिए आप यहां पर बड़ी बड़ी बातें फोर लेन, सिक्स लेन की बात कर रहे हैं लेकिन इस सड़क पर तभी आदमी चल पाएगा जब वह गांव से निकलकर सड़क पर तो आ जावे।

आज की स्थिति ऐसी है कि कुदरत के साथ भी खेल हो रहा है। कुदरत ने 9 महीने का समय रखा है एक जच्चा बच्चा के लिए लेकिन सड़कों की स्थिति यह है कि एक दो महीने पहले ही डिलीवरी हो जाती है क्योंकि वह अस्पताल नहीं पहुंच पाती हैं यह सड़कों की हालत है। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री जी भी बैठे हैं मैं चार साल से तीन साल से मैंने इनको भी लिखकर दिया कि आपकी जनेश्वर मिश्र विकास योजना है, लोहिया विकास योजना है उसमें गांवों के चयन होते हैं हर बार लिखकर देता हूं लेकिन बड़े खेद की बात है तीन साल से एक भी गांव बल्देव ब्लाक का फरेह ब्लाक का राया ब्लाक का जो हमने लिखकर दिया है एक भी गांव चयनित नहीं हो पाया। आज आप देखें मथुरा में भगवान कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी का बहुत बड़ा मंदिर है अगर आप मंदिर में दर्शन के लिए जाएं तो जो 15 मिनट का रास्ता है उसमें तीन घंटे लगेंगे यह सड़कों की हालत है। इतना ही नहीं किसानों को अन्नदाता कहते हैं 70 प्रतिशत किसान प्रदेश में बसता है लेकिन आज जो किसानों की बदहाली है वह किसी से छिपी नहीं है। हमारे जनपद मथुरा में अभी आठ महीने पहले दैवी आपदा में ऊपर वाले ने भी हमारे जनपद को चुना वहां ओलावृष्टि हुई तूफान आया किसान बरबाद हुआ फसल चौपट हो गई लेकिन अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला। किसान खून के आंसू रो रहा है। अधिष्ठाता जी यह कैसी विषमता है एक तरफ तो किसानों के एक हजार, दो हजार, पांच हजार बकाया होने पर उनके कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं एक तरफ 10–10, 20–20 लाख के जो बकाएदार हैं उनका एक भी कनेक्शन नहीं काटा जा रहा है। इतना ही नहीं एक तरफ आप किसान की सहायता देने की बात करते हैं दूसरी तरफ किसान के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। हमारा क्षेत्र ड्राई एरिया है नीचे खारा पानी है कोई भी सिंचाई का सक्षम साधन नहीं है अगर ट्यूबवेल से बोरिंग कराना चाहे तो वह भी वैन है जनपद मथुरा में 40 किसान आत्महत्या कर चुके हैं अभी भी वही स्थिति बनी हुई है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री पूरन प्रकाश–

मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप फिर आएंगे फिर जाएंगे कहते हैं तो फिर अपनी कथनी और करनी के अन्तर को संभालिए। आपकी कथनी और करनी में जमीन और

आसमान का अन्तर है। यहां पर जो लोग चुनकर आते हैं वह सभी जनप्रतिनिधि हैं उनसे क्षेत्र के लोगों का बड़ा सहारा लगा रहता है लेकिन जब वह लिखकर देते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री पूरन प्रकाश–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि अगर वास्तव में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है तो यह अपनी कथनी और करनी में एकरूपता लायें। अभी कह रहे थे कि सभी को हैण्डपम्प मिलेंगे। कहां हैं हैण्डपम्प ? मैंने एक प्रश्न लगाया था, हमारे मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी ने जवाब दिया है कि हमारे क्षेत्रों बलदेव, राया और फरह में 22 पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। कब की गयी हैं, दो साल पहले स्वीकृत की गयी हैं। 12 योजनाओं में काम चल रहा है और 10 के संबंध में पता ही नहीं है। कब लोगों को पानी मिलेगा, पता नहीं है। जब इंसान को पानी ही नहीं मिलेगा तो वह क्या करेगा। बड़ी विषम स्थिति है। यहां पर सभी हमारे साथी बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, वह अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं। वह केवल सत्ता के पक्ष में बोलेंगे, लेकिन हम लोग जो इधर बैठे हैं सही बात रखेंगे। अगर इनको वास्तव में प्रदेश की हालत सम्भालनी है तो इन्हें अपनी कथनी और करनी में एकरूपता लानी होगी। मा0 मुख्य मंत्री जी मथुरा गये थे तो उन्होंने कहा था कि हैण्डपम्प भी दिये जायेंगे, पेयजल की भी व्यवस्था की जायेगी, सड़कें भी बनायी जायेंगी, मगर आज सड़कों की हालत बहुत खराब है। मा0 अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में संशोधन प्रस्ताव रखने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। आज बुन्देलखण्ड को जिस स्थिति में रखा गया है, वह बहुत नाजुक स्थिति है। आज हमारे क्षेत्र में सूखा, ओलावृष्टि और पहले से अतिवृष्टि की ऐसी गम्भीर स्थिति बनी हुयी है कि वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। आज वहां की स्थितियां ऐसी हैं कि वहां पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारा आपके माध्यम से सरकार से यह कहना है हमारे चित्रकूट जनपद को बिल्कुल शून्य रखा गया है। आज चित्रकूट ऐसा परिक्षेत्र हैं कि उस क्षेत्र में जो कामदगिरि का एक ऐसा परिक्रमा स्थल है जो एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। वहां हर अमावस्या को बहुत भीड़ एकत्रित होती है, परन्तु कभी भी उसको उस मानक के अनुरूप नहीं रखा गया, क्योंकि उत्तरांचल में आपका पूरा पर्यटक चला गया है। उत्तर प्रदेश में कामदगिरि का एक पर्यटन स्थल के रूप में बहुत बड़ा स्थान है, परन्तु इसका कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जा रहा है। पिछले इलाहाबाद कुम्भ में 1100 करोड़ रुपया दिया गया जबकि उस कुम्भ मेले में आने वाले सभी यात्री चित्रकूट जरूर आते हैं। मेरा आपसे यह कहना है कि हमारी विधान सभा क्षेत्र मऊमानिकपुर है जो बहुत ही दस्यु प्रभावित क्षेत्र है और पहाड़ी श्रृंखलाओं से पूरा क्षेत्र घिरा हुआ है। वहां की

स्थिति बहुत नाजुक है। कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा रहा है जिससे उस क्षेत्र की स्थिति थोड़ी सुधर सके। उस क्षेत्र में सबसे प्रभावहीन बात यह है कि वन विभाग से पूरा क्षेत्र बाधित है और स्थितियां ऐसी हैं जिसके कारण सैकड़ों किलोमीटर घूमकर लोगों को जाना पड़ता है। वहां की बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो दो किलोमीटर, तीन किलोमीटर, पांच किलोमीटर में ही बन जाने से लोग कम दूरी तयकर ही अपने गंतव्य तक पहुंच जायेंगे। यदि वहां कोई भी क्राइम होता है तो स्थिति यह होती है कि शासन प्रशासन जब तक वहां पहुंचता है तब तक वहां बहुत सारे ऐसे काम हो चुके होते हैं कि वहां की स्थिति में कोई सुधार नहीं आता है। आज स्थिति यह है कि सूखे से प्रभावित होने के कारण वहां पर पीने के पानी की इतनी दिक्कत आ रही है कि भोजन की तो बात बाद में आती है पहले पानी की बात आती है। पानी में एक समस्या बनी हुई है कि पहले जब उस क्षेत्र में हैण्डपम्प लगना शुरू हुए तो तालाब, कुएं सूखना शुरू हुए, आज स्थिति यह आई कि जब एक तरफ ट्यबवेल शुरू हुए तो हैण्डपम्प सूख गए। ऐसी स्थितियां बनी हुई है, वहां पर पानी के लिए त्राहि–त्राहि मची हुई है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अध्यक्ष जी, आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

अधिष्ठाता जी, हमारे क्षेत्र की स्थिति ऐसी बनी है, सूखे के कारण वहां की सब नदी–नाले सूख चुके हैं। खाने की स्थिति यह है कि वहां की पूरी जमीन खाली पड़ी है, कोई जमीन बोई नहीं गयी है। वहां के लोग पलायन कर रहे हैं। यही स्थिति बिजली की है, यही स्थिति स्वास्थ्य और शिक्षा की है, कोई भी अधिकारी/कर्मचारी वहां जाने को तैयार नहीं है क्योंकि जितनी वहां पर पी0एच0सी0 बनी हुई हैं, वह जानवरों का चारागाह बन गयी हैं। कहीं पर पी0एच0सी0 चल नहीं रही हैं, देहात में केवल बिल्डिंग खड़ी है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, पटेल जी, आप अपनी बात समाप्त करिए, समय समाप्त हो गया है।

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

मान्यवर, मैं बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप इसमें विशेष ध्यान दें। शिक्षा की स्थिति भी ऐसी ही है तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि सरकार को इस विषय में ध्यान दिलवाने का काम करवायें और इन समस्याओं का समाधान करवायें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। अधिष्ठाता महोदय, जो आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव''–

धन्यवाद, अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में तथा साथ ही श्री गुलाम मोहम्मद के द्वारा रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत ढेर सारी बातें इस सदन के

अन्दर हो रही हैं, मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि पार्टियां चलती हैं, नीतियों से, कार्यक्रमों से, जिस पार्टी के पास जिस तरीके की नीति होगी, कार्यक्रम होंगे, उसी तरीके की उनकी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अभी हमारे बहुत से साथी बोल रहे थे, चिनगारी उठ रही है, लपटें उठने वाली हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं। साथियों, इस देश और प्रदेश के अन्दर तमाम घड़ियाली आंसू हमेशा बहायी गयी, दलितों के नाम पर, दलितों को ठगने का काम किया गया। तमाम योजनाएं दलितों के नाम पर शुरू हुईं, मगर आज दलितों की तमाम बस्तियां विकास की योजनाओं से अधूरी पड़ी हुई हैं। समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है, जो सारे लोगों को ले करके, सारे वर्गों का विकास करना चाहती है। इसीलिए दलितों की बस्तियों में भी विकास कार्य पहुंचाये जा रहे हैं। अम्बेडकर गांव का नाम ले करके ही प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने ट्रेन का संचालन तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से शुरू किया और जा करके अम्बेडकर साहब को पुष्प अर्पित करते हैं। बधाई तो तब होती, बढ़िया तो तब होता, जब उस ट्रेन को सावित्री बाई फुले के नाम से चलाते, मान्यवर, या कांशीराम के नाम से चला दिए होते, केवल घड़ियालि आंसू बहाने से काम चलने वाला नहीं है। अधिष्ठाता महोदय, समाजवादी पार्टी ने दलितों के हित में उनके आरक्षण को 18 प्रतिशत से बढ़ा करके 21 प्रतिशत करने का काम किया था। तमाम योजनाएं दलितों के नाम पर चल रही हैं। यही नहीं किसानों की जब बात आती है, किसानों के नाम पर सिंचाई मुफ्त कर दी गयी, खाद और बीज से गोदामें भरी पड़ी थी, उनका बखान कोई नहीं करने वाला है। महिलाओं के लिए 1090 की सुविधा, पढ़ें बेटियां, बढ़े बेटियां, मेरी बेटी, उनका कल, कन्या विद्या धन के नाम पर तमाम योजनाएं चलायी हैं, उनका कोई आदमी बखान करने वाला नहीं होता है और यह लोग हमेशा आग लगाने की, चिनगारी उठाने की बातें करते हैं। मैं ऐसी ताकतों को आगाह करना चाहता हूं, वह समय रहा होगा, जब आपकी बातों में बह करके लोग आ जाते थे। कल मुझे एक टी0वी0 चैनल पर बैठने का मौका मिला, बात ददुआ की छिड़ी कि ददुआ का मन्दिर बनाया गया, ददुआ का मन्दिर बना, उसमें लाखों लोग पूजा–अर्जना करने जा रहे हैं। क्या बात है कि ददुआ जैसे आदमी के हित में लोग आज पूजा करने के लिए तैयार हैं। राम की बात आती है। राम को लोगों ने पूजा अर्चना की बात किया लेकिन वहीं राम के भी विरोध करने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगाया जाता है कि अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। अगर ददुआ के परिवार का कोई आदमी राजनीति के क्षेत्र में जाता है और पुलिस उसको परेशान करती है उसके बाद भी वह परिवार अन्याय सहते हुए राजनीति के क्षेत्र में आता है तो उसको समाजवादी पार्टी का गुण्डा कहा जाता है। ऐसा कहने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। कानून–व्यवस्था की बात करने वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि जब 06 दिसम्बर, 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गयी थी। इससे बड़ा कौन सा उदाहरण कानून तोड़ने का होगा। पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कानून–व्यवस्था का मजाक बनाया। और मजबूर होकर कल्याण सिंह जैसे आदमी को इस्तीफा देकर भागना पड़ा था। तो साथियों, जो जनता के बीच घोषणा–पत्र

जारी हुआ था उस घोषणा–पत्र को अपने तीन साल के अंदर ही पूरा करके आगे बढ़ने का काम इस सरकार में हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव''–

श्रीमन्, बहुत संक्षेप में अपनी बात रखना चाहता हूं। श्रीमन्, यह जो असत्य और फरेब करके लोग जनता को गुमराह करने की बात करते हैं जनता को ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और हमारी सरकार ने राजस्व संहिता कानून बनाकर जो नाली आदि को लेकर जो छोटे–छोटे झगड़े होते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार ने राजस्व संहिता बनाकर उन सारे वादों को जो छोटे–मोटे झगड़े थे उनको निपटारा करने का काम किया है। इसलिए मैं आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को बधायी देना चाहता हूं जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य बन रहा है। अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रतापगढ़ जनपद की सदर विधान सभा से चुनकर आया हूं। इसलिए कहना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ जनपद के बहुत बड़े–बड़े नेता इस सदन में भी रहे हैं। एक समय में बहुत बड़े–बड़े कई–कई मंत्री हुआ करते थे। लेकिन प्रतापगढ़ जनपद आज भी विकास से कोसों दूर है। वहां पर आज तक कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रतापगढ़ जनपद में एक मेडिकल कालेज और एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अधिष्ठाता जी राज्यपाल का अभिभाषण वास्तव में वाचन राज्यपाल का होता है लेकिन लेखन सरकार का होता है। सरकार इसके माध्यम से अपनी पिछली उपलब्धियां और आगे की कार्य योजनायें प्रस्तुत करती है। लेकिन जब इसको पढ़ा तो यह एक ढपोरशंखी दस्तावेज लगा। ढपोरशंखी दस्तावेज को पढ़ते समय हंसी आ रही थी और जब इसमें कोई विजन और मिशन नहीं दिखा तो पढ़ते–पढ़ते रोना भी आ रहा था। अधिष्ठाता जी, यदि इस अभिभाषण को दो पंक्तियों में मैं कहना चाहूंगा कि ''जब से तूने अपने निजाम में संभाला है मैकदा, कि जब से तूने अपने निजाम में संभाला है मैकदा, सबको बहला रहा है तू खाली गिलास से''। मैं इसके लिये पेज नं0 दो से शुरू करता हूं। ज्यादा नहीं जाता। यहीं पर अटकना पड़ जाएगा। पेज नं0 दो का पहला वाक्य–''मेरी सरकार ने पूरे प्रदेश की खुशहाली, प्रगति और संतुलित विकास के लिए कमर कसी है।'' मान्यवर, मैंने पहले कहा कि वाचन उनका, लेखन आपका। मान्यवर, खुशहाली, मुझे नहीं लगता कि प्रदेश के किसी चेहरे पर कहीं खुशहाली आई होगी। हां खुशहाली है तो एक परिवार में सिमट कर रह गई है, अगर प्रगति की बात करें, तो

प्रगति का चक्का उल्टा चल पड़ा है, संतुलित विकास कैसा, यदि पूरा सैफई ही पूरा उत्तर प्रदेश है तो संतुलित विकास है, वरना संतुलित विकास कहीं नहीं है। क्योंकि यदि एम्स जैसा कोई अस्पताल बनेगा, तो सैफई में बनेगा, यदि कोई पुल, फ्लाई ओवर बनेंगे तो सैफई में बनेंगे, यदि कहीं चौड़ी सड़कें होंगी, तो सैफई में होंगी, यदि कहीं बिजली चौबीस घण्टे मिलेगी तो सैफई में मिलेगी, मान्यवर, मा0 सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि आगरा को चौबीस घण्टे बिजली मिले, लेकिन वहां रात में भी स्ट्रीट लाईट नहीं जलती, सैफई में दिन में भी स्ट्रीट लाईट जलती है, सिंचाई के संसाधन यदि विकसित किये जायेंगे तो सैफई में किये जायेंगे, शिक्षण संस्थायें खुलेंगी तो सैफई में यहां तक कि बॉलीवुड के ठुमके लगेंगे, वह भी सैफई में ही लगेंगे, यह स्थिति है मान्यवर। तय यह होना चाहिए कि विकास किसके लिए, विकास की बहुत बातें कर रहे हैं सामने के लोग। विकास किस के लिए ? विकास का उद्देश्य क्या होना चाहिए ? विकास समृद्धि के लिए, समृद्धि के द्वार खोलने के लिए, समृद्धि लाने के लिए या समृद्धिशाली लोगों के लिए ? तय होना चाहिए। मान्यवर, कोई विजन होना चाहिए, कोई मिशन होना चाहिए। इण्टर नेशनल एयर पोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराना, आगरा की मांग है, वह मांग इसलिए है कि आगरा पर्यटन नगरी है, देश–विदेश के सैलानी आते हैं, वहां पर यदि वहां इण्टर नेशनल एयर पोर्ट बनेगा तो आगरा के आस–पास के क्षेत्र समृद्धि युक्त होगा। परकैपिटा इनकम बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश सरकार की आर्थिक रीढ़ मजबूत होगी। लेकिन जब आगरा इण्टर नेशनल एयर पोर्ट की बात करता है, तो वह भी सैफई में ले जाने की बात होने लगती है, आगरा में ताजमहल है मान्यवर सैफई में क्या है।

श्री वसीम अहमद–

लॉयन सफारी है।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

सैफई में एक परिवार है या वहां ठुमके लगाने वाले आते हैं, उनके लिए इण्टर नेशनल एयर पोर्ट बनेगा ? इसीलिए मैं कहता हूं कि विकास किसके लिए ? समृद्धि के द्वार खोलने के लिए या समृद्धि लाने के लिए या समृद्धिशाली लोगों के लिए ? मान्यवर, आगरा और आस–पास का क्षेत्र पर्यटक क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र है।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य श्री उपाध्याय जी समय का ध्यान दें।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

मान्यवर, मैं थोड़ा सा समय लूंगा, जाम से निजात के लिए आगरा शहर का पर्यटक सुविधा महसूश करे, वहां पर होना यह चाहिए एलिवेटेड रोड हो, चार साल से मैं कहता चला आ रहा हूं सरकार को आगरा में एलिवेटेड रोड बने, फ्लाई ओवर बने, अण्डर पास बने, लेकिन नहीं, स्वच्छ आगरा हो, इसके लिए आगरा के नगर निगम में हैल्थ मैनुअल के हिसाब से 8000 सफाई कर्मचारी होनी चाहिए, मात्र 1600 काम कर रहे हैं, कैसे स्वच्छ आगरा होगा ? कर्मचारियों की भर्ती बढ़ना चाहिए। ऐसा कोई विषय नहीं

है इसमें कि आकर्षक आगरा हो, इसके लिए नए–नए उपयोग होने चाहिए, विकास होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आगरा में एक कीथम झील है, उस जैसी बड़ी झील पूरे उत्तरी भारत में कहीं नहीं है। हरियाणा अपनी छोटी सी झील बटकल से पर्यटक आकर्षित कर रहा है। लेकिन हम कीथम झील को पर्यटन मानचित्र पर नहीं परोस पा रहे हैं। वहां प्राकृतिक सौन्दर्य है यह महाकवि सूरदास से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसको अगर पर्यटन के मानचित्र पर लाया जाता, उसका विकास किया जाता, आर्थिक रीढ़ मजबूत होती उत्तर प्रदेश की समृद्धि के द्वार खुले।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य श्री उपाध्याय जी, आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

मान्यवर, आप बार–बार मुझे टोक रहे हैं, इस ढपोर शंखी दस्तावेज के लिए कहने को बहुत कुछ है। समय का अभाव है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद मैं इतना ही कह सकता हूं कि 'मैं हंस कर तेरे इस जोरो सितम को इसे पढ़ते–पढ़ते रो पड़ा हूं'।

'श्री लोकेश दीक्षित–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश विरोधी सरकार है, गन्ना किसान विरोधी सरकार है, व्यापारी विरोधी सरकार और पत्रकार विरोधी सरकार है। मान्यवर, हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान गन्ना प्रदेश है और इस सरकार ने तीन साल से किसानों को बराबर पैसा नहीं दिया। हर किसान एक ही बात कहता है कि एक ही ऐसी देवी है इस पूरे भारतवर्ष में, एक ही नेता ऐसी है जो किसान, दलित की बेटी साक्षात् देवी का रूप है। हर हफ्ते किसान के गन्ने का पेमेण्ट उसके खाते में भिजवाने का जो काम करती थी, उस बहन कुमारी मायावती जी ने किसानों के ऊपर बहुत बड़ा आर्शीवाद और प्यार दिया। मान्यवर, पहली बार मैंने अपने जीवन में देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा है और मैं सामने वाली बैठी हुयी सरकार से कहना चाहता हूं कि इनके खोखले वायदे और इनका ढपोरशंखी यह बजट किसान के काम नहीं आने वाला और न ही इन्होंने कुछ दिया। मान्यवर, हमारे बागपत में दिल्ली–यमुनोत्री मार्ग 2009–10 में चालू हो गया था। जब इनकी सरकार आयी उसको इन्होंने बंद करा दिया। अगर 6 लेन दिल्ली–यमुनोत्री मार्ग

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर किसी नेता ने कराया है तो उसका बहन कुमारी मायावती नाम है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश सिर्फ एक ही बात कहता है, तीनों लोकों में अगर आज किसी का नाम लिया जाता है तो बहन कुमारी मायावती जी का लिया जाता है।

यह ऐसे नहीं कि झूठे वायदे कर दिए, इन्होंने और इन्होंने भी, कह दिया काला धन ले आऊंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा, पर बहन मायावती जी कहती नहीं हैं कर के दिखाती हैं क्योंकि बी0आर0 अम्बेडकर का जो सपना है वह बहन जी पूरा करेंगी। यह मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा बागपत जिला यमुना के किनारे पर बसा हुआ है। यमुना के किनारे पर बसा होने के कारण हमारे किसानों की जमीन यमुना के जल से कट जाती है। इसलिए महामहिम राज्यपाल जी से मैं कहना चाहता हूं जो इन्होंने यहां पर खड़े हो कर ढपोरशंखी यह पढ़ा था, दो लाइन आगे से और दो लाइनें पीछे की पढ़कर चले गए मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको किसानों को बचाने के लिए वहां पर ठोकरें लगानी चाहिए। जैसे कि खेड़ा, दाना, लोहारी, खामखोट, मेथला तमाम ऐसे गांव हैं जहां के किसानों की जमीन कट गयी है। मैं इस सरकार से एक बात और कहना चाहता हूं कि इनकी सरकार भी ऐसी है और अधिकारी भी इनके ऐसे हैं। बुलन्दशहर की डी0एम0 ने एक दैनिक जागरण के पत्रकार को कितनी भद्दियां बातें कहीं थी। एक सेल्फी लेने के लिए एक आदमी को जेल भिजवा दिया। जब उस पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने अशोभनीय टिप्पणी की कि क्या तुम्हारी मां–बहनें हों तो मैं दूसरे मर्दों को भेज दूं। ऐसे अधिकारी और वह भी महिला अधिकारी। क्या यह सरकार कानों में रुई डालकर के बैठी हुई है ? धिक्कार है ऐसी सरकार पर। हमारे यहां देनी की जनवानी के अमिक पवार के यहां 10 जनवरी को चोरी हो गयी और अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। जिले में रहते हुए एस0पी0 कार्यालय से मात्र 100 मी0 दूर डकैती हो गयी। अभी तक डकैतों का कोई अता–पता नहीं है। जिन चोरों को पुलिस लाती है, उनसे पैसे लेकर के उनको छोड़ दिया जाता है। मान्यवर, हमारे यहां एक खिंदौरा गांव है। खिंदौरा गांव से साक्षी चौहान का 30 जनवरी को अपहरण हो गया। अपहरण होने के बाद हमने कप्तान और डी0एम0 साहब को काफी चेताया। जब हमने घेरने की बात की तो खुद डी0एम0 और एस0पी0 उस गांव में जाते हैं और वादा करते हैं कि हम साक्षी चौहान बिटिया को 24 घण्टे के अन्दर ढूंढ करके आपके हवाले कर देंगे परन्तु ऐसा नहीं हुआ। मान्यवर, लॉ ऐण्ड ऑर्डर तो चरमरा गया और यह सरकार जागी नहीं सोती रही। मान्यवर, उसका असर यह हुआ कि 11 दिन बाद उस बच्ची का शव मिला। जब शव मिला और हमने कप्तान से कहा कि मरवा दी लड़की। लेकिन अभी तक एक भी अधिकारी, सब इंस्पेक्टर, कोतवाल, कोई भी सस्पेण्ड नहीं किया गया, किसी को कोई पनिशमेण्ट तक नहीं दिया गया और ये कहते हैं कि हम सरकार चला रहे हैं। अरे, हमने पढ़ा था कि जालिम होता है राजा भोज, पर अब हम देख रहे हैं कि इनसे बड़ा जालिम मुझे लगता है कि कोई नहीं है। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं इस सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि या तो हमारी नेता से सीख ले लो वरना आपका पत्ता साफ। लॉ एण्ड ऑर्डर के मामले में भी, किसानों के

मामले में भी हर जगह इनका पत्ता साफ है और अब तुम्हारा मामला बनने वाला नहीं है क्योंकि जल्द ही बहन कुमारी मायावती जी आ रही हैं, हमारा मिशन, 2017 शुरु है और आप लोगों का खाता तक कहीं खुलने वाला नहीं है। मैं एक वादा करता हूं कि इनकी तो जमानत जब्त होनी ही होनी है।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य, श्री लोकेश दीक्षित जी, आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री लोकेश दीक्षित–

मान्यवर, मैं एक छोटी सी बात कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारे यहां बड़ौत तहसील है, वहां कम से कम 50 बीघा में एक तालाब है, कब्रिस्तान है, माता का धाम है। बड़ौत का एस0डी0एम0 हर्षवर्धन और तहसीलदार राजबहादुर सिंह वहां कालोनी काटने का काम रहे हैं इसीलिए इस सरकार की पोल खोल रहा हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। मान्यवर, आप मेरी बात सुन लें कि ये सरकार मुसलमानों की बात करती है लेकिन उस कब्रिस्तान में, वहां उनका कब्रिस्तान ही सरेआम घिर रहा है, वहां तालाब को घेरा जा रहा है, माता के धाम को ही रात में क्रेन से उतार दिया गया। मैं मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण पर कहना चाहता हूं कि कानून–व्यवस्था न तो दिल्ली वाले संभाल पा रहे हैं और न ही यू0पी0 वाले संभाल पा रहे हैं। अब हम आ रहे हैं, यू0पी0 में भी राज करेंगे और दिल्ली में भी राज करेंगे क्योंकि एक मात्र नेता हिस्दुस्तान में ऐसी है जिसका तीनों लोकों में डंका बजता है और हम लोग जब आएंगे तो अपराधियों का सूपड़ा साफ कर देंगे और किसानों को नई ऊर्जा देकर के भारत का भाग्य लिखने का काम हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी करेंगी क्योंकि वह साक्षात् दुर्गा हैं, साक्षात् अम्बे हैं, साक्षात् जगदम्बे हैं। वह जब आती हैं तो दलित, किसान, मजदूर, दबा–कुचला समाज, हमारे अपर कास्ट के गरीब लोग जय–जयकार करते हैं, देशी घी के दिये जलाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि बहन कुमार मायावती जी ही ऐसी एक नेता हैं कि उनके आने पर रात को खेतों में किसान काम करता है, उद्योग चलते हैं और ये सरकार कभी काम नहीं कर सकती। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

'श्री इन्दल कुमार–

मान्यवर, आपने मुझे मा0 श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन पर बोलने के लिये समय दिया, मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी हमारे सामने जो एक मा0 सदस्य बोल रहे थे तो इनकी नेता ने खुद ही कह दिया है कि इस बार हम पत्थर नहीं लगाएंगे, विकास करेंगे। अगर विकास किया होता तो यह बयान नहीं आता और साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों को विकास दिख ही नहीं रहा है, न इधर वालों को और न उधर वालों को। आप बताईये एक तरफ हमारे मुख्य मंत्री जी हैं। अगर लखनऊ में मेट्रो बना रहे हैं तो 5

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जगह और भी बना रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी हैं कि 73 सांसद यू0पी0 से, प्रधानमंत्री यू0पी0 से, गृह मंत्री यू0पी0 से और जब स्मार्ट सिटी की बात आई तो एक भी शहर का नाम पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं आया। आप विकास की बात करते हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मुख्य मंत्री जी को कि राह चलने वाले की चिन्ता किसने की, हमारे मुख्य मंत्री जी ने की। लोगों का एक्सीडेण्ट हो जाता था और कोई पुरसा हाल नहीं होता था तो 108 एम्बुलेन्स चलाई। हमारी महिलाओं के लिए किसने चिन्ता की और 102 एम्बुलेन्स चलाई। यहां तक कि जो लोग कैंसर से पीड़ित थे उनके लिए अस्पताल बनाने का काम किसने किया, हमारे मुख्य मंत्री जी ने किया और इनको विकास दिखाई नहीं दे रहा है। इन्होंने एक स्टेट हाई–वे बनाया, कई सरकारों ने बनाया है। किसान जेल गए, लाठी–डण्डा खाए और आज भी मुकदमें चल रहे होंगे। ये न हो तो इतिहास उठाकर देख लीजिए और एक तरफ हमारे मुख्य मंत्री जी स्टेट हाई–वे बना रहे हैं एक भी आपत्ति नहीं आई और इतना मुआवजा लोगों को दे दिया है, लोग खुश हो गए हैं। हमारे क्षेत्र में एक मातीपुर गांव है, जिसको विस्थापित किया गया दूसरी जगह पर हमारे मुख्य मंत्री जी ने पूरा मुआवजा दिया। उनकी जो ईंट का पैसा था, वह भी दिया, उनकी जमीन का वाजिब पैसा दे दिया उसके बाद भी कहा कि जो यह मलवा निकलेगा, ईटा–पत्थर निकलेगा वह भी आप ले जाइये। पूरा गांव खुश हो गया मैं अभी एक तेरहवीं में गया था, पूरा गांव धन्यवाद दे रहा है। एक तरफ हमारे मुख्य मंत्री जी हैं, और एक तरफ आप लोग हैं, जो इस तरह बात करते हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना बड़ा काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में कितने शिक्षामित्रों को समायोजित करके अध्यापक बना दिया, कितना बड़ा काम किया आपको कुछ दिखायी नहीं दे रहा है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि चाहे स्वास्थ्य हो या चाहे शिक्षा हो चाहे किसानों के बारे में हो। किसानों की सिंचाई के बारे में किसने सोचा, सिंचाई किसने माफ की, ये इनको दिखायी नहीं देता है। एक लाख का बीमा मिलता था, उसे पांच लाख हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया अब तो इस बार दुर्घटना बीमा भी ले आए, दुर्घटना में पैसा देंगे। दूसरी बात, जो जनप्रतिनिधि होते थे, हमारे प्रधान होते थे, हमारे बी0डी0सी0 होते थे उनको भी मानदेय देने का काम किसने किया हमारी समाजवादी पार्टी सरकार ने काम किया। इनको कुछ दिखाई नहीं देता।

मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जब हमारे पूर्व मुख्य मंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी, मुख्य मंत्री थे, तब मलिहाबाद में एक फल मण्डी बनाने का निर्णय लिया था। पांच साल आपकी सरकार रही आपने उसमें एक ईंटा भी रखने का काम नहीं किया। हमारे मुख्य मंत्री जी आए हमने निवेदन किया कुछ किसानों से विवाद था, तो उन्होंने 2 करोड़ रुपये पहले दे दिया, हमने विवाद निपटाया, बाउण्ड्री बना ली अभी 79 करोड़ रुपये इस बजट में दे दिया, जिससे मण्डी बनने जा रही है। इनको काम दिखायी नहीं देता है तो कौन बताये। हमारे क्षेत्र में माननीय अधिष्ठाता महोदय, मलिहाबाद से मोहान रोड चौड़ीकरण किसने कराई। उसके लिए माननीय शिवपाल भैय्या ने पैसा दे दिया। हमारे यहां माल से जो दुबग्गा रोड आती है,

उसमें हर महीने में 3–4 एक्सीडेंट हो जाते थे, लोग मर जाते थे। उसके लिए भी पैसा किसने दिया। इनकी भी सरकार रही है। इनको तो विकास दिखायी नहीं देता है तो कौन कहे। ये लोग अपनी–अपनी बात करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत–बहुत, धन्यवाद माननीय अधिष्ठाता महोदय।

'श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, ढेर सारा साधुवाद मैं आपको देता हूं। यह राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा है, कुछ समर्थन में भी लोग बोल रहे हैं, कुछ संसोधन की बात कर रहे हैं। एक तरफ पक्ष है और एक तरफ विपक्ष है कुछ लोग निष्पक्ष भी होते हैं, जहां आप पीठ पर बैठे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, यह जो राज्यपाल का अभिभाषण है, जिस पर हम लोग अपनी बात कहने जा रहे हैं, इसमें पूरे के पूरे में सम्प्रभुता का मजाक है। पूरी रचना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जिस सरकार का निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता और वचनबद्धता की बात की जा रही है, उस पक्ष के लोग ही, एक बार नहीं अनेकों बार यह बात आ रही है कि सरकार हमारी है, लिहाजा हमारे काम ज्यादा होंगे। जब सारे काम आप ही के होंगे तो फिर विपक्ष का क्या काम ? माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, हम आग्रह करना चाहते हैं यदि कोई हमारा आग्रह स्वीकार कर सके, लेकिन करेंगे नहीं हम बताये दे रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी को हमारा विनम्रतापूर्वक आग्रह है आपके माध्यम से उन्होंने कभी यह बात न कही थी और न सोची थी। योग्य बाप का योग्य पुत्र वह कहलाता है, जो अपने पिता से भी ज्यादा अच्छे कार्य करे। उन्होंने यहीं बैठकर यह बात एक बार नहीं अनेकों बार कही थी कि सारे विपक्ष, सारे सदस्यों को हम इतने किलोमीटर सड़क देंगे, इतने हैण्डपम्प देंगे, इतने नलकूप देंगे। उस समय कहे थे और माननीय मुख्य मंत्री जी आये पिछली बार जो इन्होंने बाते कहीं उन्हे निकाल कर देख लीजिये कि क्या कहीं थी, हम रखेंगे, लोहिया में समायोजन करेंगे, हैण्डपम्प देंगे और ढाक के तीन पात। आप कहते हैं कि कब कही थी। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कितनी बड़ी–बड़ी बात शिक्षा के बारे में कह रहे हैं कि आपको इन्जीनियरिंग कालेज नहीं दिख रहे, आपके मेडिकल कालेज नहीं दिख रहे, हमें सब दिख रहे हैं। हमें इन्जीनियरिंग भी दिख रहे हैं, मेडिकल भी दिख रहे हैं लेकिन कम से कम आप अपने चश्में से इतना देख लो जो प्राईवेट सैक्टर में यूनिवर्सिटी खोली हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो डिग्रियां बांटी जा रही हैं उससे प्रदेश की शिक्षा का क्या मजाक हो रहा है ? यह भी तो देखिये हम आग्रह करना चाहते हैं, हमारे पास साधन नहीं हैं हम मानते है इसलिए प्राईवेट सेक्टर में कालेज खोलना हमारी आवश्यकता है, बट यूनिवर्सिटी खोलना हमारी कोई मजबूरी नहीं है।

यदि यूनिवर्सिटी पर लगाम न लगाई गयी, प्राईवेट सेक्टर में स्कूल खोलना इसलिए आवश्यक है कि अगर हमने नौजवानों को एजूकेशन देना बन्द कर दी तो इण्टरमीडियेट के बाद कहते हैं इम्प्टी माइन्ड इज डेविल्स हाउस, शैतान का घर बन

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जायेगा इसलिए आवश्यकता है हम जानते हैं नौकरी मिले न मिले लेकिन यूनिवर्सिटी खोल कर यह डिग्रियों का बंटवारा करोगे तो एक न एक दिन जिस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की आप बात करते हैं वह सपना धूल–धूसरित हो जायेगा। अधिष्ठाता महोदय मैं आग्रह करना चाहता हूं पूरे वेस्टर्न यू0पी0 की बात अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि किसान विरोधी, छात्र विरोधी, श्रमिक विरोधी सब चीज के विरोधी हैं, आपके पास कोई जवाब है। एक भी जवाब नही है केवल ये इतना कह सकते हैं कि हमारा पुल बन गया, आपका पुल बन गया, हमारा पुल नहीं बना तो हम क्या बोलेंगे। आपका पुल बन गया आप बोलेंगे कि ठीक है सरकार बहुत अच्छी है और हमारा पुल नहीं बना तो हम क्या बोलेंगे सावन के अन्धे को हरा–हरा ही दिखता है। हमे नहीं दिख रहा। पूरे वेन्टर्न यू0पी0 में खुली चुनौती देता हूं और कह रहे हैं चिन्गारी, हमारे श्री रामकरन जी कह रहे थे कि चिंगारी उठी, गोला उठा। अधिष्ठाता महोदय चिन्गारी की जो बात उठी पूरे पंचायत के चुनाव मे जो हुआ है, शाबाशी देंगे हम सरकार को, क्या कमाल का काम किया है। मोदी जी का सीना तो 56 इन्ची था जवाब में आया कि हम 58 और 60 इन्ची हैं और अब मोदी जी विदेश जाते हैं तो वे और चौड़ा कर लेते हैं। अब सीना चौड़े में इतनी तो एम0एल0सी0 की सीट हो गयीं, इतनी ब्लाक प्रमुख की हो गयीं, चिन्गारी आखिर लगी कहां से, पंचायती के चुनाव से शुभारम्भ और श्री गणेश हुआ है और श्री गणेश मुजफ्फनगर, सहारनपुर में हुआ और अयोध्या के श्री मित्रसेन जी हमारे बीच में नही हैं, भावान्जलि, श्रृद्धांजलि पूरा सदन दे चुका है। अगर मित्रसेन जी की सीट न होती तो तीनों में बाईइलेक्शन में सरकार हार जाये यह चिन्गारी नहीं गोला है। हम फिर कहना चाहते हैं हमारे मथुरा, वृन्दावन के साथ जो मजाक किया जा रहा है, जो मजाक पूरे बृज भूमि के साथ, वह तो इसीलिए कह रहे है कि जब कभी माननीय नेता जी हुआ करते थे तो विरोधी दलों से कहा करते थे कि तुम राम के वंशज हो, मैं कृष्ण का वंशज हूं। कृष्ण के वंशज बन के दिखाओ। इसलिए वहां के लिए सम्प्रभुता रचना निर्माण और विकास की बात करो लेकिन हो क्या रहा है वृन्दावन में नो इन्ट्री सिस्टम, नो इन्ट्री सिस्टम तो दुकानें बन्द, नो इन्ट्री सिस्टम रिक्शा बन्द, नो इन्ट्री सिस्टम गेस्ट हाउस बन्द, नो इन्ट्री सिस्टम होटल बन्द, नो इन्ट्री सिस्टम वृन्दावन बन्द। जब सारी चीज बन्द हो रही है और जिस शिष्टाचार की बात सरकार करती है कहे हम भ्रष्टाचार के विरोधी शिष्टाचार के समर्थक हैं। अधिष्ठाता महोदय, वहीं विकास प्राधिकरण ने गरीबों के, निर्धनों के मकान बनवाये और पैसा लिया, मैं आरोप लगाता हूं जांच हो। वह भ्रष्टाचार के बल पर बने अब तोड़ रहे हैं उन्ही को और वह भी पैसा मांग रहे हैं। एक ही चीज के लिए दो–दो बार भ्रष्टाचार। इसलिए अधिष्ठाता महोदय, इस पर चर्चा होनी चाहिए यह मजाक है, जनता जनार्दन के साथ खिलवाड़ भी है। इसलिए सारी चीज छोड़ी गयी हैं सारे किसानों का, छात्रों का हित असुरक्षित है इसीलिए मैं इसमें संशोधन की बात करता हूं इसमें जोड़ने की बात करता हूं और कुछ कहने की बात करता हूं, धन्यवाद।

डा0 मो0 अय्यूब–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का मौका दिया मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश में आज सम्प्रदायिक ताकतों और सपा सरकार की मिलीजुली साजिश से पूरी तरीके से यहां की कानून–व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है। विसाढ़ा गांव दादरी में एखलाक की हत्या, मुजफ्फरनगर में दंगा और कटका में निषाद समाज का आरक्षण के लिए प्रदर्शन उसमें अखिलेश निषाद की मौत यह सब जाहिर करता है कि यह सरकार संवेदनशील नहीं है और न ही समाज की समस्याओं के प्रति गम्भीर है। अधिष्ठाता महोदय, 2000 से 3000 लोगों ने एखलाक के घर को घेरा लेकिन आज तक उन सभी दंगाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुजफ्फरनगर और 300 से ज्यादा हुए दंगों में जितने लोग शामिलहाल रहे उन सबमें किसी दोषी को अभी तक सजा नहीं मिली है। अधिष्ठाता महोदय, बुनकरों का समाज में जो कमजोर वर्ग है विशेषकर बुनकर, धुनकर और दस्तकार से जो भी वायदा सरकार ने किया था उस किसी वायदे को सरकार ने पूरा नहीं किया है चाहे उनके कर्जमाफी का वायदा हो, चाहे उन्हें सस्ते दर पर बिजली देने का वायदा हो, चाहे इनके 5 लाख रुपये का बीमा कराना हो, चाहे स्वास्थ्य बीमा कार्ड बनवाना हो किसी भी वायदे को सरकार ने पूरा नहीं किया है। आज जो चुनाव हुआ पंचायती राज का, इसमें अति पिछड़े समाज और अति दलित समाज है इस समाज का प्रतिनिधित्व करीब–करीब नगण्य रह गया है। हमारी आपके माध्यम से सरकार से यह मांग है कि पंचायती राज के चुनाव में अति पिछड़े वर्ग का और अति दलित वर्ग का आरक्षण अलग कर दिया जाय उनकी आबादी के अनुपात में ताकि उनका भी प्रतिनिधित्व हो और साथ ही जो समस्याएं मुस्लिम समाज को सरकार और सरकार के प्रशासन से रही है उसके समाधान के लिए सरकार ने यह फैसला लिया था कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों की तैनाती मुसलमानों की होगी मगर इस नियम पर आज तक कोई काम नहीं किया गया है और अधिकारी नियुक्त नहीं हो पाये हैं। अधिष्ठाता महोदय, मल्टी सेक्टोरियल प्रोजेक्ट जो केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार की सहभागिता से अमल में लाया जाता है। इसके तहत जो मुस्लिम बाहुल्य ब्लाक हैं, उसमें 10 करोड़ रुपये की लागत से विकास के कार्य होते हैं, लेकिन मल्टी सेक्टोरियल प्रोजेक्ट का कोई भी कार्य मुस्लिम बाहुल्य इलाके में नहीं हो रहा है। इसका लाभ किसी भी मुस्लिम बाहुल्य इलाके में नहीं मिल रहा है। अधिष्ठाता महोदय, जो सबसे बड़ी समस्या है, वह मुसलमानों के खानपान की है। मुसलमान करीब 80 से 90 परसेण्ट मांसाहारी होते हैं और जिस तरीके से मण्डियों का विकास हुआ है, चाहे सब्जी मण्डी, फल मण्डी, और किसी चीज की मण्डी हो, उसी तरीके से स्लाटर हाऊस का विकास हो जो पहले से भी थे, वह अब करीब–करीब बंद हो रहे हैं। सरकार इनके विकास के लिए कोई कार्य नहीं कर रही है। इससे जो शुद्ध मांस जनता को मिलना चाहिये, वह नहीं मिल पा रहा है। हमारा आपके माध्यम से सरकार को यह सुझाव है कि जो भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, उसमें सरकार जिस तरीके से मण्डियों की व्यवस्था करती है, उसी तरीके से स्लाटर हाऊस की व्यवस्था करे ताकि जनता को शुद्ध मांस मिले कुपोषण की समस्या दूर हो। अधिष्ठाता महोदय, दंगों में ज्यादातर बेकसूर मुसलमान गिरफ्तार हुये हैं। इस सरकार ने चुनाव के पहले यह वायदा किया था कि जितने भी बेकसूर मुसलमान जेलों में बंद हैं, उन्हें छोड़ा जायेगा,

मगर इस पर सरकार ने कोई अमल नहीं किया है और न ही उन बेकसूर मुसलमानों को छोड़ा है। बहुत सारे लोग अभी अदालत से बरी भी हुये हैं, मगर सरकार ने उन पर कोई पहल नहीं किया है। अधिष्ठाता महोदय, उसमें मदरसे करीब–करीब हर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में हैं, इन मदरसों में सिर्फ गरीब मुसलमानों के बच्चे तालीम हासिल करते हैं और सच्चर कमेटी ने यह बताया है कि मुसलमान सामाजिक और शैक्षिक रूप से दलित से भी दयनीय हो गया है। सबसे कमजोर मुसलमान के बच्चे इन मदरसों में पढ़ते हैं, पिछले विधान सभा सत्र में हमने सरकार से यह आग्रह किया था और सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण में कहा है कि 14 साल के बच्चों को जो एक से आठ तक की तालीम लेते हैं, उन सबको मिड–डे–मील दिया जायेगा। मगर उन बच्चों को जो सबसे गरीब हैं, मुस्लिम समुदाय के हैं और जो सारे समाज से पिछड़े हैं, उनको मिड–डे–मील देने की व्यवस्था नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह सरकार का दायित्व है और सरकार का बजट जनता के पैसे से चलता है और समाज का जो सबसे कमजोर वर्ग है, जो तालीम मदरसों में हासिल करता है, तो सरकार का दायित्व है कि उनके भी विकास के लिए उनके भी कुपोषण को दूर करने के लिए मिड डे मील उपलब्ध कराये।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, आज बोलने वाले सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिये कृपया अपनी बात संक्षेप में रखकर समाप्त करें।

डा0 मो0 अय्यूब–

माननीय अधिष्ठाता जी, एक मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद में बहुत सारे गांवों में लकड़ी के खम्भों पर अभी भी बिजली की व्यवस्था है। सरकार की यह घोषणा है कि सभी लकड़ी के खम्भो को बदल करके आर0सी0सी0 के खम्भे लगाये जायेंगे, लेकिन अभी तक काम नहीं हो पाया है। अधिष्ठाता महोदय, टीमा रहमत से सेमरियावां तक और देवरिया लार से अगिया होते हुए सेमरियावां तक का रास्ता, जो जिला हेड क्वार्टर से हमारे विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक का मुख्य रास्ता है, यह बिल्कुल जर्जर है और इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। जो सबसे बड़ी दुर्घटना हुयी है हमारे विधान सभा मगहर में, जो देश का शांति का प्रतीक है जहां पर कबीरदास की स्थली है, वहां मगहर कस्बे में पुलिस के लोगों ने दंगा कराने का काम किया है। हिन्दू, मुसलमान हमेशा वहां मिलकर रहते आये हैं। हमने इसके बारे में रिपोर्ट प्रशासन को और मुख्य मंत्री जी को भी दिया है कि पुलिस के लोग दंगा कराने में शामिल रहे हैं और इस पर अभी तक कोई जांच नहीं हुयी और न ही कोई कार्रवाई हुयी। अधिष्ठाता महोदय, आपने हमें बोलने का मौका दिया, मैं आपको इसके लिये धन्यवाद देता हूं।

'श्री गुटियारी लाल दुबेश–

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं विपक्ष के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पक्ष में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं आगरा शहर से चुनकर आता हूं और शहर में उस सीट से, जहां पर ताजमहल है। मान्यवर, पिछले साढ़े 3 साल के अन्दर आगरा में 22 सर्राफों की हत्या हो गयी, इसकी लिस्ट मेरे पास है। इससे पहले कभी आगरा में ऐसा नहीं हुआ था राजू भाई देख रहे हैं, मैं सत्य घटना बता रहा हूं। उसके बाद सबसे बड़ी घटना परसों हुयी कि 13 तारीख को सत्येन्द्र नाम का व्यक्ति अम्बेडकर विश्वविद्यालय में नौकरी करता था, जो ईमानदार लिपिक था, उस पर कालेज के माफियाओं द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि गलत साइन कर दो, उसने साफ मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो उसको बराबर धमकियां दी जा रही थी और जब वह अपनी ड्यूटी आफ करके आ रहा था तो रास्ते में उसको गोली मार दी। इसको लेकर आज विश्वविद्यालय के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस समय क्राइम चरम पर है। जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने आगरा में 900 बीघे का लेदर पार्क स्वीकृत कराया था। मैं बार–बार इस विधान सभा में इस बात का जिक्र करता हूं क्योंकि जूता उद्योग से मैं जुड़ा हुआ हूं। वहां पर जो जूता उद्योग है यह उद्योग लगातार दम तोड़ रहा है, जितने हजार का कारोबार करना चाहिये था, वह अब नहीं कर पा रहा है। वहां से उद्योग दिल्ली और चेन्नई चला गया। यह बड़ी भारी समस्या है लेकिन जो हम लोगों ने लेदर पार्क स्वीकृत कराया था, उसका आधा निर्माण हो गया और आधा निर्माण इस सरकार द्वारा नहीं कराया गया है। अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से यह सूचना माननीय मुख्य मंत्री जी तक पहुंच जाय।

मान्यवर, दूसरी बात, आगरा ताजमहल के पूर्वी गेट पर वी0आई0पी0 गेट है, वहां पर 1800 ऐसे व्यक्ति निवास करते हैं जहां पर उनके जाने की व्यवस्था नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति से पास मांगा जाता है, जब माननीय मुख्य मंत्री जी आगरा गये थे तो उन्होंने घोषणा की थी और अधिकारियों से कहा था कि वहां उनके जाने के लिये वैकल्पिक मार्ग बनाया जाय। यह मार्ग बन सकता है वहां पर जगह भी है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के बावजूद भी वहां के वैकल्पिक मार्ग का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अगर वैकल्पिक मार्ग का निर्माण शुरू हो गया तो वह जो 1800 व्यक्ति वहां निवास करते हैं, जो दवाई के लिये परेशान होते हैं, वहां गाड़ी नहीं जा सकती, मोटरसाइकिल नहीं जा सकती तो इस मार्ग के बन जाने से उनको राहत मिलेगी। मान्यवर, ताजमहल के पास शौचालय है, ताजमहल सबको नजर आता है, वी0आई0पी0, वी0वी0आई0पी0, देश के, विदेश के समिट हो, उद्योग की बात हो, कोई भी मीटिंग हो तो आगरा नजर आता है। मान्यवर, अगर आगरा की हालत देखनी है तो उसके पूर्वी गेट पर 50 मीटर की दूरी पर आप शौचालय में शौच करने नहीं जा सकते। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि यह हमारी विधान सभा क्षेत्र है और मैंने वहां के सारे शौचालय देखे हैं। क्या वहां के अधिकारी, क्या वहां के नगर आयुक्त यह नहीं कर सकते कि वहां के शौचालय ठीक से बनवा दिये जायें। नगर निगम के पास पैसा नहीं है।

मान्यवर, सड़कों की हालत यह है कि एकदम जर्जर पड़ी हुयी है। एक और सबसे जटिल समस्या है, आगरा में एयरपोर्ट को लेकर हमारे बहुत से साथी कहते हैं और अभी हमारे उपाध्याय जी कह रहे थे। हमारी भी मांग है और आगरा शहर की जनता की भी मांग है, पूरे मंडल की मांग है कि आगरा में यदि इंटरनेशनल एयरपोर्ट न बने तो कम से कम डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनना चाहिये। वहां धनौली के पास में 55 एकड़ जमीन सरकार ने एक्वायर की है और एक्यावर करने के बाद सरकार इतना भी नहीं कर सकती कि उसका मुआवजा दे दें। अगर किसानों को मुआवजा दे दिया जायेगा तो वहां 55 एकड़ जमीन खाली पड़ी है तो वहां पर एयरपोर्ट की स्थापना हो सकती है। बहुत बड़ा फायदा मिलेगा वहां के उद्योग के लिए। आगरा में दिल्ली का पर्यटक आता है, पर्यटक दिन पर दिन बढ़ रहा है ताजमहल की वजह से, दिल्ली का पर्यटक आता है और अन्य जगहों का पर्यटक आता है, वह सुबह आता है और शाम को वापस चला जाता है, वह वहां रहता ही नहीं है। पेठे का कारोबार है उसे आगरा शहर से बाहर जाना चाहिए लेकिन उसकी कोई स्थापना नहीं है। आगरा में अन्दर एक जूता पार्क बनवाया था, हींग की मंडी में जूता बेचते हैं सर पर डलिया ले जाकर, इसीलिए उसकी स्थापना की थी क्योंकि आगरा में जूते का कारोबार बहुत बड़ा है। आगरा में लेदर पार्क की स्थापना होनी चाहिए। मान्यवर दो मिनट लूंगा, मान्यवर, क्रिकेट का मैदान स्टेडियम अनेक शहरों में हो सकता है कानपुर में हो सकता है, लखनऊ में हो सकता है तो आगरा में क्यों नहीं हो सकता है। एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना आगरा में भी होनी चाहिए। बात आती है सड़कों की, मैं ताजमहल की बात बता रहा हूं यहां पर ऐसी सड़के हैं जहॉ पर अंग्रेज पर्यटक आते हैं तमाम देशी–विदेशी पर्यटक आते हैं और फोटो खींचकर ले जाते हैं, टिप्पणियां करता है, फेसबुक पर लोड करता है। वहां पर गाय, भैंस, सुअर और एक–एक फिट के गड्ढे हैं और उनमें कीचड़ है।

इस प्रकार की सड़कें मैं बता रहा हूं लगड़ा डील से धांधूपुरा की सड़क बन जाए उसकी दूरी ताजमहल से मात्र डेढ़ किलोमीटर की है। मधूनगर में आनन्द पाठक जी के मकान वाली गली, यह एयरपोर्ट से डेढ–दो किलोमीटर की दूरी पर है। राजपुर चुंगी में नगला महादेव पड़ता है, ताजमहल से सीधी सड़क गई है जो कि राजपुर चुंगी आ जाती है, वहां पर भी अंग्रेज घूमते–घूमते चले जाते हैं, नगला महादेव में जायेंगे तो एक–एक फिट कीचड़ भरा हुआ है। नरीपुरा में एक बौद्ध विहार वाली गली है वह भी वी0आई0पी0 रोड के पास है और दूसरी राजपुर में एक जॉन मेंटल पब्लिक स्कूल बहुत बड़ा है वह भी ताजमहल से दो किलोमीटर दूर है वहां आये दिन बच्चे परेशान हो जाते हैं उस सड़क का निर्माण हो जाए और मान्यवर रकाबगंज में एक सेप्टिक टैंक है तीन साल से मैं बराबर कह रहा हूं वह डैमेज पड़ा हुआ है क्षतिग्रस्त है उसमें मैंने एक साल पहले कुत्ता मरा हुआ देखा था। इसे मीडिया ने भी छापा क्या वहां जल संस्थान का एक सेप्टिक टैंक नहीं बन सकता। यह आगरा की वह हॉट सीट है जहां लोग ताजमहल देखने जाते हैं, समिट करने जाते हैं। मान्यवर, हमारी ये बातें आपके माध्यम से मा0 मुख्य

मंत्री जी तक पहुंच जाएं, आपने हमें बोलने के लिए समय दिया आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री विजय बहादुर पाल–

मा0 अधिष्ठाता महोदय एवं सम्मानित सदन महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने की आपने अनुमति दी। आपको कोटि–कोटि धन्यवाद्। अभी विपक्ष के मा0 सदस्यों की ओर से बार–बार यह कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी, डॉ0 लोहिया और तमाम समाजवादी नेताओं, मा0 मुलायम सिंह यादव, जनेश्वर मिश्र जी तमाम लोगों का नाम लेते हैं। लेकिन उनका, उनके नाम सिद्धान्तों और आदर्शों से दूर–दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मैं सम्मानित नेताओं से बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि यहां तो ऐसे लोग भी सामने बैठे हैं जिन्होंने राष्ट्रपिता बापू को ठिकाने लगाया, राम को भी ठिकाने लगाया। एक ऐसे सज्जन हैं, जो अभी देवी–देवी चिल्ला रहे थे। अगर आप एक देवी को चिल्लाओगे, तो यह तो बताओ कि और देवियों को किस स्थान पर ले जाओगे। अरे। अम्बेडकर को भूल गये, कांशीराम जी को भूल गये। एक देवी, देवी, देवी। यह भी कहो कि देवी का मतलब तानाशाही का दूसरा नाम। यह भी कहो कि बिना लोकलाज के लोकतन्त्र को मरघट पर ले जाने वाली देवी, यह भी कहो पैसा, पत्थर, पार्क, प्रतिमा और इंजीनियर की हत्या और क्या–क्या कहें ? इतनी जल्दी भूल जाते हो। आप भरी सभा में कहते हो कि जनता भूलने की बड़ी शौकीन होती है। आप यह भी कहो कि आप जैसे नेता भी भूलने के शौकीन होते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। समाजवादी पार्टी के घोषणा–पत्र में जो कहा सो किया, सबके लिए किया, सबको दिया। बड़े–बड़े नेता कहते हैं कि त्रि–स्तरीय पंचायत चुनाव में उनका खाता नहीं ख़ुला क्योंकि हम महागुण्डा हैं, हमने बड़ी गुण्डई कर दी। लेकिन यह तो कहो कि आपके सांसद, आपके बड़े–बड़े नेता गांवों में जाते नहीं हैं। ग्राम प्रधान व बी0डी0सी0 को पहचानते नहीं हैं। उनसे आपका दूर–दूर तक नाता नहीं है। आप बी0डी0सी0, ब्लाक–प्रमुख को ठीक से जानने–पहचानने का काम नहीं करते। जिला पंचायत सदस्य आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। अध्यक्ष, जिला पंचायत से तो आपका दूर–दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं, उनकी पद की प्रतिष्ठा और काम जानने की जरूरत नहीं समझते। (ब0स0पा0 की तरफ से आवाज आयी कि उधम प्रदेश)। हां, उत्तम प्रदेश और आप थे लुटेरे, प्रदेश भर के थे कमेरे। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायी।)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री विजय बहादुर पाल–

मान्यवर, कृपा करके इतना तो न्याय कीजिए। उत्तम प्रदेश का मतलब पानी, बिजली, सड़कें, चिकित्सा, स्वास्थ्य, स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इन्जीनियरिंग कॉलेज। विकास के इतने काम। आप कहते हो कि विकास किसके लिए ? विकास गिने–चुने लोगों के लिए नहीं। विकास किसी एक के लिए नहीं। विकास मुट्ठी

भर लोगों के लिए नहीं। विकास केवल महलों वालों के लिए नहीं, केवल कोठी वालों के लिए नहीं, विकास फटी बनियान और पैरों में बिवाई वाले लोगों के लिए भी है। मर–मर कर जीते मजदूर के लिए भी। किस्मत को कोसते किसान के लिए, विकलांग के लिए। विधवा के लिए, बेटी के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए भी, विद्वानों के लिए भी, नौजवानों के लिए भी है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो चुका है, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री विजय बहादुर पाल–

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं। (ब0स0पा0 के सदस्यों द्वारा टोका–टाकी करने पर) हमने बड़ी विनम्रतापूर्वक आपको सुना। आप भी सुनने की आदत डालिये।

स0पा0 शासन के चार साल, विकास के लिए बेमिसाल।

भ्रामक दुष्प्रचार का है बदहाल,

कुल्हड़ में हुल्लड़ जैसा कीजिए न बवाल।

वायदे पूरे, रहे न शेष, बदले दिल दिमाग परिवेश।

एक के बाद एक संदेश, पूंजीपति कर रहे निवेश।

सत्रह में फिर से अखिलेश।

इसी के साथ माननीय अधिष्ठाता जी आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना'–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं है और हमारे नेता विपक्ष ने जो बातें रखी हैं उससे मैं अपने आपको सम्बद्ध करती हूं। मैं एक महिला जनप्रतिनिधि हूं और अपनी बात वहीं से शुरू करना चाहती हूं। यह वह सदन है जहां पर पहली बार अगर महिला प्रधान बजट रखा था तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने रखा था। मान्यवर, मैं अपनी बात को दोहराते हुए कहना चाहती हूं कि महिलाओं को राजकीय नौकरी में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। मैं किसी अलग से आरक्षण की बात नहीं कहती हूं। जो आरक्षण प्रणाली मौजूद है उसी में उसी वर्ग की महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। आज बुन्देलखण्ड के जो हालात हैं हम सब जानते हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी की बहुत संवेदनशीलता हम लोगों ने देखी, हम सब सहमत हैं। पर मैं पूर्वान्चल से आती हूं और पूर्वान्चल की भी हालत बहुत खराब है जिस तरह से बुन्देलखण्ड की बात रखी गयी है मैं पूर्वान्चल के लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूं कि एक स्पेशल पैकेज पूर्वान्चल के लिए भी वह घोषित करें। आज बिजली प्रदेश की भी सबसे बड़ी

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्राथमिकता है और उद्योग को अगर बढ़ावा देना है, नौजवानों को नौकरी देनी है तो सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर होनी चाहिए तो वह बिजली की। बहुत बड़ा गैप उत्पादन और उपभोग में हो गया है। किसी तरह से हर प्रयास करना चाहिए कि बिजली की व्यवस्था अच्छे से अच्छी हो। मान्यवर, सुना था कि अच्छे दिन आयेंगे। अच्छे दिन तो नहीं आये, पर सूखा आया, ओलावृष्टि आयी, अतिवृष्टि आयी और किसान को जितनी भी मार पड़ सकती थी वो पड़ी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि किसानों को मुआवजा तो मिल रहा है पर उन्होंने लोन भी ले रखे हैं। कम से कम 50 हजार रुपये तक का जो लोन है, वह सरकार को माफ करना चाहिए। बीज और सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। नहरों की सफाई और माइनरों की सफाई पर ध्यान देना चाहिए ताकि आने वाली फसल न खराब हो। अंत में मैं अपने विधान सभा क्षेत्र, अपने जिले के लिये भी कुछ कहना चाहती हूं। प्रतापगढ़ बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। स्वास्थ्य में वहां बहुत सीमित साधन हैं। एक मेडिकल कालेज की स्थापना प्रतापगढ़ में होनी चाहिए। नौजवानों के लिये एक सरकारी आई0टी0आई0 और एक पॉलीटेक्निक का प्रस्ताव मैं रखना चाहती हूं। इतना कह करके आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

[समय 2.55,

'श्री अमरपाल शर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर संशोधन भाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अधिष्ठाता महोदय, हम पश्चिम से आते हैं और पश्चिम में गाजियाबाद के अन्दर एक साहिबाबाद विधान सभा सीट है जो प्रदेश की ही नहीं पूरे देश की सबसे बड़ी विधान सभा क्षेत्र है। जहां की आबादी लगभग 30–35 लाख है और आज की डेट में वहां वोटरों की संख्या साढ़े आठ लाख है। मैं उस विधान सभा से आता हूं। जो महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण था मैंने उसको पढ़ा और उसमें देखा कि गाजियाबाद जिले की जितनी उपेक्षा कर सकते हैं उतनी अपेक्षा सरकार ने की है जबकि आप जानते हैं कि गाजियाबाद जिला सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, सबसे ज्यादा टैक्स देता है। लेकिन गाजियाबाद जिले के लिये कोई चीज उसमें नहीं है। मैं खासकर अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। हमारे यहां वसुन्धरा के अंदर सेक्टर 7 और 8 जिसमें लगभग 102 एकड़ भूमि 1989 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे उन्हीं के द्वारा यह आवास विकास की कालोनी काटी गई थी और इसमें प्रस्ताव रखा गया था। बकायदा नक्शे में दर्शाया गया था और यह भी बताया गया था कि यहां पर एक सरकारी डिग्री कालेज खुलेगा, एक सरकारी अस्पताल खुलेगा, यहां पर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिये बैठने की व्यवस्था होगी, राम लीला मैदान बनेगा। जो भी आम जनता की सुविधाएं हो सकती थीं वह चीजें वहां के लिये दर्शायी गई थी। उसके सारे सेक्टर बिक चुके हैं अब सेक्टर–7 और 8 बचा हुआ है और उस सेक्टर को भी सरकार बेचने की तैयारी में लग रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान उस तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं कि ठीक है कि इनकी

पार्टी के बहुत सारे सदस्य उत्तम प्रदेश की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश कब बनाओगे ? सीवर तक साफ नहीं होते। इनक्रोचमेंट आपसे हटती नहीं। बातें लम्बी लम्बी करते हो। गाजियाबाद के अंदर इंदिरापुरम सबसे पॉश एरिया है। यहां पर 60–60 फुट के रोड हैं आज वह इनक्रोचमेंट के कारण 3–3 फुट के बचे हैं। वहां का हाल आप देखना चाहेंगे परसों का अखबार आप वहां का पढ़ें। उसमें मैंने दर्शाया था बकायदा कि किस तरीके से गाजियाबाद को खास करके साहिबाबाद क्षेत्र को शराब और गांजा बेचने का अड्डा बना दिया है। मैंने स्वंय जाकर मौके पर देखा। वहां पर मध्य प्रदेश से लोग आकर, जो सदस्य अभी सरकार की बढ़ाइयां कर रहे थे मेरे मुंह से सुन लें कि क्या सरकार की बढ़ाइयां हैं। मध्य प्रदेश से लोग लाकर साइकिलों पर अपाहिज लोगों के सामने पेटी रखते हैं शराब की, पुड़िया रखते हैं गांजें की, मैंने स्वयं जाकर छापे मारे और स्वंय उनको पकड़ा करके पुलिस के हवाले किया, अखबारों में फोटो सहित छपा हुआ है लेकिन दुर्भाग्य देखिये कि जिसको शाम को मैंने 7 बजे थाने में बंद कराया अगले दिन 12 बजे वही व्यक्ति वहां बैठा शराब बेच रहा है। जब मैंने एस0एच0ओ0 से बात करी तो एस0एच0ओ0 कहता है कि साहब इनको हम जेल नहीं भेज सकते क्योंकि मैजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि जिसमें सात साल की सजा का प्राविधान है उसको आप यहीं से जमानत दे दीजिये। अगर आप जेल नहीं भेज सकते तो आप उनको फिर खुली छूट दे रहे हैं कि आप जाकर बैठिये शराब बेचिये, गांजा बेचिये और युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दीजिये। 133 स्थानों को चिन्हित करके मैंने लिस्ट उपलब्ध कराई और 133 की 133 जगह मैं सदन में कह रहा हूं जो माननीय सदस्य मेरे से बहस करना चाहे मैं सदस्यता से अभी इस्तीफा दे दूंगा। अगर आप जेल नहीं भेज सकते तो आप उन्हें खुली छूट दे रहे हैं कि आप जाकर बैठिए और शराब बेचिए, गांजा बेचिए, और युवा पीढ़ी को बरवाद कर दीजिए। 133 स्थानों को चिन्हित करके मैंने लिस्ट उपलब्ध कराई, और 133 की 133, जो मा0 सदस्य बहस करना चाहे, मैं अपनी सदस्यता से अभी इस्तीफा दे दूंगा अगर मेरी एक बात भी झूठ निकल जाए, 133 के 133 मैं अभी छापा गिरवाता हूं गांजा, शराब खुले आम पुलिस की मिलीभगत से बिकवाया जा रहा है। कोई रोकने वाला नहीं है युवा पीढ़ी बरवाद हो रही है। विकास की बात करते हैं हम, कहां से युवा पीढ़ी पनपेगी, जब युवा पीढ़ी को हम यहीं दबोच देंगे, जब युवा पीढ़ी को हम यहीं लाइन पर लगा रहे हैं कि दो नम्बर की कच्ची शराब गांजा हम बिकवा रहे हैं। पुलिस की सहमति में बिक रहा है। कहीं न कहीं मैं जानना चाहता हूं कि हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी युवा हैं उनकी सोच युवाओं की तरफ थी। हम भी शुरू में कहते थे कि मुख्य मंत्री जी बहुत अच्छे विचारों से चल रहे हैं। हम भी मानते थे कि अच्छे क्षेत्र में कुछ न कुछ युवाओं के लिए योजनायें लाएंगे। उन अच्छी योजनाओं में से क्या यह भी एक अच्छी योजना है मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के पास तक अपनी बात आपके माध्यम से भिजवाना चाहता हूं कि क्या यही योजना थी आपकी, कि उस युवा वर्ग को गांजा पिलायें, उस युवा वर्ग को हरियाणा की शराब पिलायें, क्या यही योजना थी ? इसी के साथ माननीय अधिष्ठाता महोदय हमारी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, कभी भी दलित बस्तियों के अन्दर जो स्कूल हैं

सब आठवीं क्लास या पांचवीं क्लास तक हैं। महामहिम के अभिभाषण में कहीं भी उन चीजों का जिक्र नहीं आया है कि कहीं भी चाहे पप्पू कालोनी हो चाहे मक्खनपुर कालोनी हो कहीं भी एक स्कूल को इण्टर कालेज तक कर दिया जाए या हाई स्कूल तक कर दिया जाए, ताकि वहां यह बच्चे पढ़ सकें। इसी के साथ–साथ मान्यवर, हमारे क्षेत्र के अन्दर इन्क्रोचमेंट की बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन वहां पर जाम लगा रहता है जाम के साथ दूसरी समस्या वहां पर सीवर की बहुत बड़ी समस्या है। तीसरी समस्या पानी की लाइनों की है। तीस साल से वहां की लाइनें आज तक नहीं बदली गई हैं। वह लाइनें ब्लॉक हो चुकी हैं। वहां की पूरी लाइनें चेन्ज कराई जाएं।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री अमरपाल शर्मा–

कितनी बार मांग उठी है कितनी बार आन्दोलन हुए हैं कि गंगा वाटर की सुविधा वहां कराई जाए। ट्रांस इण्डेन में दो एरिए में पानी आता है बाकी एरिया गन्दा पानी पीने के लिए मजबूर है। इसी तरीके से पाल्यूशन की बात जब आती है तो हमारे यहां साइड फोर जो कि इन्ड्रस्टियल एरिया है वहां अवैध तरीके से आर0एन0सी0 प्लान्ट लगा दिए गए हैं जिसकी वजह से इतना पाल्यूशन है कि वहां पर जो बस्ती बसी है उसका जीना दूभर हो चुका है। क्योंकि जब वह आर0एन0सी0 प्लान्ट चलते हैं तो उनकी डस्ट उड़ती है जिसकी वजह से वहां सांस के रोगी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरीके से हमने कितनी बार विधान सभा में प्रश्न पहले भी उठाया है पहले भी हमने 301 में भी लिखा है कि इन्दिरापुरम में कोई रामलीला मैदान नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री अमरपाल शर्मा–

हमारे क्षेत्र में कोई दस बैड का या 100 बैड का कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। चालीस लाख की आबादी में, आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समाप्त हो गया है।

श्री अमरपाल शर्मा–

न कोई सरकारी स्कूल है मेरी आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह मांग है कि हमारी साहिबाबाद विधान सभा के अन्दर पानी की लाइनें चेंज कराई जाएं और जितनी कच्ची कालोनियां हैं उनके तारों को चेन्ज कराकर, जो जर्जर तार हैं वहां बिजली की सुचारू व्यवस्था की जाए। माननीय मंत्री जी बैठे हैं हमने दो साल पहले लिखकर दिया था आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मंत्री जी जवाब दे दें एक खम्भा तक नहीं बदला। इसी के साथ हमारे क्षेत्र में पूरे क्षेत्र के अन्दर कहीं भी कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। कोई न कोई सरकारी अस्पताल वहां पर बनवाया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री अमरपाल शर्मा–

बुर्जुगों के लिए वहां कोई सुविधा नहीं है उनके लिए भी कोई ऐसी सुविधा दी जाए। जहां वह लोग बैठकर किताब पढ़ सकें या फिर अपना समय व्यतीत कर सकें। अधिष्ठाता महोदय, जैसा मैंने आपको अवगत कराया हमारी विधान सभा सबसे बड़ी विधान सभा है। क्षेत्र के अनुसार वहां सुविधा दें।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री अमरपाल शर्मा–

इसलिए मेरा आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कोई ऐसी योजना जरूर लाएं कि वहां लोगों को पानी मिल सके, लोगों को बिजली मिल सके। ट्रैफिक में सुधार हो इसलिए इन्क्रोचमेंट हटवाने की कृपा करें। एक सरकारी अस्पताल खुलवाने की कृपा करें। अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्रीमती कृष्णा पासवान–

मान्यवर,आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया मैं आपकी आभारी हूं। मान्यवर, 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनते ही बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थीं घोषणाएं तो हो गई थीं पीठ भी थपथपाई गई थी पर कार्य वहां तक पहुंचे नहीं हैं चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे पूर्व में बसपा सरकार रही हो दोनों एक दूसरे को सदन के अन्दर कहते हैं कि समाज वादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम यह करेंगे बसपा वाले कहते हैं कि बसपा की सरकार आएगी तो हम यह करेंगे लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। विकास के लिए जहां कहा जाता है चाहे सड़क हो पानी हो बिजली हो चाहे नहरों की सफाई हो चाहे किसानों की बात हो चाहे व्यापारियों की बात हो धरातल पर कुछ भी नहीं है। आज हमारा जनपद फतेहपुर सबसे पिछड़ा जिला है। जनपद फतेहपुर में रोडों की इस तरह की दुर्दशा है कि आप देहात क्षेत्र में कहीं नहीं जा सकते हैं कोई भी देहात क्षेत्र में जाएगा तो बीमार जरूर हो जाएगा। मेरी विधान सभा क्षेत्र खागा विधान सभा क्षेत्र है वहां किसानों के लिए चाहे सूखाग्रस्त घोषित होने की बात हो ओलावृष्टि क्षेत्र घोषित होने की बात हो पर आज तक खागा विधान सभा क्षेत्र में किसानों को एक पैसा नहीं बंटा है दो चार गावों में हो सकता है बंटा हो लेकिन इसके अलावा कहीं पर किसानों को पैसा नहीं मिला। बिजली के लिए कहा जाता है कि हम 16 घण्टे बिजली देते हैं 20 घंटे शहर में बिजली देते हैं पर बिजली की स्थिति यह है कि सात–सात आठ–आठ दिन तक गांवों में बिजली नहीं जाती है। कई बार मैंने क्वैश्चन भी किया और माननीय मंत्री जी को भी लिखकर दिया लेकिन आज तक बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं हुई है। नहरों में कहते हैं कि हम टेल तक पानी पहुंचाएंगे लेकिन मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक निचली गंगा नहर पड़ती है और

रामगंगा नहर पड़ती है निचली गंगा नहर में एक रजबहा सुजानपुर पड़ता है जहां पर रारी सरौली चन्दापुर, गड़हा और टिकुरा टेल पड़ता है वहां कभी पानी नहीं पहुंचता है। किसान त्राहि–त्राहि कर रहे हैं। रामगंगा नहर से एक माइनर चलता है कटोंघन सुजानपुर रजबहे में तो थोड़ा पानी गांव तक पहुंच भी जाता है लेकिन कटोंघन रजबहे में कभी भी पानी नहीं जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती कृष्णा पासवान–

मान्यवर थोड़ा समय दे दें महिलाएं वैसे भी कम बोलती हैं। महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में एक जाति विशेष के वर्ग को लेकर एक धर्म के लिए जहां घोषणा होती है अच्छी बात है कि मस्जिद, मजार और कब्रिस्तान के सुन्दरीकरण के लिए पैसा दिया जाता है अच्छी बात है लेकिन यह अच्छी बात तब होती कि पूरे प्रदेश में और हमारी विधान सभा क्षेत्र खागा में बहुत पूर्वजों के मंदिर बने पड़े हैं जो कि ककई ईंट के मंदिर हैं इसमें यह जोड़ दिया जाता कि मंदिरों के सुन्दरीकरण के लिए भी पैसा दिया जाए तो अच्छी बात होती मैं ज्यादा कुछ न कहकर आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं जब मस्जिद के लिए देते हैं तो मंदिर के सुन्दरीकरण के लिए भी पैसा होना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी मेरी विधान सभा क्षेत्र में गए थे पूर्व विधायक जी के बेटे के तिलक में बीर अभिमन्यु यादव जी पूर्व विधायक जी हैं उन्हीं के यहॉ गए थे और घोषणा करके आए थे कि किसनपुर दांगो पुल उसका प्रस्ताव सेतु निगम में बनकर आ गया है। कृपया वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें। पर इस बजट में उसका उल्लेख कहीं नहीं है। (1) टिकुरी गांव (काही) से छीयी तक सम्पर्क मार्ग 03 किलोमीटर है। (2) छीयी से अरबपुर होते हुये अकिलपुर ऐहरामा सम्पर्क मार्ग 03 किलोमीटर है, (3) किशुनपुर से पिपरहा डेरा होकर जलनधरपुर 03 किलोमीटर है। इसके निर्माण की मा0 मुख्य मंत्री जी घोषणा करके आये थे, परन्तु अभी तक इस संबंध में कुछ नहीं हुआ है। मा0 अधिष्ठाता जी, विकास खण्ड–विजयीपुर में हरदासपुर गढ़ा से झुरहापुर सम्पर्क मार्ग लगभग ढाई किलोमीटर है और विकास खण्ड विजयीपुर में थुरियानी नरतनडेरा से बहियापुर सम्पर्क मार्ग ढाई किलोमीटर है। विकास खण्ड धाता में कुसमा से रामपुर पचमई से डुण्डियापुर तक सम्पर्क मार्ग ढाई किलोमीटर है। मा0 अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं आपकी बहुत–बहुत आभारी हूं।

श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव–

मा0 अध्यक्ष महोदय, दीक्षित जी चले गये। हम इंसान लोग पृथ्वीलोक का एक बटे पचासवां हिस्सा भी नहीं घूम पाते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने तीनों लोक घूमकर सर्वश्रेष्ठ देवी का जो शोध किया है तो कृपया यह बता दें कि परलोक में कब गये थे और वापसी कब हुयी ? भाई उपाध्याय जी ने भी आगरा के बारे में बड़ा बखान किया। शर्मा जी ने बड़ा बखान किया। उन्हें केवल नो इंट्री तो याद रही, लेकिन वह यह भूल गये कि पूरे भारतवर्ष से गोवर्धन में करोड़ों लोग परिक्रमा करने आते हैं। हमारी सरकार ने वहां छाया का भी इंतजाम किया, नंगे पैर चलने वालों के लिये भी इंतजाम

किया। यहां गोवर्धन के कोई विधायक यदि हों तो उन्हें मेरे कथन में कोई असत्यता नहीं मिलेगी। चलने का इंतजाम किया, पानी का इंतजाम किया, मथुरा में अंडरग्राउण्ड केबल का इंतजाम किया और मथुरा के कामों में गोवर्धन बाईपास मार्ग लागत 69 करोड़, मथुरा डींग मार्ग अभी स्वीकृत हुआ है 120 करोड़, मथुरा सादाबाद मार्ग 20 करोड़, मथुरा सोख मार्ग 25 करोड़, गोवर्धन से कोसी मार्ग 25 करोड़। मथुरा की सभी सड़कों का चौड़ीकरण का कार्य मा0 मुख्य मंत्री जी ने किया है, जहां हमारा एक भी एम0एल0ए0 नहीं है। (सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) आपका यह आरोप बिल्कुल असत्य है कि हमारी सरकार वहीं पर काम कराती है जहां हमारे एम0एल0ए0 हैं। आगरा में हमारे सिर्फ एक एम0एल0ए0 हैं। भाई दुवेश जी चले गये। मा0 अध्यक्ष जी, मैं पीठ की तरफ से यह मांग करता हूं कि इनकी विधान सभा क्षेत्र में चार साल में जितना पैसा स्वीकृत हुआ है, वह इन तक पहुंचवाने का कष्ट करें, क्योंकि मा0 मुख्य मंत्री जी ने सबसे ज्यादा विजिट आगरा का किया है और इनकी विधान सभा क्षेत्र का किया है। जितना पैसा इनके विधान सभा क्षेत्र को दिया है, उतना पैसा शायद मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं दिया होगा। आप बात कहकर चले जाते हैं, उसका जवाब सुनने के लिये भी बैठा करें। अभी उपाध्याय जी कह रहे थे कि आगरा को कुछ नहीं दिया गया है। मा0 मुख्य मंत्री जी आगरा में एयरपोर्ट बनाने हेतु बहुत गम्भीर हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी ने तो हिरण्य गांव के पास में जगह का भी इंतजाम कर लिया है, लेकिन केन्द्र सरकार से एन0ओ0सी0 नहीं मिल रही है। हिरण्य गांव आगरा और फिरोजाबाद से सटा हुआ बीच का इलाका है और वहां पर एयरपोर्ट के निर्माण हेतु पर्याप्त जमीन है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि क्राइम बढ़ा है। आगरा में जितने भी क्राइम हुये हैं उन सभी में शत–प्रतिशत कार्यवाही की गयी है। अभी एक व्यापारी की हत्या हुयी थी, उसमें तीसरे ही दिन खुलासा हो गया। आपकी सरकार में आगरा के जंगलों में जो चर्बी से बना हुआ घी पकड़ा गया था, क्या आप वह भूल गये ? दुर्भाग्य की बात है कि वह आपकी ही पार्टी के नेता थे। सदन में नाम लेना उचित नहीं होगा। मेरे कहने का आशय यह है कि आप जब अपनी बात कहते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो काम आपके यहां हुये हैं उनको छुपाना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। श्री श्याम सुन्दर शर्मा जी चले गये हैं। बता दें कि पिछले पन्द्रह सालों में जितना पैसा हमारी सरकार आने के बाद मथुरा को मिला है किसी अन्य सरकार ने दिया हो ?

(इस समय 03 बजकर 05 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मा0 मुख्य मंत्री जी को और उनकी पूरी सरकार को कि उन्होंने बिना भेदभाव के जो प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया है, उसके लिए सरकार और सरकार के मुखिया मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

(बहुजन समाजवादी पार्टी के किसी सदस्य द्वारा कुछ कहने पर)

श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव–

मैंने तो खोड़ा का नाम ही नहीं लिया, सबसे ज्यादा वोट खोड़ा में मिलता है, वहां का नाम ही लेना भूल गए। मैंने आपका नहीं, श्याम सुन्दर शर्मा जी का कहा। मैंने गाजियाबाद का नाम नहीं लिया है, मैंने मथुरा का नाम लिया है, वह बहुत सीनियर मेम्बर हैं, आठ बार से मेम्बर हैं। वह यहां पर नहीं हैं, मैंने उनका नाम लिया।

मान्यवर, उपाध्याय जी चले गए हैं, वह शायद यह भूल गए जो उन्होंने एलीविएटेड रोड की बात की। दूसरे का मुद्दा जो व्यक्ति अपने हाथ में ले लेता है या तो वह चोर कहलाता है या चापलूस। मुख्य मंत्री 02 महीने पहले आगरा गए थे, एलीविएटेड रोड के लिए आदेशित करके आए, उसकी डी0पी0आर0 तैयार हो रही है और मुख्य मंत्री जी वह पूरा काम स्वयं देख रहे हैं। रिंग रोड भी आगरा में बन रही है। जो काम आपके यहॉ हो रहा है, उसका जिक्र नहीं करते हैं, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

'श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। यह समाजवादी नौजवानों, किसानों की सरकार की बात गवर्नर के अभिभाषण में नहीं कही गयी है। मैं आग्रह के तौर पर और आपत्ति के तौर पर भी अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं कि ट्यूबवेल का जो कभी हमारी सरकार में 125 रुपये 5 हार्स पॉवर का था, आज वह बढ़ाकर 652 रुपये कर दिया गया है और घरेलू का जो 100 और 80 रुपये था, वह 458 रुपये कर दिया गया है और शहरी क्षेत्रों में 1200 से 2000 रुपये की दरें इस सरकार ने तय की हैं। यह जनता के साथ अन्याय है। माननीय अध्यक्ष जी, शमन शुल्क के नाम पर, मेरी बात को आइने की तरह ले लें, करना न करना आपका काम है। माननीय अध्यक्ष जी, शमन शुल्क के नाम पर बिजली विभाग के अधिकारी, यदि 10 हजार रूपया भी बिजली का बकाया है, उसका कनेक्शन काटने के नाम पर 10 हजार रुपया शमन शुल्क, जो 10 हजार रुपये का बिजली का बिल नहीं दे पाता, उसे 20 हजार का नोटिस देकर गिरफ्तार कराया जाता है। एफ0आई0आर0 हो रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अपराधों की जो बात कही, यह बात तो मैं मानता हूं कि इस सरकार में एफ0आई0आर0 हो जाती है, अपराधों का ग्राफ दिखायी दे रहा है, तत्कालीन सरकार में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आज पुलिस से लेकर आई0जी0 तक जिस तरह भ्रष्टाचार में डूबे हैं और सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, उन पर अंकुश लगाये जाने का मेरा सरकार से आग्रह है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज यह जो श्रम विभाग द्वारा साइकिलों का पूरे प्रदेश में वितरण हुआ। अभी हमारे मा0 सदस्य, राजकुमार जी कह रहे थे, अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में और मेरे जनपद के सभी विपक्ष के विधान सभा क्षेत्रों में यह कार्यक्रम सरकार ने नहीं किया, उस पर मेरी आपत्ति है। जहां तक प्रधान मंत्री सड़क योजना की बात है, एक गारण्टी एग्रीमेंट होता है 05 साल का, लेकिन प्रदेश के पी0डब्ल्यू0डी0 के अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों द्वारा कमीशन के रूप में जो धन लिया जाता है, वह सड़कें 05 साल में ही टूट जाती हैं, जब उनसे कहा जाता है तो कहते हैं कि 08 साल में बनेंगी। मान्यवर, उन अधिकारियों को या तो दण्डित किया जाए या उन अधिकारियों को हिदायत दी जाए, जिससे सड़कें लम्बे टाइम तक चलें और उनकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश बोर्ड की

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, प्रदेश में नकल माफिया हावी हैं, उनके रोकथाम के लिए महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, दलित छात्रों के छात्रावासों के बारे में उनके भोजन, रहने और साहित्य, किताबों के बारे में इस सरकार ने कोई इन्तजाम नहीं किया है। माननीय अध्यक्ष जी, बिजली के कनेक्शन की जो बात है, मेरे क्षेत्र में एक राजा खां हैं, वह कल अपनी व्यथा रो रहे थे, तीन साल हो गए, ट्यूबवेल के कनेक्शन को, बिल भी अदा कर रहे हैं, आज तक का बिल अदा है लेकिन आज तक लाइन नहीं खींची गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, जो डार्क ब्लाक घोषित हो गये हैं प्रदेश की जिम्मेदारी है कि वहां नहरे बनायी जायें और वहां पर ट्यूवेल लगाने के लिए कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। आज भाजपा वाले सपा पर और सपा वाले भाजपा पर आरोप लगाते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, गन्ने का भुगतान प्रदेश सरकार की लापरवाही है और ओलावृष्टि का पैसा या तो मोदी जी ने नहीं भेजा और या यह सरकार उसे बांटने में कोताही कर रही है। ओलावृष्टि के पैसे के लिए व्यवस्था की जाये। बुन्देलखण्ड के हमारे भाई हमारे प्रदेश के लोग जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी के प्रयास हो रहे हैं लेकिन अभी अपर्याप्त हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया को कि पिछले 26 वर्षों में जब से हमारी सरकार गयी है केवल अखिलेश यादव की सरकार ने आने वाली पीढ़ी के लिए बिजली की समुचित व्यवस्था की है लेकिन वर्तमान में एस0डी0ओ0, जे0ई0, एक्सिएन कागजों पर ज्यादा बिजली शो कर रहे हैं और मौके पर बिजली नहीं दी जा रही है। मा0 अध्यक्ष जी, प्राइमरी के स्कूलों की बाउन्ड्रीवाल के लिए महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में कोई व्यवस्था की बात नहीं की गयी है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें। बैठ जायें।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

मा0 अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश के राजकीय इण्टर कालेजों में प्रिंसिपल नहीं है। डिग्री, इण्टर कालेजों में अध्यापक नहीं है। उसकी भी व्यवस्था की बात अभिभाषण में नही कही गयी है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

मा0 अध्यक्ष जी, किसानों के बारे में यह सरकार जिस तरह से किसान वर्ष की बात कर रही है, नौजवानों के रोजगार की बात नहीं कही गयी है।

श्री अध्यक्ष–

अरे, अब आप समाप्त करिये।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

धन्यवाद अध्यक्ष जी।

श्री राजबली जैसल–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। सबसे पहले हम मा0 नेता विरोधी दल को अपने आपसे सम्बद्ध करते हुए आपके माध्यम से मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि जो राज्यपाल जी का अभिभाषण है यह निश्चित रूप से सत्य से परे है। समाज के दबे कुचले जो बेसहारा लोग है उनके बच्चों को पढ़ने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय चलाया जाता था जिसमें इंटरमीडिएट तक प्रवेश होता था। बच्चे वहीं छात्रावास में रहते थे। उनको वहीं खाने–पीने की सारी सुविधा होती थी। लेकिन जैसाकि जानकारी हुयी है कि कक्षा–1 से लेकर कक्षा–5 तक के बच्चों का प्रवेश से रोक लगा दी गयी है। शासन द्वारा ऐसा शासनादेश जारी हुआ है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप सब मा0 सदस्यगण जानते होंगे कि जिसका नींव मजबूत नहीं होता तो आगे वह क्या मजबूती प्रदान करेंगे। अगर समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित उन आश्रम पद्धति विद्यालयों में कक्षा–1 से कक्षा–5 तक पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा तो क्या हम आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि कक्षा–6 से कक्षा–12 तक उन बेसहारों का जिनके मां–बाप नहीं होते, जो विकलांग होते हैं, गरीब होते हैं उनको पढ़ने के लिए यह व्यवस्था थी। अगर उसको रोका जा रहा है तो हमें लगता है कि इससे बड़ा समाज का नुकसान दूसरा नहीं हो सकता। लोग तो कहा करते हैं लेकिन इस सदन में भी यह महसूस हो रहा है कि यह सरकार वास्तव में एक दलित विरोधी सरकार है। समाज विरोधी सरकार है। अगर यह सरकार इस तरह से नहीं होती तो आज इस तरह से शासनादेश जारी न होता। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे मेजा तहसील मुख्यालय के ठीक बगल एक कताई मिल है जो सरकारी कताई मिल थी। आज लगभग कई वर्षों से बंद पड़ी है। उसको नहीं चलाया जा रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर सरकार वह कताई मिल नहीं चला पा रही है तो पूरे इलाहाबाद में यमुनापार पूरे इलाहाबाद में एक भौगौलिक रूप से अलग स्थान रखता है। वहां पर उस कताई मिल को अगर बीज भण्डार का स्टोर बना दिया जाये तो हमें लगता है कि यमुनापार जो दूर तक फैला हुआ है। जो नैनी से अनाज उठा कर के ले जाते हैं, उसके लिए काफी राहत महसूस होगी और जो पैदावार होती है, उसका भण्डारण भी उस कम्पनी में हो सकता है, तो या तो कम्पनी को चलाया जाय और अगर नहीं चलाया जा रहा है, तो उसमें ऐसी व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में पानी के लिए हाहाकार हो या न हो, लेकिन खासतौर से जो बिन्ध्य क्षेत्र सोनभद्र, राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर और हमारे कोरांव विधान सभा से होते हुए बारा विधान सभा से चित्रकूट की तरफ जाती है पहाड़ी एरिया वहां पर पानी पीने के लिए हाहाकार अभी से मच चुका है। वहां पर हैण्डपम्प जो पुराने लगे पड़े हैं, वह पूरी तरह से सूखे पड़े हैं, उनको रि–बोर करने के लिए भी पैसे सरकार के पास नहीं हैं

कि कम से कम नए हैण्डपम्पों का अगर अधिष्ठापन नहीं हो रहा है, तो इन पुराने हैण्डपम्पों को जो काफी वर्षों से लगे हैं और खराब पड़े हैं, जहां के लोग आज मजबूर होकर नदियों का पानी पीने के लिए मजबूर होकर बैठे हुए हैं, कम से कम उनको शुद्ध पेयजल मिल सके। एक तरफ सरकार कहती है कि मैं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर रहा हूं, दूसरी तरफ एक हैण्डपम्प लगाने की नई व्यवस्था नहीं, उन पुराने हैण्डपम्पों को रि–बोर करने की कोई व्यवस्था नहीं है,

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मा0 अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र में तीन पेयजल योजना हैं, कोहडार पेयजल योजना, धनावल पेयजल योजना, देवघाट पेयजल योजना, देवघाट पेयजल योजना को छोड़ करके कोहडार और धनावल पूरी तरह से भष्ट हो चुकी हैं, आज उनकी जो पाइप लाइनें थी, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, लगभग 119 गांव सभा को जोड़ने वाली कोहडार पेयजल योजना और लगभग 54 गांवों को जोड़ने वाली धनावल पेयजल योजना पूरी तरह से ठप पड़ी है, बार–बार बात उठती है, जिलाधिकारी को भी लिख कर दिया गया, शासन को भी लिख करके दिया गया कि इसका पुनर्गठन हो जायेगा और पुनर्गठन हो जाने के बाद ठीक से उसकी मरम्मत हो जायेगी, नई लाइनें हो जायेंगी, लेकिन आज तक उस पेयजल पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि खासतौर से कोहडार पेयजल योजना और धनावल पेयजल योजना को अगर चुस्त–दुरुस्त कर दिया जाय तो कम से कम लगभग डेढ़ सौ गांवों को पानी पीने के लिए मुहैया हो सकता है, इसलिए मान्यवर हमारे क्षेत्र में कोरांव विधान सभा के सुजनी गांव में 33/11 के0बी0ए0 सब–स्टेशन का धनराशि भी पास हुआ था, लेकिन पता नहीं क्या वजह रही कि आज तक वह 33/11 के0बी0ए0 सब–स्टेशन बनने को कौन कहे, काम तक नहीं शुरू हो पा रहा है, जिससे लोगों में एक आक्रोश है कि आखिर जिन चीजों का पैसा मुहैया हुआ था वह चीजें भी निर्माण में नहीं आ रही हैं, ऐसी कौन सी बात है, इसलिए मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार यह कहा करती है कि जिस गांव में एकल रास्ता है उस गांव में जाने के लिए कहीं किसी भी तरफ से रास्ता नहीं है, वहां सड़क मुहैया होगी, लेकिन हमारे यहां शाहपुरकला गांव है जहां दो तरफ से नदियां हैं मात्र एक तरफ से रास्ता है, उसी के बगल में एन0टी0पी0सी0 का निर्माण हो रहा है, उसकी लम्बाई छः किमी0 है, कई नियमों में भी हमने उसको दिया, लेकिन आज वह छः किमी0 सड़क पूरी तरह से बरबाद है, बनी भी नहीं है, पहले ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा थोड़ा बहुत बना था, वहां लगभग साढ़े तीन हजार पिछड़ी जाति के लोग रहा करते हैं और जहां एक जाति एक समाज के लोग रहा करते हैं, उस गांव में निषाद समाज के लोग, लेकिन उन निषाद समाज के लोगों को आज तक उस गांव में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि लगभग छः किमी0 की सड़क जहां आप यह कहा करते हैं कि जिस गांव में जाने का कोई रास्ता नहीं है, उस गांव को हम चयनित करके निर्माण कार्य करायेंगे, तो निश्चित रूप से उस

सड़क का निर्माण कार्य होना चाहिए। मा0 अध्यक्ष जी हमारे कोरांव विधान सभा में ही नहीं, बल्कि जैसा कि मैंने कहा कोरांव विधान सभा से ले करके पूरे राबर्ट्स और सोनभद्र में कोल जाति के लोग पड़े पैमाने पर रहा करते हैं, जिनका जीवन–यापन उसी तरीके से होता है जैसे मध्य प्रदेश में कोल जाति के लोगों को अनुसूचित जाति के दर्जा में न रख करके अनुसूचित जनजाति के दर्जा में रखा गया है और वही कोल ठीक मध्य प्रदेश से सटा हुआ, उसी रहन–सहन में उसी तरीके से पहाड़ों में जंगलों में रहा करते हैं। लेकिन लगभग 16 जनपदों में जो कोल जाति के लोग हैं इनको अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं बल्कि इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। हम आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहेंगे कि इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए अपना प्रस्ताव भेजना चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते पानी पीने की बहुत बड़ी समस्या होती है वहां पर लगभग एकल पेयजल योजना जो सरकार द्वारा संचालित की जा रही है अभी हमारे क्षेत्र में एक भी गांव में यह योजना संचालित नहीं है उससे लाभान्वित नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र बड़डीहा, पिपरांव, धधुआ, सलैयाकला, सलैयाखुर्द, पचेड़ा, मानपुर, भवानीपुर, हड़िया, हाटा, बेरी, झरवरियां, सोनवर्ण का जो पूरी तरह से पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है वहां पर अगर एकल पेयजल योजना की सुगम व्यवस्था हो जाये तो निश्चित तौर पर लोगों को पानी पीने को मिल सके और लोग समझ सकें कि हमें शुद्ध पानी पीने के लिए मिल रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में एक बड़ोखरा गांव है जहां ये लगभग ढाई हजार कुशवाहा समाज के लोग रहते हैं वहां पर आने–जाने के लिए कोई सड़क की व्यवस्था नहीं है। अगर रतौरा और बड़ोखर गांव के बीच बड़ोखरा गांव के लिए तीन किमी0 सड़क का निर्माण हो जाये तो लोगों को आने–जाने के लिए सुविधा हो जाये। मान्यवर, सरकार इस बात को कहा करती है कि उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त कर देंगे, वहीं हमारे इलाहाबाद मुख्यालय से चलकर के करछना जो तहसील मुख्यालय है वहां से लेकर के कोरांव की ओर जाने वाली है। वह सड़क पूरी तरह से छतिग्रस्त है। हमारे यहां रतौरा से लेकर महुआ सुहास तक लगभग नौ किमी0 की सड़क पूरी तरह छतिग्रस्त है। ट्रैक्टर भी आने–जाने लायक नहीं है। यह पता नहीं चलता कि वहां सड़क थी भी या नहीं थी। जबकि एक साल पहले पी0डब्लू0डी0 विभाग द्वारा उसकी मरम्मत भी करायी गयी थी। लेकिन वह मरम्मत कैसे हुई यह मेरी समझ में भी नहीं आया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

'वन राज्य मंत्री (श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय)–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। 2012 में सरकार बनने के बाद से लेकर आज जब चार साल पूरे

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो चुके हैं, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो घोषणा–पत्र चुनाव के समय प्रस्तुत किया था, आज मैं सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं, कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने घोषणा–पत्र को शत–प्रतिशत पूरा करके इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम, उत्तर प्रदेश को तरक्की, उन्नति और विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। मैं लगातार विपक्ष के अपने साथियों के भाषण को सुन रहा हूं। चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बसपा के हों, सभी लोगों ने अपने–अपने तरीके से अपनी बातों को रखने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने किया है। आज चाहे वह उत्तर प्रदेश की सड़कों का मामला हो, चाहे पुलों का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे मेट्रो का मामला हो, चाहे समाजवादी पेंशन का मामला हो, चाहे किसानों–नौजवानों के रोजगार का मामला हो, चाहे हमारी बहनों–महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, चाहे 1090 योजना का मामला हो, सारे मामलों में समाजवादी पार्टी के हमारे मुख्य मंत्री जी ने काम करते हुए इस प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरे प्रदेश में कई जनपदों की सड़कों को 4 लेन करने का काम किया है। मेरा जनपद फैजाबाद है और फैजाबाद से लेकर अम्बेडकरनगर से होकर बसखारी, आजमगढ़ तक 4 लेन करने की व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी ने की है। इसके लिए हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं। मैं आज श्री अयोध्या और फैजाबाद की बात करना चाहता हूं, हमारा फैजाबाद मण्डल मुख्यालय है और आजादी के 70 वर्षों के बाद भी वहां पर ओवरब्रिज की कोई व्यवस्था नहीं थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो–दो ओवरब्रिज बनाकर के, तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। पूरे प्रदेश में जो 500 गांव की आबादी की सड़कें थीं, उनको मेन सड़कों से जोड़ने का काम हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी ने काम किया है। हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी इस बात को कहते हैं कि जहां पर सड़कें अच्छी होती हैं वहां पर तरक्की की रफ्तार तीन गुना बढ़ जाती है। आज आप देखिए कि आगरा–एक्सप्रेस–वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे इसको बनाने का काम हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार और मा0 मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हो रहा है। निश्चित रूप से हमारा उत्तर प्रदेश भी तरक्की और उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ने का काम करेगा। आज गरीबों, किसानों, मजदूरों, मजलूमों सारे लोगों के लिये समाजवादी पार्टी काम करने, काम रही है। आज हमारे श्रम विभाग में जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो उसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं और अगर उनके यहां बच्चा भी पैदा होता है तो श्रम विभाग उस बच्चे की पढ़ाई–लिखाई, पालन–पोषण का पैसा देता है। श्रम विभाग में जो लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें 40 तरह की योजनाएं हैं। अगर वह काम करना चाहे तो श्रम विभाग उनको अनुदान और सहायता देने का काम करता है। अगर आज कोई किसान दुर्घटना में मर जाए जिसका रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में है तो उसको भी 5 लाख रुपया देने का काम करता है। दाह संस्कार के लिए भी 15 हजार रुपये की व्यवस्था सरकार ने की है और आज गरीब

परिवार के लिए भी श्रम विभाग से ढेर सारी योजनाएं हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको साइकिल देने का काम है ताकि आने–जाने में असुविधा न हो। हमने अपने फैजाबाद में, अयोध्या विधान सभा में ही हजारों साइकिल मजदूरों को देने और बांटने का काम किया है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने इतनी योजनाएं चलाई हैं।

दूसरी तरफ हम यह भी कहना चाहते हैं किसानों के बारे में कि हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे तो अगर कोई किसान दुर्घटना में मर जाता था तो उसको एक लाख रुपया देने का प्राविधान था लेकिन उनके लायक बेटे ने, उत्तर प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री जी ने अगर आज कोई किसान दुर्घटना में मर जाए, उसके साथ कोई घटना, दुर्घटना हो जाए तो 5 लाख रुपया उसके परिवार को देने का प्राविधान किया। अगर उसका एक्सीडेण्ट हो जाए, उसका कुछ हाथ–पैर कट जाए तो ढाई लाख रुपये की व्यवस्था उसके शरीर में कृत्रिम अंग लगाने के लिए किया। आज ये मानवीय संवेदनाएं अगर किसी के अन्दर हैं तो यह मानवीय संवेदना समाजवादी पार्टी के मुख्य मंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के अन्दर हैं। अगर आज किसानों के घर में, परिवार में ओलावृष्टि हुई, आज अगर उनका नुकसान हुआ तो सबसे पहले अपने दिल को बड़ा करते हुए मा0 मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में किसानों को मदद करने का काम, पैसा देने का काम, उनको मुआवजा दे करके उनके घर में रोजी–रोटी की व्यवस्था करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने किया है। ये हम आज आपसे कहना चाहते हैं। अभी हमारे बहुत से साथी गन्ना के ऊपर बहस कर रहे थे। गन्ना के बारे में बोल रहे थे लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आज केन्द्र सरकार की जो गलत नीतियां हैं। केन्द्र सरकार जो विदेशों से चीनी मंगा रही है उसके बाद चीनी का दाम कितना कम हुआ लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने बजट से पैसा दे करके किसानों को पैसा देने का काम किया जिससे कि न मिल बन्द होने पाए, न किसानों का नुकसान होने पाए। आज ये काम समाजवादी पार्टी की सरकार और मा0 अखिलेश यादव की सरकार ने किया है। आज दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग को देख लीजिए। आज 108 एम्बुलेन्स, 102 एम्बुलेन्स है। आज नातेदार–रिश्तेदार यदि दुर्घटना हो जाए तो बाद में पहुंचते हैं लेकिन समाजवादी 108 एम्बुलेन्स पहले पहुंच करके उस परिवार को, उस दुःखी परिवार को, एक्सीडेण्ट हुए आदमी को अस्पताल पहुंचाने का काम करती है। हमारी जो महिलाएं हैं उनको अस्पताल लेने जाने का काम 102 एम्बुलेन्स करती है।

आज ढेर सारी जांचें हमारे मुख्य मंत्री ने फ्री करने का काम अस्पतालों में किया। अल्ट्रा साउण्ड को फ्री करने का काम आदरणीय मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी ने किया। आज ये ढेर सारे काम समाजवादी पार्टी की सरकार कर रही है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं अयोध्या विधान सभा से चुनकर आता हूं। आज पर्यटन के क्षेत्र में हमारे मुख्य मंत्री जी ढेर सारे काम कर रहे हैं। आज आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर पर्यटन की दृष्टि से आने वाले लोगों की संख्या घटी है लेकिन उत्तर प्रदेश में मा0 मुख्य मंत्री जी की मेहनत है, उनकी योजनाएं, उनके परिणामों की बदौलत उत्तर

प्रदेश में पर्यटन के लिए आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। आज उत्तर प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से आने वाले लोग बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन बढ़ रहा है। चाहे वह आगरा हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे नोएडा हो, चाहे कुशीनगर हो हर जगह पर आज मा0 मुख्य मंत्री जी पर्यटन की दृष्टि से काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का, आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हमारी जो गरीब परिवार की बच्चियां हैं, बहने हैं आज जो संशोधन हुआ उसमें भी हमारे इस बार के बजट में मुख्य मंत्री जी ने कन्या विद्या धन देने का दोबारा प्राविधान किया है। उनको तरक्की, उन्नति के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। दूसरी तरफ हम कहना चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में 112 वर्ग किलोमीटर वन बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार और मा0 मुख्य मंत्री जी की सरकार ने किया है। 6 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य इस बार हमारी सरकार ने मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में रखा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम आपको बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहते हैं कि अभी मा0 मुख्य मंत्री जी ने आगरा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जिसमें 18–20 देश के लोग आये थे। पूरे प्रदेशों और देशों के लोग आए। सारे लोगों ने मा0 मुख्य मंत्री जी की एक कण्ठ से सराहना की कि पर्यटन की दृष्टि से ऐसा सारा काम जो मा0 मुख्य मंत्री जी ने किया, आजादी के बाद आज तक किसी मुख्य मंत्री ने नहीं किया था। देश और विदेश से आए हुए लोगों ने मा0 मुख्य मंत्री जी की बहुत प्रशंसा की जिससे इस पूरे उत्तर प्रदेश का नाम गौरवान्वित हुआ। यह हम आपसे कहना चाहते हैं। आज हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। आज मेट्रो लखनऊ में बन रही है, आप सारे लोग देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री के क्षेत्र बनारस में भी माननीय मुख्य मंत्री जी मेट्रो लगवाने जा रहे हैं, काम चालू कराने जा रहे हैं, कानपुर में कराने जा रहे हैं, आगरा में कराने जा रहे हैं, वाराणसी में कराने जा रहे हैं। आज अगर तरक्की, उन्नति के रास्ते पर ले जाने का काम कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी की सरकार और माननीय श्री अखिलेश यादव हैं। आज गरीबों के आंसू पोंछने का काम अगर किसी ने किया है तो वे माननीय मुख्य मंत्री अखिलेश यादव हैं। उन्होंने 45 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन दी और आगे आने वाले समय में 55 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन देने की व्यवस्था की है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को एक मिनट में खत्म करते हुए कहना चाहता हूं क्योंकि मैं फैजाबाद, अयोध्या से आता हूं, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने हमारे अयोध्या, फैजाबाद को बहुत तरक्की और उन्नति के रास्ते पर ले जाने का काम किया है, जो चौदहकोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग है, उस चौदहकोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को बहुत सुन्दर और अच्छा बनाने का काम आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने किया है। हमारे दर्शन नगर में जिस अस्पताल का शिलान्यास हमारे नेता आदरणीय पूर्व मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। उस अस्पताल को इस शासन में पैसा दे करके चालू करके उसका उद्घाटन कराकर जनता को समर्पित करने का काम माननीय मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने किया है और आने वाले समय में अयोध्या में 5 करोड़ रुपये की लागत से

एक बहुत बड़े भजन स्थल का निर्माण होने जा रहा है, जिसका आने वाले समय में माननीय मुख्य मंत्री जी शिलान्यास करने जा रहे हैं। कई सौ करोड़ की लागत से फैजाबाद में ढउवा पुल का निर्माण चालू हो गया है जो गोण्डा में निकलेगा और फैजाबाद–गोण्डा के लोगों को सहायता करने का काम करेगा। यह अयोध्या–फैजाबाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की धरती है, अशफाकउल्ला खां की शहादत की धरती है, लोहिया की धरती है, नरेन्द्र देव की धरती है, मीर अनीस और चकबस की धरती है। मैं कहना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले भाजपा के लोगों ने हमारे जिले में ढेर सारी होर्ल्डिंग्स लगाईं कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अयोध्या, फैजाबाद को स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया। लड्डू खिलाकर और फोटो खिंचाकर पूरे जिले में दिखा दी और जब सूची जारी हुई तो उसमें प्रदेश के किसी जिले का नाम नहीं था, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के अपने आदरणीय मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी को इस सदन के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी विधान सभा की दोनों नगरपालिकाओं अयोध्या और फैजाबाद को मार्डन सिटी में घोषित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को सिर्फ दो लाइनों में अपनी बात को खत्म करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि–

''कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प लिये जाते हैं,
संकल्पों को जब साहस के गतिमय चरन दिये जाते हैं।
बाधाओं की क्या बिसात फिर रुख तूफान बदल सकता है,
बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है।।''

और माननीय मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव ने इस उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में तरक्की, उन्नति का श्रीगणेश है, जय अखिलेश।

श्रीमती सीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया है इसके लिए हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी वर्ष 2012 से जबसे हम लोग जीतकर आए हैं, 5वीं बार हमारा बजट पेश हुआ है। हर बार हम सोचते थे कि अगली बार अच्छा आएगा, अगली बार कुछ अच्छा आएगा लेकिन पांचवीं बार जब बजट आया है तो उससे मान्यवर, बड़ी निराशा हुई है। निराशा इस सिलसिले में हुई है कि सरकार ने चारों तरफ ध्यान तो रखा कि ये किया जाए, वो किया जाए, सारी योजनाओं को आपने लाने का काम किया है और जब बार–बार ये लोहिया का नाम लेते हैं, पंडित जनेश्वर मिश्र का नाम लेते हैं तो बड़ी मन को पीड़ा होती है। लोहिया जी मान्यवर, किसी एक के नहीं थे, लोहिया जी सबके थे। उनका न तो कोई अपना था, न कोई पराया था। ये लोहिया समग्र गांव की बात करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने इसी सदन में घोषणा की थी कि सारे विधायकों का बराबरी के आधार पर लोहिया ग्राम का चयन किया जायेगा। हम सबको तो नहीं दिया गया यह अलग विषय है। सामने जो सत्तापक्ष के लोग बैठे हैं माननीय अध्यक्ष जी, उनमें भी विभेद

किया गया है किसी का दो दिया गया है किसी को सात दिये गये हैं। मेरी पीड़ा खाली इतनी है कि जब आप एक तरफ लोहिया का नाम लेकर अपना गुणगान करते हैं तो कम से कम उनकी सोच क्या थी उसे समझें। उनकी आत्मा को आज तकलीफ होती होगी, जब ये ऐसा कार्य करते हैं। आप जनेश्वर मिश्र योजना की बात करते हैं, गांवों के चयन की बात करते हैं। आप मान्यवर, लिस्ट निकलवा कर दिखवा लीजिए, सूची मंगवा कर देख लीजिए कि कितने विधायकों के क्षेत्र में जनेश्वर मिश्र योजना में किसका–किसका चयन किया गया है। आप कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, हमने 102 और 108 सेवा के तहत जनता को बहुत लाभ दिया है, बिल्कुल सही है। 102–108 के नाते बहुत से गरीबों का उद्धार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, आपने 102 के तहत 2264 एम्बुलेन्स तो बढ़वा दिया लेकिन विषय यह उठता है कि उन 2264 एम्बुलेन्स के माध्यम से जो मरीज जायेगा, जो हमारी बहन जायेगी, जो प्रसूता से पीड़ित होकर जायेगी वो जिस अस्पताल मे जायेगी क्या वहां पर कोई महिला डाक्टर है भी या नहीं ? महत्वपूर्ण विषय यह है। चाहे सी0एच0सी0 हो चाहे पी0एच0सी0 हो कहीं भी महिला डाक्टर नही है और मान्यवर मेरे जनपद जौनपुर की जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में सारे क्षेत्रों में हमारा जिला अग्रणी रहा है लेकिन आज मेरे जिला चिकित्सालय में एक भी एनेस्थीसिया का डाक्टर नहीं है। हमारे जिला अस्पताल मे एक्स–रे की मशीन नहीं है, हमारे जिला अस्पताल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे जनता का लाभ हो सके और हमको बहुत तकलीफ होती है जब रात को नौ बजे दस बजे किसी व्यक्ति का फोन आता है कि मेरी पत्नी मरने वाली है लेकिन यहां पर एनेस्थीसिया का डाक्टर नहीं है। डाक्टर कहता है कि बी0एच0यू0 लेकर जाओ तो ऐसी एम्बुलेन्स चलाने से क्या फायदा जब डाक्टर ही नहीं है, जब कोई देखने वाला ही नहीं है तो एम्बुलेन्स चलाने का मतलब तो हम यह कह सकते हैं कि खाली कमीशनखोरी करने के लिए गाड़िया चलवाई गईं हैं, जनता का इनसे कोई वास्ता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं, आप कहते हैं कि हमने सूखा राहत का बहुत पैसा बंटवाया। सरकार कहती है कि यह हम किसान वर्ष मना रहे हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि यह बता दे कि किसी के क्षेत्र में धान की खरीदारी हुई हो, कहीं भी गेहूं की खरीदारी हुई हो, मेरे क्षेत्र मे करटोरा माइनर, अजिया माइनर, कुंअरपुर रजबहा, जितनी भी हमारे क्षेत्र मे माइनरें हैं किसी भी क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है और करटोरा का किसान तो 3 साल से भुखमरी के कगार पर आ गया है। हमारा हेड है इलाहाबाद, हमारा हेड है प्रतापगढ़ टेल है जौनपुर सारा का सारा पानी इलाहाबाद, प्रतापगढ़ मे रोक दिया जाता है, हमारे जनपद को पानी नहीं आता है, हमारे जनपद का किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। आप कहते हैं कि नालों की सफाई करवाई है एक जिला घूम कर देख आईये कि किस नहर में टेल तक पानी पहुंचा है, पानी चलता है बीच में आकर रुक जाता है हमारे क्षेत्र मे मैंने बार–बार प्रयास किया, बार–बार कोशिश की, अजियामाइनर पर हमारे यहां एक गांव है, सखापुर नौरहा मे अगर एक कोलाबा लगवा दिया जाये तो हमारे यहां पच्चीयों

गांव को पानी मिल जाये लेकिन वहां कोलाबा लगने का काम नही हुआ। मैंने बार–बार कहा कि पानी रोकने के लिए डिवाईडर लगवा दिया जाये जो पानी फ्लो करके भाग जाता है अगर डिवाईडर लग जाता तो पानी रुक–रुक कर सिंचाई की व्यवस्था हो जाये। सूखा राहत मे कहते है कि हमने बहुत सारा पैसा बांटा, बहुत सारे खजानो का चेक बांट दिया लेकिन सच्चाई जो है तहसील के उन गांव का चयन किया गया है बच्चे जैसे छोटे–छोटे गांव थे, छोटे–छोटे गांव में तो पैसा बांटने का काम किया गया है लेकिन जो बड़े–बड़े गांव थे वहां पर किसी भी प्रकार का सूखा राहत का कोई सहायता नही पहुंचाया गया। मेरी अपनी मांग है जब बरसात नही हुई, जब ओले पड़ गये, जब बारिश नहीं हुई, जब तरह–तरह के भयंकर तूफान आ गये, ऐसी स्थितियों मे किसानों के लिए जो किसान ने किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लिये हैं एक लाख रुपये तक के लोन जरूर माफ किये जायें यह मैं किसानो के हित में आपसे कहना चाहती हूं। कानून–व्यवस्था की बात करते हैं कि कानून–व्यवस्था बड़ी चुस्त–दुरुस्त है।

कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी चल रही है अखबार हम देखते हैं, टी0वी0 हम देखते हैं, रेडियो हम सुनते हैं, कलेजा फट जाता है जब पांच–पांच से लेकर सात–सात साल की बच्चियों के साथ दुर्व्यहार किया जाता है। कोई भी आदमी सब्जी लेने जाता है घर को लौट नहीं पाता है कोई भी आदमी घर से बाजार के लिए निकलता है, नौकरी के लिए यह उम्मीद नही रहती है कि लौट कर आयेगा या नही आयेगा। अभी मेरे क्षेत्र मे घटना हुई मेरे विधान सभा में सुजानगंज एक ब्लाक है वहां पर इण्टर कालेज में 28 अक्टूबर को रमाकान्त पाण्डे की दिन–दहाड़े भरे चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी गयी। मान्यवर, हत्यारे भाग गये और आज तक नही पकडे गये। हत्यारों का आज तक पता नहीं है लेकिन पुलिस ने 28 लोगों को जिनका कोई कसूर नही था, जिनका कोई दोष नहीं था, 28 लोगों पर 307 से लेकर जितनी बड़ी–बड़ी धारायें होती हैं, सारे मुकदमाओं में उनके ऊपर मुकदमा लाद दिया गया। जिले में रोज हत्या हो रही है, सगे–सगे भाइयों की हत्या हो जा रही है, बाप की हत्या हो जा रही है, बहू की हत्या हो जा रही है, बच्चे का शव गंगा में मिल रहा है, सई नदी में मिल रहा है, कुएं में मिल रहा है, पुलिस एफ0आई0आर0 नहीं लिख रही है, पुलिस मुकदमा नहीं कायम कर रही है और पुलिस इतनी तानाशाह हो गयी है कि वह किसी शरीफ आदमी को बेइज्जत करने में वह एक मिनट का भी वक्त नहीं लगाती है यह मैं अपनी पीड़ा आपके समक्ष रख रही हूं। मान्यवर, गन्ना की बात करते हैं कि गन्ना का भुगतान हो गया सच्चाई यह है कि आज किसान गन्ना बोने से कतराने लगा है। गन्ना बोता है एक साल और उसका पैसा मिलता है 3 साल के बाद काफी जद्दोजहद के बाद। चीनी मिलें नहीं चल रही है, चीनी नहीं बन रही है। अध्यक्ष जी, नलकूप की बात करते हैं कि हमने इतने सारे नलकूप दिये एक सूची मंगवा लीजिए आज जितने नलकूप उत्तर प्रदेश में लगे हैं उसमें से कितने नलकूप चालू अवस्था में हैं। किसी की नाली टूटी हुई है, किसी का ट्रांसफार्मर जला हुआ है, किसी की बोरिंग खराब पड़ी हुई है कोई सुनने वाला नहीं है आज किसान त्राहि–त्राहि कर रहा है दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं हैण्डपाइप के बारे में यह चुनावी

वर्ष है सारे विधायकों को पानी के लिए किल्लत है। आप देखें आप भी गांव के रहने वाले हैं पूर्वान्चल से आप भी चुनकर आते हैं आज पानी का कितना संकट है यह चुनावी वर्ष है माननीय अध्यक्ष जी, मुझे तो बड़ी उम्मीद थी।

(श्री रियाज अहमद द्वारा टोका–टाकी करने पर)

हमारी सरकार ने जो कार्य किया है वह जिन्दगी में नहीं कर सकते। हमारी सरकार का नाम आप मत लीजिए। आप हमारी सरकार की नकल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, आप नकल नहीं कर सकते हैं हमारी सरकार की। हमारी सरकार ने जो कार्य किया है वह आप जीवन में नहीं कर सकते हैं, आप अपनी बात करिये।

अध्यक्ष जी, यह चुनावी वर्ष है।

(श्री अमर पाल शर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

व्यवधान मत करिये वह बोल रही हैं। अमर पाल शर्मा जी, बैठें।

[समय 3.38,

श्रीमती सीमा–

यह चुनावी वर्ष है, सरकार का सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सारे विधायकों को सरकार 5 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प दे। लोक निर्माण की हम बात करते हैं अभी आपने कहा कि 2015 में 2819 नये सम्पर्क मार्ग हमने बनवाया। क्या 2819 किमी0 में एक किमी हिस्सा भी जनपद जौनपुर को नहीं मिलता, क्या हम उत्तर प्रदेश में नहीं आते। इतनी नई रोडें बनीं उसमें क्या हमारी भागीदारी नही होनी चाहिए। आपने कहा कि हमने 114 सई नदी पर सेतु निगम का कार्य कराया। हमने माननीय मुख्य मंत्री जी को कई पत्र दिया मेरे यहां तीन छोटे छोटे पुल थे बसुई नदी पर पुल था, करटीरा नाले पर पुल था, अवकारी नाले पर पुल था एक पर भी कार्य नहीं हुआ। आपने कहा कि 7 रेलवे पर हमने उपरिगामी पुल बनवाये। माननीय अध्यक्ष जी, नेपाल से गोरखपुर होते हुए मुंगराबादशापुर हो करके इलाहाबाद जाने का एक रास्ता है। मुंगराबादशाहपुर कस्बे में इतना भयंकर जाम होता है और मेडिकल के लिए लोग इलाहाबाद जाते हैं, पढ़ने के लिए बच्चे इलाहाबाद जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जो बजट आया है इसमें एक उपरिगामी पुल हमारे मुंगराबादशाहपुर को दे दिया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, पी0डब्लू0डी0 की बात मैं करना चाहूंगी मान्यवर, जाहिद बेग साहब ने अभी कहा कि हमारे यहां बहुत अच्छी–अच्छी रोडें बनी हैं मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूं आप यहां के विधायकों की एक कमेटी बना दीजिए आपको मैं दो सम्पर्क मार्गो का नाम बताती हूं भिखारीपुर हो करके सरायबीका और मुंगराबादशाहपुर से हो करके जंघई इन दो सम्पर्क मार्गों की आप स्थिति देख लेंगे आज रास्ते में हमारी बहनों को प्रसव हो जा रहा है लोगों के हाथ पैर टूट जा रहे हैं। मैं बार–बार कहती हूं कि रोडों की मरम्मत कराई जाय। हम सब लोग पूर्वान्चल से चुनकर आते हैं। पूर्वान्चल विकास निधि एक ऐसा धन था, पूर्वान्चल विकास निधि एक ऐसी निधि है जिसके माध्यम से हम छोटे–छोटे काम

करा सकते हैं लेकिन प्रति वर्ष लगातार पूर्वान्चल विकास निधि में कटौती की जा रही है हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो बजट आया है इसमें पूर्वान्चल विकास निधि की बढ़ोत्तरी की जाय।

'खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद)–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो प्रदेश में तमाम हर वर्गों के लिए योजनाये, विकलांगों के लिए, मुसलमानों के लिए, नौजवानों के लिए हर वर्ग पर काम किया है। वहीं इस प्रदेश को खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करके हर गरीब आदमी को खाने का अधिकार उपलब्ध कराया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, सारे समाज के लिए कार्य किया, दवा के लिए, पढ़ाई के लिए, वहीं गरीबों को खाने के लिए इंतजाम दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल का इंतजाम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर बैठे भाजपा के लोग और बसपा के लोग अभी बोल रहे थे, 17 जातियों पर भाजपा के लोगों को मालूम होना चाहिये कि नेता जी की जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तबसे अनुसूचित जाति में 17 जातियों को शामिल करने के लिए तमाम बार यहां से फाइल गई और केन्द्र से वापस कर दिया जाता था। लेकिन अबकी बार भाजपा की सरकार बनी और हमारे समाज को अनुसूचित जाति में घोषित करने के लिए जब फाइल गई, तो भाजपा के लोगों ने उस फाइल को निरस्त कर दिया। इन्होंने इस समाज को बहुत बड़ा धोखा दिया है। यह समाज अब पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अलावा और किसी के साथ रहने वाला नहीं है और भाजपा के लोगों को ठीक करने का काम वर्ष 2017 में करेगा। धन्यवाद। जय हिन्द।

सचिवालय की कैन्टीन में खाने की गुणवत्ता सही करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। हमारी जो सचिवालय की कैन्टीन है इसके भोजनालय में खाने की गुणवत्ता बहुत ही रद्दी है। कृपया इसको ठीक कराइये। हम लोग एक ही सब्जी कई दिन से लगातार खा रहे हैं। यह बहुत ही खराब है, सड़ी हुई लगती है। लगता है कि जैसे उल्टी हो जायेगी। यहां पर बहुत रद्दी व्यवस्था है।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी सहमत हूं। यहां की कैन्टीन में भोजन इत्यादि की गुणवत्ता बहुत ही खराब है।

(सदन के अधिकांश माननीय सदस्यों ने इस बात का समर्थन किया)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। इसको दिखवा लिया जायेगा।

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रदीप चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार दारुलशफा परिसर में स्थित कैन्टीन में भी बहुत खराब व्यवस्था है। कृपया इसमें भी आप निर्देश दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

आप पश्चिम के व्यक्ति हैं, आप तो रायल कैफे में खा सकते हैं। इसमें आपको कौन सी परेशानी है। श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, कृपया आप बोलिये।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नेता विरोधी दल श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के संशोधन प्रस्ताव से अपने आपको जोड़ते हुए अपनी बात रखता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आज प्रदेश में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। आज पूरे प्रदेश में गुण्डे–माफियाओं का राज चल रहा है। गुण्डे–माफिया बेधड़क खुलेआम घूम रहे हैं। जब कोई शिकायतकर्ता अपनी शिकायत थाने में ले जाकर देता है, तो पहले तो उसकी शिकायत सुनी नहीं जाती है। जब कभी शिकायत सुनी भी जाती तो भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आगरा में रामबाग की निवासी कु0 कीर्ति कुशवाहा जिसकी शादी लगभग डेढ़–दो माह पूर्व हुई थी और शादी के एक महीने बाद एक व्यक्ति बराबर उस महिला के फोन नम्बर पर धमकियां देने का काम करता है, उससे अश्लील बात करने का काम करता है। यही नहीं उसने रिंकू और कुलदीप नाम बताकर एक फर्जी फेस बुक आई0डी0 बनाकर उसमें एक लड़की का फोटो लगाकर फर्जी एकाण्उट बना दिया जाता है, जिसमें उस लड़की का मोबाईल नम्बर डाल दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, यह बात जब उस लड़की और उसके पति को पता चलती है, तो वह दोनों जाकर इसकी शिकायत थाना शाहगंज में करने का काम करते हैं, लेकिन उस थाने में उनकी सुनवाई नहीं होती है। जब वह महिला और उसके हसबैण्ड मेरे पास आते हैं, तो मैंने एस0एस0पी0/कप्तान से कहा और तब जाकर थाना शाहगंज में मु0अ0सं0–72/2016 दर्ज होने का काम होता है। माननीय अध्यक्ष जी, वह फेसबुक एकाउण्ट 15 दिन तक चलता रहा और उसे बंद कराने का काम एस0ओ0, शाहगंज ने नहीं किया। जब दोबारा मैंने एस0एस0पी0 से बात की तब कहीं जाकर फेसबुक आई0डी0 बंद हुई। जिस नम्बर से फोन आते थे, उस नम्बर को सर्विलान्स पर जब लगाया गया तो उसके ट्रेस आउट होने का काम हुआ तो वह लड़का एक सिपाही का निकला लेकिन माननीय अध्यक्ष जी यह बड़े दुख की बात है कि आज तक उस लड़के के प्रति कोई कार्यवाही नहीं हुयी और वह लड़का आज भी उस लड़की और उसके पति को धमकी देने का काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि यह जो केस दर्ज हुआ है उस पर विशेष कार्यवाही कराई जाये। माननीय अध्यक्ष जी, अगर प्रदेश की हम बात करें तो विकास कार्य बिल्कुल ठप है और विकास नाम की कोई चीज नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि केवल सरकार लखनऊ में मेट्रो ट्रेन

चला करके और लखनऊ एक्सप्रेस–वे बनाकर पूरे प्रदेश का विकास नहीं कर सकती है। आज पूरे प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार की आवश्यकता है। छात्रों को उत्तम पढ़ाई की आवश्यकता है, मरीज को अच्छी दवा की आवश्यकता है, मजदूरों को अच्छी मजदूरी मिले, इसकी आवश्यकता है लेकिन महामहिम राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण पढ़ा, उसमें कहीं भी इन बातों का उल्लेख नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में जिस प्रकार से आज लोहिया गांवों का चयन करके उसमें विकास कार्य हो रहे है उसमें पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है वहां चुनकर लोगों के यहां विकास कार्य कराया जाता है।

लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा बहन कु0 मायावती जी को कि उस समय जब अम्बेडकर गांवों का चयन होता था, उस समय किसी जाति वर्ग के लोगों को नहीं देखा जाता था बल्कि सभी जाति और सभी वर्ग के लोगों के यहां समान रूप से विकास कार्य कराये जाते थे। माननीय अध्यक्ष जी बड़े दुख की बात यह है कि आज जो लोहिया गांव चयनित होते हैं उनमें चिन्हित करके लोगों के सामने सी0सी0 कराने का काम, नाली बनाने का काम किया जाता है और एक वर्ग के लोगों को छोड़ दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं अपने क्षेत्र की बात आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। मेरा विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़, वहां पानी की बहुत गम्भीर समस्या है। पानी का जलस्तर काफी नीचे है और खासकर जगनेर ब्लाक में पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण 400–500 फीट तक पानी नहीं है, वहां पत्थर निकलता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कई बार विभिन्न नियमों में यहां अपनी बात को रखने का काम किया। वहां दो कच्चे बंधे बहुत पहले से बने हुये हैं मैंने उनको पक्का कराने के लिये कई बार नियम–301 और नियम–51 लगाने का काम किया है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह जो कच्चे बंधे बने हुये हैं यदि यह पक्के बन जाते हैं तो वहां के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और जलस्तर इससे ऊपर उठेगा। वहां पर इस समय स्थिति यह हो गयी है कि आदमी तो क्या जानवरों के लिये भी पानी की बहुत समस्या है। इस बंधे के पक्का बन जाने से उस क्षेत्र के पानी की समस्या का निराकरण हो जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार से मेरे ब्लाक सैंया में एक बहुत बड़ा बी0टी0सी0 कालेज बना था और बी0टी0सी0 की ट्रेनिंग लोग वहां किया करते थे। आज लगभग 10–12 साल से वह बन्द पड़ा हुआ है और उस इमारत में लोग खिड़की–दरवाजे चोरी करने का काम कर रहे हैं और भू–माफिया उसकी जमीन कब्जाने का काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपके माध्यम से कई नियमों में इस समस्या को लगाने का काम किया, मैं चाहता था कि उस बिल्डिंग में केवल सरकार इतना कर दे कि उसमें चाहे राजकीय कन्या महाविद्यालय या राजकीय कन्या इण्टर कालेज खुलवा दे तो उस जगह का सदुपयोग हो जायेगा और जो इमारत में खिड़की–दरवाजों की चोरी हो रही है वह बंद हो जायेगी और वहां की लड़कियों को जो पढ़ने के लिये दूर जाना पड़ता है, उस समस्या का निदान हो जायेगा माननीय अध्यक्ष जी, एक बात और कहना चाहूंगा कि खेरागढ़ ब्लाक में राजकीय कन्या विद्यालय स्वीकृत हो चुका है वहां पर उसके लिये 40 लाख रुपये का

आवंटन कर दिया गया है लेकिन वहां जो विद्यालय चल रहा है, वह पुरानी तहसील की जगह थी, लेकिन उसकी पत्रावली राजस्व विभाग में लम्बित है, यदि वह पत्रावली स्वीकृत हो जाये और वह जगह शिक्षा विभाग के लिये ट्रांसफर हो जाये तो उस कन्या विद्यालय का निर्माण कार्य इस 40 लाख से पूर्ण हो जायेगा, यह मैं आपके माध्यम से चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात और कहना चाहूंगा कि आज 250 आबादी वाले गांवों को जो सम्पर्क मार्ग से नहीं जुड़े हैं, उनको भी जोड़ने का काम हो रहा है तो माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ में एक गांव है धमोखर और दूसरा गांव है टीका का पुरा यह दोनों गांव 250 की आबादी से ऊपर के गांव हैं। यह गांव अभी किसी भी सम्पर्क मार्ग से जोड़े नहीं गये हैं, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इन दोनों गांवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का काम हो जाय तो वहां के लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार से मेरी खेरागढ़ विधान सभा में एक फायर स्टेशन स्वीकृत हो चुका है, उसका भी पैसा पहुंच चुका है लेकिन अभी तक उसका काम शुरू नहीं किया गया है। लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं किया गया है मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि उसमें भी कुछ काम हो जाए। एक बात और रह गई है, सी0ए0टी0 मार्ग से एक गांव पड़ता है डांडा और एक गांव पड़ता है कुल्हाड़ा, इन दोनों गांवों की स्थिति यह है कि वहां निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है यदि बरसात हो जाती है तो गांव के लोग घरों में कैद हो जाते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री बावन सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मा0 नेता प्रतिपक्ष और मा0 नेता, भारतीय जनता पार्टी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मा0 अध्यक्ष जी, राज्यपाल जी के अभिभाषण की जो बुकलेट मिली है, इसको हमने विधिवत् पढ़ा है यह एक तरीके से सरकारी दस्तावेज है। सरकार द्वारा जो लिखा गया है उसी को राज्यपाल जी को विवश होकर पढ़ना पड़ा है। मैं ज्यादा कुछ न कह कर इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे गोण्डा जनपद में ऊर्जा के क्षेत्र में 7 हजार मजरों का विद्युतीकरण करने के लिए एक बैरीकेट कम्पनी जो आन्ध्रप्रदेश की थी उसको राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का तथा दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के 7 हजार मजरों के विद्युतीकरण कराने का ठेका दिया गया था। वह बैरीकेट कम्पनी फर्जी निकली, उसकी बैंक गारंटी ही फ्राड थी लेकिन यहां दबाव में उसको ठेका दिया गया मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इसकी जांच हो, साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए केन्द्र द्वारा विद्युतीकरण की मदों का पड़ा हुआ है लेकिन वह कम्पनी दो साल में मात्र सौ मजरे भी विद्युतीकृत नहीं कर पाई और फर्जी बैंक गारन्टी के आधार पर ठेका लेने के कारण 78 करोड़ रुपए का भुगतान

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कराकर भाग गई। उन अधिकारियों के खिलाफ मैं कार्रवाई करने की मांग करता हूं मा0 मुख्य मंत्री जी सुन रहे हैं बैरीकेट कम्पनी को जिन अधिकारियों ने ठेका दिलाया था उसकी जांच होनी चाहिए तथा तत्काल विद्युतीकरण की व्यवस्था कराकर उन मजरों का विद्युतीकरण कराया जाना चाहिए। मैं गन्ना किसानों के बारे में बात करना चाहता हूं, जब यह पार्टी विपक्ष में थी तो 350 रुपए प्रति क्विंटल के दाम की मांग करती थी इसलिए 350 रुपए प्रति क्विंटल का दाम गन्ना किसानों को दिया जाए तथा जो घटतौली मिलों द्वारा की जा रही है घटतौली रोकी जाए तथा पुराना जो गन्ना मूल्य बकाया पड़ा है उसका भुगतान किसानों को किया जाए। मान्यवर, समग्र लोहिया ग्राम योजना जो चलाई जा रही है उसमें मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी कि विपक्ष के भी सारे विधायकों को बराबर–बराबर ग्राम चयनित करने का अवसर दिया जायेगा लेकिन हमारे गोण्डा जनपद में जो हम लोग प्रस्ताव दे देते हैं उसको प्रभारी मंत्री जी से सत्तापक्ष के लोग जाकर उन गांवों को कटवा देते हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि समग्र लोहिया गांवों का विकास सभी विधायकों से बराबर–बराबर प्रस्ताव लेकर किया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बदले की भावना से सरकार काम कर रही है विपक्ष के विधायकों की बड़ी उपेक्षा हो रही है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात रखना चाहता हूं। करनैलगंज से हुजूरपुर मार्ग 12 किलोमीटर अवैध खनन के कारण ओवरलोडिंग के माध्यम से गड्ढे में तब्दील हो गई लोगों का आना–जाना दूभर है। ह्रदय के रोगी जिला अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, वह सड़क बहराइच रोड को जोड़ती है 12 किलोमीटर के लिए हमने दो करोड़ छः लाख रुपए का प्रस्ताव भिजवाया था, मेरा आपसे अनुरोध है कि यह बहुत जरूरी सड़क है दो जिलों को जोड़ती है इसलिए करनैलगंज से हुजूरपुर मार्ग का निर्माण धन को स्वीकृत करके कराने की कृपा करें। गन्ना किसानों को 350 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य का भुगतान किया जाए। कटरा बाजार से कटवा नाला मार्ग, करनैलगंज से हुजूरपुर मार्ग से वाया सेल्हरी देव्वा पसिया–धर्मपुर–झौनहा मार्ग यह 17 किलोमीटर लम्बा है जो गड्ढे में तब्दील है इसको चौड़ीकरण कराने की मैं सरकार से मांग करता हूं। टेड़ी नदी हमारे यहां पड़ती है मथुरा से जयरामजोत के बीच में तथा टेड़ी नदी पर ही भुलभुलिया से दूल्हापुर खालसा ये दो पुल बहुत जरूरी हैं इनका निर्माण कार्य शीघ्र धन स्वीकृत करके कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें, आपकी बातें आ गयी। पहाड़ियां जी, वहां से तो आवाज लगा रहे थे, अब यहां क्या कर रहे हो ?

श्री बावन सिंह–

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में दो पुल बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है इसलिए उसकी स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। डा0 राम मनोहर लोहिया ट्यूबवेल लग रहे हैं उसकी पाइप लाइन की गुणवत्ता बहुत खराब है। मेरे प्रस्ताव पर दो ट्यूबवेल पिछले दो सालों में लगे थे लेकिन पाइप इतनी घटिया क्वालिटी की डाली गयी है कि पाइप लाइन टूट

गयी है और कुलावे से पानी बह रहा है जहां किसानों को आवश्यकता है, वहां पानी नहीं पहुंच रहा है, इसकी जांच कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष– अब आप समाप्त करिये, बैठिये।

श्री बावन सिंह–

मान्यवर, जरवल से गोण्डा–बलरामपुर जनपद मुख्यालय होने के नाते, मण्डल मुख्यालय होने के नाते फोर–लेन से जोड़ने की घोषणा सरकार द्वारा की गयी है। मैं अनुरोध करता हूं कि जरवल से गोण्डा और गोण्डा से बलरामपुर को फोर–लेन बनाया जाए। इसी के साथ अध्यक्ष जी, ज्यादा न कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और मा0 नेता प्रतिपक्ष के संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं।

धन्यवाद।

ख्समय 4.06 ,

श्री बब्बन सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने श्रीराज्यपाल जी के अभिभाषण पर मा0 श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं अपने नेता द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव से अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। मान्यवर, 2012 से जबसे हम लोग चुनाव जीतकर आये हैं गांव–गांव जाकर क्षेत्र की समस्या सुनते हैं, उसको प्रश्नों के माध्यम से, नियम के माध्यम से आपके संरक्षण में हम लोग लगाने का काम करते हैं लेकिन जो सरकारी जवाब आता है कि कार्ययोजना में सम्मिलत कर लिया गया है और दूसरे, प्रश्न नहीं उठता। इस तरह की तमाम बातें आती हैं लेकिन कोई काम उस पर नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जो हम लोग नियम के माध्यम से विधान सभा में जो बातें उठाते हैं उसको सरकार गंभीरता से ले। छः–छः महीने तक जो भी नियम में बातें उठाते हैं उसका जवाब नहीं आता है। यह बहुत दुःख की बात है जो हम लोग समस्या उठाते हैं उसकी बात नहीं आ पाती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनपद चन्दौली में माननीय मुख्य मंत्री जी गये थे वहां पर जो बजट में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात आयी है लेकिन मान्यवर, आज तक मेडिकल कॉलेज बनाने के नाम पर केवल भूमि ही अधिग्रहीत किया गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मेडिकल कॉलेज है उसको इस प्रस्ताव में शामिल कर लें। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी पिछली बार 2015 में गये थे।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करिये, माननीय मौर्या जी को बोलना है।

श्री बब्बन सिंह चौहान–

तहसील घोषित करके आये लेकिन वह तहसील आज तक कागजों में है, जमीन पर नहीं उतर पाया। मुगलसराय में तहसील बनना था, आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है, न वहॉ कोई अधिकारी बैठता है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करिये।

श्री बब्बन सिंह चौहान–

मान्यवर, अभी पिछली बार माननीय मंत्री शिवपाल जी गये थे और जनपद चन्दौली को गोद लेने का काम किये, अपने भाषण में बोलकर आये थे।

श्री अध्यक्ष–

बैठिये, जब पी0डब्लू0डी0 का बजट आयेगा तब उसमें बोलियेगा।

श्री बब्बन सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर चन्दौली जनपद को गोद लिये हैं तो तब से अब तक कौन सी कार्य योजना बनायी गयी है ?

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करिये, मा0 मौर्या जी को बोलना है।

श्री बब्बन सिंह चौहान–

मान्यवर, एक मिनट का समय और दे दें।

श्री अध्यक्ष–

अब बैठिये, मौर्या जी, आपकी बात कह देंगे। चलिये आप लिखकर दे दीजिएगा।

(श्री अगयश राम सरन वर्मा द्वारा बोलने के लिए समय दिये जाने का आग्रह करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप नहीं बोल पाये, कोई बात नहीं। आप प्रश्नों में, नियमों में बहुत बातें करते हैं। बैठ जाईये।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मेरे द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव पर विपक्ष के 59 और सत्ता पक्ष के 22 माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। मान्यवर, इतने बड़े पैमाने पर माननीय सदस्यों का संशोधन प्रस्ताव पर भाग लेना स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं राज्यपाल जी के अभिभाषण पर सवालिया निशान खड़ा करता है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में सरकार की तमाम खूबियों को अपने संदेश के माध्यम से जनता के बीच में देना चाहा जिसमें बार–बार निवेश और अवस्थापना की बात की गई लेकिन सतही तौर पर यह केवल बैठकें तक सीमित हो जाती हैं। हम बड़े बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रित तो जरूर कर रहे हैं लेकिन हमारे प्रदेश के जो छोटे व्यापारी हैं, जो कुटीर उद्योग के धंधे के रूप में

15 लाख प्रदेश में ईंट भट्टा का संचालन करते हैं मान्यवर, आज वह पूरी तरीके से ठप्प पड़ते नजर आ रहे हैं और मान्यवर, इस 15 लाख ईंट भट्टे के माध्यम से 1 करोड़ मजदूर इनमें रोजगार पाते हैं। साथ ही साथ 50 से लेकर 55 हजार तक कुटीर उद्योग के माध्यम से छोटे व्यापारी इस धंधे से सीधे जुड़ते हैं।

लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति का आज तक गठन है नहीं। तमाम ईंट भट्टा मिल मालिक माननीय मुख्य मंत्री जी के इर्द गिर्द चक्कर भी लगा रहे हैं, तमाम नेताओं के दरवाजे पर भी जा रहे हैं उनकी कोई गुहार सुनने वाला नहीं है यद्यपि माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनको आश्वासन जरूर दिया कि आपका प्रकरण हमने जिले में भेज दिया लेकिन जिले में आज तक कोई जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति का गठन नहीं हुआ है जबकि यह कारोबार अक्टूबर के बाद प्रारम्भ होता है और 15 जून तक चलता है। फरवरी महीना भी आधा बीत गया है लेकिन अभी तक उनका भट्टा का संचालन नहीं हो पाया है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर सरकार सही में 1 करोड़ मजदूर जो ईंट भट्टों के माध्यम से अपने परिवार को चलाते हैं, 50 हजार से लेकर 55 हजार तक लघु उद्यमी जो इसके माध्यम से रोजगार का सृजन करते हैं, अगर सरकार बचाना चाहती है तो इसको जो मान्यवर, एक अध्यादेश है भारत सरकार का। उस भारत सरकार के अध्यादेश में जिसका नोटिफिकेशन संख्या–141 अ दिनांक 15 जनवरी, 2016 के प्राविधानानुसार इस अनुरोध पत्र के ऊपर बिन्दु 1 में वर्णित छूट का प्राविधान पर सरकार अपनी सहमति दे क्योंकि जो भारत सरकार ने निर्देशिका जारी की थी उसमें 11 बिन्दुओं में से अंतिम बिन्दु ऐसे कार्य कलाप जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विधान या नियमों के अधीन पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की सहमति से गैर खनन कार्य–कलाप घोषित किया है। इस सुविधा के अनुसार राज्य सरकार उनको अपने कारोबार को बढ़ाने का मौका दे सकती है। भारत सरकार से यह संस्तुति ले सकती है और साथ ही साथ मान्यवर यहां यह भी अवगत कराना है कि 15 जनवरी 2016 के पहले उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं थी। सरकार जाते–जाते उन पर वज्रपात करके जा रही है लगभग एक करोड़ मजदूरों की रोजी–रोटी छीन रही है। पचास–पचपन हजार उद्यमियों को पैदल करने पर लगी हुई है। हम चाहते हैं कि 20 जनवरी 2016 के पहले की जो मान्यवर, स्थिति थी उसको बहाल किया जाए। जिसके अन्तर्गत 2001 में सरकार ने समाधान योजना के तहत प्रति तीन वर्ष पर बीस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी से इन पर रायल्टी फिक्स किया था। लेकिन 20 जनवरी 2016 से उस व्यवस्था को खत्म करके, इन्होंने मान्यवर, गलत निर्णय ले लिया जिसके नाते आज बहुत बड़ा कारोबार प्रभावित हो रहा है। मान्यवर, आज उन पर तिहरा मार हो रहा है एक तो 15 प्रतिशत वाणिज्य कर बढ़ाया गया, दूसरा मान्यवर, उन पर रायल्टी अलग से, और जिला पंचायत का अलग से, इसीलिए बेहतर होगा कि पूर्व की व्यवस्था को बहाल करें। अन्यथा निवेश के लिए बड़े व्यापारियों को तो आप बुलाने का काम कर रहे हैं लेकिन छोटे व्यापारियों को दफन करने का काम कर रहे हैं। इस पर विराम लगना चाहिए। इसी के साथ मान्यवर, विभिन्न

नियमों के अन्तर्गत तमाम सूचनाओं के माध्यम से गाहे–बगाहे सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, यहां तक की सत्तापक्ष के भी कुछ माननीय सदस्य सरकार को आगाह करते रहते हैं क्योंकि सरकार के मन में चोर है जिसका नतीजा हुआ कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में मा0 मुख्य मंत्री जी के आवास और पुलिस महानिदेशक कार्यालय के मध्य नाले में एक रानी लक्ष्मीबाई की पढ़ने वाली छात्रा कुमारी उन्नति की लाश मिली।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम–56 का है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

जिस तरह से गुण्डों ने दुस्साहसिक तरीके का कारनामा किया, बोर्ड की परीक्षा देने जाने वाली 10 फरवरी को उस बच्ची को अपहर्तकर्ताओं ने उठाया, मेडिकल रिपोर्ट भी आई, सामूहिक बलात्कार हुआ, नृशंस तरीके से उस छात्रा की हत्या हुई, सरकार के यह कह देने से कि कानून–व्यवस्था चुस्त–दुरुस्त है बात बनने वाली नहीं है। जब तक कि अपराधियों को सजा का खौफ नहीं होगा तब तक यह जो अपराधी हैं इनके अपराध में कमी नहीं आएगी।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इसी प्रकार से चूंकि यह बहुत ही गम्भीर मामला है। अपराधियों के हौसले इतने बुलन्द कि मुख्य मंत्री आवास का भी भय उनको दिखाई नहीं पड़ा। उनको डी0जी0पी0 का भय भी दिखाई नहीं पड़ा, और मान्यवर, वहां पर इस तरीके से निन्दनीय और वीभत्स कारनामे को अंजाम देने का काम किया। इसलिए सरकार को इस पर कड़ी प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। जिससे अराजक तत्वों को एक संदेश जाए कि मुख्य मंत्री जी इस पर गम्भीर हैं। हालांकि मुझे जानकारी मिली है कि मुख्य मंत्री जी ने इस संबंध में अलग से हिदायत और निर्देश दिए हैं लेकिन ढाक के वही तीन पात, जब तक शातिर अपराधियों का खुलासा नहीं होता है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक मान्यवर, इन अपराधियों को किसी प्रकार का डर पैदा नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप करें।

एक मा0 सदस्य–

पुरानी घटना है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

खत्म कर रहा हूं चूंकि मैं बोल चुका हूं इसलिए खत्म कर रहा हूं शर्म और हया शायद सत्तापक्ष ने कहीं रख दिया है, कल की घटना को पुराना बता रहे हैं। ऐसे हालात में यह सारे के सारे लोग मुख्य मंत्री जी की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल करने की

व्यवस्था कर चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं आज अभी पंचायत चुनाव के तीन परिणाम आए हैं जिसके परिणाम से पता लगता है कि समाजवादी पार्टी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई ऐसे हालात में मैं आगाह करता रहा लेकिन सावधान नहीं हुए। मुख्य मंत्री जी ने यद्यपि अपना दर्द बयां किया उसका जवाब हम बाद में देंगे लेकिन आज चलते–चलते हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं आज के चुनाव परिणाम पर।' सत्तामद में चूर हुआ नींद हुई काफूर अभी भी नहीं चेते तो सत्ता से होंगे कोसों दूर'। इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारे संशोधन प्रस्ताव को केवल विपक्ष का प्रस्ताव मानकर मुख्य मंत्री जी नकारने की कार्यवाही नहीं करेंगे। अगर थोड़े भी उदारमना और उदार दिल होगा तो जितने भी संशोधन प्रस्ताव आए हैं उनको गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए राज्यपाल जी के अभिभाषण में जुड़वाकर उस पर प्रभावी कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे और इसके साथ–साथ मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर श्री गुलाम मुहम्मद साहब ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं। सदन में माननीय नेता विरोधी दल उनके साथ–साथ भाजपा नेता माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, कांग्रेस के माननीय सदस्य श्री प्रदीप माथुर जी राष्ट्रीय लोक दल के नेता माननीय श्री दलबीर सिंह जी, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी और बड़ी संख्या में माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं सुझाव दिए हैं, साथ ही साथ सत्तापक्ष से श्री गुलाम मोहम्मद साहब ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया उनके साथ–साथ माननीय सदस्य डा0 संग्राम यादव जी माननीय मंत्री राधेश्याम सिंह जी, सत्यवीर मुन्ना से लेकर बड़ी संख्या में लगभग 23 लोगों ने और विपक्ष की तरफ से लगभग 56 लोगों ने अपने विचार और सुझाव रखे हैं, मैं सभी माननीय सदस्यों को उनके सुझावों के लिए अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो बातें रखी गई थीं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने बहुत सारी बातें रखी हैं, जो समय लिया है, वह दो घंटे से ज्यादा समय लिया है माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने। उसके बाद भी यह साबित नहीं कर पाए कि जो अभिभाषण दिया गया है वह झूठ का पुलिंदा है। अध्यक्ष जी मैं कहूंगा अगर वह और समय चाहें तो मैं कहूंगा कि और समय इनको दे दिया जाय।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

और ख ग ग ग , बोलने की भी छूट।

श्री अखिलेश यादव–

नोट :–[ग ग ग , यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कई बार मैंने सोचा कि कुछ समझ लूं कि नेता प्रतिपक्ष क्या कहना चाहते हैं लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी हेड फोन लगाने की। वह इतनी तेज चिल्ला रहे थे कि मैं कुछ समझ नहीं पाया। अध्यक्ष जी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही और शेर से बात खत्म की। अभिभाषण में कोई शेर नहीं था अभी तो शेर का दौर आएगा क्योंकि बजट भाषण मैंने पढ़ा उसमें कुछ शेर मैंने जरूर रखे थे लेकिन इस शेर के बारे में आदरणीय आजम साहब हमारे बगल में बैठे हैं मैंने उनसे पूछा यह शेर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं कैसे जुगाड़ कर लिया और एक शेर पढ़ दिया। मुझे लगा कि पूरा जुगाड़ का शेर था। जहां तक परिणाम है, मैं जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं, जनता ने जो परिणाम दिया है उसको स्वीकार करते हैं। जहां तक अभिभाषण की बात है, सरकार ने कम से कम इस दस्तावेज में यह कोशिश की है और चार साल में लगातार प्रयास भी किया है, क्योंकि अब हमारे सामने बजट भी आ गया है। मा0 नेता प्रतिपक्ष, भारतीय जनता पार्टी के मा0 नेता, कांग्रेस के मा0 नेता, आदरणीय दादा और आदरणीय दलवीर सिंह जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि कम से कम यह बात तो तय है कि सरकार क्या चाहती थी और किस दिशा में उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहती है। मैं यह कह सकता हूं कि मा0 नेता प्रतिपक्ष घोषणा–पत्र लाये थे। कुछ बातों को छोड़कर समाजवादी सरकार ने अपने पूरे के पूरे घोषणा पत्र पर अमल किया है और उसको जमीन पर उतारने का काम किया है। (सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपायी गयीं) मा0 अध्यक्ष जी, कुछ चीजें ऐसी भी थीं जो हमनें अपने घोषणा–पत्र में नहीं लिखी थीं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें लगा और हमनें इस बात की जरूरत समझी कि समय के हिसाब से इसकी उत्तर प्रदेश में जरूरत है और हम लोगों को इसको पूरा करना चाहिये। उस दिशा में भी बजट के माध्यम से उसको पूरा करने की कोशिश की है।

हालांकि मैं बहुत सारी चीजें कह सकता हूं, क्योंकि मा0 नेता प्रतिपक्ष की भी पांच साल सरकार रही है और जनता ने जिसको हटाया और समाजवादी सरकार बनी और अब तो भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार केन्द्र में है। जितने भी मा0 सदस्य बैठे हैं वह तुलना कर सकते हैं कि किस सरकार ने जनता के लिये बेहतर काम किया है। अब तो सब चीजें सामने हैं। जहां तक सरकार, दस्तावेज और अभिभाषण की बात है तो शुरूआत में ही मैं महामहिम श्री राज्यपाल जी का धन्यवाद इसलिये भी दूंगा कि उनकी तबीयत नहीं ठीक थी और मुझे लगा कि शायद वह पूरा भाषण नहीं पढ़ेंगे। अमूमन यह होता है कि शुरूआत की एक लाईन पढ़ी और आखिरी लाईन पढ़ी और महामहिम राज्यपाल जी चले जाते हैं, लेकिन मैं उनका आभार और धन्यवाद इसलिये दूंगा कि तकलीफ और बीमारी में भी उन्होंने कम से सरकार और इस दस्तावेज की पूरी बातें रखीं कि इस सरकार की दिशा क्या है। (सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपायी गयीं) पहले तो नारे लग रहे थे, हालांकि पानी पीकर नहीं, पानी मांग जाते, हो–हो करने लगे, अगर यह पूरा पढ़ा जाता और जानकारी में आ जाता तो शायद आपको थकान महसूस हो जाती। आपको केवल तीन पन्नों में थकान आ गई। आपने कहा कि इसको बहुत पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो आपने इसको देखा नहीं है और अगर देखा है तो इसको आपने

पढ़ा नहीं है। मा0 अध्यक्ष महोदय, कोई हमें बता दें, कोई लखनऊ आता हो, एयरपोर्ट से उतरता हो, ट्रेन से उतरता हो, क्या उसे मेट्रो का काम होते हुये नहीं दिखा ? यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी सरकार के मा0 सदस्य नहीं कह रहे हैं कि किस तेजी से काम चल रहा है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह पूछ यह रहे हैं कि इंजन कहां से लायेंगे, नहीं मिले तो हाथी से खिंचवाईयेगा।

श्री अखिलेश यादव–

हाथी की एक मुश्किल होती है कि वह चढ़ाई नहीं चढ़ सकता। वह उसके ऊपर कैसे जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

फिसल जायेगा तो यहीं आयेगा।

श्री अखिलेश यादव–

अगर स्लोप हो, ढलान हो तो मुश्किल है कि हाथी चल पाये। अब वह तो एलिवेटेड है। मा0 नेता प्रतिपक्ष बता सकते हैं कि फिर वह कैसे चढ़ेगा। वह कौन नहीं देख सकता है कि मेट्रो बन रही है और मैं मा0 नेता प्रतिपक्ष जी से कहना चाहूंगा कि यह हमारे घोषणा–पत्र में नहीं लिखा था, लेकिन हमनें केवल राजधानी के लिये ही नहीं, बल्कि तमाम वह शहर जो बढ़ते चले जा रहे हैं और बड़े होते चले जा रहे हैं, उनके लिये इसकी जरूरत समझी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे तमाम मा0 सदस्य बैठे हैं, वह इस बात को समझ सकते हैं कि हमनें कोई भेदभाव नहीं रखा। केवल लखनऊ राजधानी में नहीं, जहां जरूरत है वहां पर हम लोग एक साफ–सुथरा ट्रांसपोर्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। (सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपायी गयीं) हम लोग कम से कम लखनऊ में कामयाब हो गये हैं और मा0 नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैंने अपने बजट भाषण में भी पढ़ा, क्योंकि तब बात बजट की आयेगी कि अगली बार हो सकता है कि कुछ मा0 सदस्य जो इस सदन में आना चाहें तो वह मेट्रो से भी आ सकेंगे। तो कम से कम रफ्तार तो उसकी है और केवल मैं नहीं कहता, पूरा देश और तमाम जो एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, समझदार लोग हैं, प्रेस के लोग हैं, वह कहते हैं कि रफ्तार से मेट्रो का कार्य हो रहा है, कान्स्ट्रक्शन किस रफ्तार से हो रहा है। और शहरों में भी ला रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की कान्स्टीचुवेंसी में आ जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कानपुर में बहुत जल्दी शिलान्यास करने आऊंगा और माननीय सदस्य भदौरिया जी को भी उसमें बुलाऊंगा, वह रहें उस कार्यक्रम में। तो एक तो हिस्सा वह है, जहां शहरों के लिए भी काम किया है और जहां हम लोगों ने किसान वर्ष तय किया, वहां किसानों के लिए भी काम किया है। इसीलिए कहा कि एक संतुलित विकास, एक ऐसा विकास का रास्ता, एक ऐसे विकास की दौड़ में जा रहे हैं, जहां एक संतुलन बनाकर चल रहे हैं। अगर आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे नहीं दिखा किसी को, वह

दिखेगा भी नहीं क्योंकि जिस इलाके से वह बन रहा है, बहुत ग्रामीण इलाका है, जिन माननीय सदस्यों का वह इलाका है, वह जानते होंगे, कितने पिछड़े इलाके में बन रहा है। वह जोड़ देगा आगरा को, हालांकि आपने भी बनाया, लेकिन पता नहीं किस तरीके से आपने बनवाया था, क्या–क्या उसमें बातें हुई, मैं कई बार सदन में उन बातों को कह चुका हूं। जिस माडल को आपने अपनाया, जिस माडल से आपने बनाया, वह कितना बड़ा धोखा उत्तर प्रदेश के लिए हुआ। सड़क तो बनी लेकिन पैकेज चले गए। वह तो आधी सड़क है, जितनी हम लोग बना रहे हैं, वह तो ज्यादा से ज्यादा 160 कि0मी0 है, लेकिन हम लोग, समाजवादी सरकार में बना रहे हैं, 302 और 24 कि0मी0, आज माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं, आगरा से जो जीत करके आते हैं, प्रोफेसर साहब, सदन में नहीं हैं, वह कह सकते हैं, वह बतायें, आगरा में कितनी मुश्किल है, अगर आप एक्सप्रेस–वे से आ जायें जो आप लोगों की सरकार में बनी, उसे आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। आगरा में आ जायें तो जा नहीं सकते आप, एक्सप्रेस–वे से उतरने से ताजमहल पहुंचने तक 2–2, 3–3 घण्टे लगते थे। हम लोगों ने इनर रिंग रोड दी, वोट का वहां सवाल नहीं है, सवाल उत्तर प्रदेश का है, सवाल उस जगह का है क्योंकि टूरिज्म से लाखों लाख लोग जुड़े हुए हैं, कितने डालर का बिजनेस होता है वहां। मैं आज भी कहता हूं, आंकड़े कुछ भी हों, राजस्थान कहां है और प्रदेश कहां हैं लेकिन जो बात उत्तर प्रदेश में है और खासकर आगरा, मथुरा, वृन्दावन और वाराणसी और जगह पर, मैं समझता हूं कि इतना टूरिज्म कहीं नहीं होता होगा, जितना इन तीनों जगहों पर लोग आते हैं, उसको हमने ध्यान में रखा है, इनर रिंग रोड बन रही है, उसके बाद यह एक्सप्रेस–वे बन करके आ रहा है। हम कोई बिल्डर्स को जगह नहीं दे रहे हैं, हम मंडियां बनाना चाहते हैं, आलू की, आम की मण्डी तैयार हो रही है क्योंकि बड़े–बड़े शहरों में यह सब चीजें मंहगी हैं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली से लेकर बड़े शहरों में दूध, अनाज, खाने–पीने का सामान सब मंहगा है, लेकिन वहीं ग्रामीण क्षेत्र में आप पहुंच जायें, वहां पता कर लें, उनको कोई पूछता नहीं, कीमत नहीं कुछ उनकी। कम से कम मण्डी के माध्यम से, सड़क के माध्यम से उन चीजों को पहुंचाने का काम करेंगे और यह दुनिया भर में हुआ है। आज जो बड़े–बड़े मुल्क हमें दिखायी दे रहे हैं, जो तरक्की कर गए हैं, जो आगे बढ़ गए हैं, उन मुल्कों ने भी अध्यक्ष महोदय, यही किया। सबसे पहले सड़क बनायी और अच्छी सड़क बनायी, जिससे कम समय में पहुंचे। अगर आलू पहुंच जाये, आम पूरे बाजारों में पहुंच जाये, इसलिए मण्डी पर कितना ध्यान दिया हम लोगों ने, कम से कम कोशिश की मण्डी को बेहतर करने की। नेता प्रतिपक्ष, आप 05 साल सरकार में रहे हैं, आप लोगों ने कितनी मण्डियां बना दीं ? बुन्देलखण्ड में कितनी मण्डियां बना दीं ? तो हम लोग कम से कम मण्डियों से किसानों को जोड़ रहे हैं और दूध का उत्पादन बढ़ा दिया है।

दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कभी इतनी तेजी से नहीं बढ़ा था, जितनी तेजी से समाजवादी सरकार ने बढ़ाया है। अमूल के दो–दो प्लान्ट लग रहे हैं जो कानपुर देहात से आते होंगे, अगर उनके क्षेत्र में होगा तो वह जानते होंगे कि इस साल के

अक्टूबर तक हम तैयार कर देंगे, उसको, 05 लाख लीटर प्रतिदिन का, तैयार हो जायेगा, अमूल का प्लान्ट। लखनऊ में 05 लाख लीटर का प्लान्ट तैयार हो रहा है और अक्टूबर, नवम्बर तक हो सकता है, शुरू हो जायेगा। मदर डेरी का प्लान्ट रूका पड़ा था, केन्द्र सरकार से मिला था, वह भी हमने तैयार करा दिया। 05 लाख लीटर जा रहा है, वहां से दूध और हमारे माननीय सदस्य सब जानते होंगे, जहां सम्पन्नता आयी है, थोड़ी–बहुत सम्पन्नता गांव में भी पहुंची है। पहले तो शादियों में जो थोड़े–बहुत सम्पन्न लोग होते थे, अपना काम चला लेते थे, पूड़ी, आलू, टमाटर की सब्जी से, अब थोड़ा सम्पन्न हुए हैं, शायद पनीर भी पहुंच गया है, कुछ शादी–बारात में पनीर भी बनने लगा है। दूध–दही का भी बाजार बड़ा हो गया है। तब कीमत मिले किसान को, हम कामधेनु डेरी भी लाये हैं। हालांकि जो परिस्थितियां हैं, जो उनकी कमियां हैं, उनको दूर कर रहे हैं। कामधेनु डेरी योजना जिन्होंने पायी है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, बैंक जितना सपोर्ट कर सकते थे, बैंकों ने सपोर्ट नहीं किया। कुछ जगहों पर बैंकों ने सपोर्ट नहीं किया। वह हमारे हाथ में नहीं है लेकिन फिर भी हमने उन पर दबाव बनाकर मदद की है। और हम बहुत जल्दी रास्ता निकालेंगे। अगर हमारे पास को–आपरेटिव है अगर ऐसी व्यवस्था हमारे पास हो जाये कि केवल कामधेनु डेरी के लिए हमें अपने किसानों को अगर वहां से व्यवस्था हो जाये तो उस दिशा में भी सरकार काम करेगी। जिससे को–आपरेटिव से लोन आसानी से मिल जाएगा। हम प्रदेश की बैंक को क्यों न खड़ा करें। एल0डी0बी0 को हमने कितना बचाया है। किसान का कर्ज माफ किया था। आपकी सरकार में तो को–आपरेटिव बैंकों का क्या हाल था। आपने बजट पढ़े होंगे। बताओ हमें। शायद मा0 नेता विरोधी दल को–आपरेटिव में भी थे। आपने बैंकों की क्या हालत कर दी थी और हमें बैंकों को पैसा क्यों देना पड़ रहा है। क्यों हमें उनको जिंदा करना पड़ रहा है। बहुत सारे सदस्य जानते हैं कि कितनी बैंको को हम जिंदा कर रहे हैं। तो को–आपरेटिव बैंक जिंदा कर रहे हैं। एल0डी0बी0 के लिए किया। मण्डियां बना रहे हैं, डेरी का कर रहे हैं, बिजली का उत्पादन बढ़ा है। और हमारे मा0 सदस्य जानते होंगे कि इतनी बैंक की ब्रान्चेज कभी नहीं खुली होंगी उत्तर प्रदेश में जितनी हम लोगों ने खोल दी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में तीन हजार से ज्यादा ब्रांचेज खोली हैं। और उसी का परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एकाउंट भी खुले हैं। यह केंद्र सरकार स्वीकार करती है।

हमारे बी0जे0पी0 के नेता हैं वह जानते होंगे कि केन्द्र सरकार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की तारीफ कर रही है। इसीलिए, आपकी योजनाओं की वजह से नहीं। एकाउंट अगर खुले तो जो हमने तीन हजार ब्रांचेज गांवों में खोल दी उसकी वजह से खुले। मैं पूछता हूं कि किसानों की बात की। अगर किसान के साथ कोई दुर्घटना हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी बताओ आप क्या मदद करते थे। मा0 नेता प्रतिपक्ष हैं, मा0 सदस्य बतायें क्या मदद होती थी। कोई मदद नहीं होती थी। जो नेता जी ने देना शुरू किया था उसको इस सरकार ने पांच गुना कर दिया। हम लोग पांच लाख की मदद कर रहे हैं। और बड़े पैमाने पर मदद हो रही है। आपने कहा कि हमने आपकी पेंशन बदल

दी। आप बताइये आप कितने लोगों को पेंशन देते थे। आज वह मा0 सदस्य शायद नहीं हैं। क्योंकि मैं समझ गया जब वह पेंशन के बारे अपनी बात रख रहे तो मैं समझ गया था कि यह समाज कल्याण मंत्री रहे होंगे इसलिए वह इस बात को जानते होंगे। आज शायद वह मा0 सदस्य यहां नहीं हैं। उसी विभाग से यह योजना चलती है। आपने कितने लोगों को दिया। मा0 अध्यक्ष महोदय, इसलिए ऐसा फार्म बनवाया कि केवल कुछ लोगों को ही मिले। उस सीमा को हम लोगों ने बढ़ाया और कोई गरीब हो, हम तो आप लोगों से भी कहेंगे अगर आपको लगता है कि कोई महिला गरीब है, परिवार गरीब है उसको जुड़ना चाहिए। हम तो आपसे भी मदद मांगेंगे। क्योंकि 45 लाख को तो दे रहे थे, अब तो बजट सामने आ गया हम 10 लाख और बढ़ाने जा रहे हैं। तो बताइये 55 लाख है और अगर जिस महिला को मिल जाये तो कम से कम उसके परिवार के सदस्यों की उसके प्रति भाषा बदल जायेगी। इससे बड़ा काम समाजवादियों के लिए क्या हो सकता है, जो समाजवादियों ने करके दिखा दिया कि महिला सदस्य को ही पैसा मिलेगा वह जैसा चाहे वैसा खर्च करे। शायद सम्पन्न लोगों के लिए 500 रुपया कुछ न हो लेकिन गरीब महिला और वह गांव की हो उसके लिए 500 रुपये बहुत बड़ी चीज है वह हम लोगों ने करके दिखाया है और अब 45 लाख से 55 लाख ले जा रहे हैं और मा0 अध्यक्ष महोदय, आपको भरोसा दिला रहा हूं कि हालांकि छठवां बजट तो मैं लाउंगा ही लाऊंगा लेकिन यह पेंशन कोई सरकार खत्म नहीं कर पायेगी। और अगर 108 और 102 का हिसाब–किताब लगा लो। तो कितने लोगों की जान बचाई होगी। क्या हमने यह इस बात के लिए चलायी कि कोई बहुजन समाज पार्टी का होगा तो उसको एम्बुलेंस लेकर नहीं जायेगी या कोई अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता होगा अगर बीमार है तो उसको लेकर नहीं जाएगी। हम पर कई बार आरोप लग जाता है बताओ फोन करने पर एम्बुलेंस पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों के एक साथ यह कहने पर कि एम्बुलेंस पहुंचती है, पहुंचती है)

यह भरोसा दिलाया है अगर कहीं थोड़ी–बहुत कमी है तो उसे ठीक करेंगे और इसीलिए हम लोग एम्बुलेंस चला रहे हैं। हम जानते हैं कि डाक्टर्स की कमी है। पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 पर डाक्टरों की कमी है। यह कोई पहली सरकार नहीं है, मैं कोई पहला मुख्य मंत्री नहीं हूं जहां यह समस्या आयी हो, यह समस्या हर मुख्य मंत्री के साथ आयी होगी कि डाक्टर गांव में कैसे पहुंचे, पी0एच0सी0 पर कैसे रहें, सी0एच0सी0 पर कैसे रहें। तो आपके पास डाक्टर ही कितने बन रहे थे। आपके समय पर कोई मेडिकल कालेज शुरू किया हो तो हमें बता दें। एक बड़ी मुश्किल से चालू हुआ वह भी हम लोगों ने चालू किया है आखिरी में। बिल्डिंग तो बना रहे थे, तो हमने बिल्डिंग का बजट नहीं काटा बल्कि बिल्डिंग का बजट बढ़ाकर दिया। क्योंकि कल अगर डाक्टर चाहिए तो आज डाक्टर बनाने पड़ेंगे। पांच साल में डाक्टर बनेगा। आपके डाक्टरों की कमी कैसे दूर होगी। तो नये–नये मेडिकल कालेज, जहां नेता जी ने शुरू किया था। आज हमें खुशी है इस बात की अध्यक्ष महोदय, मा0 सदस्यों के सामने मैं कह सकता हूं, बड़ी संख्या में

मेडिकल कालेज सरकार के और प्राईवेट शुरू हो गये हैं और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में आज एम0बी0बी0एम0 की पढ़ाई शुरू हो गई है और कम से कम सरकार में हम लोगों ने सीटें बढ़ा दी और लगातार मेडिकल कालेज बढ़ा रहे हैं तो हर सम्भव कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं होंगे पैरामेडिकल, नर्सें, आपके यहां नर्सों की कितनी कमी है, मुझे अफसोस है, हर एक को हो सकता है, दुःख हो सकता है, मैं देखता हूं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को मौका मिलता है वह कहते हैं कि पी0जी0आई0 में दबाव है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जितना अच्छा अस्पताल होगा, उस पर दबाव होगा, क्योंकि कोई अन्दाजा नहीं लगा सकता है कितने बीमार लोग या कितने लोग आ जायेंगे इकट्ठे और जो डाक्टर अच्छा है उसके पास तो लोग जायेंगे ही जायेंगे इलाज कराने के लिए और पी0जी0आई0 है अस्पताल ऐसा, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि बिहार, बल्कि नेपाल और भी जगह के लोग आते हैं अपना इलाज कराते हैं, तो कम से कम सरकार ने कोशिश की है कि सीटें बढ़ायें हम लोग उनके बेड बढ़ा दें, जिला अस्पतालों को बेहतर करें, एक चैलेन्ज है, लेकिन उसके बावजूद भी कर रहे हैं हम लोग कितने बड़े पैमाने पर, सैफई के बारे में कहते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वहां पर भी आस–पास के जो भी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश तक के लोग आ जाते हैं और फिर जो गरीब है अगर वह तकलीफ में है, अगर किसी ने पत्र लिखा होगा, इस सरकार ने उस गरीब की मदद की होगी चाहे वह कैंसर हो, चाहे वह हार्ट हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो नेता प्रतिपक्ष जी मैं इस बात को कहूंगा आपके सामने इन सब सदस्यों ने जब भी कुछ कहा, मैंने मदद की होगी, लेकिन पता नहीं कौन सी ट्रेनिंग आपको मिली है कि आप कभी गरीब के लिए चिट्ठी नहीं लिखते हो, अगर कोई चिट्ठी लिखी हो गरीब के लिए कैंसर के लिए, हार्ट के लिए तो बता दो, क्या इसका मतलब यह है नेता प्रतिपक्ष जी कि आपके नेताओं पर भरोसा नहीं है लोगों को, यहां पर एक हमारा मा0 सदस्य कांग्रेस का है, कोई बीमार सबसे ज्यादा हम समझते हैं अगर हम गिनती करेंगे तो एक दो विधायक ऐसे निकलेंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा गरीबों को दिलाया है, इसका मतलब गरीब उस पर भरोसा कर रहा है, वह मेरी पार्टी का नहीं है नेता प्रतिपक्ष जी, वह कांग्रेस पार्टी का सदस्य है, जो सदस्य हमारा हारा। मैंने उससे कहा भई यह तो बताओ आप तो चिट्ठी कभी नहीं लिखते मुझे, लेकिन जो जीत कर आया सदस्य वह चिट्ठी लिखता है और पूरे देश में किसी अस्पताल में आप पता कर लो सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी के लिए गरीब के लिए जाता है चाहे वह दिल्ली हो, चाहे मुम्बई हो वह आपके उत्तर प्रदेश सरकार से और यहां से जाता है। अब तो आपको नेता प्रतिपक्ष जी बताना पड़ेगा यह ट्रेनिंग कहां की है आपकी, यह ट्रेनिंग है कि जानबूझ कर के आप छिपा रहे हो। आपने गाड़ी पर बहुत शोर किया था कि मैंने गाड़ी दे दी 20 लाख की, लेकिन बताओ मैंने आपको भी मौका दिया कि अगर कोई गरीब है अगर आपके पास आता है, किसके पास गरीब जाय बताओ, अपने जन प्रतिनिधि के पास ही जायेगा स्वाभाविक है, तो कम से कम उसकी तो तारीफ आप करते कि विधायक निधि में कम से कम हमने यह मौका दिया है कि किसी गरीब की अगर आप मदद करना चाहो तो निधि से आप मदद कर

सकते हैं। हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम किये हैं, यूनिवर्सिटी कहां बना दी हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय बैठे हैं उनके क्षेत्र में और बार्डर पर बनाई है, क्योंकि नेपाल से भी सम्बन्ध अच्छे होना बहुत जरूरी है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फारेन पालिसी यहां पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन इनकी पालिसी नहीं समझ आ रही है, पालिसी क्या है। अभी हाल ही में बी0बी0सी0 में हेड लाईन मैंने पढ़ी, देखा कि जो प्रधानमंत्री जी के दोस्त थे, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री जी को जाने कौन सा एफ–16 दे दिया, लिखा बी0बी0सी0 ने।

हमारे प्रधान मंत्री जी के मित्र ने जिससे ज्यादा हमारे बगल में खतरा है, एफ–16 दे दिया बताइये, तो ये कौन सी फारेन पालिसी है, नेपाल है बगल में आपके अगर दोस्त नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगी, जो बात नेता जी कहते थे वह आज भी सच है और वही काम हम लोगों को करना चाहिए कि अगल–बगल के जितने भी देश हैं उनसे सम्बन्ध अच्छे होने चाहिए हमारे, नेपाल से तो कोई बार्डर नहीं है हमारा और इस सरकार ने सबसे पहले मदद की जब भूकम्प आया, वहां केन्द्र सरकार नहीं पहुंच सकती थी, हमारी प्रदेश सरकार सबसे पहले मदद के लिए पहुंच गयी, गोरखपुर के हमारे मा0 सदस्य हैं वह जानते होंगे कि हमने यह केन्द्र सरकार को जरूर बताया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार की चाहे बसें हों, चाहे एम्बुलेन्स हों, चाहे और कोई सुविधा देनी हो, हर तरीके से हम लोगों ने मदद की। इस देश से कम से कम हमारे सम्बन्ध अच्छे हों, यह भारतीय जनता पार्टी को सोंचना चाहिए और फिर चूंकि इनकी बहस दूसरी दिशा में चली जाती है, खाने–पीने से लेकर के बहुत सारी चीजों पर बहस करते हैं। आपके प्रधानमंत्री जी फेसबुक के मालिक से मिले थे। बताओ उसका ब्रेकफास्ट क्या होता होगा या लंच में क्या खाते होंगे या डिनर कैसे होता होगा। आप अमेरिका से संबंध अच्छे चाहते हैं, आप दूसरे देशों से संबंध अच्छा चाहते हैं लेकिन आपका भारत में व्यवहार क्या है? आपके लोगों का व्यवहार क्या है ? इस बात को लेकर आपको सोचना पड़ेगा। फिर जब आपने पूरा का पूरा बाजार खोल कर रख दिया है। आज बताओ देश में कौन सी कंपनी नहीं है और इस कॉम्पीटिशन के माहौल में अगर प्रदेश सरकारें व्यवस्था नहीं देंगी, इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रदेश सरकार को व्यवस्था देनी है तब वह इनवेस्टमेण्ट आएगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि क्या इन्वेस्टमेण्ट आया है। हम कहना चाहते हैं कि कम से कम हम लोगों ने शुरूआत तो की है और उसका परिणाम दिखायी दे रहा है। लखनऊ में कैसे एच0सी0एल0 आ गया, कैसे लखनऊ में डॉ त्रेहान 1000 बेड का मेंदाता हास्पिटल बना रहे हैं। हम जानते हैं कि आने वाले समय में कैंसर की बीमारी बड़ी होने जा रही है। उसके लिए भी इंतजाम कर रहे हैं कि कैसे भी कैंसर का इलाज हो, मरीजों को भागना न पड़े। इसलिए यहां पर कैंसर इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। हमारे पूर्वांचल के बहुत सारे माननीय सदस्य होंगे वह जानते होंगे अगर क्षेत्र में जाते होंगे। दो–तीन इलाके हैं, जहां पर सबसे ज्यादा कैंसर फैल रहा है।

पूर्वांचल का इलाका है–गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, पडरौना या फिर दिल्ली का इलाका है, यह नौएडा है, बुलन्दशहर है। यह कारण हमें और आपको सोचना पड़ेगा।

क्योंकि जमीन का पानी खराब हो रहा है, हवा खराब हो रही है। जिसमें सब्जियां पैदा हो रही हैं, उनका नुकसान हो रहा है। पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स कहां–कहां जा रहे हैं। कभी किसी जमाने में हमारे चौधरी साहब बताते हैं कि हिंडन नदी में चरन सिंह जी खड़े होकर के हाथ–मुंह धो लेते थे। कानपुर के हमारे साथी जानते होंगे कि गंगा का क्या हाल था। हमारे यहां से बहुत साफ–सुथरी नदी थी। लेकिन काली नदी हमारे यहां कन्नौज से ही पहले जुड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत बड़ा चैलेन्ज लिया है। एक तो सफाई का कूड़ा वगैरह हटाने का और दूसरा गंगा वाला। वह तो हमारे आदरणीय नेता आजम खां साहब याद दिलाते रहते हैं आपको, जिससे आप भूल न जाएं और कम से कम समाजवादी लोगों ने हमारे लोक निर्माण मंत्री जी, उन्होंने कम से कम शुरूआत तो की है। हम लोगों ने चैलेन्ज स्वीकार तो किया। लखनऊ में गोमती तो साफ कर रहे हैं कम से कम शहर में गोमती साफ बहेगी। जो पानी घुसे कम से कम ट्रीट होकर के घुसे यही व्यवस्था लानी है। मैंने अपने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी कुछ दिन पहले यही कहा। हमने कहा कि गंगा साफ करनी है, काली नदी भी साफ करनी है। जो लोग इलाके में है। वह जानते होंगे काली नदी सबसे ज्यादा काली है। यमुना का भी वही हाल है। 500 एकड़ जमीन जहां सस्ती मिलती हो, आप ले लीजिए और लैगूज बना दो, साफ करो और तब फिर पानी डाल दो गंगा में। सिम्पल सी टेक्नालॉजी है, समझ में नहीं आ रही है। पता नहीं किस बहस में लगे हैं और दो साल गुजार दिए। अध्यक्ष महोदय, सच यह है कि यह गंगा से भी कारोबार करना चाहते हैं। इसलिए मंशा गंगा साफ करने की नहीं है, यह गंगा पर कारोबार करना चाहते हैं। अगर कारोबार करना है तो यमुना पर करिए, यमुना पर तो पहले भी होता था। लेकिन आप गंगा में भी कारोबार कर रहे हैं। बिजली के क्षेत्र में जो परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे माननीय सदस्य कानपुर के बैठे हैं, हांलाकि हो सकता है मैं उस बात की पूरी जानकारी न रखता हूं क्योंकि आप व्यापारी लोगों से भी संबंध रखते होंगे। इस सरकार ने कम से कम कानपुर में दो चीजों की सेल कम कर दी है, एक जेनरेटर की और एक इनवर्टर की। अगर सच न हो तो बता दीजिए। जेनरेटर वाले हमारे पास आए और बोले कि हमारे जेनरेटर नहीं बिक रहे हैं। इनवर्टर की 40 प्रतिशत या 50 प्रतिशत सेल कानपुर में डाउन हो गयी है। और एक को हमने मौका नहीं दिया जो आंदोलन करने के लिए सामने खड़े हो जाये। एक व्यवस्था बना रहे हैं क्योंकि एक माननीय सदस्य बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, बिजली पर इन्होंने क्यों नहीं बोला। जितना बड़ा काम हमारी सरकार कर सकती थी हम लोग कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हम लोगों के लिए भी यही चुनौती है। क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। अगर आप किए होते तो हम लोग उस काम को आगे बढ़ा सकते थे। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से पूछना चाहता हूं कि आपने सब–स्टेशन कितने बनाएं और सबस्टेशन कई बनते हैं, 3311 है और उसके ऊपर भी है, उसके ऊपर भी है। हमारे पास संख्या है, मैं बोल सकता हूं कि समाजवादी सरकार ने कितने बनाये हैं। आपने पावर जेनरेशन में क्या काम किया, बस एम0ओ0यू0 साईन कर लिया। इन्हें लगता था कि एम0ओ0यू0 साईन होने से सब आ जाता है। वही आरोप आप हम पर

लगाते हो। कम से कम हम लोगों ने सुविधा दी, व्यवस्था की, कम से कम प्लाण्ट खड़ा कर दिया। आप कह सकते हो कि ललितपुर के लिए एम0ओ0यू0 किया था लेकिन बताओ उस प्लाण्ट को खड़ा किसने किया। पहली यूनिट, दूसरी यूनिट भी चालू हो गई। उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन बढ़ा और केस वन बिडिंग में भी खरीद ली, जो 11 हजार मेगावॉट थी, उसको हम 20 हजार मेगावॉट, 21 हजार मेगावॉट तक लेकर जा रहे हैं। बताओ कब 10 हजार मेगावॉट की बढ़ोतरी की होगी और वह मंत्री नहीं हैं जिन पर बिजली विभाग रहा है। आज पूछ लो हम लोगों ने छोटे–बड़े से लेकर कितने सब स्टेशन बनाए हैं और कितना तार लगा रहे हैं, कितना तार बिछा रहे हैं। कोई व्यवस्था अगर आपने शुरु की होती तो उसको हम आगे बढ़ाते। हम फीडर सेपरेशन का काम कर रहे हैं। बुन्देलखण्ड की जर्जर हालत है, हम लोगों ने सोचा कि वहां पर बिजली का इंतजाम कैसे बेहतर हो। क्या कोई उस इलाके में सोलर प्लाण्ट लगाने आता था ? आपके जमाने में आया हो तो बता दो। आपने कहीं कोई एक सोलर प्लाण्ट लगाया हो तो बता दो। अगर एक भी सोलर प्लाण्ट आपने लगाया हो तो बता दो। इनकी सरकार में एक भी सोलर प्लाण्ट नहीं लगा। न पॉलिसी थी, कोई व्यापारी यहां व्यापार करने के लिए आता कैसे ? कोई जिला बता दो जो अधूरा रह जाएगा जहां पर सोलर प्लाण्ट नहीं लग जाएगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

उन दिनों सूरज आता ही नहीं था, उगता ही नहीं था।

श्री अखिलेश यादव–

नहीं, वो आता तो था, ये देखते नहीं थे सूरज को, वो मौका नहीं मिलता था। हर जिले में बना है, कम से कम वह इन्वेस्टमेण्ट है। हम लोग 500 मेगावॉट के लगभग लेकर जा रहे हैं। केन्द्र सरकार को भी हमने जमीन दे दी है और मा0 सदस्य उसमें हमारी मदद कर रहे हैं। आपने एम0पी0 बहुत जीत लिये हैं, बड़ी संख्या में जनता ने आपको समर्थन दे दिया है।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

आज एक विधायक भी जीता है।

श्री अखिलेश यादव–

यह तो जनता का धन्यवाद है कि जनता ने जो भी फैसला लिया। ऐसे तो कांग्रेस भी खुश है। इतने एम0पी0 जीत गये लेकिन आपने यू0पी0 को क्या दिया ? आप कम से कम यह तो सोचो। आप शायद सोचते होंगे लेकिन बड़ा मन मार के आप भाषण देते होंगे। अगर आपने नहीं सोचा होगा, आपने कितने एम0पी0 जीत लिये हैं। प्रधानमंत्री भी यहां से हैं, आज हमारे दादा नहीं हैं। दादा को धूप में बैठा दिया आप लोगों ने, जाने कितने दिनों से अनशन चल रहा था उनका। वह तो हमें जानकारी मिल गई कि हमारे दादा बैठे हुये हैं अनशन पर तो मैंने उन्हें बुलाया, मैंने कहा दादा आप जो चाहते हो मैं करने के लिये तैयार हूं लेकिन अनशन पर मत बैठो और मैंने उनका अनशन तुड़वाया।

आप पूछिएगा, दादा यहां होते तो वो बताते। मैंने कहा कि क्या मांग है आपकी तो दादा ने कहा कि हमारे यहां 24 घण्टे बिजली दीजिये। हमने कहा कि हमें कोर्ट परेशान कर देगा अगर हम 24 घण्टे एनाउन्स कर देंगे लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैंने उनकी बात मानी और बनारस का कोई मा0 सदस्य होगा तो वह जानता होगा कि हम कितनी बिजली दे रहे हैं। वह उत्तर प्रदेश की बिजली है वो केन्द्र की बिजली नहीं है लेकिन अब वो प्रचार कर देंगे कि हमारी बिजली है तो हम क्या करें। अब वो प्रचार कर दें तो हम कैसे बतायें। तो बिजली दी है हमने। हमें नेता प्रतिपक्ष बता दें अगर एक भी शहर में अण्डर ग्राउण्ड केबलिंग की हो, कनेक्शन बढ़ाये हों। अच्छा, इन्होंने कनेक्शन ही कुछ बढ़ायें हों, चोरी वाला मामला हो तो हम नहीं कह सकते सदन में लेकिन इस तरह का कुछ है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

नवाब शरीफ से कनेक्शन बढ़ाया है।

श्री अखिलेश यादव–

नहीं, लेकिन उन्हें कुछ गिफ्ट भी तो मिला, हमारे देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ, अटैक हो गया।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अरे, और वो सींक के कवाब आये थे।

श्री अखिलेश यादव–

अगर कोई अण्डर ग्राउण्ड केबलिंग की हो किसी शहर में तो बता दें। आजमगढ़ में कर रहे हैं हम लोग, मऊ में कर रहे हैं और आने वाले समय में हम और भी करेंगे। लखनऊ के भी एक हिस्से में कर दिया है। रामपुर का शुरु कर रहे हैं। हम बहराइच का कर रहे हैं, कानपुर के एक हिस्से में कर रहे हैं। आजमगढ़ में तो बहुत तेजी से काम हो रहा है। मैनपुरी का कर दिया। कम से कम शुरुआत तो की है कि अण्डर ग्राउण्ट केबिल्स हो जायें हमारे शहर भी अच्छे दिखें। कम से कम जो आंधी तूफान ये आता है उससे बचें, कहीं दिक्कत न हो और आपकी सरकार हमें मिली थी, तो ट्रांसफॉर्मर उड़ जाते थे। ट्रांसफॉर्मर का ही पता नहीं लगता था। कम से कम उसमें भी नियंत्रण लाये हैं हम लोग। अगर हमारे किसान भाई या और सब जगह अगर कनेक्शन ले लें और हम लोग कुछ व्यवस्था कर लें उसमें, अगर संसाधन होते तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगर संसाधन जो भी हैं क्योंकि सब व्यवस्था बनानी है सरकार को, हर चीज देनी है। होती तो हम लोग बहुत तेजी से काम कर सकते थे और उनके लिये भी सस्ता उपलब्ध करा देते। हालांकि बहुत सस्ता है, बिजली नहीं बढ़ने दे रहे हैं किसान की। बुनकरों को मदद कर रहे हैं तो ये व्यवस्था कौन कर रहा है सरकार कर रही है, तभी है। एल0ई0डी0 बल्ब कितने बॉट दिये हमने, जेनरेशन में बिजली बढ़ा दी है। आपके अलीगढ़ के मा0 नेता दलवीर सिंह जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है सरकार का। कितने दिनों से हरदुआगंज में जगह पड़ी हुई थी कोई प्लाण्ट नहीं लग रहा था

और नेता जी ने जब लगाया था उसमें भी जाने कितने वर्ष माननीय नेता प्रतिपक्ष की सरकार रही, कुछ देखा ही नहीं इन्होंने। वह प्लान्ट कब जाकर कम्प्लीट हुआ और अब 660 मेगावाट का हम लोगों ने लगाया है और 660 मेगावाट का मतलब बहुत बड़ी चीज है और वह भी तोशीबा का लगाया है। तोशीबा का बड़ा प्लान्ट लगाया है, जापान के लोग आए हैं। जापान के लोग लगा रहे हैं, कम से कम यह भरोसा दिया। और मुझे खुशी है इस बात कि माननीय अध्यक्ष महोदय जब नेताजी ने अनपरा 'ए' या 'बी' किसी एक का लगाया था, उस समय भी तोशीबा का प्लान्ट था। जब नेताजी ने उद्घाटन किया था वह तस्वीर मुझे उस व्यक्ति ने दी, जब वह शिलान्यास कराने आया था। तो अब और जगह भी प्लान्ट हम लोग लगा रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग कानपुर में हमारे माननीय सदस्यों के क्षेत्र पनकी में लगाने जा रहे हैं। आप बताइये आपने कितने पॉवर प्लान्ट लगाये थे। कोई व्यवस्था बनाने में वक्त लगेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अब बस ज्यादा न डॉटिये।

श्री अखिलेश यादव–

माननीय नेता प्रतिपक्ष के बगल में क्योंकि ये सड़क बनाने वाले माननीय सदस्य भी बैठे हैं। (सदन में हंसी) माननीय सदस्य बता दें उनको कि कितनी फोरलेन ये बना रहे थे। यू0पी0डा0 से शुरूआत तो की थी, फंसाये हुए थे, कम से कम हम लोगों ने उसे तेजी से आगे बढ़ाया और उत्तर प्रदेश में शुरूआत तो की कि जिले से जिला जुड़ जाये हमारा फोरलेन से, माननीय सदस्य हैं गोण्डा के हमारे, जब मैं आया था तो वह बोल रहे थे कि गोण्डा और बलरामपुर मैंने फोरलेन कर दी है। फोरलेन इसलिए कर दी हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं, हमारे गोण्डा के सभी साथी एक दिन मुझे प्रेस की कटिंग दिखाई उन्होंने कि कुछ लोग वहां सड़क पर धान बो रहे हैं। इतना गहरा गड्ढ़ा था, रिकार्ड में देखा तो पता लगा कि वह सड़क बनती है, खराब हो जाती है। आप जानते होंगे गोण्डा–बलरामपुर सड़क फोरलेन बना रहे हैं, लेकिन आर0सी0सी0 की बना रहे हैं, जब तक हम लोग हैं, तब तक आप उस सड़क को चलती हुई देखेंगे और कोई टोल नहीं लग रहा है। (मेजों की थपथपाहट) उस सड़क पर कोई टोल नहीं लग रहा है, आर0सी0सी0 सड़क है। मैंने कहा है आगे उसको सिद्धार्थनगर भी ले जाना है, क्योंकि कम से कम उस हिस्से को हम जोड़ तो दें। आपकी श्रावस्ती से बहराइच फोरलेन सड़क का मैंने अभी उद्घाटन किया है, जहां पर लोगों को डेढ़ घंटा, 2 घंटा लगता था जाने में, आज लोग 15–20 मिनट में पहुंच जाते हैं। आपकी हमीरपुर और कालपी वाली सड़क उसके बारे में एक बार हिस्ट्री चैनल या शायद डिस्कवरी चैनल में दिखाया था कि दुनिया की सबसे ज्यादा खराब सड़क है। दुनिया की सबसे खराब सड़क मानी गयी थी वह। वहां आस–पास के जो सदस्य होंगे, हमने यह नहीं देखा कि कौन सदस्य यहां है, विधायक कौन है कौन नहीं है। आपको बताया हो या न बताया हो अगर किसी विधायक का क्षेत्र पड़ा है तो उस विधायक का नाम भी मैंने लिखवा दिया है, आपको जानकारी नहीं होगी नेता प्रतिपक्ष जी इस बात की। (मेजों में थपथपाहट) अगर आपकी पार्टी का

कोई विधायक रहा होगा तो मैंने उसका भी नाम लिखवा दिया। क्योंकि सड़क है, सब चलेंगे उसमें, कम से कम विधायक को तो लगे कि हमारा नाम लिखा हुआ है उस सड़क पर।

(विपक्ष से आवाज आई सभी जगह हो जाए तो अच्छा है।)

अच्छा मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, आप भी मेरी बात मान लें। अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों की बात मानने के लिए तैयार हूं लेकिन इसी रूप में हम फिर वापिस आ जायें। (मेजों की थपथपाहट)

आप लोग भी वापिस आ जाओ हम लोग भी इतने वापिस आ जाएं। हम मानने को तैयार हैं। हम क्यों चाहेंगे अपने लोग बदल लें जिनको पहचानने लगें उन लोगों को क्यों बदल दें (सदन में हंसी)। माननीय अध्यक्ष जी, बताये कैसे बदल दें आप लोगों को। कितने फोरलेन बना रहे हैं, लगातार बना रहे हैं मुजफ्फरनगर बायॉ देवबंद, वह बन रही है सहारनपुर वाली फोरलेन। एक बना दी है, वह जानते होंगे एक सड़क स्वीकृत हो गई है, उसको बनाने जा रहे हैं हम लोग, लेकिन एक दूसरी सड़क है जो कैनाल रोड की बात कर रहे हैं जो दिल्ली को जोड़ने वाली है, क्योंकि बहुत सारी सड़कें हैं अभी हमने कैबिनेट में भी बहुत सारी सड़कें ली हैं, बजट स्पीच में भी पढ़ा है। चूंकि, मैं जब बजट पर बोलूंगा उस समय के लिए भी रखूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कम मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं पूरे प्वाइंट इसलिए नहीं जोड़ रहा हूं, क्योंकि अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने दो–ढ़ाई घंटे बोला था, हम चाहते हैं कि बजट में कम से कम 5 घंटे आप बोलें, ताकि हमें जवाब देने का मौका मिले। हम अपनी पूरी बात तो कह दें, क्योंकि आप सब योजनाएं कार्यक्रम जब जानेंगे तभी तो कुछ बोलेंगे। आप हमारी योजनायें ही नहीं पढ़ते, मुश्किल तो यही है आपने अगर एक शब्द कहा हो फोरलेनिंग के लिए, बिजली विभाग में जो बदलाव लाए एक कुछ कहा हो आपने, कुछ भी कहा हो..

श्री मोहम्मद आजम खां–

वह हाथी से चलते हैं ना। (सदन में हंसी)

श्री अखिलेश यादव–

हाथी पर चलते हैं कि हाथी से चलते हैं। (सदन में हंसी) आप बताईये उत्तर प्रदेश में एक सैनिक स्कूल था। माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदस्य सब जानते होंगे। कम से कम कांग्रेस के लोगों ने जाते–जाते तो हमें कुछ दे दिया क्योकि उनके नेता ने कहा कि हमें अपने यहां सैनिक स्कूल बनाना है तो मैंने कहा हम सैनिक स्कूल आपके यहां बनवा देंगे लेकिन हमें भी सैनिक स्कूल दे दीजिये तो उन्होंने अपने यहां एक मांगा और मैंने फ्री जमीन दी वो भी बनना शुरू हो जायेगा, इस बार मैंने पैसा रख दिया है। सैनिक स्कूल अमेठी में बना और उसके सहारे हमने दो ले लिये, एक नेता जी के क्षेत्र मैनपुरी में बनवा रहे हैं और एक बुन्देलखण्ड झांसी में देने जा रहे हैं, वह बन रहा है। उत्तर प्रदेश में चार सैनिक स्कूल हो जायेंगे। जहां एक था अब इकट्ठे तीन मिल गये और दो के लिए चिट्ठी लिख दी क्योंकि आपने कहा कि आपके यहां बनना चाहिए

तो हमने कहा कन्नौज क्यों छूट जाये। हम तो आपसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों से आप जितने चाहे सैनिक स्कूल लाइये, हम जगह देंगे, बजट देंगे, आप लाइये तो सही। दूसरा एम्स की बात कर रहे हैं, पिछले बजट में तो एम्स नहीं लिया। अध्यक्ष महोदय, एम्स की जगह थी, उस समय आपके यहां कोई न कोई राजस्व मंत्री रहा होगा, कोई न कोई विभाग कुछ देख रहा होगा, मंत्री आपमे से रहे होंगे। कांग्रेस पार्टी ने एम्स स्वीकृत कर दिया, बजट में शामिल कर दिया, पैसा दे दिया लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष के जो लोग हैं, जिनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, पता नहीं कौन सी ट्रेनिंग है, लेकिन इन्होंने एम्स नहीं बनने दिया। एम्स नहीं बनने दिया इन्होंने अपना पूरा पांच साल गुजार दिया और हम जनता को धन्यवाद देंगे कि हमें मौका मिला कांग्रेस पार्टी ने जहां कहीं जगह पहले लालगंज मे कहा मैंने लालगंज मे उपलब्ध करा दी फिर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा लालगंज अच्छा नहीं है हमें रायबरेली में चाहिए हमने अपनी चीनी मिल दे दी और एक पैसा नहीं दिया उसका परिणाम यह है कि वहां पर आज एम्स बन रहा है अब तो गोरखपुर की बारी है हमारे डाक्टर साहब जो कहेंगे मैं मान लूंगा। कम से कम अपने दायें बायें सब लोगों को समझाइये। वो आए नहीं जिनका थोड़ा बहुत सम्पर्क ज्यादा है पता नहीं कितने दिन इनका सम्पर्क रहेगा। मैंने जमीन दे दी, यह कह रहे है कि जमीन अच्छी नहीं है, सड़क नहीं है तो मैंने कहा मैं फोरलेन सड़क बना दूंगा। गोरखपुर से कोई दूर नहीं है क्योंकि जब पी0जी0आई0 बना होगा तो बताईये वह कितने किलोमीटर दूर था, आज पी0जी0आई0 बिल्कुल शहर लग रहा है। हमने कहा हम सड़क देने के लिए तैयार हैं और बिजली कनेक्शन, सब–स्टेशन जो कुछ देना होगा वह भी हम दे देंगे क्योंकि जिला अस्पतालों को भी फीडर दे दिया तो आपके यहां तो हम दे ही देंगे। यह तमाम चीजें सरकार ने की हैं, खूब बड़े पैमाने पर इन्जीनियरिंग कालेज बन रहे हैं। बहुत सी बाते मैंने कह दीं। अध्यक्ष महोदय मैं अभिभाषण पर राज्यपाल जी को धन्यवाद देता हूं, मैं अपने माननीय जितने भी सदस्य बोले हैं खास कर हमारे माननीय सदस्य गुलाम मौहम्मद साहब का धन्यवाद करता हूं। कानून–व्यवस्था एक प्राथमिकता है और यह कानून–व्यवस्था बड़ा सवाल है कि जितनी आपको चिन्ता है या जितना दर्द माननीय नेता प्रतिपक्ष जितने भी माननीय सदस्यों को किसी घटना को लेकर होता है उतना हम लोगों को भी होता है, लेकिन कुछ चीजें बस में नहीं हैं। आत्महत्या की बात देश में चर्चा का विषय बन गया था हैदराबाद को लेकर तभी लखनऊ में भी एक घटना हो गयी। मुझे लगा कि सरकार के लिए कितनी शर्मनाक बात होगी लेकिन सच्चाई कुछ और निकली क्योंकि उसी पुलिस ने जिसे आप और हम कुछ–कुछ कहते हैं उसी ने ढूंढ कर निकाला, उसी ने सच्चाई सामने लाने का काम किया। अभी गाजियाबाद वाली बात हो गयी क्योंकि स्नैपडील की वह नौकरी करती थी, स्नैपडील बड़ी कम्पनी है, सोशल मीडिया में क्योंकि आज कोई बात सोशल मीडिया में जाये तो इसका मतलब यह नहीं है कि केवल हमारे शहर या हमारे प्रदेश में बात रहेगी यह दुनिया के हर हिस्से में पहुंचती है। लेकिन पुलिस ने काम किया उसका, वर्कआउट किया और सच्चाई सामने आ गयी आपके। अभी लखनऊ की बात, यह सही है कि वह जगह बहुत खतरनाक है आसपास

पेड़ उग गये हैं। एक पुजारी कोई ऐसा है पता नहीं वह पूजा करता भी है कि नहीं करता है। उसने ऐसा शंकर भगवान बनाये नीचे से बनाते बनाते सड़क के ऊपर ले आया वह। अपना नाग बनाकर खड़ा कर दिया वहां भी एक हत्या हुई थी कुछ वर्षो पहले लेकिन आखिरकार खोला तो पुलिस ने ही यह मामला। सवाल यह है कि कुछ बुराइयां समाज में भी हैं, उन बुराइयों को कैसे दूर किया जाय। क्योंकि यह घटना अखबार में आ गयी प्रचार हो गया इसलिए आप हम सब बहस कर रहे हैं। मैं सरकार में होते हुए यह नहीं कह सकता कि मैं यह कहूं कि घटना ही नहीं हो रही है। लेकिन कुछ घटनायें और भी गम्भीर हो जाती हैं जो हमारी आपकी नालेज में नहीं आती है। इसलिए हमारी आपकी और खासकर सरकार की जिम्मेदारी है कि कम से कम वह व्यवस्था ऐसी दे सरकार कि पुलिस पहुंच जाये मौके पर। कम से कम उत्तर प्रदेश में यह समाजवादी पार्टी ने भरोसा दिला दिया है कि 102, 108 एम्बुलेंस अगर फोन करते हैं तो आपके घर पर मौके पर पहुंच जाती है। कम से कम इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मैं इसी तरह की व्यवस्था लाना चाहता हूं बजट में भी मैंने पैसे का इंतजाम किया है। वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बनाकर दुनिया के दूसरे हिस्सों में जहां बेहतर इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं उनसे सीखने को और समझने के बाद निर्णय लिया मैंने। एक एक्सपर्ट को मैंने हायर किया है और अभी तो शिकायत यह होती है कि अगर फोन करें तो पुलिस फोन नहीं उठा रही है। अमूमन शिकायतें यह मिलती हैं कि फोन नहीं उठा, पुलिस का फोन नहीं उठा पहली शिकायत यह है, दूसरी शिकायत यह है कि पुलिस पहुंचती नहीं है मौके पर, तीसरी शिकायत यह होती है कि एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हुई इन तीन चीजों ने ही कई बार लॉ एण्ड ऑर्डर और सरकार की बदनामी कराने का काम किया चाहे हमारी सरकार रही हो चाहे आपकी रही हो। एक–एक घटना के बारे में हम बहस कर सकते हैं, बाते निकाल सकते हैं लेकिन यह व्यवस्था कम से कम हम देने जा रहे हैं। हम माननीय नेता प्रतिपक्ष को और तमाम माननीय सदस्यों को भरोसा दिला सकता हूं कि एक बड़ा काम कर रहा हूं मैं। डायल हण्ड्रेड जिस समय आप फोन करेंगे सूचना मिलेगी, 10 मिनट और 15 मिनट में मैं पुलिस मौके पर पहुंचाना चाहता हूं उस व्यवस्था को बहुत जल्दी अप्रैल, मई से मैं शुरू कर ले जाऊंगा, इसी जून तक शुरू करूंगा क्योंकि आखिकरकार अन्त्वोगत्वा हमें भरोसा उसी सिस्टम पर करना है, उन्हीं लोगों पर करना है पुलिस के अलावा है क्या है, कौन केस खोला, कैसे मोबाइल मिला, कैसे रिक्शेवाले पकड़े गये, कैसे हैदरगढ़ में मोबाइल पहुंच गया, फोन किसके पास था अखिरकार वर्कआउट तो पुलिस कर रही है। कौन है इसका दोषी, किस तरह से हुआ, सी0सी0 टी0वी0 न लगा होता तो शायद इस बात की भी जानकारी न मिलती अब मोबाइल पुलिस ने अगर न सर्विलांस पर लगाया होता तो शायद यह घटना भी न खुलती। लेकिन वर्कआउट हो रहा है इस पर और कई घटनायें ऐसी हैं जो वर्कआउट की हैं पुलिस ने इसलिए उन लोगों पर भरोसा रखना पड़ेगा उस सिस्टम को बेहतर बनाना पड़ेगा। उनको भी सुविधायें देनी पड़ेगी। पुलिस भर्ती लगातार कर रहे हैं हम लोग क्योंकि हमारी सरकार का कोई काम हो हमें कोर्ट तक जाना पड़ता है।

एक मामले में तो हम और आपकी दोस्ती कितनी बढ़ गयी ? एक मामले में अध्यक्ष महोदय, हमारी और नेता प्रतिपक्ष की दोस्ती बहुत बढ़ गयी अब यह मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं या बुराई कर रहा हूं यह आप समझ लो। अब उससे नुकसान आपका हुआ या फायदा हमारा हुआ हम नहीं जानते। लेकिन ऐसे कुछ मामले हैं जो दूसरी जगह भी जाते हैं अब भर्ती की पुलिस की, मान लीजिए सब इंसपेक्टर की भर्ती का मामला कब आपने शुरू किया था बताइये, कब परीक्षा कब भर्ती शुरू हुई हम लोग निकाल पाये, सुप्रीमकोर्ट तक जाना पड़ा। इसी तरह पुलिस भर्ती शुरू की एक इक्जाम, दो इक्जाम चक्कर काट करके देश का और बना क्या रहे हो सिपाही। वह आई0ए0एस0 से भी कठिन परीक्षा कर दी आपने। कम से कम इस सरकार ने, उस समय की भर्ती की हम लोगों ने भर्ती निकाली, बहुत आरोप लगे थे यही माननीय सदस्यों ने कहा कि भर्ती में बेईमानी हो गयी इटावा, मैनपुरी कन्नौज के सब भर्ती हो गये लेकिन जब रिजल्ट आया तो आपने धन्यवाद नहीं दिया कहां के सबसे ज्यादा हुए। उन लड़कों से नहीं पूछा आपने कि किसको पैसा देकर के आये हो अब तो वह भर्ती हो गये, संस्थायें खुली हैं जहां जा सकते हो आप बताओं वेस्टर्न यू0पी0 में नहीं कुछ गांव में हुए। बागपत में कुछ गांव हैं जहां हजार–हजार लड़के हो गये। बताइये 100–100 लड़के एक–एक गांव से हो गये, कहीं किसी को नहीं सिफारिश करनी पड़ी। गाजीपुर है वहां से हो गये भर्ती। हां, श्रावस्ती से रह गये बेचारे वहां 46 लड़के हुए केवल, बांदा मैंने रिकॉर्ड निकलवाया कि इन जिलों में क्यों भर्ती कम हो रही है पता लगा कि उन जिलों से भर्ती ही कम होती है हमेशा। केवल हमारी सरकार में नहीं पहले भी भर्ती कम हुई है उन जिलों से श्रावस्ती जैसी जगह से 46 लड़के हुए हैं केवल। तो इसलिए हमने सिम्पलीफाई कर दिया आसान कर दिया और कहा कि नौजवानों आपकी परीक्षा का सरदर्द खत्म। क्योंकि आप जवान और सिपाही बनने जा रहे हो। आप कोई बहुत बड़ी कुर्सी पर नहीं बैठने जा रहे हो, क्योंकि आपको लगातार घूमते रहना पड़ेगा, नजर रखनी पड़ेगी। हमने परीक्षा खत्म कर दी और मार्कशीट व फिजिकल के आधार पर भर्ती होगी और कोशिश कर रहा हूं कि चक्कर वाली दौड़ न लगे, सीधी–सीधी दौड़ लगे, क्योंकि जो यह चिप है, कब कौन सी चिप धोखा दे दे। कौन सी चिप कितना किलोमीटर दिखा दे। यह मैंने खुद देखा है कि मोबाईल की रीडिंग, ट्रेड मिल की रीडिंग या दूसरी घड़ी की रीडिंग सब अलग है। कैलीब्रेशन ही अलग है उसका, इसलिये हमने कहा कि बिल्कुल मैनुअल रखिये। सीधा गया और सीधा आ जाये या कोई लम्बा रास्ता निकाल लो। तो फिजिकल और नो एक्जाम, बताईये इससे अच्छी और कोई व्यवस्था हो सकती थी। हम 30000 से ज्यादा फिर भर्ती करने जा रहे हैं और यह प्रक्रिया बिल्कुल आसान कर दी है, क्योंकि आगे लाखों की भर्ती करनी है। नौकरी की व्यवस्था और रोजगार की व्यवस्था हमने की है। इतनी नौकरी कब निकली होगी, आप पांच साल रहे हैं, बताओ आपने कितनी नौकरी लगाई है। 108 और 102 में कितनी नौकरियां लगी होंगी, आपने शिक्षा विभाग में कितने शिक्षा मित्रों को समायोजित किया है। मोअल्लिम वाले बेचारे आंदोलन कर रहे थे, मोअल्लिम वालों ने कितना आंदोलन किया है, बेचारे सुप्रीम कोर्ट तक गये हैं, लड़ते रहे,

आंदोलन किये, प्रदर्शन किये, हमने उनका भी रास्ता निकाला। आयुर्वेदिक और यूनानी वाले डाक्टरों को प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे थे, उनके लिए रास्ता निकाला। तो नौकरियां भी दे रही है सरकार और व्यवस्था भी कर रही है। जहां तक माईक्रो स्माल स्केल और मीडियम स्केल इण्डस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर नौकरियां लगी हैं, उसके मैं आपके पास आंकड़े भेज दूंगा मैं आपको बता दूंगा कि कहां–कहां पर नौकरियां लगी हैं। हमने माहौल बनाया और इन सब चीजों को मिलाकर सरकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम, सोशल सेक्टर में काम और जो डेवलपमेण्ट किया है, उत्तर प्रदेश आज हर चीज में आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी ने कहा कि 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में हम बहुत पीछे हैं, तो मैंने वह किताब मंगवा ली। जिसमें तमाम सरकार के बारे में उल्लेख है। एक हमारे पास भी किताब है जिसमें 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में नम्बर–1 पर यू0पी0 है। वो किताब मैं आपको भिजवा दूंगा। आपकी किताब में हम पीछे हैं, लेकिन हमारी किताब में हम आगे हैं। हमने इण्डस्ट्री लगवाने की शुरूआत की। आपकी इण्डस्ट्री बढ़ी हैं, आपका टूरिज्म बढ़ा है, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में बदलाव लाये हैं और सब कुछ मिलाकर उसका परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में डेवलपमेण्ट के मामलें में डबल डिजिट में पहुंच रहा है। यह कितनी बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए। हम लोगों ने साहित्यकारों का सम्मान कर दिया, कवियों का सम्मान कर दिया, उर्दू बोलने वालों का, संस्कृत बोलने वालों का, सब खिलाड़ियों का सम्मान कर दिया, लेकिन हमारी अच्छाई नहीं दिखाई जाती। बुराई ही ज्यादा बोली जाती है। यश भारती पाने वाले सब अमीर नहीं हैं, सब सम्पन्न नहीं हैं, तो तमाम ऐसे भी लोग हैं। हमने तमाम पार्क बनाये हैं। आपके पार्क में तो अभी भी कोई नहीं जाता है। अभी तो कोई सख्ती भी नहीं है, कोई डर भी नहीं है। तब भी लोग नहीं जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। आपने पार्क क्यों बनाये थे और फिर कितना पैसा बर्बाद कर दिया आपने उन पार्कों पर। हमने जो पार्क बनाये हैं आप उन्हें देखिये सुना है कि वहां पर हमारे पक्ष में नारे भी लग रहे थे। कम से कम सरकार कुछ नये काम भी कर सकती है। आप यह तो कह सकते हैं कि हमारे देश में पहले से बहुत फेस्टिवल है, बर्ड फेस्टिवल क्यों मना रहे हो। मैं पूछूंगा कि हमारे प्रदेश की चिड़िया कौन सी है। नेशनल बर्ड तो सब जानते हैं, प्रदेश की बर्ड कौन सी है। प्रदेश की जो चिड़िया है उसका संरक्षण, उसका बचाव क्या हम नहीं कर सकते। उसके लिए हमने किया। कौन है प्रदेश की चिड़िया बताओ। यह सरकार ऐसी है जो पेड़–पौधों, जानवर–पक्षी, सबका ख्याल रख रही है। कभी काम किया हो आपने तो बताओ। कभी काम किया हो बता दो, आपने पेड़ कितने लगाये हैं बताईये। कम से कम हम लोग पेड़ लगाने में वर्ल्ड रिकार्ड तो बना रहे हैं। मुझे एक बात तो अच्छी तरह से समझ में आई कि नेता प्रतिपक्ष की पार्टी की तरफ से यह बात आई कि अब हम स्मारक और मूर्तियां नहीं लगायेंगे, हम डेवलपमेण्ट करेंगे, अगर बात गलत है तो बता दो आप। तो अभी तक क्या डेवलपमेण्ट किया था आपने, अपना डेवलपमेण्ट तो बता दो आप। अपना डेवलपमेण्ट तो बताना पड़ेगा न जनता को। हमें अगर बताना है तो हम बतायेंगे

अपना, लेकिन आपको भी बताना पड़ेगा, क्योंकि जनता जान रही है, समझ रही है, इसलिये आपको डेवलपमेण्ट बताना पड़ेगा कि आपने क्या डेवलपमेण्ट किया है। चलिये कम से कम आपको ख्याल तो आया, कम से कम आपने गलती तो स्वीकार की कि जो आपने काम किया वह गलत किया। हमने तो हरे पेड़ लगाये हैं, आपने तो तांबे के पेड़ लगाये थे, आपने अष्टधातु के जानवर लगाये थे, अब उनका क्या होगा और सही बात है कि जो खजूर सूखे हैं वहां हमने अच्छे पेड़ लगवाये हैं, वह पेड़ ऐसे लगाये हैं, कुछ मौसमों में उसमें फूल आयेगा और फूल का रंग होगा पिंक। यह सच है आप कभी देख लेना, इससे सुन्दर पेड़ नहीं मिलते, ऐसे पेड़ हमने बड़ी संख्या में लखनऊ में लगा दिये हैं। इसलिये हर क्षेत्र में सरकार ने काम किया है। चूंकि मैंने बहुत समय लिया, मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस अभिभाषण में अपने सुझाव दिये और खासकर अपने माननीय सदस्यों का जिन्होंने सरकार की बात रखी है, कोशिश होगी कि उनके सुझावों पर अमल करें और किस तरह अपने योजना कार्यक्रमों में उनको शामिल कर सकें, वह मैं करूंगा। अंत में सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने अपनी बात रखी, मैं उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

श्री गुलाम मौहम्मद जी, दो–एक मिनट का धन्यवाद तो दे दीजिये उसके बाद हम प्रस्ताव रखें।

'श्री गुलाम मौहम्मद–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में जो मैंने अपनी बात रखी थी उस पर अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी समर्थन किया और माननीय विपक्षी दल के लोगों ने बड़ी तादाद में अपने कटौती प्रस्ताव भी रखे और हमारे साथियों ने हमारे धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपने वक्तव्य भी दिये। सारी बातें डिटेल में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े प्रभावी ढंग से अपनी सरकार के बारे में रखीं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सब बांतें जो सरकार कर रही है चाहे किसानों का मामला हो, चाहे नौजवानों का हो, चाहे स्त्रियों का हो, चाहे बच्चियों का हो और खिलाड़ियों का हो, कवियों का हो चाहे जिनका हो, इस सरकार में समाज के हर वर्ग के लिये काम हो रहा है। और यह हमारे संविधान की आत्मा उसकी रूह के मुताबिक है। मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान की रूह उसकी आत्मा यह कहती है कि इस देश के सब नागरिक बराबर हैं, सबको अपनी–अपनी आजादी है, सबकी सुरक्षा की गारन्टी सरकार लेती है। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि लोग अपने किरदार को साथ रखें, अपनी इस विचारधारा को साथ रखें और संविधान निर्माताओं के उन सपनों को साथ में रखें, उसी के मुताबिक हम चलें, यह देश सबका है और सबके लिये बराबर है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इतनी लम्बी चर्चा में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ भी कहा, वह इस बात का बिल्कुल सटीक मिसाल बनता है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। जिन प्रस्तावों को हमने रखा था, उस पर तो माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ बोले ही नहीं। माननीय राज्यपाल जी इनकी प्रंशसा कर रहे थे और यह राज्यपाल जी की प्रंशसा कर रहे थे। इसलिये मान्यवर, इन्होंने तो गाय का बछड़ा भैंस में और भैंस का पड़वा गाय में लगा करके मामले को रफा–दफा कर दिया। इसलिये मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अखिलेश यादव–

अध्यक्ष महोदय, आप तो गांव के रहे होंगे गाय और बछड़ा, पड़वा सब जानते होंगे। हमारे जनेश्वर मिश्र जी कह गये थे और हम सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि मां को तो अपना बछड़ा ढूंढ ही लेता है अगर छोड़ दो बछड़े को तो कितनी भी भीड़ में ढूंढ लेता है लेकिन पड़वा नहीं कर पाता है, अब तय कर लो आप।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण के लिये प्रस्तुत धन्यवाद–प्रस्ताव में माननीय नेता विरोधी दल की ओर से प्रस्तुत किये गये संशोधन–प्रस्ताव को मतदान के लिये प्रस्तुत कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय।

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष –

1–कानून–व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

2–भारतीय संविधान प्रदत्त आरक्षण–नीति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में,

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, बिन्दु सं0–1 से लेकर 50 तक सभी बिन्दुओं को पढ़ा हुआ माना जाता है।

ख1–कानून–व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

2–भारतीय संविधान प्रदत्त आरक्षण नीति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में,

3–पदावनत किये गये 3 लाख अनु0जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों व अधिकारियों को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

---

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4–गन्ना किसानों के गन्ना की खरीद शत–प्रतिशत सुनिश्चित कराने तथा घटतौली, बिचौलिये व दलाल पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

5–गन्ना कीमतों को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

6–गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में,

7–बढ़े चीनी मूल्य के सापेक्ष गन्ना किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

8–महिलाओं के यौन शोषण, उत्पीड़न व अत्याचार रोकने की कार्य योजना के सम्बन्ध में,

9–हत्या, अपराध, लूट, बलात्कार, अपहरण–फिरौती जैसे जघन्य अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण को रोकने के सम्बन्ध में,

10–समाजवादी पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं द्वारा खुलेआम अराजकता फैलाने एवं आतंक का माहौल पैदा करने एवं धन की वसूली पर प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में,

11–राजनैतिक द्वेष–भावना से प्रेरित होकर ब0स0पा0 कार्यकर्ताओं पर लगाये जा रहे फर्जी मुकदमें पर रोकथाम लगाये जाने के सम्बन्ध में,

12–बुनकरों को किसानों की भांति फिक्स रेट पर विद्युत दिए जाने, सस्ती दर पर धागा उपलब्ध कराए जाने, पावरलूमों को बीस घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने के सम्बन्ध में,

13–किसानों के धान एवं गेहूं खरीद में हुई अनियमितता व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में,

14–प्रदेश में विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तावित करने के सम्बन्ध में,

15–समुचित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

16–ऊसर तथा बंजर भूमि के सुधार के सम्बन्ध में योजना लागू करने के सम्बन्ध में,

17–नकली दवाइयों की रोकथाम के सम्बन्ध में,

18–प्रदेश में उत्पन्न हो रही पेयजल समस्या के सम्बन्ध में,

19–सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न मदों में फिजूलखर्ची रोकने के सम्बन्ध में,

20–राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किए जाने के सम्बन्ध में तथा दैनिक वेतन कर्मियों को नियमित करने के सम्बन्ध में,

21–किसी मानक या नीति के बगैर लगातार किए जा रहे स्थानान्तरण से प्रभावित हो रहे काम–काज के सम्बन्ध में,

22–बेघर और बेसहारा लोगों को बसाने और उन्हें अच्छी जिन्दगी गुजारने की गारंटी देने के सम्बन्ध में,

23–नवयुवक बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

24–प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

25–नकली दवाइयों की खरीद–फरोख्त रोकने के सम्बन्ध में,

26–बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूरी को समाज का नासूर मानते हुए इस जमीनी हकीकत में पाबंदी लगाने के सम्बन्ध में,

27–प्रदेश के गरीब लोगों की लड़कियों की शादी के अनुदान के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है, जबकि पिछली ब0स0पा0 सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग की गरीब लड़कियों की शादी के अनुदान की व्यवस्था की थी,

28–किसानों के गेहूं की खरीदारी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है, जिससे किसान ऊहापोह की स्थिति में है,

29–सरकारी निगमों को पुनर्जीवित करने एवं कर्मचारियों की छंटनी को रोकने के सम्बन्ध में,

30–मंत्रियों एवं उच्च राजनैतिक पदों पर आसीन व्यक्तियों व सत्ता पक्ष के इशारे पर प्रतिपक्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न रोके जाने के सम्बन्ध में,

31–सभी प्रमुख उद्योगों का प्रदेश से पलायन एवं प्रस्तावित योजनाओं को रोके जाने के सम्बन्ध में,

32–प्रदेश में रासायनिक खाद विशेष रूप से डी0ए0पी0 एवं यूरिया के अभाव के सम्बन्ध में,

33–गन्ना क्रय अधिनियम का घोर उल्लंघन एवं माफियाओं द्वारा गन्ना कृषकों के शोषण के सम्बन्ध में,

34–प्रदेश सरकार की तुष्टीकरण नीति से सामाजिक टकराव एवं दुराव के सम्बन्ध में,

35–कन्या विद्या धन योजना के निष्पक्ष व निश्चित मानक लागू कर सर्वसमाज के गरीब बालिकाओं तक योजना को पहुंचाने के सम्बन्ध में,

36–चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं का अभाव तथा ग्रामीण अंचलों के अधिकांश चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में,

37–पिछड़े वर्ग हेतु क्रीमी लेयर आय सीमा पिछली सरकार में किये गये 05 लाख रुपये तक बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

38–किसानों को खाद, बीज व पानी समय पर न उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में,

39–छात्र यूनियन को समाप्त करने के सम्बन्ध में,

40–प्रदेश की वित्तीय कुव्यवस्था को रोकने में असफल सरकार के सम्बन्ध में,

41–पिछले वर्ष विधान सभा द्वारा पारित बजट को अब तक न खर्च कर पाने के सम्बन्ध में,

42–गरीबों की जमीन व घरों पर हो रहे अवैध कब्जा रोकने के सम्बन्ध में,

43–दंगा रोकने, दंगाइयों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कराने की कार्य योजना के सम्बन्ध में,

44–सौहार्द व भाईचारा बनाये रखने के सम्बन्ध में,

45–सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

46–उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित के 29334 पदों पर भर्ती हेतु सहायक अध्यापकों के सैकड़ों पद अधिकांश जिलों में रिक्त होने के बावजूद पदों को भरने की अग्रिम कार्रवाई न करने के सम्बन्ध में,

47–अनुदान प्राप्त मदरसों का जांच के नाम पर अनुदान राशि पर लगी रोक हटाने के सम्बन्ध में,

48–मुस्लिम समाज को घोषणा–पत्र के अनुरूप 18 प्रतिशत आरक्षण देने के सम्बन्ध में,

49–शुल्क प्रतिपूर्ति का छात्रों तक समुचित ढंग से पहुंचाने के सम्बन्ध में, तथा

50–अनु0 जाति, अनु0 जनजाति व पिछड़े वर्ग तथा सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों की छात्रवृत्ति वितरण के सम्बन्ध में।,

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो संशोधन–प्रस्ताव माननीय नेता, विरोधी दल ने प्रस्तुत किये हैं, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

इसके अतिरिक्त अन्य संशोधन के प्रस्ताव भी, जो उपस्थित किये हुए माने गये हैं, अस्वीकृत समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि ''यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 29 जनवरी, 2016 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद् प्रकट करता है।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख्समय 5.22,

कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

अब मैं कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूचना सदन को दे रहा हूं।

सदन को सूचना

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 16 फरवरी, 2016 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 17 फरवरी, 2016 से दिनांक 11 मार्च, 2016 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 17, 18, 19 व 22 फरवरी, 2016 को निर्धारित बैठकें न हों।

2–दिनांक 23 फरवरी, 2016 को निम्नलिखित मदें ली जायं :–

(1) निधन के निर्देश।

(2) मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के सम्बन्ध में गठित स्टिंग आपरेशन सम्बन्धी जांच समिति के प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर विचार।

(3) श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, मा0 नेता विरोधी दल एवं अन्य श्री प्रदीप माथुर व अन्य तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना एवं डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, मा0 सदस्यगण द्वारा नियम–56 के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में सूखे की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा नियम–52 में परिवर्तित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा।

3–दिनांक 24, 25 व 26 फरवरी, 2016 को वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा हो।

4–दिनांक 29 फरवरी, 2016 एवं 01, 02 व 03 मार्च, 2016 को सदन की बैठकें न हों।

5–दिनांक 04, 05 व 06 मार्च, 2016 को वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी मदें ली जायं।

6–दिनांक 08 मार्च, 2016 को वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं उसके पारण सम्बन्धी मदें ली जायं।

7–दिनांक 09, 10 व 11 मार्च, 2016 को सदन की बैठकें न हों।

8–तद्नुसार दिनांक 17 फरवरी, 2016 से दिनांक 11 मार्च, 2016 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :–

फरवरी, 2016

17 बुधवार 18 गुरुवार 19 शुक्रवार 20 शनिवार 21 रविवार 22 सोमवार	बैठक नहीं होगी।

23 मंगलवार 1–निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना।

2–मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के सम्बन्ध में गठित स्टिंग आपरेशन सम्बन्धी जांच समिति के प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर विचार।

3–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, मा0 नेता विरोधी दल एवं अन्य श्री प्रदीप माथुर व अन्य तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना एवं डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, मा0 सदस्यगण, द्वारा नियम–56 के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में सूखे की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा नियम–52 में परिवर्तित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा।

फरवरी, 2016

24 बुधवार
25 गुरुवार
26 शुक्रवार — वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा।

27 शनिवार
28 रविवार
29 सोमवार — बैठक नहीं होगी।

मार्च, 2016

01 मंगलवार
02 बुधवार
03 गुरुवार — बैठक नहीं होगी।

04 शुक्रवार
05 शनिवार
06 रविवार — वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

मार्च, 2016

07 सोमवार (महाशिवरात्रि का अवकाश) बैठक नहीं होगी।

08 मंगलवार 1–वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर

विचार एवं मतदान।

2–**3.00 बजे अपराह्न**

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

09 बुधवार
10 गुरुवार } बैठक नहीं होगी।
11 शुक्रवार

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य–मंत्रणा की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

दिनांक 15–02–2016 को नियम–56 के अन्तर्गत प्राप्त 02 सूचना को सम्मिलित करते हुये आज दिनांक 16–02–2016 को कुल 21 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें श्लाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम सूचना को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपने बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के साथ दी है, इसी में श्री प्रदीप माथुर ने भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की समस्या के निराकरण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में रखा है।

दूसरी सूचना श्री लोकेश दीक्षित जी का जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत के सामने दिल्ली–यमुनोत्री मार्ग पर भू–माफियाओं द्वारा राजस्व भूमि पर कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

तीसरी सूचना श्री सुदेश शर्मा की प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के एकेडिकेट संस्थान से ही इलाज कराये जाने की प्रतिबद्धता समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में, इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

चौथी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) जी की जनपद वाराणसी दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मैदागिन पेट्रोल पम्प के पीछे बने रिजर्वायर में 14/15 फरवरी,

2016 को 08 वर्षीय बालक विशाल गुप्ता की डूबकर हुई मृत्यु के उपरान्त परिवारीजनों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में, इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी, श्री मनीष असीजा जी इन लोगों ने भी बड़ी लम्बी सूचना एक दी थी। वह सूचना लाइये।

श्री संजय कपूर–

मान्यवर, मेरी भी सूचना थी।

श्री अध्यक्ष–

आपने भी दिया था। माननीय मौर्या जी का भी आज था, ये सब सूचनायें अस्वीकर कर दी गयी हैं। सूची लाइये।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, विद्युत आपूर्ति की समस्या के निराकरण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में यह सूचना कल की थी। आज की जो नियम–56 की सूचना है उसके बारे में बताइये।

श्री अध्यक्ष–

आज वाली सब सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया गया है, मौर्या जी, आज वाला छोड़िये। जो बिजली की समस्या के सम्बन्ध में सूचना है इसमें मैं नियम–56 को नियम–52 में परिवर्तित कर देता हूं इस पर सभी माननीय विधायक चर्चा में हिस्सा ले लेंगे और दो घण्टे की चर्चा हो जायेगी। इस पर दो घण्टे की चर्चा स्वीकार करता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, किसमें ?

श्री अध्यक्ष–

यह जो विद्युत वाली सूचना है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, ठीक है। लेकिन आज वाली जो नियम–56 की सूचनायें हैं ?

श्री अध्यक्ष–

आज वाली जो सूचना है देखिये, एक है ममतेश शाक्य और तमाम लोगों का कि बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। कांग्रेस के अनुग्रह नारायण सिंह जी की भी बिजली के ऊपर था। इस पर मैंने व्यवस्था दे दी इसलिए इस पर अब कोई जरूरत नहीं है।

मौर्या जी की सूचना जनपद लखनऊ में जानकीपुरम निवासी विकास नगर आर0एल0बी0 स्कूल की छात्रा का दिनांक 10–02–2016 को अपहरण के उपरान्त दिनांक 15–02–2016 को अति दयनीय हालत में शव मिलने के बाद भी पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मेरी भी सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी आपकी भी सूचना है। मौर्या जी, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, नियम–56 के अन्तर्गत सूचना के माध्यम से हमने सरकार के संज्ञान में इस बात को लाने का प्रयास किया कि आज पूरे प्रदेश में जंगलराज और अराजकता चरम पर है और जिसका नतीजा यह रहा मान्यवर, कि 10 फरवरी को रानी लक्ष्मीबाई इन्टर कालेज में पढ़ने वाली एक छात्रा कुमारी उन्नति, बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अपने घर से विद्यालय की ओर चली। मान्यवर, विद्यालय में न पहुंचने पर विद्यालय के अध्यापकों ने घर को सूचित किया कि आज प्रैक्टिकल की परीक्षा है आपकी बेटी अभी तक विद्यालय नहीं पहुंची तो छात्रा के अभिभावकों ने इस बात से कालेज को अवगत कराया कि वह तो घर से 8 बजे ही निकल गई और कालेज न पहुंचना कहीं न कहीं किसी आशंका को जाहिर करता है इसके बाद सारे के सारे परिवारीजन अपनी उस बेटी को खोजने के लिये आस–पास के इलाकों में टहले और उसको खोजने की कोशिश की और न मिलने पर स्थानीय थाना जानकीपुरम में जा करके सम्पर्क किया और जानकीपुरम के थानाध्यक्ष से, वहां की पुलिस से, उसके अभिभावकों ने सारे घटनाक्रम से अवगत कराया कि कालेज के लिये निकली छात्रा कालेज भी नहीं पहुंची और घर भी नहीं पहुंची। आस–पास क्षेत्रों में उसकी तलाश भी की गई वहां भी नहीं मिली इसलिये सूचना का संज्ञान ले करके इस पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। लेकिन स्थानीय पुलिस ने उस पर कार्रवाई करने के बजाय, उसकी सूचना का संज्ञान लेने के बजाय उनको इस बात की हिदायत दी कि तुम्हारी लड़की गायब है, उसको खोजो।

नतीजा यह हुआ कि परिवार के लोग निराश हो करके उस लड़की को खोजने के लिये जगह–जगह पर खाक छानते रहे लेकिन बेटी नहीं मिली। मान्यवर, इस बाबत उच्च अधिकारियों से बात की गई। उच्च अधिकारियों ने भी उसको तरजीह नहीं दिया जिसका नतीजा हुआ कि 10 फरवरी को गायब छात्रा की लाश कल 15 फरवरी को डीजी0पी0 कार्यालय और मुख्य मंत्री आवास के मध्य नाले के बीच में पाई गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर समय से उसके परिवारीजनों की सूचना का संज्ञान गम्भीरता से लिया गया होता। स्थानीय पुलिस लड़की के मोबाइल को सर्विलांस पर लगा करके उसको खोजने की कोशिश करती, जगह–जगह वायरलेस के माध्यम से पुलिस को इसकी सूचना दी गई होती तो लड़की के साथ इस प्रकार की दर्दनाक घटना और हादसा नहीं होता। मान्यवर, इस प्रकार से मुख्य मंत्री की नाक के नीचे इन्टर में पढ़ने वाली छात्रा की हत्या हम समझते हैं सरकार के लिये एक चुनौती है। अराजक तत्वों ने जहां एक ओर मुख्य मंत्री को चुनौती दी वहीं पर पुलिस महानिदेशक को भी इस बात के

लिये चुनौती दी और यही कारण है कि डी0जी0पी0 कार्यालय और मुख्य मंत्री आवास के मध्य में इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का दुस्साहस किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल इतना कहना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, हमारी चाहत है कि इस पर जो भी घटना में अपहरण करने वाले, सामूहिक बलात्कार तथा घटना को अंजाम देने वाले दोषी लोग हैं, उन सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, तत्काल गिरफ्तारी हो और स्थानीय पुलिस जिन लोगों ने सूचना को तत्काल लेने से इन्कार करके परिवारीजनों को खोजने की हिदायत दे दी उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई की जाय जिससे कि इस प्रकार के जो तमाम अराजक तत्वों के हौसले बुलन्द हैं कहीं न कहीं पस्त हों और साथ ही साथ बढ़ते हुए अपराध को रोका जा सके और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आज जन सामान्य भयभीत है, छात्र और छात्राएं भयभीत हैं। पूरे स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालयों में इस प्रकार भय का माहौल है कि जब आज छात्र और छात्राएं सुरक्षित नहीं होंगे तो स्वाभाविक रूप से यह सरकार के लिये बहुत ही चिन्ताजनक बात है। इसलिये मैं चाहूंगा मान्यवर, कि आपके माध्यम से इसको सरकार गम्भीरता से ले और साथ ही साथ इस पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट भी करे धन्यवाद।

'श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, नियम–56 की सूचना पर आपने मुझे ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं जो बातें माननीय नेता विरोधी दल ने कही हैं मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। मान्यवर, एक नाबालिग लड़की, कक्षा 12 की छात्रा, जो आर0एल0बी0 स्कूल में अपनी प्रैक्टिकल की परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, और जब वह विद्यालय नहीं गई तो विद्यालय की ओर से उसके घर पर फोन किया गया कि आपकी लड़की नहीं आई, क्योंकि मान्यवर, वह पढ़ने में अच्छी थी, उसके बारे में टीचर ने भी चिन्ता की, कि इसका प्रैक्टिकल छूट जाएगा तो इसका नुकसान होगा। घर वालों को मान्यवर, साढ़े नौ और दस के बीच में यह बात मालूम हो चुकी थी कि इनकी लड़की कालेज नहीं पहुंची, उसी वक्त लोग थाने पर गए और थाने पर जाने के बाद थानेदार से यह अपेक्षा की कि उनकी लड़की के सम्बन्ध में जानकारी करें। अगर उस समय सही मायने में पुलिस ने संज्ञान लिया होता और उसका मोबाइल मान्यवर सर्विलांस पर लगा देते तो लड़की की लोकेशन पता चल जाती और शायद वह घटना न होती जो हो चुकी है। दस बजे के करीब जो सी0सी0टी0वी0 फुटेज देखे गए कैमरे में, वह पार्क रोड के पास लड़की साइकिल से थी और उसका बैग पीछे लगा था, उस लड़की को देखा गया मान्यवर, यह सी0सी0टी0वी0 फुटेज में आया है, मैं आपके सामने मान्यवर, विशेष रूप से इस घटना का उल्लेख करना चाहता हूं।

एक तरफ डी0जी0पी0 कार्यालय है और दूसरी तरफ मुख्य मंत्री का आवास है और उसके बीच में यह लोहिया पथ है, लोहिया पथ पर हैदर कैनाल नाले पर मान्यवर,

---

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसकी लाश मिलती है। दस बजे से लेकर शाम को आठ बजे के बीच उसके साथ किसी वक्त यह घटना हुई और उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस की कार्य–प्रणाली पर सीधे सवाल यही उठते हैं अभी माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि मैं ऐसी व्यवस्था करने जा रहा हूं 100 नम्बर की, जिसमें दस, पन्द्रह मिनट में पुलिस स्वेच्छा से पहुंच जाएगी। सवाल यह है कि जब पुलिस को इस बात की ट्रेनिंग नहीं है कि तुम अपराध को तुरन्त चेक करो, जब पुलिस को इस बात की ट्रेनिंग है ही नहीं तो थाने में बैठे हुए लोग, 100 नं0 वाले लोग और 1090 वाले लोग, उन्होंने सिर्फ एक पहाड़ा पढ़ा है कि किसी तरह से यह मुसीबत टालो। उनके पास पब्लिक सर्विस नाम की चीज नहीं है, उनको इस बात की ट्रेनिंग नहीं दी गई, न वह इस संस्कृति में पले–बढ़े कि आखिर संवेदनशीलता किसी व्यक्ति के साथ कैसे दिखाएं। मान्यवर, 5 दिसम्बर, 2015 को बन्थरा में बी0ए0 की छात्रा का खेत में फेंका गया शव, वस्त्र व अन्य कपड़े मिले, मान्यवर, 5 दिसम्बर, 2015 को एक घटना हुई तब भी सरकार की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए। 4 दिसम्बर, 2015 को मड़ियाऊं में दो युवतियों के धड़ और चार पैर अलग–अलग स्थानों पर मिले, तब भी सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि हम इसका जल्दी खुलासा करेंगे। दोषियों को सजा देंगे और आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो उसकी भी व्यवस्था करेंगे। 27 जून, 2015 को पी0जी0आई0 में एक युवती के साथ गैंगरेप हुआ। उसकी गला दबाकर मान्यवर, हत्या कर दी गई, एक साल में मान्यवर, एक दर्जन हत्यायें इस उत्तर प्रदेश में इस लखनऊ राजधानी में हुई।

श्री अध्यक्ष–

ग्राह्यता पर बोलो।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जिस समय घटना होती है उस समय तो यह सरकार कहती है तमाम बातें कही जाती हैं, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अफसोस भी जाहिर करेंगे और कहेंगे, पुलिस तत्पर है दोषियों को बहुत जल्दी पकड़ लिया जाएगा दोषियों को सजा भी दी जाएगी, लेकिन सजा क्या, सजा ऐसी हो जो इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, सजा ऐसी हो, कि अपराधियों में संदेश जाए, कि अगर वह यह करेंगे, तो उनको यही सजा नहीं और भी सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। मान्यवर, जब तक संदेश देने वाली कार्यवाही नहीं होगी, जब तक अपराधियों में खौफ नहीं होगा तब तक इस तरह की घटनायें नहीं रुकेंगी, इसलिए मान्यवर, मैं अपनी सूचना के माध्यम से विशेष रूप से मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए और दोषियों को ऐसी सजा दी जायेंगे ताकि एक संदेश जाए ताकि आगे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके, आपने मुझे बोलने का मौका दिया धन्यवाद।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, इस सूचना पर मुझे भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

माथुर साहब आपका इस सूचना में नाम नहीं है। आपने विद्युत पर लिखकर दिया है। आपने विद्युत पर दिया है जिस पर दो घंटे की चर्चा स्वीकार हो गई है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, नेता विपक्ष ने और नेता भारतीय जनता पार्टी ने जिस मुद्दे को रखा है छात्रा की हत्या का यह बहुत संगीन है और बहुत दुःखद भी है। यह बात सही नहीं है कि मैं सिर्फ खेद व्यक्त कर दूंगा और आश्वासन दे दूंगा यह भी कहना है आप अगर नहीं चाहें कि हम खेद व्यक्त करें और अफसोस व्यक्त करें तो यह इंसाफ नहीं होगा हो सकता है कि अगर आप यहां होते तो आप अफसोस जाहिर न करते मगर मुझे करना चाहिए क्योंकि मामला बहुत दर्दनाक है और अफसोसनाक है और सबके लिए। सरकारी व्यवस्था हो गैर सरकारी व्यवस्था हो समाज हो, समाज में काम करने वाले लोग हों सबके लिए यह बहुत ही शर्मनाक है जितनी भी इसकी निन्दा की जाय कम है। कानून पूरी तरह अपना काम कर रहा है। दो मुल्जिमान फौरन पकड़े भी गए हैं और बाकी मुल्जिमान को पकड़ने और उन दोनों से बाकी तफसीलात जानने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्योंकि बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है सरकार की तरफ से कोई शिथिलता नहीं है पुलिस की तरफ से भी नहीं है सुबह ही हमने इस बारे में जानकारी ले ली थी और आप सभी को बता भी दी थी कि इस तरह की जानकारी है। आपने जो बातें बताई हैं उन पर और बात करेंगे सदन में उस पर बात नहीं करेंगे ताकि सच्चाई सामने आ जाए किसी मुल्जिम के बचकर भागने या छिपने का कोई सवाल नहीं है जहां तक सजा का सवाल है वह सजा सरकार नहीं दे सकती पुलिस नहीं दे सकती वह सजा अदालत देगी हमारा काम है मुजरिम को अदालत के कटघरे तक पहुंचा देना। यह काम सरकार ने बड़ी ईमानदारी से किया है गुजरे चार सालों में मुजरिम को अदालत के दरवाजे तक पहुंचाया है यह अलग बात है कि निचली कोर्ट से ऊपर की कोर्ट से हाई कोर्ट से यहां तक सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी। वह हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उसके आगे सरकारों का कोई बस नहीं है। क्या सजा दी जाएगी जो ऐसे केसेज में सजा प्राविधानित है कितना बड़ा हादसा हुआ दिल्ली में उसके बाद कानून कितना सख्त हुआ यहां तक कि माइनर्स को भी किसी हद तक उसी जुर्म का जिम्मेदार माना गया और सजा तय की गई लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे एक दिन मैंने कहा भी था कि जब से सजाओं को और सख्त किया गया है जुर्म में और इजाफा हो गया है ऐसा लगता है कि जैसे बेशर्म लोगों ने बिल्कुल हया उतार कर ही रख दी है। उसके लिए मैं फिर यही कहूंगा कि कानून से ज्यादा जिम्मेदारी समाज की भी होती है हमारे यहां समाज में इसके लिए कितनी गुंजाइश होगी यहां बहस का वह विषय नहीं है लेकिन जिस तरह से यह वाकया हुआ है सोचकर खुद शर्म आती है कभी कभी तो लगता है कि यह मर्द किस हद तक गिर गया है। इसे न आप मर्दानगी कह सकते हैं न इसे ऐय्याशी कह सकते हैं न इसे बदचलनी कह सकते हैं न इसे आप हैवानियत कह सकते हैं यह तो कुछ ऐसा काम है जो इन तमाम चीजों से बहुत ऊपर उठकर है। ऐसे लोगों को कितनी सांसें लेने का हक है। कितनी देर सांसें लेने का हक है इसका फैसला करने का तो मुझे हक नहीं

है यह तो न्यायालय ही करेगा लेकिन वाकई यह चीजें एक मुतालिबा करती हैं इस बात का कि कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए कि इस तरह का जुर्म करने से पहले सोचने वाले को थोड़ी देर के लिए जिस्म में घबराहट महसूस हो कि यह भी हो सकता है। दरअसल अपने बच निकलने के बहुत से रास्ते वह पहले सोच लेता है। इसलिए भी इस जुर्म को करता है। तो सजा और सजा का तरीका एक दिन यहीं कोई साहब कुछ कह रहे थे चोरी के लिए तो मैंने हाथ दिखाकर इशारा किया था। इससे सब किस्सा खत्म हो जाएगा तो कुछ जुर्म ऐसे हैं जिनमें सजा में देर नहीं होनी चाहिए और सजा भी उस जगह से बहुत हटकर नहीं होनी चाहिए। वहीं अदालत लगे वहीं गवाह हो वहीं फैसला हो और वहीं सजा हो बहरहाल बहुत दुखद है और सरकार इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी जो कमी अगर कहीं महसूस होगी एक बात आपने कही पुलिस ने अगर पहले इस काम को किया होता। इसको भी देखेंगे कि अगर यह जांच थोड़ी देर पहले शुरू हो गयी होती तो उसके नतीजे क्या हो सकते थे। अगर पुलिस की कहीं कोताही है तो उसमें भी कार्रवाई करेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, इस मामले पर मैं आपको और पूरे सदन को अवगत करा चुका हूं। स्थानीय पुलिस का यह कहना कि जाकर खोजो, एक चीज। मामले में तेजी तब आई जब मैंने ए0डी0जी0, लॉ एण्ड ऑर्डर को इस सारे घटनाक्रम के विषय में बताया और अपनी चिन्ता जाहिर की कि चार–चार दिन हो गये और पुलिस अभी तक हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। जब उन्होंने इस पर पहल की तब जाकर 15 तारीख को उस लड़की की लाश मिली। मान्यवर, हमारा केवल इतना कहना है कि सरकार ने सारी व्यवस्था कर दी है। इनको वायरलेस सिस्टम मिलता है, उनके पास सारी की सारी एजेंसीज हैं, उनके पास एस0टी0एफ0 है, उनके पास स्पेशल टीम बनाने की ताकत है, जिस समय सूचना स्थानीय थाने को दी गयी, उसी समय अगर उस पर तत्काल कार्रवाई होती, वायरलेस के माध्यम से सभी थानों को सूचना जाती, उच्च अधिकारी इसमें रुचि दिखाते और समय पर प्रभावी कदम उठाये गये होते तो शायद उस लड़की की हत्या नहीं होती। मान्यवर, यह सरासर स्थानीय थानेदार के, स्थानीय पुलिस के गैरजिम्मेदाराना रवैये के चलते उस लड़की को हत्या का शिकार होना पड़ा। उसके साथ अपहरण, बलात्कार कितनी घटनाएं घटीं। अपहरण किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया और हत्या करके लाश फेंक दी गयी। पांचवें दिन उसकी लाश मिलती है। उस पर भी पुलिस ने अच्छा काम किया ? अगर सरकार का यही रवैया रहा और वह पुलिस को सर्टिफिकेट देती रहेगी कि अच्छा काम किया तब तो इस प्रकार की घटनाएं होती ही रहेंगी। मान्यवर, सरकार का इसके प्रति गंभीरता से जो उत्तर आना चाहिये था, वह उत्तर नहीं आया है। इसलिये बहुजन समाज पार्टी सरकार के इस गुण्डाराज रवैये को देखते हुये इस सदन से बहिर्गमन करती है।

(तत्पश्चात् मा0 नेता विरोधी दल, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मा0 अध्यक्ष जी, जिस तरह से मा0 नेता प्रतिपक्ष ने इस गम्भीर मामले को रखा, उससे कहीं ज्यादा गम्भीरता से इसे सरकार ने पहले भी लिया और ले भी रहे हैं, लेकिन मासूमों की हत्याओं को सिर्फ घटियापन की राजनीति से और सिर्फ अखबारों में वाकआउट करने की हद तक और बहुत हल्के हमले करके यह साबित करना चाहेंगे कि सिर्फ सरकार ही निकम्मी है तो आखिर कौन सा सिस्टम आयेगा ? मा0 नेता प्रतिपक्ष ने इस वक्त जो अन्दाज अख्तियार किया, वह बहुत अच्छा नहीं था। उन्हें इस पर और संजीदगी दिखानी चाहिये थी, रुकना चाहिये था, इस पर बहस करनी चाहिये थी। अगर पुलिस की कहीं गलती है तो पुलिस को सजा दिलायें, लेकिन बात इनकी सिर्फ शोहरत तक है। बस कार्रवाई हो गयी, अपनी फर्ज अदायगी हो गयी, कुछ शोर हो गया, वाकआउट हो गया। कोई जान से गया तो गया, किसी की बेटी गयी, किसी का बलात्कार हुआ, इन्हें इससे क्या लेना, इनकी तो खबर अच्छी बननी चाहिये। मान्यवर, जितने भी आरोप लगाये गये हैं वह सभी निराधार हैं। हम यह जरूर दिखवायेंगे कि कहीं कोई कमी तो नहीं रही है। पुलिस ने ही आखिर इस सबका पता लगाया है। मेरा जी चाह रहा है कि मैं वह बात कह दूं, लेकिन बात बहुत नामुनासिब होगी, क्योंकि कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो हमें मजबूरन नहीं कहना चाहिये, हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कहना चाह रहे हैं। मा0 नेता प्रतिपक्ष सिर्फ शोहरत लेने के लिये यह चाहते हैं कि वह बातें कह दी जायें जिससे शर्मिंदगी हो। क्या वह यह बातें सुनना चाहते हैं ? तो बच्ची की आबरू को बचाकर रखें, उसके परिवार की आबरू को बचाकर रखें, और बच्चियों की आबरू को बचाकर रखें, औरों के लिये सवाल खड़े न करें। महज राजनैतिक शोहरत के लिये या किसी फायदे के लिये हम समाज की तमाम बच्चियों को लांछित करें और उनको मजबूर करें कि इस तरह के अल्फाज सुनने को मिलें, अच्छी बात नहीं है। अगर वह चाहेंगे तो मैं उन्हें कान में बताऊंगा कि आप क्या सुनना चाहते थे, जिससे कितनी बदनामी होती और पूरी जांच का रुख बदल जाता। तो मान्यवर, सरकार इसमें बिलकुल संजीदा है और कोई कसर नहीं रखी जाएगी। बहुत बुरा अपराध हुआ है उसको वैसी सजा मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

मैंने मौर्या जी को सुना, मैंने खन्ना जी को सुना और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, बातें सब आ गयी हैं। सरकार ने उसे गंभीरता से लिया है। इसलिए इस काम रोको प्रस्ताव को अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, बिजली को लेकर सूचना थी।

श्री अध्यक्ष–

वह नियम–52 में कर दिया है।

(श्री संजय कपूर जी के बोलने का प्रयास करने पर उनका माईक आफ था)

श्री अध्यक्ष–

नहीं अब आज नहीं होगा, आप लोग जबरदस्ती बोलते हो, जबरदस्ती स्वीकार कराते हो। बैठिये। मैंने उस पर ध्यान आकृष्ट कर लिया है, अब बोलने की जरूरत नहीं है। बैठिये। डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी आप दो मिनट में अपनी बात कह लें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं। समय की कमी है उसके बावजूद आपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न को सदन में उठाने का अवसर दिया। प्रकरण गोरखपुर विकास प्राधिकरण का है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण या प्रदेश का कोई भी प्राधिकरण, इनका दायित्व होता है विकास की योजनायें बनाना नई–नई कालोनियों को बनाना, जमीनों को विज्ञापित करना, नागरिकों के द्वारा आवेदन लेना, उन्हें जमीनें आवंटित करना। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रकरण आपके बीच में लेकर आया हूं। 2009 में गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने राप्तीनगर विस्तार आवासीय योजना का प्रकाशन कराया और 12 जून, 2009 को इसका पंजीकरण प्रारम्भ किया। करीब–करीब और लिखित रूप से यह वायदा किया कि यह जो कालोनी विकसित हो रही है यह पूरी तरह पार्क, चौड़ी सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, हरित पट्टिका से सुसज्जित है और सभी नागरिकों को सभी सुविधायें दी जायेंगी। यह योजना करीम नगर के 5.918 हे0 और मानडोला के 17.38 हे0 अर्थात् कुल 23.298 हे0 की जमीन में बनायी गयी। सब कुछ चिन्हित करके उन्होंने बता दिया। क्योंकि योजना स्वयं गोरखपुर विकास प्राधिकरण की थी और प्राधिकरण ने सुसज्जित भूमि होने का दावा किया था। इसलिए बहुत बड़ी संख्या में नागरिकों ने इसमें आवेदन कर दिया। 843 आवेदकों को भू–खण्ड आवंटित कर दिये गये और उनके विक्रय विलेख भी हस्तान्तरित कर दिये गये। आवंटित नागरिक जब अपने भू–खण्डों पर कब्जा लेने पहुंचे तो पता चला कि सुसज्जित विकास कार्य तो दूर विकास प्राधिकरण के कब्जे में वह जमीन ही नहीं है। यह एक प्रशासनिक धोखाधड़ी है। यदि प्राधिकरण के पास योजना की जमीन का कब्जा नहीं था तो प्राधिकरण को नागरिकों से 53 करोड़ रुपये जमा नहीं कराने चाहिए थे। 2009 में यह पैसा 53 करोड़, नागरिकों से जमा किया गया। बहुत बड़ी संख्या में नागरिकों ने आवेदन के लिए ब्याज पर बैंक से लोन लेकर आवेदन किया है और आज 2016 है अभी तक वह बैंक का ब्याज भर रहे हैं। उन्हें जमीन नहीं मिली है। आज विकास प्राधिकरण यह कह रहा है कि हमने मामला शासन को रिफर कर दिया है, जमीन को लेकर शासन का जो निर्णय आएगा हम उस पर निर्णय लेंगे। मा0 अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत साफ है। 2009 गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी प्रकाशित योजना के लिए 53 करोड़ रुपया 843 नागरिकों से जमा कराया। आज भी वह घूम रहे हैं। न उनको पैसा वापस मिला न उनको आज तक जमीन मिली। मैं यही प्रकरण आज इस सदन में लेकर आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि शासन इस पर कड़ी कार्रवाई करेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसकी पूरी जानकारी मुझे मालूम नहीं है। जितना आपसे सुना है उसकी जानकारी लूंगा। मान्यवर, हो यह रहा है कि कई हमारी अपने विभाग की स्कीम्स में बड़ी मुश्किल से तो कब्जा मिल रहा है। लोगों के इतने नाजायज कब्जे हैं और नाजायज कब्जों को हमारे जो सबसे ज्यादा काबिल लेखपाल साहेबान हैं। तो जो उनकी

कृपा हो जाती है वह मामला मान्यवर, फिर कहीं कटता नहीं है। वह इतना पक्का काम कर देते हैं। एक तो जमीन है नहीं कहीं, जो थी वह सब लेख में आ गई और अगर कहीं हेकड़ी से ले भी ली तो फिर स्टे आ जा रहा है। हमारे विभाग में तो मान्यवर कई जमीनें ऐसी जिन पर अच्छा खासा पैसा लग गया और छत के लेविल तक काम हो गया, दसों, बीसों करोड़ रुपया लग गया, उसमें सरकार का भी पैसा बरबाद हुआ और ठेकेदार भी बरबाद हो गये उसमें, जब उस लेविल तक काम पहुंच गया तो स्टे आ गया। तो इसमें यही देखना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ जब प्राधिकरण ने उसको अपना समझा हो, तो अपनी न हो, लेकिन पैसा तो वापस मिलना चाहिए, इसको देखते हैं, जो भी सही होगा और जिनका जायज पैसा है, उनको वापस मिलेगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, पैसा ब्याज सहित मिलना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी, जैसे आप 20 लाख देंगे ब्याज सहित। मान्यवर, इसको बिल्कुल संजीदगी से देखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैंने डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, सारी बातें आ गईं, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

एक सूचना श्री सन्तराम कुशवाहा जी दे गये थे, इसको स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन जब मैंने इसको पूरा पढ़ा तो लगा यह महत्वपूर्ण है, तो मैं सरकार का इस पर ध्यान आकृष्ट कर ले रहा हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपसे कल ही निवेदन किया था, मा0 सन्तराम कुशवाहा जी की सूचना पर आप वक्तव्य मांग लें, तो जो इसमें घर गिराये जा रहे हैं, उस पर रोक लग जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

यह मामला महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ध्यान आकृष्ट करना, वक्तव्य मांगना दोनों एक ही बराबर हैं। ध्यान आकृष्ट में भी सरकार के पास जायेगा, संसदीय कार्य मंत्री कार्यवाही शुरू करा देंगे। तो इसमें चाहे ध्यान आकर्षण करा लो, चाहे वक्तव्य ले लो।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आप वक्तव्य मंगा लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लेते हैं।

ख्समय 5.44, **नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें**

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 16–02–2016 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 51 सूचनायें प्राप्त हुई–

पहली सूचना श्री सुरेश राणा की जनपद शामली के थानाभवन में सहारनपुर–दिल्ली राजमार्ग के निकट की भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

दूसरी सूचना श्री सुरेश बंसल की जनपद गाजियाबाद के जी0टी0 रोड पर भाटिया मोड़ से गुलमोहर तक जाने वाले मार्ग पर पड़े कूड़े के ढेर को हटवाये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

तीसरी सूचना श्री मो0 इरफान की जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना कराये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

चौथी सूचना श्री राज कुमार रावत की जनपद मथुरा में विद्युत सम्बन्धी कार्य करने हेतु कार्यदायी संस्था मेसर्स के0ई0आई0 द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

पांचवी सूचना श्री प्रदीप माथुर की जनपद मथुरा के वृन्दावन नगर पालिका परिषद् के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन के साथ मंहगाई राहत/भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

छठी सूचना डा0 मो0 अयूब की प्रदेश के अराजपत्रित पुलिस कर्मचारी व अधिकारीगणों को अवकाश में कार्य किये जाने का मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

सातवीं सूचना श्री राजीव गुम्बर की जनपद सहारनपुर में जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा भ्रष्टाचार कर सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

आठवीं सूचना श्री विजय कुमार पासवान की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु के विकास खण्ड उस्का एवं जोगिया के क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

नौवीं सूचना श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के अन्तर्गत गम्भीर पेयजल संकट से निपटने हेतु एक हजार हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

दसवीं सूचना श्री उपेन्द्र तिवारी की जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदारनगर में ग्राम टेल्हनापार में आराजी संख्या–527 पर अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :–

श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री ममतेश शाक्य, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री सुदेश शर्मा, श्री लोकेश दीक्षित, श्री भीम प्रसाद सोनकर, डा0 धर्मपाल सिंह, श्री संजय कपूर, श्री पंकज गुप्ता, श्री जय प्रताप सिंह, श्री रविन्द्र भड़ाना, श्री आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री गेंदालाल

चौधरी, श्री गुटियारी लाल दुबेश, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया, श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री उमेश पाण्डेय, श्री दलवीर सिंह, श्री संजय प्रताप जयसवाल, श्री अगयश रामसरन वर्मा, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री आशीष कुमार यादव, श्री काली चरन सुमन, श्री पूरन प्रकाश, श्री सन्तराम कुशवाहा, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री गुलाब चन्द्र सरोज, श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना', श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री गयादीन अनुरागी, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री जय प्रकाश निषाद, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री प्रदीप चौधरी, श्री गजेन्द्र सिंह, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री राम चन्द्र यादव, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया एवं श्री अनीसुर्रहमान ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, नियम यह था कि जो मा0 सदस्य नहीं होंगे, उनके स्थान पर दूसरे की सूचना ले ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, ऐसा नियम नहीं था, यह कहा गया था कि उपस्थित रहें। बिमला सिंह सोलंकी जी आपकी बहुत सूचनायें आती हैं, आप क्यों परेशान हैं बैठें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इनकी एक सूचना ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

इनकी बहुत सूचना आती हैं, नियम–300, नियम–301, नियम–51, नियम–56 उनकी बहुत सूचनायें ली जाती हैं। अब बैठिये।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र पिपराइच में ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को उचित मुआवजे को दिलाने के सम्बन्ध में श्रीमती राजमती द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र....

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम मूर्ति वर्मा)–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्321, पिपराइच जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत ओलावृष्टि होने के कारण किसानों की फसल नष्ट हो गयी हैं। जिसको लेकर किसानों में बहुत ही आक्रोश व्याप्त है। जनहित में किसानों को ओलावृष्टि का मुआवजा दिया जाना आवश्यक है। किसानों की फसल नष्ट होने के कारण किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। यह जनहित से जुड़ा हुआ प्रश्न है और लोक महत्व का है। इस विषय को मा0 सदन के संज्ञान में लाते हुए ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति का किसानों को मुआवजा दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

2–उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, गोरखपुर से प्राप्त आख्यानुसार कृषि निवेश अनुदान मद में तहसील सदर जनपद गोरखपुर को आवंटित धनराशि रु0 5,05,00,000.00 (पांच करोड़, पांच लाख रुपये) में से 68 ग्रामों में 15,584 लाभार्थियों को रु0 4,60,00,000.00 (चार करोड़, साठ लाख रुपये) वितरित कर दिया गया है। जिसमें से विधान सभा क्षेत्र–321, पिपराइच जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत ओलावृष्टि से प्रभावित 23 ग्रामों में कुल 4,144 लाभार्थियों में रु0 1,33,02,651.00 (एक करोड़ तैंतीस लाख दो हजार छः सौ इक्यावन रुपये) कृषि निवेश अनुदान का वितरण किया गया है। कोइ भी किसान भुखमरी के कगार पर नहीं है।,

प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बने जूनियर शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

श्री वसीम अहमद–

माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के ..

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम मूर्ति वर्मा)–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)–

ख्के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक बने चयनितों का 29334 जूनियर शिक्षकों को तथा प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के अन्तर्गत चयनित 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों के चयनोपरान्त वेतन देने की प्रक्रिया में घोर विसंगति है। उक्त सभी को उनके शैक्षिक प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के बाद वेतन दिया जाना था।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस क्रम में 29334 जूनियर शिक्षकों को मात्र दो प्रमाण–पत्रों के सत्यापनोपरान्त शपथ–पत्र लेकर वेतन/एरियर देने का आदेश बेसिक शिक्षा सचिव द्वारा 366–69 पत्रांक–16–01–16 जारी किया गया है। शिक्षा मित्रों के मामले में एक कदम और आगे बढ़ते हुए बेसिक शिक्षा सचिव द्वारा 16280–16600/11–01–16 आदेश जारी कर न केवल 2 सत्यापन पर बल्कि किसी भी दो सत्यापन पर शपथ–पत्र लेकर 10 फरवरी तक वेतन/एरियर का भुगतान प्रत्येक दशा में करने का आदेश दिया गया।

जबकि प्रशिक्षु शिक्षक चयन, 2011 के अन्तर्गत चयनित 72825 सहायक अध्यापक के चयन का एक वर्ष से अधिक समय हो जाने के बाद भी अभी तक इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है जिससे नवम्बर, 2015 से इन लोगों का वेतन नहीं मिल सका।

जनहित में आवश्यक है कि सभी प्रकार के चयनित सहायक अध्यापक के प्रति समानता का भाव रखते हुए 2 सत्यापन पर ही शपथ–पत्र लेकर वेतन/एरियर का भुगतान किये जाने का आदेश प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के अन्तर्गत चयनित 72825 सहायक अध्यापक के लिये भी जारी किया जाए।

2–मा0 सदस्य द्वारा लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर उक्त 72825 सहायक अध्यापकों को वेतन/एरियर समान प्रक्रिया अपना कर दिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग की गयी है।

<u>वक्तव्य</u>

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के अन्तर्गत चयनित 72825 सहायक अध्यापकों के किन्हीं 02 प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के आधार पर वेतन भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचारोपरान्त शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।,

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है कि प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के अन्तर्गत चयनित 72825 सहायक अध्यापकों के किन्हीं 02 प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के आधार पर वेतन भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचारोपरान्त शीघ्र निर्णय लिया जायेगा। मान्यवर, मैटर यह है कि एक ही तरीके के शिक्षकों को वेतन दिए जाने के दो मानक हैं। कुछ लोगों को प्रमाण–पत्र सत्यापन के बाद वेतन दिया जा रहा है और यह जो प्रशिक्षु शिक्षक हैं इन लोगों को नवम्बर से इसलिए वेतन नहीं मिल पाया क्योंकि इनके प्रमाण–पत्र कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5 सत्यापित कहा जा रहा है। आज मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया कि हम इस पर विचार करेंगे। समय–सीमा नहीं दी गयी है। मान्यवर, नवम्बर से वेतन नहीं मिला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी समय निर्धारित कर दें कि कितने दिनों में विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

यह बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्जी डिग्री लगाए थे। हमारे यहां पकड़े गए हैं, तो इसलिए इसकी पूछतांछ ज्यादा हो रही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, सत्यापन करवाया गया है। मैं यह नहीं कह रहा हूॅ कि सत्यापन न करवाएं। समान लोगों के लिए दो पैमाने नहीं होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा ठीक है, आपने बोल लिया अब मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री वसीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि कब तक करवा देंगे और क्यों इनके साथ ऐसा हुआ। एम0सी0टी0ई0 से एक बार 2010 में यह हुक्म हुआ कि 72 हजार में जितने भी हैं उसमें बी0एड0 वालों का भी एप्वाइंटमेण्ट करने के लिए कह दिया गया था। इसके लिए एक बार आर्डर हुआ और इन लोगों के लिए यह हुआ जो लोग यहां भर्ती किए गए लेकिन 72 हजार के लिए कोई हुक्मनामा जारी नहीं हुआ था। इसके बावजूद सरकार इस पर दृढ़ है और बहुत जल्दी ही एक हफ्ते के अन्दर हम उनके लिए भी इन बातों को कि दो प्रमाण–पत्रों की जांच हो जाये और तीसरे पर उनसे एफीडेविट ले करके उनको तनख्वाह दे दी जाये इस पर हम कानून व्यवस्था चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

रिलायन्स पावर परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2005–2006 में अलीगढ़ द्वारा राजवाहो पर सी0सी0 लाइनिंग कार्य का अभी तक भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं सदन के माध्यम से लोक महत्व के ..

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति सिंह वर्मा)–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

ख्अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि रिलायन्स पावर परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 में अलीगढ़ खण्ड गंग नहर अलीगढ़ द्वारा

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राजवाहों पर सी0सी0 लाइनिंग का कार्य कराया गया था। इस परियोजना के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ के इस खण्ड के अन्तर्गत सी0सी0 लाइनिंग के कार्य कराये गये थे उसके भुगतान हेतु शासन स्तर से धनराशि आवंटित की गई थी। किन्तु स्थानीय स्तर पर उस धनराशि का उपयोग कहीं और कर दिया गया। इस खण्ड में कार्य करने वाले ठेकेदारों का भुगतान इस कारण से अभी तक लम्बित है। जबकि उनसे कार्य पूर्ण करा लिया गया। ठेकेदार वर्ष 2005 से भुगतान के लिये विभाग के चक्कर काट कर परेशान हैं। इन्हें भुगतान के सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गयी है। भविष्य में कोई अनहोनी की आशंका है। ऐसे में विभाग द्वारा जो कार्य कराया गया है उसका शीघ्र भुगतान आवश्यक है।

अतः उपरोक्त अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन से वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करता हूं।

<u>कृत कार्यवाही</u>

''शासन की ऊर्जा नीति–2003 के अन्तर्गत उ0 प्र0 सरकार एवं रिलायन्स एनर्जी जेनरेशन लि0 के मध्य हुए स्टेट सपोर्ट एग्रीमेन्ट के अनुरूप शासन के पत्रांक–4036/05–27–सिं–4–15 डब्लू0–परि0, दिनांक 28–11–2005 के माध्यम से जनपद गाजियाबाद वर्तमान में हापुड़ में देहरा गांव के निकट रिलायन्स एनर्जी जेनरेशन लि0 द्वारा प्रस्तावित 8000 मेगावाट की विद्युत परियोजना हेतु ऊपरी गंगा नहर से 150 क्यूसेक जलापूर्ति की बचत किये जाने हेतु नहरों की लाइनिंग की परियोजना शासन की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमानित लागत रु0 10,393.56 लाख हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।

इस परियोजना के अन्तर्गत बुलन्दशहर खण्ड, गंगा नहर, बुलन्दशहर द्वारा रु0 65.55 करोड़ तथा अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर, अलीगढ़ को रु0 38.40 करोड़ के कार्य कराये जाने प्राविधानित थे, जिसके अनुरूप प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा वर्ष 2005–06 से 2008–09 के मध्य रु0 10,393.56 लाख का आवंटन मुख्य अभियन्ता (गंगा), मेरठ को प्राविधानित किया गया। तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (गंगा), श्री हरिशंकर शर्मा द्वारा रु0 11.50 करोड़ अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर, अलीगढ़ के प्राविधानित अंश से काट कर बुलन्दशहर खण्ड, गंगा नहर, बुलन्दशहर को व्यावर्तित कर दिये गये। फलस्वरूप अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर, अलीगढ़ को उनके प्राविधानित अंश से रु0 11.50 करोड़ कम मिलने के कारण इस खण्ड के कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के भुगतान अवशेष रह गये और देनदारियां सृजित हुईं।

शासकीय पत्रांक–1709/14–27–सिं–5–347/2013, दिनांक 12–05–2014 द्वारा रिलायन्स पावर परियोजना के अन्तर्गत अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर, अलीगढ़ एवं बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहर, बुलन्दशहर में सी0सी0 लाइनिंग के कार्य में शासन द्वारा प्राविधानित धनराशि के व्यावर्तित किये जाने एवं बिना धन की उपलब्धता के ठेकेदारों से कार्य कराने अथवा आवंटित धनराशि से अधिक धनराशि को अनुबन्ध गठित कर ठेकेदारों के माध्यम से कार्य कराकर देनदारी सृजित किये जाने के सम्बन्ध में अनियमितता एवं

उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में जांच समिति गठित की गई हैं जांच शीघ्र पूर्ण कराकर भुगतान के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।'',

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें सरकार ने स्वीकार भी किया है कि सौ करोड़ रुपया अपर गंगा कैनाल के लिए आवंटित हुआ। अलीगढ़ जनपद में और बुलन्दशहर जनपद में। यह इसमें स्वीकार किया है कि हां पैसा एलॉट हुआ लेकिन एक अधिकारी ने 40 प्रतिशत कमीशन लेकर जिस काम के लिए एलॉट हुआ था 40 प्रतिशत कमीशन ले कर अन्य काम के लिए भुगतान कर दिया। यह इसमें सरकार ने स्वीकार भी किया है और यह भी कहा है कि इसकी जांच के लिए जो दोषी कर्मचारी हैं उनके लिए समिति भी गठित की गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन गरीब मजदूरों, लोगों ने वहां काम किया और इस काम को किए कई साल हो गए अभी तक उनका भुगतान इसलिए नहीं हुआ कि एक अधिकारी की गलती से, भारी कमीशन लेने की वजह से उसने हेरा–फेरी कर दी। उसके खिलाफ तो आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। लेकिन उन मजदूरों का भुगतान आज तक रुका हुआ है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसमें आश्वासन दें और सरकार से कहें। सरकार इसमें मजदूरों, ठेकादारों का पैसा दिलवाये और जिन लोगों ने यह बेईमानी की है उनके खिलाफ कार्रवाई करवाये और उनके वेतन से भी रिकवरी कराये। मेरा आपसे यह निवेदन है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने मामला ऐसा रखा है कि इसमें सुनना ही बेहतर है कुछ बोलने का इसमें है नहीं। सुनने में बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो कोई तस्दीक नहीं है कमीशन की लेकिन अगर ले लिया है तो वापस कराना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि लेने का आप कोई सबूत नहीं दे पाएंगे। तो फिर जिस चीज का कोई सबूत नहीं है तो वह बेगुनाह है।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, लेकिन स्वविवेक से यह पहचान से सकते हैं कि जिस काम के लिए यह धन एलॉट किया गया था उसमें न दे कर के दूसरे में कर दिया है। तो यही सबूत दे सकता हूं मैं इसके अलावा और क्या दे सकता हूं। इससे मैं और आप समझ सकते हैं कि इसने क्या बेईमानी की थी।

श्री मोहम्मद आजम खां–

बहरहाल दुआ तो कर सकता हूं आपके लिए।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, आश्वासन दें और इनके खिलाफ कार्रवाई करायें और भुगतान कराएं बेचारे गरीब आदमी हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, चुनाव हरवा देंगे आपको ये।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, नहीं, यह चुनाव तो जो अब होगा वह अलग बात है।

जनपद बस्ती के जिलापूर्ति निरीक्षकों द्वारा अवैध रूप से खद्यान्नों की वसूली किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय जायवाल द्वारा नियम–51 अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, यह गम्भीर है और ऐसे संजीदा सदस्य की शिकायत है। इस पर अलग से विचार करना चाहिए और दिखवाएंगे।

श्री अध्यक्ष–

यह स्थगित है।

जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर अन्तर्गत मिश्रा कालोनी के कच्चे मार्गों एवं नालियों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती चन्द्रा रावत द्वारा नियम–51 अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर में.....

श्री मो0 इरफान–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

खमिश्रा कालोनी के अन्तर्गत कालोनी का कच्चा मार्ग एवं नाली टूटी हुई है, जिससे बरसात के समय रोड क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण बच्चे स्कूल जाते समय फिसल कर कीचड़ में गिर जाते हैं। आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। जिससे क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों को आने–जाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार कालोनीवासियों द्वारा शासन–प्रशासन को भी अवगत कराया गया, परन्तु अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही न होने के कारण कलोनीवासियों में सरकार के प्रति जनाक्रोश व्याप्त है। अतः इस विषय पर उपरोक्त कालोनी में कच्चे मार्ग पर डामरीकरण/मरम्मत एवं नाली का पुनर्निर्माण कार्य कराये जाने की कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।

2–उक्त सूचना के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि लखनऊ के सरोजनीनगर में मिश्रा कालोनी अविकसित/अनियोजित

नोट :–ख, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्राइवेट कालोनी है, जिसका ले–आउट लखनऊ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त कालोनी में कार्य कराये जाने का दायित्व नगर निगम का नहीं है।,

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर अन्तर्गत ऐरा शुगर मिल से निकलने वाले प्रदूषित जल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बाला प्रसाद अवस्थी द्वारा नियम–51 अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, जनपद लखीमपुर के विकास खण्ड ईसानगर.....

श्री मो0 इरफान–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

ख्ऐरा शुगर मिल में इफुलेयन्ट ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट स्थापित नहीं होने एवं प्रदूषित/जहरीला पानी सीधे नालों व गांवों में बहने सम्बन्धी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मे0 गोविन्द शुगर मिल्स लि0, पोस्ट ऐरा स्टेट, खमरिया पंडित, लखीमपुर खीरी द्वारा 10000 टी0सी0डी0 क्षमता पर केन क्रशिंग कर चीनी का उत्पादन किया जाता है। उद्योग में 39.7 मेगावाट विद्युत उत्पादन हेतु संयंत्र स्थापित है।

उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शोधन हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है। दिनांक 10–12–2015 को उद्योग के आकस्मिक निरीक्षण में उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र संचालित पाया गया तथा उद्योग से निस्तारित शुद्धीकरण उत्प्रवाह की गुणता निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई गई। उद्योग द्वारा शुद्धीकृत उत्प्रवाह की गुणता के सतत् अनुश्रवण हेतु आन लाइन मानीटरिंग सिस्टम स्थापित है। पूर्व में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, लखीमपुर खीरी के पत्र दिनांक 13–04–2015 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि ''विगत वर्ष में गोविन्द शुगर मिल, ऐरा से जनित उत्प्रवाह से पशुओं के मरने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।'' पूर्व में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खीरी के पत्र दिनांक 01–04–2015 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि ''जिला लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ऐरा शुगर मिल से निकलने वाले जहरीले धुंए से अभी तक जनपद खीरी के किसी भी चिकित्सालय में किसी भी प्रकार के गम्भीर रोगी की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है न ही ऐरा शुगर मिल परिक्षेत्र में बसे लोगों को स्वाइन फ्लू, मस्तिष्क ज्वर से प्रभावित होने की सूचना है।'',

जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद् सिकन्दराबाद की सीमा विस्तार किये जाने का नियम–51 में आश्वासन देने उपरान्त भी सीमा विस्तार न किये जाने के सम्बन्ध में

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा नियम–51 अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, मा0 सदस्य.....

श्री मो0 इरफान–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

ख्विधान सभा द्वारा दिनांक 12–02–2016 को नियम–51 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना दी गयी है :–

''मेरे द्वारा दिनांक 17–11–14 को नियम–51 के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्, सिकन्द्राबाद के सीमा विस्तार के विषय में विधान सभा में दी गयी सूचना पर मा0 नगर विकास मंत्री जी ने 25–11–14 को अपने वक्तव्य में नगर पालिका परिषद् के सीमा विस्तार का प्रस्ताव परीक्षणाधीन होने की सूचना दी थी। दिनांक 21–08–2015 को नियम–56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मा0 नगर विकास मंत्री द्वारा पंचायत चुनावों के कारण सीमा विस्तार न होने की सूचना दी थी। पंचायत चुनावों को पूर्ण हुए लगभग 02 माह बीत चुके हैं लेकिन अभी तक उक्त पालिका परिषद् का सीमा विस्तार नहीं हुआ है। जिसके कारण सीमा विस्तार प्रस्तावित क्षेत्र में निवास करने वाले हजारों परिवार जीने के लिये जरूरी मूलभूत सुविधाओं जैसे–स्वच्छ पेयजल, गन्दे जल की निकासी, पक्की गलियां, विद्युतीकरण, स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक विद्यालय आदि से वंचित हैं। जनहित में उक्त पालिका परिषद् का शीघ्र सीमा विस्तार अत्यन्त आवश्यक है।''

2–उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के समाप्त होने के पश्चात् नगर पालिका परिषद्, सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर के सीमा विस्तार की अनन्तिम अधिसूचना का आलेख विधीक्षित किये जाने हेतु विधायी विभाग को सन्दर्भित किया गया। विधीक्षण में पालिका द्वारा उपलब्ध कराये गये आलेख में उल्लिखित गाटा संख्या एवं मानचित्र में उल्लिखित गाटा संख्या में विरोधाभास एवं कतिपय त्रुटियां संज्ञान में आईं। उक्त त्रुटियों का निराकरण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक था। अतः शासन के पत्र संख्या–23/नौ–2–2016–04 सीमा विस्तार/08, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से त्रुटियों का निराकरण कराते हुए नगर पालिका परिषद्, सिकन्द्राबाद के सीमा विस्तार को प्रदर्शित करने वाली सूची

नोट :–ख्, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सहित हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख की प्रतियां दिनांक 08–02–2016 तक उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।

निर्धारित समय के अन्दर सूचना प्राप्त न होने के कारण पत्र दिनांक 11–02–2016 द्वारा जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को पुनः निर्देशित कर दिया गया है। जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से सूचना प्राप्त होने पर तद्नुसार आलेख्य के विधीक्षणोपरान्त अनन्तिम अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही की जा सकेगी।,

जनपद फिरोजाबाद के नगर के हिमांयूपुर क्षेत्र में घनी आबादी के बीच से निकले नाले के पटरी पर सब्जी मण्डी पुलिया को लेकर टूटी पुलिया एवं जल भराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री श्री मनीष असीजा द्वारा नियम–51 अन्तर्गत का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, नगर फिरोजाबाद के हिमांयूपुर क्षेत्र में.....

श्री मो0 इरफान–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

श्री मनीष असीजा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 12–02–2016 निम्नवत् है :–

ख्घनी आबादी के क्षेत्र के बीच से निकलने वाले नाले की पटरी से सब्जी मण्डी पुलिया से लेकर टूटी पुलिया, ट्यूबवेल तक का मार्ग कच्चा और कीचड़/जल भरावयुक्त है अनुसूचित जाति बाहुल्य घनी आबादी के इस क्षेत्र के नागरिक नारकीय जीवन बिताने को मजबूर हैं एवं भीषण गन्दगी के चलते इस क्षेत्र में कभी भी महामारी फैलने का अन्देशा बना हुआ है। अनेक बार आन्दोलन करने के बावजूद इस मार्ग के निर्माण न होने के कारण क्षेत्रीय नागरिकों में आक्रोश व्याप्त है। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।

2–उक्त सूचना के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत स्थल पर नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण हेतु आगणन तैयार कर लिया गया है। धन की उपलब्धता पर प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कराया जायेगा।,

---

नोट :–ख्, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद इलाहाबाद नगर निगम द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम तथा आवासीय असंगत वाणिज्यिक कर एवं प्रोमोशनल चार्ज समाप्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम–51 अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, जनपद इलाहाबाद नगर निगम द्वारा.....

श्री मो0 इरफान–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

ख्उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम तथा अनावासीय सम्पत्ति कर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013 के कुछ प्राविधानों की त्रुटिपूर्ण आख्या व गणना करके आम नागरिकों से वाणिज्यिक एवं प्रोमोशनल सरचार्ज वसूला जा रहा है। नगर अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार गृह कर 22 प्रतिशत से कम तथा 32 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता, किन्तु किसी भवन के एक कमरे या कुछ भाग में स्टेशनरी, परचून, दूध, चाय व पान की दुकानों तथा लाइब्रेरी, क्लीनिक आदि को अनावसित भूमि–भवन श्रेणी में लाकर सम्पूर्ण भवन पर 05 गुना (500 प्रतिशत) बढ़ाकर गृह कर वसूला जा रहा है, जो नगर निगम अधिनियम को सुपरसीड कर रहा है यह अवैधानिक है। यह केवल इलाहाबाद नगर निगम में ही किया जा रहा है। इसी प्रकार जिन भवनों में रेन हारवेस्टिंग सिस्टम नहीं है तथा 40 प्रतिशत भाग पर हरियाली या वृक्षारोपण आदि नहीं है तो उससे 02 प्रतिशत प्रोमोशनल सरचार्ज केवल इलाहाबाद में लिया जा रहा है। रेन हारवेस्टिंग व्यवस्था इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने 2011 में किया है। वर्ष 2011 के पहले के मकानों में यह नियम प्रभावी नहीं माना जाना चाहिए। नियमावली के यह प्राविधान भी नगर निगम अधिनियम, 1959 के प्राविधान के विपरीत है। प्रोमोशनल चार्ज के नाम पर भारी भ्रष्टाचार की भी सूचना मिल रही है। आम नागरिकों में भारी आक्रोश है। पार्षदगण तथा नागरिकगण धरना–प्रदर्शन कर रहे हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण करते हुए अविलम्बनीय अधिनियम और नियमावली के परस्पर विरोधी प्राविधानों पर विचार करते हुए असंगत वाणिज्यिक कर प्रोमोशनल चार्ज समाप्त कराने तथा इससे उत्पन्न भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषियों को दण्डित कराने तथा सदन में वक्तव्य दिलाने की मांग की गयी है।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2–उक्त सूचना के सम्बन्ध में नगर निगम, इलाहाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–173 में सम्पत्ति कर लगाये जाने की व्यवस्था दी गयी है। उक्त अधिनियम की धारा–173 (2) के अधीन भवन या भूमि पर वार्षिक मूल्य निगम द्वारा लगाये जाने की व्यवस्था दी गयी है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्पत्ति करों का योग, किसी भी दशा में भवन या भूमि या दोनों ही, जिस पर उक्त कर निर्धारित किये गये हों, के वार्षिक मूल्य के बाइस प्रतिशत से कम और बत्तीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, किन्तु इस प्रकार कि सामान्य कर, वार्षिक मूल्य के दस प्रतिशत से कम और पन्द्रह प्रतिशत से अधिक न होगा, जल कर, वार्षिक मूल्य के साढ़े दस प्रतिशत से कम और साढ़े बारह प्रतिशत से अधिक न होगा, जल निस्तारण कर, वार्षिक मूल्य के ढाई प्रतिशत से कम और पांच प्रतिशत से अधिक न होगा और स्वच्छता कर, वार्षिक मूल्य के दो प्रतिशत से अधिक न होगा। नगर निगम इलाहाबाद द्वारा वर्तमान में सामान्य कर (गृह कर) वार्षिक मूल्य का ग्यारह प्रतिशत लिया जा रहा है, जोकि उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 में प्राविधानित उक्त उपबन्ध के अनुसार है।

उ0 प्र0 नगर निगम (सम्पत्ति कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013, अधिसूचना दिनांक 27–12–13 से समस्त नगर निगमों पर लागू की गयी है, जिसके अनुसार नगर निगम सीमा के अन्तर्गत आने वाले अनावासीय भवनों पर नियमानुसार वार्षिक किराया मूल्य के निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त नियमावली के नियम–4–क के स्तम्भ–2 में अनावासीय भवन/भूमि की स्थिति में नियत किराये की मासिक दर (आवासीय दर) के गुणांक का उल्लेख है, जिसके अनुसार अनावासीय भवनों (दुकानों) पर आवासीय भवनों हेतु निर्धारित मासिक किराये की दर का पांच गुना गुणांक निर्धारित किया जा रहा है। इसी प्रकार उक्त नियमावली के नियम–4–ग, स्तम्भ–2 के उप प्रस्तर–6 में प्रोत्साहन का उल्लेख किया गया है। जिसके अनुसार अनावासिक भवनों के स्वामियों या अध्यासियों को यथास्थिति भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य में छूट प्रदान करते हुए निम्नलिखित रूप से (इन्सेन्टिव) दिया जा सकेगा :–

(क) ऐसे भवन, जिसमें वर्षा जल संचयन या भू–गर्भ जल संरक्षण की प्रणाली संस्थित हो और प्रचलन में हो या कम से कम क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत भाग वृक्षारोपण या हरियाली द्वारा आच्छादित हो या समुचित या पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध हो या व्यापार या विनिर्माण या ऐसे क्रिया–कलापों में लगा हो जिससे प्रदूषण उत्पन्न होता हो परन्तु प्रदूषण उपाय अपनाये गये हों, वार्षिक मूल्य में 02 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुए प्रत्येक को प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।

परन्तु यह उपर्युक्त छूट इस खण्ड में उल्लिखित सुविधाओं और उपायों की विद्यमानता और इनके उचित रख–रखाव का सत्यापन करते हुए वर्षानुवर्ष आधार पर प्रदान की जायेगी।

(ख) खण्ड (क) में यथा उल्लिखित ऐसे भवनों के वार्षिक मूल्य में 02 प्रतिशत तक की वृद्धि की जायेगी, यदि इस भवन में खण्ड (क) में उल्लिखित उपाय न उपलब्ध कराये गये हों।

उक्त व्यवस्था पर्यावरण संरक्षण एवं परिस्थितिकीय संतुलन को बनाये रखने के दृष्टिकोण से की गयी है।

इस प्रकार इलाहाबाद नगर निगम द्वारा अनावासीय भवनों के वार्षिक किराया मूल्य के निर्धारण की कार्यवाही उ0 प्र0 नगर निगम (सम्पत्ति कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013 में दी गयी व्यवस्थानुसार की जा रही है।,

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब हम उठते हैं, दिनांक 23 फरवरी, 2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 06 बजकर 07 मिनट पर मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी, 2016 के अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 16 फरवरी, 2016 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–33 का उत्तर पीछे पृष्ठ–40–42 पर)

जनपद–फिरोजाबाद

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1–	क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद लोहिया ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत ब्लाक टूण्डला व ब्लाक नारखी में वर्ष 2012–13 व 2013–14 व 2014–15 व 2015–16 में चयनित ग्रामों में लोहिया आवास हेतु किन–किन परिवारों को चयनित किया गया है ?	लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड टूण्डला में आवास हेतु चयनित लाभार्थियों का विवरण निम्नवत् है :– 1–वित्तीय वर्ष 2012–13 में कोई लोहिया समग्र ग्राम चयनित नहीं था, जिसके कारण किसी भी लाभार्थी को लाभान्वित नहीं किया गया है। 2–वित्तीय वर्ष 2013–14 में लोहिया समग्र ग्राम **गढ़ी निर्भय** चयनित था, जिसमें आवास हेतु पात्र पाये गये 20 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। जिनकी सूची संलग्न है। 3–वित्तीय वर्ष 2014–15 में लोहिया समग्र ग्राम **रामनगर जारखी** एवं **हिम्मतपुर** का चयन किया गया था, जिसमें **रामनगर जारखी** में पात्र पाये गये 03 लाभार्थी एवं ग्राम **हिम्मतपुर** में पात्र पाये गये 97 लाभार्थियों को आवास हेतु लाभान्वित किया गया है। जिनकी सूची संलग्न है। 4–वित्तीय वर्ष 2015–16 में विकास खण्ड टूण्डला में लोहिया समग्र ग्राम **शेखूपुर राजमल** का चयन किया गया है, जिसमें लोहिया आवास हेतु विकास खण्ड स्तर से लाभार्थियो के नाम प्रस्तावित कर प्रस्तुत की गयी सूची के आधार पर लाभार्थियों का आवास हेतु पात्र/अपात्रता के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा चयनित तीन सदस्यीय कमेटी के माध्यम से सत्यापन कराया गया, जिसमें प्रथमतः सत्यापन में 28 लाभार्थी पात्र पाये गये हैं, जिनको नियमानुसार लोहिया आवास आवंटन की कार्रवाई की जा रही है। लाभार्थियों की सूची संलग्न है। इसी प्रकार जनपद फिरोजाबाद के **विकास**

खण्ड नारखी में आवास हेतु चयनित लाभार्थियों का विवरण निम्नवत् है :–

1–वित्तीय वर्ष 2012–13 में कोई लोहिया समग्र ग्राम चयनित नहीं था, जिसके कारण किसी भी लाभार्थी को लाभान्वित नहीं किया गया है।

2–वित्तीय वर्ष 2013–14 में लोहिया समग्र ग्राम **त्रिलोकपुर** चयनित था, जिसमें आवास हेतु पात्र पाये गये 52 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। सूची संलग्न है।

3–वित्तीय वर्ष 2014–15 में लोहिया समग्र ग्राम **गढ़ी पुरानी** का चयन किया गया था, जिसमें से लोहिया आवास हेतु पात्र पाये गये 16 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। सूची संलग्न है।

4–वित्तीय वर्ष 2015–16 में विकास खण्ड नारखी में लोहिया समग्र ग्राम **सुनावई एवं बाजिदपुर ओखरा** का चयन किया गया है, जिसमें लोहिया आवास हेतु विकास खण्ड स्तर से क्रमशः 23 एवं 34 लाभार्थियो का चयन कर सूची प्रस्तुत की गयी है। प्राप्त सूची के आधार पर लाभार्थियों का आवास हेतु पात्र/अपात्रता के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा चयनित तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन उपरान्त पात्र पाये गये लाभार्थियों को नियमानुसार लोहिया आवास आवंटित किये जायेंगे। विकास खण्ड से प्राप्त 23 एवं 34 लाभार्थियों की सूची संलग्न है।

क्या सरकार चयनित लोहिया आवास के लाभार्थियों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ?

जी हां। सूची संलग्न है।

यदि नहीं तो क्यों ?

लागू नहीं होता है।

लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत लाभान्वित कराये गये लाभार्थियों की सूची (अनुपूरक सामग्री)

जनपद–फिरोजाबाद

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	वर्ष	ग्राम पंचायत का नाम	समग्र ग्राम का नाम	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जाति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	सोनिया	भारत	मुसलमान
2	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	कमलेश	इस्लाम	मुसलमान
3	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	जलीश	अलीशेर	मुसलमान
4	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	कमला	चुन्ने खां	मुसलमान
5	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	जय रानी	कल्लू खां	मुसलमान
6	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	पप्पी बेगम	जयपाल	मुसलमान
7	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	समीम	रफीक	मुसलमान
8	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	पवन कुमार	नाथूराम	अहीर
9	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	सुख देवी	सोना	मुसलमान
10	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	मंगती	मुन्शी खां	मुसलमान
11	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	गुड्डी बेगम	नत्थू खां	मुसलमान
12	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	अफसाना	नत्थू खां	मुसलमान
13	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	अकीना बेगम	मुहम्मद सलाम	मुसलमान
14	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	जैनो	चौइया	मुसलमान
15	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	परवीन बेगम	सत्तार	मुसलमान
16	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	मन्जू	बबलू खां	मुसलमान
17	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	रेशमा	जफरू खां	मुसलमान
18	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	आसुद्दीन	कमरुद्दीन	मुसलमान
19	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	हलीमा बेगम	राकेश	मुसलमान

20	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	गेंदा	गफूर खां	मुसलमान
21	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	कमलेश	अल्लो	मुसलमान
22	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	रूमा देवी	उमेश	बाल्मीक
23	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	बच्चू	गुरूदयाल	बाल्मीक
24	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	सायरा बेगम	नन्ने खां	मुसलमान
1	2	3	4	5	6	7	8
25	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	जद्दो	इन्द्रजीत	मुसलमान
26	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	रामा	मुहम्मद अजीज	मुसलमान
27	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	टेनी खां	ईराब अली	मुसलमान
28	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	रूबीना बेगम	आसीम खां	मुसलमान
29	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	गिरजा देवी	हौराम सिंह	यादव
30	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	रामबेटी	हैदर अली	मुसलमान
31	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	शईदन	पप्पू खां	मुसलमान
32	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	तबस्सुम बेगम	साहिद अली	मुसलमान
33	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	सलमा	शफीक खां	मुसलमान
34	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	बिट्टो बेगम	अजीज खां	मुसलमान
35	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	पुष्पेन्द्र	श्याम बाबू	नाई
36	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	सुमीना	नीरज कुमार	यादव
37	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	अनीसा बेगम	सिन्धी	मुसलमान
38	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	मीरा देवी	सत्य प्रकाश	यादव
39	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	बेबी	राजू सिंह	यादव
40	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	सुमन	जयप्रकाश	यादव
41	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	गीता देवी	मुकेश	धीमर

						कुमार	
42	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	तुलसी देवी	बल्लू	यादव
43	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	कमलेश देवी	गुड्डू	यादव
44	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	सुधा देवी	ओमकार	यादव
45	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	रानी देवी	महेश चन्द्र	बढ़ई
46	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	सुमित्रा देवी	कमलेश	यादव
47	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	किरन देवी	कृष्ण पाल	धीमर
48	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	मन्जू	रामदास	गड़रिया
49	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	रूपेश देवी	आनम सिंह	यादव
50	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	राधा	जयपाल सिंह	अहीर
51	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	मुमताज	शमशेर खां	मुसलमान
52	नारखी	2013–14	त्रिलोकपुर	त्रिलोकपुर	अमीर बानो	रहमान	मुसलमान

लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत लाभान्वित कराये गये लाभार्थियों की सूची (अनुपूरक सामग्री)

जनपद–फिरोजाबाद

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	वर्ष	ग्राम पंचायत का नाम	समग्र ग्राम का नाम	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जाति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नारखी	2014–15	गढ़ी पुरानी	गढ़ी पुरानी	मान सिंह	चिरंजी लाल	जाटव
2	नारखी	2014–15	गढ़ी पुरानी	गढ़ी पुरानी	अन्तराम	तुलाराम	कोरी
3	नारखी	2014–15	गढ़ी पुरानी	गढ़ी पुरानी	गीता देवी	जयपाल	कोरी
4	नारखी	2014–15	गढ़ी पुरानी	गढ़ी पुरानी	भूरी सिंह	कंचन लाल	जाटव
5	नारखी	2014–15	गढ़ी पुरानी	गढ़ी पुरानी	महावीर	शंकर लाल	कोरी
6	नारखी	2014–15	गढ़ी पुरानी	गढ़ी पुरानी	विनीता देवी	नरेन्द्र पाल	जाटव
7	नारखी	2014–15	गढ़ी पुरानी	गढ़ी पुरानी	कान्ती देवी	डिप्टी सिंह	जाटव
8	नारखी	2014–15	गढ़ी पुरानी	गढ़ी पुरानी	राज कुमारी	महावीर	जाटव
9	नारखी	2014–15	गढ़ी पुरानी	गढ़ी पुरानी	रिन्की देवी	इन्द्रपाल सिंह	जाटव
10	नारखी	2014–15	गढ़ी पुरानी	गढ़ी पुरानी	विरमा देवी	रामदास	जाटव
11	नारखी	2014–15	गढ़ी पुरानी	गढ़ी पुरानी	ब्रजमोहन	रामप्रसाद	धोबी
12	नारखी	2014–15	गढ़ी पुरानी	गढ़ी पुरानी	दिनेश बाबू	लोकपाल	धोबी
13	नारखी	2014–15	गढ़ी पुरानी	गढ़ी पुरानी	रामबीर	छक्कूलाल	कोरी
14	नारखी	2014–15	गढ़ी पुरानी	गढ़ी पुरानी	शिवम प्रताप	श्री अरविन्द सिंह	ठाकुर
15	नारखी	2014–15	गढ़ी पुरानी	गढ़ी पुरानी	राजेश कुमार	श्री ओम प्रकाश	कुम्हार
16	नारखी	2014–15	गढ़ी पुरानी	गढ़ी पुरानी	धर्मवीर सिंह	बादाम सिंह	नाई

वर्ष 2015–16 के चयनित लोहिया समग्र ग्रामों में लोहिया आवास हेतु प्रस्तावित लाभार्थियों का विवरण

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	वर्ष	ग्राम पंचायत का नाम	समग्र ग्राम का नाम	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जाति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नारखी	2015–16	रामपुर कटेलिया	सुनावई	अफसाना बेगम	शमसुद्दीन	मुसलमान
2	नारखी	2015–16	रामपुर कटेलिया	सुनावई	फातिमा बेगम	रहीश खां	मुसलमान
3	नारखी	2015–16	रामपुर कटेलिया	सुनावई	सुनीता देवी	अलवर खां	मुसलमान
4	नारखी	2015–16	रामपुर कटेलिया	सुनावई	हीरा बेगम	मोहर सिंह	मुसलमान
5	नारखी	2015–16	रामपुर कटेलिया	सुनावई	हसीना बेगम	भूरे खां	मुसलमान
6	नारखी	2015–16	रामपुर कटेलिया	सुनावई	फरीना बेगम	रफीक खां	मुसलमान
7	नारखी	2015–16	रामपुर कटेलिया	सुनावई	हाजरा बेगम	बाबू खां	मुसलमान
8	नारखी	2015–16	रामपुर कटेलिया	सुनावई	जन्नत बेगम	बसीर खां	मुसलमान
9	नारखी	2015–16	रामपुर कटेलिया	सुनावई	ईदन बेगम	शमसुद्दीन	मुसलमान
10	नारखी	2015–16	रामपुर कटेलिया	सुनावई	इमामन बेगम	अली मौहम्मद	मुसलमान
11	नारखी	2015–16	रामपुर कटेलिया	सुनावई	निसारन बेगम	सलीम खां	मुसलमान
12	नारखी	2015–16	रामपुर कटेलिया	सुनावई	सीमा बेगम	हैदर अली	मुसलमान
13	नारखी	2015–16	रामपुर कटेलिया	सुनावई	सुनीता देवी	मुकेश कुमार	बढ़ई
14	नारखी	2015–16	रामपुर	सुनावई	पंकज गिरि	मुन्ना लाल	गोस्वामी

			कटेलिया				
1	2	3	4	5	6	7	8
15	नारखी	2015–16	रामपुर कटेलिया	सुनावई	रेशमा देवी	रोहतान सिंह	जाटव
16	नारखी	2015–16	रामपुर कटेलिया	सुनावई	राजकुमारी	विजेन्द्र सिंह	कुम्हार
17	नारखी	2015–16	रामपुर कटेलिया	सुनावई	गीता देवी	हीरा लाल	बाल्मीक
18	नारखी	2015–16	रामपुर कटेलिया	सुनावई	मेहरूनिशा	अशफाक अली	मुसलमान
19	नारखी	2015–16	रामपुर कटेलिया	सुनावई	रानी देवी	हरी सिंह	ठाकुर
20	नारखी	2015–16	रामपुर कटेलिया	सुनावई	सरिता देवी	नागेश कुमार	धीमर
21	नारखी	2015–16	रामपुर कटेलिया	सुनावई	बिस्मिल्ला	इमामी	मुसलमान
22	नारखी	2015–16	रामपुर कटेलिया	सुनावई	इन्द्रवती	देवलाल	जाटव
23	नारखी	2015–16	रामपुर कटेलिया	सुनावई	किताब श्री	महेश	धोबी
24	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	किरन देवी	किशन स्वरूप	दर्जी
25	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	ममता देवी	अरविन्द	दर्जी
26	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	शान्ति देवी	गोविन्द पाल सिंह	ठाकुर
27	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	विमला देवी	इन्द्रपाल सिंह	ठाकुर
28	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	सकीना	मोती	मुसलमान
29	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	शान्ती	इमामी	मुसलमान
30	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	आसमां	मखमल	मुसलमान

1	2	3	4	5	6	7	8
31	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	रहीश	देसू	मुसलमान
32	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	समीना	सन्तरा	मुसलमान
33	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	वीरो	कासिम	मुसलमान
34	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	भूरी	ख्वाजी	मुसलमान
35	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	अंगूरी	हरजू	मुसलमान
36	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	नगीना	अलवर	मुसलमान
37	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	अंगूरी	कासिम	मुसलमान
38	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	हसीना	अईव	मुसलमान
39	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	रूपा	जमील	मुसलमान
40	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	जिनिया	रगन शहजाद	मुसलमान
41	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	पठानी	अतर सिंह	मुसलमान
42	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	गुड्डी	मुन्शी	मुसलमान
43	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	रेखा	बुद्धा	मुसलमान
44	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	नूरजहां	मेंहदी हसन	मुसलमान
45	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	खातून	सलीम	मुसलमान
46	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	प्रवीना	झन्डू	मुसलमान

1	2	3	4	5	6	7	8
47	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	कालिया	चैना	मुसलमान
48	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	मेमजादी	खानू	मुसलमान
49	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	शहजादी	खैराती	मुसलमान
50	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	पठानी	अमरू	मुसलमान
51	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	सुलेमा	सन्जम	मुसलमान
52	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	प्रवीना	रफीक	मुसलमान
53	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	साहबजादी	भोले	मुसलमान
54	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	गुड्डी	बुलाकी	मुसलमान
55	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	पिंकी	इस्लाम	मुसलमान
56	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	गुड्डी	छोटे	मुसलमान
57	नारखी	2015–16	राजपुर कोटला	वाजिदपुर ओखरा	कृष्णादेवी	बलराम सिंह	ठाकुर

लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत लाभान्वित कराये गये लाभार्थियों की सूची

जनपद–फिरोजाबाद

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	वर्ष	ग्राम पंचायत का नाम	समग्र ग्राम का नाम	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जाति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	टूण्डला	2013–14	गढ़ी निर्भय	गढ़ी निर्भय	रामढकेली	तालेवर सिंह	अहीर
2	टूण्डला	2013–14	गढ़ी निर्भय	गढ़ी निर्भय	ममता	दरव सिंह	कुशवाह
3	टूण्डला	2013–14	गढ़ी निर्भय	गढ़ी निर्भय	माया देवी	सियाराम	अहीर
4	टूण्डला	2013–14	गढ़ी निर्भय	गढ़ी निर्भय	सुनीता देवी	छेदीलाल	अहीर
5	टूण्डला	2013–14	गढ़ी निर्भय	गढ़ी निर्भय	पप्पी	सुन्नी	नाई
6	टूण्डला	2013–14	गढ़ी निर्भय	गढ़ी निर्भय	ललिता देवी	कालीचरन	नाई
7	टूण्डला	2013–14	गढ़ी निर्भय	गढ़ी निर्भय	सुखदेवी	मुख्तियार	अहीर
8	टूण्डला	2013–14	गढ़ी निर्भय	गढ़ी निर्भय	कुसुमादेवी	कपूर सिंह	अहीर
9	टूण्डला	2013–14	गढ़ी निर्भय	गढ़ी निर्भय	सुमन	रंजीत सिंह	यादव
10	टूण्डला	2013–14	गढ़ी निर्भय	गढ़ी निर्भय	रेखा देवी	गजेन्द्र सिंह	कुशवाह
11	टूण्डला	2013–14	गढ़ी निर्भय	गढ़ी निर्भय	सुषमा देवी	मलिखान सिंह	यादव
12	टूण्डला	2013–14	गढ़ी निर्भय	गढ़ी निर्भय	बलवीर सिंह	विहारी लाल	कुम्हार
13	टूण्डला	2013–14	गढ़ी निर्भय	गढ़ी निर्भय	कुसुमा देवी	सुरेन्द्र सिंह	यादव
1	2	3	4	5	6	7	8

14	टूण्डला	2013–14	गढ़ी निर्भय	गढ़ी निर्भय	उर्मिला देवी	रमेश चन्द्र	नाई
15	टूण्डला	2013–14	गढ़ी निर्भय	गढ़ी निर्भय	भगवान देवी	सुरेश चन्द्र	कुशवाह
16	टूण्डला	2013–14	गढ़ी निर्भय	गढ़ी निर्भय	सोनिया	श्यामसुन्दर	यादव
17	टूण्डला	2013–14	गढ़ी निर्भय	गढ़ी निर्भय	गंगा श्री	नेकसे	यादव
18	टूण्डला	2013–14	गढ़ी निर्भय	गढ़ी निर्भय	मुरा देवी	मुल्कराज	यादव
19	टूण्डला	2013–14	गढ़ी निर्भय	गढ़ी निर्भय	कस्तुरी देवी	प्यारे लाल	कुशवाह
20	टूण्डला	2013–14	गढ़ी निर्भय	गढ़ी निर्भय	सुमन देवी	विजय सिंह	कुशवाह

लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत लाभान्वित कराये गये लाभार्थियों की सूची (अनुपूरक सामग्री)

जनपद–फिरोजाबाद

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	वर्ष	ग्राम पंचायत का नाम	समग्र ग्राम का नाम	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जाति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	गीता देवी	बादाम सिंह	बाल्मीक
2	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	कुशमा देवी	दिनेश	बाल्मीक
3	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	प्रेमलता	राम खिलाड़ी	जाटव
4	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	सरिता देवी	मनीश कुमार	बाल्मीक
5	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	रिंकू देवी	गोपाल	जाटव
6	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	लोगश्री	रामचन्द्र	जाटव
7	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	विद्या देवी	अनेक सिंह	जाटव
8	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	टिन्को देवी	सुरेश चन्द्र	बाल्मीक
9	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	ज्ञान देवी	निहाल सिंह	जाटव
10	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	रेखा देवी	गिर्राज	बाल्मीक
11	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	विमला देवी	ओम प्रकाश	जाटव
12	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	रिंकी देवी	शंकर पाल	धोबी
13	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	मीरा	राजपाल	धोबी
14	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	मीना देवी	गम्भीर सिंह	धोबी
15	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	सुनीता	सुरेश चन्द्र	धोबी
16	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	कण्ठ श्री	छोटे लाल	नट
17	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	सीमा	उदयवीर	बाल्मीक
18	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	राजनश्री	संजय	धोबी
19	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	सावित्री देवी	ज्ञान सिंह	जाटव

20	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	मुन्नी देवी	मुन्नेश	जाटव
21	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	बबीता	सुखवीर	बाल्मीक
22	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	सर्वेश	सौंप्रसाद	जाटव
23	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	कुसमा देवी	प्रताप सिंह	जाटव
24	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	जैनव बेगम	समीप खां	मुसलमान
25	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	कंचन देवी	अवधांश	बघेल
1	2	3	4	5	6	7	8
26	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	जन्नत बेगम	नन्हें खां	मुसलमान
27	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	कुशमा देवी	जय प्रकाश	यादव
28	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	मंजू देवी	प्रमोद	नाई
29	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	मंजू देवी	रिसाल सिंह	यादव
30	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	ईश्वर दयाल	नन्दराम	जाटव
31	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	मंजू देवी	सुरेश सिंह	ठाकुर
32	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	सुख देवी	शंकरलाल	कुशवाह
33	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	सूरजा देवी	केहरी सिंह	ठाकुर
34	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	नूर बानो	नूरी खां	मुसलमान
35	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	सुनीता	सुरेन्द्र सिंह	यादव
36	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	चांदनी	राजपाल	काछी
37	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	अफसाना	छोटा खां	मुसलमान
38	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	भूदेवी	रामकिशन	काछी
39	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	लाली	सहबाज खां	बंजारा
40	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	कुसमा देवी	अतर सिंह	बघेल
41	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	सरवर बेगम	जफरुद्दीन	मुसलमान
42	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	आशा	हीरालाल	कुशवाह
43	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	साबो	अलीशेर	बंजारा

44	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	माया	बादशाह	बंजारा
45	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	अंगूरी	हखला खां	बंजारा
46	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	आशा	सन्जे खां	बंजारा
47	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	पिंकी	रहीश खां	बंजारा
48	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	राम कुमारी	मोहर सिंह	बघेल
49	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	तारावती	पप्पू	कुशवाह
50	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	सब्बो	सल्लू खां	बंजारा
51	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	रज्जो	हजारी खां	बंजारा
52	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	धरवन्ती	जान मोहम्मद	बंजारा
53	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	भग्गो	मोहर सिंह	बंजारा
54	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	शान्ति	अल्ला खां	बंजारा
1	2	3	4	5	6	7	8
55	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	आशा	सराफी खां	बंजारा
56	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	चमेली	हेत सिंह	कुशवाहा
57	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	हूरा	इन्दु खां	बंजारा
58	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	शीला	गुलाब खां	बंजारा
59	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	नीरू देवी	भूरी सिंह	नाई
60	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	सुमन कुमारी	शिवकुमार	नाई
61	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	मंजू देवी	अनोखे लाल	बघेल
62	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	रेशम देवी	पप्पू	कुशवाहा
63	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	काजल	ध्यानपाल	नाई
64	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	सुखदेवी	जवाहर सिंह	नाई
65	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	कमलेश	नीरू खां	बंजारा
66	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	वहीवन	फहीम खां	मुसलमान
67	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	नसरीन	समशेरी	मुसलमान
68	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	दुज्जो	रामचरन	कुशवाहा
69	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	ओमवती	वीरपाल	यादव
70	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	उर्मिला	श्याम सिंह	यादव

					देवी		
71	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	कमलेश	विद्याराम	बघेल
72	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	ममता	सतीश चन्द्र	नाई
73	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	मुन्नी देवी	राम सनेही	राठौर
74	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	राजकुमारी	सुभाष	राठौर
75	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	निशा	अवनीश	राठौर
76	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	पुष्पा देवी	शिवचरन	बघेल
77	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	रामरज देवी	विनोद कुमार	ठाकुर
78	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	कंठश्री	राजेन्द्र	कुशवाहा
79	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	सुशीला	रोशन लाल	भुर्जी
80	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	प्रीती देवी	श्यामपाल सिंह	नाई
81	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	मुन्नी देवी	किशन सिंह	ठाकुर
82	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	रानी	श्रीटिल्लू	ठाकुर
83	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	सरलादेवी	श्री सुखराम	नाई
1	2	3	4	5	6	7	8
84	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	तरन्नुम	श्री शेख अहमद	मुसलमान
85	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	मिथिलेश	श्री धर्मेश	नाई
86	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	विमला देवी	श्री राकेश	नाई
87	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	बबीता	शेर सिंह	बघेल
88	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	शिया देवी	श्री राकेश	बढ़ई
89	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	उर्मिला देवी	उमेश कुमार	तेली
90	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	रजनी देवी	राकेश	ठाकुर
91	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	आशा बेगम	श्री बबलू	मुसलमान
92	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	मधुबाला	श्री प्रेमपाल	यादव
93	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	मछला देवी	जय प्रकाश	यादव
94	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	स्नेहलता	राजबहादुर	यादव
95	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	सविता	श्री जितेन्द्र	यादव

					देवी		
96	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	हिम्मतपुर	विनीता देवी	यतेन्द्र पाल	यादव
97	टूण्डला	2014–15	हिम्मतपुर	पखरपुरा	रामबेटी	श्री जयवीर सिंह	बघेल

वर्ष 2015–16 के चयनित लोहिया समग्र ग्रामों में लोहिया आवास हेतु प्रस्तावित लाभार्थियों का विवरण

जनपद–फिरोजाबाद

क्र0 सं0	वर्ष	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	समग्र ग्राम का नाम	निवास का ग्राम	लाभार्थी का नाम	पति/पिता का नाम	जाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2015–16	टूण्डला	शेखूपुर राजमल	शेखूपुर राजमल	राजमल	परवीन बेगम	पप्पू	मुसलमान
2	2015–16	टूण्डला	शेखूपुर राजमल	शेखूपुर राजमल	राजमल	अजीजन बेगम	नजीर खा	मुसलमान
3	2015–16	टूण्डला	शेखूपुर राजमल	शेखूपुर राजमल	राजमल	कमरून बेगम	नन्ने खां	मुसलमान
4	2015–16	टूण्डला	शेखूपुर राजमल	शेखूपुर राजमल	राजमल	रिहाना	मसकूर खां	मुसलमान
5	2015–16	टूण्डला	शेखूपुर राजमल	शेखूपुर राजमल	राजमल	आसमा बेगम	शेखबहादुर	मुसलमान
6	2015–16	टूण्डला	शेखूपुर राजमल	शेखूपुर राजमल	राजमल	याशवीन	शकील	मुसलमान
7	2015–16	टूण्डला	शेखूपुर राजमल	शेखूपुर राजमल	जरारा	गुड्डी देवी	इसाक खां	मुसलमान
8	2015–16	टूण्डला	शेखूपुर राजमल	शेखूपुर राजमल	जरारा	रूकसाना	रहीस खा	मुसलमान
9	2015–16	टूण्डला	शेखूपुर राजमल	शेखूपुर राजमल	जरारा	बदलू खां	नैकसे खां	मुसलमान
10	2015–16	टूण्डला	शेखूपुर राजमल	शेखूपुर राजमल	न0 करन सिंह	मुन्नी देवी	सुग्रीव सिंह	यादव
11	2015–16	टूण्डला	शेखूपुर राजमल	शेखूपुर राजमल	न0 करन सिंह	राजो	कोमल सिंह	यादव
12	2015–16	टूण्डला	शेखूपुर राजमल	शेखूपुर राजमल	राजमल	उर्मिला देवी	नरेन्द्र सिंह	यादव
13	2015–16	टूण्डला	शेखूपुर राजमल	शेखूपुर राजमल	राजमल	मुन्नी देवी	ठाकुर दास	यादव
14	2015–16	टूण्डला	शेखूपुर राजमल	शेखूपुर राजमल	ढकई	ममता देवी	प्रेम शंकर	नाई
15	2015–16	टूण्डला	शेखूपुर राजमल	शेखूपुर राजमल	गढीदया	मिथलेश	छोटेलाल	यादव
16	2015–16	टूण्डला	शेखूपुर राजमल	शेखूपुर राजमल	जरारा	रेखा देवी	राजकुमार	धीमर
17	2015–16	टूण्डला	शेखूपुर राजमल	शेखूपुर राजमल	राजमल	रतनेश	नरायन सिंह	धोबी
18	2015–16	टूण्डला	शेखूपुर राजमल	शेखूपुर राजमल	राजमल	नीरज देवी	गिरोज	धोबी

19	2015–16	टूण्डला	शेखूपुर राजमल	शेखूपुर राजमल	राजमल	हीरा देवी	जसवीर	धोबी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	2015–16	टूण्डला	शेखूपुर राजमल	शेखूपुर राजमल	राजमल	लक्ष्मी देवी	गोविन्द	धोबी
21	2015–16	टूण्डला	शेखूपुर राजमल	शेखूपुर राजमल	न0 धनवन्त	अंगूरी देवी	हरी सिंह	जाटव
22	2015–16	टूण्डला	शेखूपुर राजमल	शेखूपुर राजमल	न0 धनवन्त	ऊषा देवी	श्याम सिंह	जाटव
23	2015–16	टूण्डला	शेखूपुर राजमल	शेखूपुर राजमल	राजमल	नीतू	सोनू	धोबी
24	2015–16	टूण्डला	शेखूपुर राजमल	शेखूपुर राजमल	राजमल	सन्तो देवी	छोटेलाल	धोबी
25	2015–16	टूण्डला	शेखूपुर राजमल	शेखूपुर राजमल	राजमल	रेनू देवी	राजवीर	धोबी
26	2015–16	टूण्डला	शेखूपुर राजमल	शेखूपुर राजमल	ढकई	कान्ता देवी	मुकेश कुमार	प्रजापति
27	2015–16	टूण्डला	शेखूपुर राजमल	शेखूपुर राजमल	ढकई	चन्द्रवती	सुनहरी लाल	प्रजापति
28	2015–16	टूण्डला	शेखूपुर राजमल	शेखूपुर राजमल	ढकई	गीता देवी	योगेश कुमार	प्रजापति

लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत लाभान्वित कराये गये लाभार्थियों की सूची (अनुपूरक सामग्री)

जनपद–फिरोजाबाद

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	वर्ष	ग्राम पंचायत का नाम	समग्र ग्राम का नाम	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जाति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	टूण्डला	2014–15	शिवसिंह पुर	रामनगर जारखी	पिंकी	सोनू	यादव
2	टूण्डला	2014–15	शिवसिंह पुर	रामनगर जारखी	भूरी देवी	विजेन्द्र सिंह	यादव
3	टूण्डला	2014–15	शिवसिंह पुर	रामनगर जारखी	सुमन	मंगल सिंह	यादव

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–54 का उत्तर पीछे पृष्ठ–49 पर)

प्रदेश के विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में अल्पसंख्यकों हेतु मात्राकरण

शासनादेश दिनांक 24–08–2013 द्वारा प्रदेश के 30 विभागों की 85 कल्याणकारी योजनाओं को चिन्हित करते हुए इन विभागों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों हेतु 20 प्रतिशत का मात्राकरण सुनिश्चित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे। कालान्तर में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कन्या विद्याधन योजना तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित समाजवादी पेंशन योजना को भी इन चिन्हित योजनाओं में सम्मिलित कर लिया गया है। इस प्रकार मात्राकरण हेतु 87 योजनायें चिन्हित की गयी थीं।

उपरोक्त चिन्हित 87 योजनाओं की समीक्षा के उपरान्त 21 योजनायें ऐसी पायी गयी हैं जिनमें विभिन्न कारणों से अल्पसंख्यकों हेतु मात्राकरण संभव नहीं था/मात्राकरण की आवश्यकता नहीं पायी गयी थी। इन 21 योजनाओं को मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त मात्राकरण हेतु चिन्हित योजनाओं की सूची से निकाल दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त कतिपय योजनायें केन्द्रपुरोनिधानित होने के कारण वर्ष 2014–15 में इन योजनाओं के संचालनार्थ भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण योजना का क्रियान्वयन नहीं हो सका है।

वर्ष 2014–15 में जिन योजनाओं में अल्पसंख्यकों हेतु मात्राकरण सुनिश्चित किया गया है। उनके विवरण निम्नवत् हैं :–

विभाग	योजना का नाम	इकाई	मात्राकृत लक्ष्य	माह मार्च 2015 तक की लक्ष्य की पूर्ति	लक्ष्य की पूर्ति का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
गन्ना विकास (उन्नत गन्ना बीज वितरण)	आधार पौधशाला बीज वितरण	कु0	17660	17754	99
	प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण	कु0	178576	177641	99
	अभिजनक गन्ना बीज यातायात	कु0	1783	1723	97
	आधार बीज यातायात	कु0	17857	17208	96
	बीज/भूमि उपचार	हे0	17522	17243	98
	पेडी प्रबन्ध	हे0	17437	17437	100
	बायोफर्टीलाइजर/वर्मी कम्पोस्ट	हे0	15508	15435	99

लघु सिंचाई	निःशुल्क बोरिंग	संख्या	14425	15548	108
	गहरे नलकूप हेतु अनुदान (गहरी बोरिंग)	संख्या	145	137	94
	मध्यम गहरी बोरिंग हेतु अनुदान	संख्या	992	733	74
1	2	3	4	5	6
उद्यान विभाग	राष्ट्रीय औधानीकरण मिशन	हे0	4623	1777	38
	ढाबा/फास्ट फूड/रेस्तरां हेतु प्रशिक्षण	संख्या	192	215	111
	फल पट्टी योजना	हे0	37.30	37.30	100
	हरबल गार्डेन योजना	हे0	5.80	5.60	96
पशुपालन विभाग	गाय एवं भैंस में कृत्रिम गर्भाधान एवं पशु प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना	संख्या	850000	519250	61
कृषि विपणन	मण्डी परिषद् निधि से संचालित मा0 जनेश्वर मिश्र ग्रामों का चयन	संख्या	200	200	100
ग्राम्य विकास	स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन)	संख्या	66072	56249	85
	अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना	संख्या	1606	1606	100
	लोहिया ग्रामीण आवास योजना	संख्या	6530	7974	122
	ग्रामीण पाइप पेय जल योजना	संख्या	270	270	100
पंचायती राज विभाग	ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान)	संख्या	163887	83663	51.05
खादी ग्रामोद्योग विभाग	मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना	संख्या	352	325	92
	कौशल सुधार योजना	संख्या	375	375	100
रेशम विकास विभाग	जागरूकता एवं प्रशिक्षण योजना	संख्या	400	274	68
	कैटेलिटी विकास योजना	संख्या	910	749	82

	(सी0डी0ई0)				
बेसिक शिक्षा विभाग	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना छात्राओं का नामांकन	संख्या	14800	11036	75
पिछड़ा वर्ग कल्याण	व्यावसायिक प्रशिक्षण	संख्या	600	764	127
व्यवसायिक शिक्षा	असेवित विकास खण्डों में आई0टी0आई0 का निर्माण/स्थापना	संख्या	04	04	100
	कौशल विकास मिशन	संख्या	30655	28787	98
1	2	3	4	5	6
विकलांग कल्याण	नेत्रहीन मूक बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों को भरण पोषण हेतु अनुदान (विकलांग पेंशन) शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु	संख्या	10757	6717	100
महिला कल्याण	निराश्रित महिलाओं के लिए भरण पोषण अनुदान	संख्या	132	50	37
दुग्ध विकास	सघन मिनी डेयरी परियोजना	संख्या	354	324	92
	नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेण्ट (एन0एम0पी0एस0)	फीफर रियरिंग	9	6	66
समाज कल्याण	समाजवादी (इन्दिरा गांधी) पेंशन योजना	संख्या	3339843	3335274	83

चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में भी चयनित योजनाओं में शासनादेश की व्यवस्थानुसार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप मात्राकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

पी0एस0यू0पी0–एल0 54 विधान सभा (81) 08–06–2016–813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।